FOR REFERENCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

त्रयोदश माला, खंड 4, अंक 6

बुधवार, 1 मार्च, 2000
11 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D
Date 14/6/2024

(खण्ड 4 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 4, तीसरा सत्र, 2000/1921 (शक)

अंक 6, बुधवार, 1 मार्च, 2000/11 फाल्गुन, 1921 (शक)

विषय	कॉलम
रूस के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	4-300
तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 100	4-39
अतारांकित प्रश्न संख्या 887 से 1116	39-300
सभा पटल पर रखे गए पत्र	303-307
राज्य सभा से सन्देश	307-308
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
पहला प्रतिवेदन	308
उद्योग सम्बन्धी स्थायी समिति	
तैंतीसवां प्रतिवेदन	308
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्थायी समिति	
इकहत्तरवां प्रतिवेदन	309
समितियों के लिए निर्वाचन	309-310
(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम	309
(दो) केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति	310

लोक सभा

बुधवार, 1 मार्च, 2000/11 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

रूस के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आरम्भ में, मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी तथा सभा के माननीय सदस्यगण की ओर से भारत की यात्रा पर आये हमारे सम्माननीय अतिथि "स्टेट ड्यूमा ऑफ रशियन फेडरेशन" के चेयरमैन महामहिम श्री गेनेदी एन. सेलेज्नेव तथा रूसी संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करते अपार हर्ष हो रहा है ।

शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य हैं :

1. डा॰ अनातोली आई॰ लूक्यानोव
2. श्री कादिर उल ए॰ बिशेलदेई
3. श्री आईगोर वी॰ लिसिनेन्को
4. श्री फ्रांसिस ए॰ सैफुल्लीन
5. श्री निकोलाई अइ॰ त्रावकिन
6. श्री वेलेरी ए॰ शितुयेव
7. श्री रफेल अइ गिमालोव
8. श्री ओलेग ए॰ फिन्को
9. सुश्री आइरिना एम॰ हाकामादा ।

दिल्ली में उनका आगमन मंगलवार, 29 फरवरी, 2000 को हुआ । इस समय वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और उपयोगी होगा । हम उनके माध्यम से रशियन फेडरेशन के कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और वहाँ अपने मित्र लोगों को अपनी शुभकामनाएँ देते हैं ।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप नियम 184 के अन्तर्गत आर॰एस॰एस॰ के मुद्दे पर चर्चा के संबंध में दिए गए हमारे नोटिस पर पुनर्विचार करेंगे। हम अभी तक आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल के बाद मैं आपकी बात सुनूँगा । कृपया समझिए ।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 81 । श्री रतन लाल कटारिया ।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूँ कि प्रश्न-काल के बाद मैं आपकी बात सुनूँगा । कृपया समझिए ।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल के बाद, मैं आपको बोलने की अनुमति दूँगा ।

....(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, आपने कहा था कि आप उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं ....(व्यवधान) हमने रेल बजट मे विघ्न नहीं डाला। हमने सामान्य बजट में विघ्न नहीं डाला । अब कुछ तो पता चलना चाहिए ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें ।

....(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे....(व्यवधान) इस मुद्दे को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माधवराव जी, हमने इस विषय को आज की कार्य-सूची में भी सूचीबद्ध नहीं किया है । सामान्यत: प्रश्न-काल में सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं और मंत्रियो को उनका जवाब देना होता है। इसलिए, मैं प्रश्न-काल के बाद आपकी बात सुनूँगा । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, कुछ तो उत्तर-प्रत्युत्तर किया जाना चाहिए । पहले इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए । इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : महोदय, इन्होंने हाउस को बंधक बना रखा है । ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाइं (बालासोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पहले ही श्री किरीट सोमैया को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दे दी है*..... उन्होंने सभा को बंधक बना रखा है उन्होंने राष्ट्र को बंधक रखा है । उन सब को सभा से निलंबित कर देना चाहिए । ....*(व्यवधान)* महोदय उनके पास कहने के लिए कुछ भी नया नहीं है । वह यही बात पिछले चार अथवा पाँच दिनों से कह रहे हैं .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर आप सबसे अपने स्थान ग्रहण करने की अपील कर रहा हूँ । कृपया प्रश्न-काल को जारी रहने दें । मैं प्रश्न-काल के बाद आपकी बात सुनूँगा ।

....*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाइं : महोदय, वह सत्र के आरम्भ से ही बहस कर रहे हैं और सभा में कोई कार्य नहीं होने दे रहे हैं । *....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 81 । श्री रतन लाल कटारिया ।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना सहयोग दीजिए । मैं प्रश्न-काल के बाद आपकी बात सुनूँगा ।

....*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाइं : महोदय, वह कोई नई बात नहीं कर रहे हैं । वह पिछले चार अथवा पाँच दिनों से यही बात कह रहे हैं । आप पहले ही यह कह चुके हैं कि इस मामले पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जाएगी....*(व्यवधान)* आपने परसों पहले से ही श्री किरीट सोमैया को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दे दी है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा ।

....*(व्यवधान)***

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अधिकारों की समानता की रक्षा

***81. श्री रतन लाल कटारिया :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सत्ता, समृद्धि और प्रतिष्ठा में सभी को समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए विभिन्न संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक गारंटियों को उनके शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के माध्यम से प्रभावी रूप से और सार्थक रूप से सुनिश्चित किए जाना अपेक्षित है । सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों के माध्यम से साक्षरता में सुधार और सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुंच के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं । ग्रामीण तथा शहरी गरीबी उन्मूलन केन्द्रित कार्यक्रमों तथा आसान ऋणों तक पहुंच के माध्यम से और अधिक आर्थिक अवसरों का विकास किया जा रहा है । आदिवासी उपयोजना तथा विशेष संघटक योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को इन क्षेत्रों में अवसरंचनात्मक कार्यकलापों में सुधार और विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्यों तथा केन्दीय सरकार द्वारा बढ़े हुए संसाधनों का आबंटन किया जाता है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण, बन्धुआ मजदूरी समाप्त करने तथा भूमि के हस्तान्तरण को रोकने में सिविल अधिकार संरक्षण के लिए विधान भी बनाए गए हैं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के पदों तथा सेवाओं में आरक्षण के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, राज्य विधान मंडलों तथा संसद में सीटों का आरक्षण है । इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए सुरक्षा उपायों का मानीटर करने तथा उनसे संबंधित मुद्दों पर सूचना देने के लिए एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है ।

पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना

***82. श्री मोइनुल हसन :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दिसम्बर, 1999 में इंडियन एयरलाइन्स के विमान आई सी-814 के अपहरण के बाद विश्व की बड़ी शक्तियों से पाकिस्तान को आंतकवादी देश घोषित करने की अपील की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इन देशों में से प्रत्येक से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार को अमेरिका द्वारा दिए गए वक्तव्य की जानकारी है कि उसकी सरकार को भारतीय विमान के अपहरण में पाकिस्तान के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है;

(ङ) क्या इस विषय में भारत सरकार द्वारा कोई राजनयिक प्रयास किये गये हैं;

(च) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय मत भारत के रुख के पक्ष में करने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस दिशा में किस सीमा तक सफलता मिली है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (छ) सरकार ने पाकिस्तान सरकार के समर्थन से चलाए जा रहे आतंकवाद की ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान उचित और प्रभावी ढंग से आकृष्ट किया है जिसका कि स्पष्ट उदाहरण अभी हाल में आई सी-814 का अपहरण था। पाकिस्तान समर्थित आंतकवाद से संबधित तथ्यों को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर लाया गया है और विश्व के नेताओं के साथ हुई उच्चस्तरीय चर्चाओं में भी उठाया गया है। अब अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय खुले रूप में भारत में जम्मू और कश्मीर में तथा भारत के अन्य स्थानों पर पाकिस्तान की सरकार के समर्थन से चलाए जा रहे आतंकवाद और हमारे देश तथा क्षेत्र पर पड़े उसके प्रभाव को स्वीकार करता है । बढ़ती हुई यह जागरूकता अनेक सरकारों के आधिकारिक वक्ताओं के वक्तव्यों में तथा पाकिस्तान के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में भी दिखाई जा रही है।

सरकार ने अमरीकी सरकार की अपहरण से संबंधित टिप्पणी को देखा है और अपहरण में पाकिस्ताना की भूमिका तथा पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठनों के बारे में अमरीकी पक्ष को उनके विचारों से अवगत करा दिया है । सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि अमरीकी सरकार के प्रवक्ता ने आम तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान सरकार की एजेन्सियों और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी ग्रुपों के बीच सहयोग और सांठगांठ हुई थी। भारत और अमरीका ने सभी तरह के आंतकवाद का सामना करने में अपना सहयोग तेज करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी दल का भी गठन किया है । भारत ने आतंकवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का भी प्रस्ताव रखा है और सितम्बर, 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी ।

[हिन्दी]

थाईलैंड में भारतीय-मूल के नागरिक

***83. कुंवर अखिलेश सिंह :**
डॉ संजय पासवान :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थाईलैंड में भारतीय मूल के कितने नागरिक रह रहे हैं ;

(ख) कितने भारतीय नागरिकों को जो पर्यटक वीसा पर थाईलैंड की यात्रा पर थे थाईलैंड सरकार द्वारा जेल में रखा गया है और इसके क्या करण हैं; और

(ग) उन्हें थाईलैंड की जेलों से रिहा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) थाईलैण्ड में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या लगभग 35000 है ।

(ख) आप्रवासन अभिरक्षा केन्द्रों में भारतीय राष्ट्रिकों की वर्तमान संख्या 14 है । उन्हें या तो अवैध प्रवेश अथवा पर्यटन वीसा अवधि से ज्यादा अवधि तक रुकने के कारण बन्दी बनाया गया है ।

(ग) थाईलैण्ड स्थित भारतीय राजदूतावास उन्हें भारत भेजने में मदद करने के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेजों सहित कोंसली सहायता प्रदान करता है ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विश्वसनीयता

***84. श्री रामजी मांझी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 फरवरी, 2000 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सी.बी.आई. पुल्ड अप फॉर हशिंग अप केस अगेन्स्ट सब-इंसपेक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीनों वर्षों के दौरान उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें न्यायालयों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की भर्त्सना की है ;

(घ) क्या इन भर्त्सनाओं को देखते हुए सरकार ने विभिन्न न्यायालयों और विशेष न्यायालयों में लंबित मामलों में सहायक साक्ष्यों की समीक्षा की है या करने का विचार है; और

(ङ) सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की साख बढ़ाने हेतु क्या कार्रवाई की है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यह मामला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन-विभाग के एक उप-निरीक्षक के विरुद्ध स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज एक मामले में ब्यूरो द्वारा समापन-रिपोर्ट दाखिल किए जाने के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली के न्यायालय द्वारा की गई उपर्युक्त ब्यूरो की कड़ी आलोचना से संबंधित है ।

(ग) वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान, न्यायालयों द्वारा निबटाए गए 380, 407 और 498 मामलों में से क्रमश: 232, 292, और 249 मामले दोष-सिद्धि में परिणत हो गए । दोष-मुक्ति के जिन मामलों में न्यायालय द्वारा कड़ी आलोचना की जाती है, उन मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, निर्णयों की नियमित समीक्षा करता है और जहाँ उपयुक्त समझा जाता है वहाँ न्यायालय द्वारा की गई कड़ी आलोचना के विरुद्ध, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में कड़ी आलोचना निकाल दिए जाने के बारे में याचिका दायर करता है । जिन मामलों में न्यायालय द्वारा की गई कड़ी आलोचना, न्यायोचित समझी जाती है उनमें संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाती है । पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा न्यायालय द्वारा की गई कड़ी आलोचना के विरुद्ध दो मामलों में, उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर किया जाना तय करने के अलावा, अपने कर्मचारियों के विरुद्ध तीन मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है और अन्य तीन मामलों में ऐसी ही कार्रवाई शुरू किए जाने पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो की संरचना संबंधी ढांचे और इसके कामकाज की जांच-पड़ताल करने के प्रयोजन से सितम्बर, 1997 में एक स्वतंत्र समीक्षा-समिति गठित की थी । उपर्युक्त समिति की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विनीत नारायण के मामले में विचार किया गया और न्यायालय ने अपने दिनांक 18.12.1997 के निर्णय में, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के काम-काज में सुधार लाने के बारे में कुछ निर्देश दिए । सरकार ने न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय कार्यान्वित करना तय किया है और तद्नुसार कार्रवाई की गई है ।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि का मामला

*85. श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी राष्ट्रपति की प्रस्तावित यात्रा के दौरान प्रस्तावित कार्यसूची में व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने के मुद्दे को शामिल किया है;

(ख) क्या सरकार ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी बड़े राजनितिक दलों से परामर्श करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में अमरीकी राष्ट्रपति की प्रस्तावित यात्रा से पहले इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाऐ गये हैं, और इसके परिणाम, यदि कोई निकले हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस मामले में किस सीमा तक आम सहमति हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी नहीं। भारत और संयुक्त राज्य अमरीका इस बात पर सहमत हैं कि अमरीका के राष्ट्रपति की भारत-यात्रा से दोनों देशों के बीच आशावादी और गुणात्मक दृष्टि से नए संबंधों की आधारशिला रखी जा सकेगी, इस दिशा में दोनों पक्ष आपसी हित के सभी द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर, जिनमें राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मामले शामिल हैं, पर चर्चा करेंगे ।

(ख) से (ङ) सी.टी.बी.टी. के संबंध में भारत की स्थिति को प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में और दिसम्बर, 1998 में संसद में स्पष्ट किया था । इसी बात को सितम्बर, 1999 में विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दोहराया था । देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपनी प्राथमिकता को पूरा कर लेने के बाद सरकार को यह विश्वास है कि अब हमें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को पुन: आश्वासन देने की आवश्यकता है और इस संबंध में सरकार राष्ट्रीय सामंजस्य विकसित करना चाहती है । सी.टी.बी.टी. के मुद्दे पर सामंजस्य बनाने के अपने प्रयासों की दिशा में प्राप्त रचनात्मक सहयोग से सरकार उत्साहित है और इस प्रक्रिया को बढ़ाना चाहती है ।

[हिन्दी]

बेरोजगार व्यक्ति

*86. श्री राम शकल:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष संगठित क्षेत्र में आज तक रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए ;

(ख) जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी थी ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राज्य-वार कितने कुशल बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया ;

(घ) क्या सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) 1999-2000 के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार संगठित क्षेत्र में वर्ष 1996, 1997 तथा 1998 में रोजगार वृद्धि की दर क्रमशः 1.51, 1.09 तथा 0.46 थी ।

देश में 30.11.99 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की राज्य-वार संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, विवरण-I अनुसार थी ।

तकनीकी अर्हता प्राप्त (डिप्लोमाधारी, विज्ञान, इंजीनियरी, कृषि, चिकित्सा, पशु चिकित्सा विज्ञान, कानून, शिक्षा में स्नातक) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से अर्हता प्राप्त तथा शिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्ति जिन्हें रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्रदान किया गया, की वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 में (नवीनतम उपलब्ध) राज्य-वार संख्या विवरण-II में दी गई है ।

नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दरों की प्रवृति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार सृजित करना है । नौवीं योजना में उच्च बेरोजगारी एवं श्रमिकों के उत्तरोत्तर नैमित्तिकरण को देखते हुए एक राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना आरंभ की गई है । रोजगार में वृद्धि तथा 10 वर्ष की अवधि में कम से कम 100 मिलियन (प्रत्येक वर्ष में 10 मिलियन) रोजगार के अवसरों के सृजन के उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग के सदस्य डा॰ मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया है ।

विवरण-I

30.11.1999 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	(लाख में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	32.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.15
3.	असम	14.94
4.	बिहार	31.76
5.	गोवा	1.07
6.	गुजरात	9.37
7.	हरियाणा	8.15
8.	हिमाचल प्रदेश	8.62
9.	जम्मू और कश्मीर	1.63
10.	कर्नाटक	18.84
11.	केरल	40.32
12.	मध्य प्रदेश	26.32
13.	महाराष्ट्र	41.85
14.	मणिपुर	3.84
15.	मेघालय	0.37
16.	मिजोरम	0.93
17.	नागालैण्ड	0.36
18.	उड़ीसा	9.84
19.	पंजाब	5.56
20.	राजस्थान	8.51
21.	सिक्किम	*
22.	तमिलनाडु	43.60
23.	त्रिपुरा	2.83
24.	उत्तर प्रदेश	26.10
25.	पश्चिम बंगाल	56.43
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	0.27
27.	चण्डीगढ़	1.05
28.	दादर और नगर हवेली	0.04
29.	दिल्ली	9.56
30.	दमन और दीव	0.07
31.	लक्षद्वीप	0.10
32.	पाण्डिचेरी	1.17
	योग	405.70

* इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

विशेष टिप्पणी–हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

विवरण-II

तकनीकी श्रेणी के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रदान किया गया रोजगार

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1994	1995	1996
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.6	1.9	3.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	@		
3.	असम	0.1	0.2	0.4
4.	बिहार	0.5	0.1	0.2
5.	गोवा	@	@	@
6.	गुजरात	2.1	2.1	2.8
7.	हरियाणा	0.9	1.1	1.7
8.	हिमाचल प्रदेश	0.5	0.4	0.9
9.	जम्मू और कश्मीर	0.1	@	0.1
10.	कर्नाटक	4.2	1.4	2.0
11.	केरल	3.6	3.4	3.5
12.	मध्य प्रदेश	2.3	1.9	2.6
13.	महाराष्ट्र	3.2	3.3	3.6

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	@	@	@
15.	मेघालय	@	0.2	@
16.	मिजोरम	@	@	@
17.	नागालैण्ड	@	@	@
18.	उड़ीसा	1.1	1.2	0.9
19.	पंजाब	0.8	0.3	0.9
20.	राजस्थान	3.3	4.3	5.2
21.	सिक्किम			
22.	तमिलनाडु	3.0	2.4	2.8
23.	त्रिपुरा	@		@
24.	उत्तर प्रदेश	0.9	1.9	0.9
25.	पश्चिम बंगाल	0.5	1.1	0.9
26.	अं. और नि. द्वीप समूह			
27.	चण्डीगढ़	0.3	0.2	0.1
28.	दादर और नगर हवेली			
29.	दिल्ली	1.2	3.0	0.9
30.	दमन और दीव	@	@	@
31.	लक्षद्वीप			
32.	पाण्डिचेरी	0.1	0.1	@
	योग	34.3	30.5	33.6

* इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

@ 50 से कम

विशेष टिप्पणी–हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

[अनुवाद]

वृद्धजन वर्ष

*87. **श्रीमती गीता मुखर्जी:**
श्री दिनशा पटेल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000 को वृद्धजन घोषित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस वर्ष वृद्धजनों के लिए कोई विस्तृत पेंशन और कल्याण योजना लागू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में ऐसे वृद्ध व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे केन्द्र सरकार पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय भार का ब्यौरा क्या है तथा क्या राज्य सरकारों से आनुपातिक ढंग से इसमें हिस्सेदारी करने के लिए कहा जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय वर्ष के दौरान किसी नई पेंशन या कल्याण योजना को लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) 1991 की जनगणना ने वृद्ध व्यक्तियों की संख्या पर आंकडे एकत्र किए ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

लिंग, निवास, भारत, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार 60 + आयु के व्यक्ति, 1991

भारत/राज्य/संघ राज्य	ग्रामीण			शहरी			संयुक्त		
क्षेत्र	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*भारत	23,034,918	21,243,920	44,278,838	6,328,807	6,073,995	12,402,802	29,363,725	27,317,915	56,681,640
राज्य									
आन्ध्र प्रदेश	1,793,240	1,773,480	3,566,720	444,866	499,343	944,209	2,238,106	2,272,823	4,510,929
अरुणाचल प्रदेश	19,615	16,284	35,899	962	699	1,661	20,577	16,983	37,560
असम	591,417	479,308	1,070,725	67,804	55,931	123,735	659,221	535,239	1,194,460
बिहार	2,646,247	2,204,960	4,851,207	305,633	251,789	557,422	2,951,880	2,456,749	5,408,629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गोवा	22,571	30,106	52,677	13,166	16,664	29,830	35,737	46,770	82,507
गुजरात	892,267	959,535	1,851,802	380,980	405,021	786,001	1,273,247	1,364,556	2,637,803
हरियाणा	528,013	482,482	1,010,495	127,723	129,523	257,246	655,736	612,005	1,267,741
हिमाचल प्रदेश	209,161	186,436	395,597	13,081	11,325	24,406	222,242	197,761	420,003
कर्नाटक	1,159,539	1,171,852	2,331,391	401,232	410,085	811,317	1,560,771	1,581,937	3,142,708
केरल	896,777	1,010,813	1,907,590	294,085	365,690	659,775	1,190,862	1,376,503	2,567,365
मध्य प्रदेश	1,811,783	1,758,514	3,570,297	417,874	401,031	818,905	2,229,657	2,159,545	4,389,202
महाराष्ट्र	1,878,021	1,941,320	3,819,341	852,108	838,679	1,690,787	2,730,129	2,779,999	5,510,128
मणिपुर	42,580	35,766	78,346	16,959	15,800	32,759	59,539	51,566	111,105
मेघालय	36,812	29,064	65,876	6,562	6,304	12,866	43,374	35,368	78,742
मिजोरम	9,876	9,072	18,948	7,137	7,101	14,238	17,013	16,173	33,186
नागालैंड	34,683	24,901	59,584	2,733	1,460	4,193	37,416	26,361	63,777
उड़ीसा	1,040,155	1,023,504	2,063,659	112,935	104,362	217,297	1,153,090	1,127,866	2,280,956
पंजाब	666,370	549,009	1,215,379	203,313	171,367	374,680	869,683	720,376	1,590,059
राजस्थान	1,136,979	1,098,981	2,235,960	264,182	267,728	531,910	1,401,161	1,366,709	2,767,870
सिक्किम	9,968	7,428	17,396	640	472	1,112	10,608	7,900	18,508
तमिलनाडु	1,507,208	1,350,538	2,857,746	656,549	647,524	1,304,073	2,163,757	1,998,062	4,161,819
त्रिपुरा	84,358	79,651	164,009	13,581	15,705	29,286	97,939	95,356	193,295
उत्तर प्रदेश	4,520,341	3,549,181	8,069,522	821,927	655,494	1,477,421	5,432,268	4,204,675	9,546,943
पश्चिम बंगाल	1,455,871	1,436,066	2,891,937	650,830	572,806	1,223,636	2,106,701	2,008,872	4,115,573
संघ राज्य क्षेत्र									
अं. और नि. द्वीप समूह	4,548	3,093	7,641	1,149	756	1,905	5,697	3,849	9,546
चण्डीगढ़	1,254	841	2,095	14,308	11,948	26,256	15,562	12,789	28,351
दादर और नगर हवेली	2,523	2,997	5,520	203	217	420	2,726	3,214	5,940
दमन और दीव	20,798	16,736	37,534	216,171	185,815	401,986	236,969	202,551	439,520
दिल्ली	1,190	1,658	2,848	1,347	2,132	3,479	2,537	3,790	6,327
लक्षद्वीप	534	513	1,047	855	737	1,592	1,389	1,250	2,639
पाण्डिचेरी	10,214	9,831	20,045	17,908	20,487	38,395	28,122	30,318	58,440

* जम्मू कश्मीर के आंकड़ों को छोड़कर जहां अशांत स्थितियों के कारण जनगणना नहीं की जा सकी ।

स्रोत : भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय ।

अनानास की कीमतों में गिरावट

***88. श्री पी॰सी॰ थॉमस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से केरल में अनानास उत्पादक किसान अनानास के मूल्य में भारी गिरावट के कारण भारी संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) जी, नहीं । कृषि मंत्रालय को केरल सहित देश के किसी भी हिस्से से अनानास के मूल्यों में जबरदस्त गिरावट की सूचना नहीं मिली है ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय श्रम आयोग

***89. श्री भेरूलाल मीणा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट किस निर्धारित समय-सीमा में सौंपे जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) जी, हाँ । भारत सरकार ने 15.10.1999 को श्री रवीन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया है । यह आयोग 24 माह के भीतर अर्थात् 15.10.2001 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[अनुवाद]

नौवीं योजना के दौरान दुग्ध उत्पादन

*90. श्री सुबोध मोहिते :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान दुग्ध उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र की भागीदारी की राह में विद्यमान बाधाएं दूर करने के लिए दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय ब्रांड के दुग्ध उत्पादों का निर्यात नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) भारतीय ब्रांड के उत्पादों के निर्यात संवर्द्धन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित दुग्ध उत्पादन लक्ष्य नौवीं योजनावधि में 87.62 मिलियन टन रखा गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारतीय ब्रांड के दुग्ध उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है हालांकि निर्यात बहुत अधिक नहीं है।

(च) भारतीय ब्रांड के दुग्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

1. दुग्ध चूर्ण, घी और मक्खन के निर्यात का दिनांक 29.9.1993 से विकेन्द्रीकरण ।

2. दुग्ध चूर्ण और घी के निर्यात पर मात्रात्मक सीमा को हटाना।

3. विभिन्न विकासात्मक और संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए ए पी ई डी ए के जरिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता ।

4. निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और जांच) अधिनियम, 1963 के अधीन दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए मानक को अधिसूचित करना ।

[हिन्दी]

गिरफ्तार किए गए भारतीय कम्प्यूटर प्रोग्रामर

*91. डॉ. अशोक पटेल:
श्री तूफानी सरोज:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 2000 के 'द इकनामिक टाइम्स' में 'हार्ड टाइम फार साफ्टवेयर फाक' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सेन अंटोनियो, टेक्सास में अमरीकी वायु सेना अड्डे पर कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रूप में कार्यरत चालीस भारतीय नागरिकों को अमरीकी आव्रजन एजेंटों द्वारा 20 जनवरी, 2000 को गिरफ्तार कर लिया गया था;

(ग) क्या फेडरल सरकार की एजेंसी 'इमिग्रशेन एण्ड नेचुरलाइजेशन सर्विस' के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को हथकड़ी डालकर सामान्य अपराधियों की तरह घुमाया गया था;

(घ) क्या उन सभी के पास वैध यात्रा दस्तावेज तथा 'एच-1' वीजा हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में अमरीकी सरकार के पास कोई विरोध दर्ज कराया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 20 जनवरी, 2000 को रेन्डोलफ एअर फोर्स बेस, सॉन एन्टोनियो, टेक्सास में कार्य कर रहे 27 भारतीय कम्प्यूटर व्यावसायिकों को गिरफ्तार किया था और 12 अन्य को रोका था क्योंकि उन्होंने अपने श्रमिक प्रमाण-पत्रों पर दर्ज सूची से इतर किसी अन्य कम्पनी के लिए काम करके अपने एच-1 बी वीजा के अन्तर्गत अपनी रोजगार शर्तों का कथित रूप से उल्लंघन किया था। जिस कम्पनी ने उन्हें सेवा पर लिया था फ्रण्टियर कन्सल्टिंग, इन्क, द्वारा उन्हें छुड़ाने के लिए बाण्ड भरने के बाद उन्हें अगले दिन छोड़ दिया गया था।

(ग) यह पता लगा है कि कुछ कम्प्यूटर व्यावसायिकों को हथकड़ी लगाई गई थी।

(घ) जी हां। नियोजक, मैसर्स कन्सल्टिंग, इन्क ने वाशिंगटन में हमारे राजदूत को तथा हस्टन में प्रधान कोंसल को यह सूचित किया है कि साफ्टवेयर व्यावसायिकों के पास टेक्सास में रोजगार के लिए वैध एच-1 बी वीजा था।

(ङ) वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत ने सॉन एन्टोनियो में इमिग्रेशन एण्ड नेचुरलाइजेशन सर्विस (आई एण्ड एस) द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों को

गिरफ्तार करने और हथकड़ी लगाने पर स्टेट डिपार्टमेंन्ट में कड़ा विरोध दर्ज कराया और इस कार्यवाही के लिए तत्काल स्पष्टीकरण देने की मांग की। इस मामले को वाशिंगटन में आई एन एस के प्राधिकारियों और टेक्सास में आई एन एस के आपराधिक जॉच-पड़ताल के जिला निदेशक के साथ भी उठाया गया था।

(च) भारतीय राष्ट्रिकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ उस पर अमरीकी सरकार की ओर से असिस्टेन्ट सैकेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंन्ट ने गहरा दुख व्यक्त किया और राजदूत को आश्वासन दिया कि उनके साथ निष्पक्ष मानवीय व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने वाशिंगटन में मीडिया प्रतिनिधियों के समक्ष भी इसी प्रकार की भावना प्रकट की। बाद में आई एन एस ने कम्प्यूटर प्रोग्रामरों पर लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिए।

[अनुवाद]

भारतीय विमान के अपहरण में पाकिस्तान की संलिप्तता

*92. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जी. एस. बसवराज:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इंडियन एयरलाइन्स के आई सी-814 विमान के अपहरण में पाकिस्तान के शमिल होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत के प्रमाण के बारे में विरोध प्रकट किया है;

(ग) क्या भारतीय विमान के अपहरण का मुख्य उदेश्य कश्मीर मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देना था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या भारत सरकार का विचार तोड़-फोड़ वाली विभिन्न गतिविधियों और उससे भारत को गम्भीर खतरे के बारे में पाकिस्तान की संलिप्तता पर श्वेत-पत्र जारी करने की मांग की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या भारत ने पाकिस्तान से इन अपहरणकर्त्ताओं का प्रत्यर्पण करने की मांग की है;

(ज) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार से अब तक क्या प्रतिक्रिया मिली है; और

(झ) यदि नहीं, तो इस संबध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (झ) सरकार को आई सी - 814 के अपहरण में पाकिस्तान तथा पाकिस्तान आस्थानी आंतकवादियों की भूमिका की जानकारी है। इन आंतकवादी संगठनों को पाकिस्तान की सरकार से सक्रिय समर्थन प्राप्त होता है। सरकार ने मामले को पाकिस्तान की सरकार के समक्ष उठाया है और उसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, जिसका एक पक्षकार पाकिस्तान भी है और जिसके अन्तर्गत वह अपेक्षित न्यायिक प्रक्रिया के लिए अपहर्ताओं को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य है, के अन्तर्गत उसकी बाध्यताओं का स्मरण दिलाया है। पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में पाये जाने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाने का वचन दिया है जिन पर ऐसा कोई अपराध करने का संदेह हो। अपहरण में पाकिस्तान की भूमिका के मद्देजनर इस वचनबद्धता का विशेष महत्व नहीं है।

पाकिस्तान राज्य की नीति के रूप में भारत में जम्मू और कश्मीर तथा अन्य स्थानों पर आतंकवाद को बढावा देता है। सीमा पार से आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन, आई सी-814 का अपहरण, जिसका एक अतिरिक्त उदाहरण है, के बारे में सरकार ने उपयुक्त एवं प्रभावी तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को बताया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अब खुले तौर पर पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद तथा इसका हमारे देश एवं इस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को माना है । पाकिस्तान से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज तथा बहुत सी सरकारों के सरकारी प्रवक्ताओं के वक्तव्यों में ये जागरूकता परिलक्षित होती है ।

जाली पासपोर्टों और वीजा की बिक्री

*93. **श्री पी॰ डी॰ एलानगोवन :**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में असामाजिक तत्वों द्वारा फर्जी पासपोर्ट और वीजा बेचे और खरीदे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक राज्य-वार कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ; और

(ग) सरकार द्वारा देश में इस तरह के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) समय-समय पर संबंधित अभिकरण जैसे पुलिस, उत्प्रवासन जांच बिन्दु इत्यादि नकली पासपोर्ट और वीजा के मामलों का पता लगाते हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) हेरा-फेरी को घटाने के लिए भारतीय पासपोर्ट और वीजा स्टीकरों के सुरक्षा स्वरूप में नियमित आधार पर सुधार किए जाते हैं । संबंधित विधि प्रवर्तन अभिकरण भी देश में इस प्रकार के कार्य पर रोक लगाने के लिए सतर्क रहते हैं ।

पाकिस्तानी जेल में बंद मछुआरे

*94. श्री पी॰ कुमारासामी :
श्री वैको :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समय पाकिस्तानी जेल में बन्द तमिलनाडु के मछुआरों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ये मछुआरे सऊदी अरब भेजे गये थे बाद में उन्हें ईरानी अधिकारियों द्वारा हिरासत में ले लिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या बाद में इन मछुआरों को ईरानी अधिकारियों द्वारा भारत या सऊदी अरब को सुपुर्द करने के बजाय पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में धकेल दिया गया था;

(च) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने ईरानी सरकार से इस संबंध में कोई औपचारिक विरोध दर्ज कराया है ;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया मिली है ; और

(ज) इन मछुआरों की शीघ्र रिहाई कराने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है और इन मछुआरों को कब तक रिहा कराये जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ज) तमिलनाडु के 19 मछुआरों के पाकिस्तानी जेल में कैद होने की जानकारी प्राप्त होते ही सरकार ने जुलाई, 1999 में इस मसले को पाकिस्तान की सरकार के समक्ष उठाया और यह मांग की कि उन्हें तत्काल मुक्त किया जाए, ताकि उन्हें भारत भेजा जा सके । यह जानाकरी भी मिली है कि ये मछुआरे सऊदी अरब गये थे, लेकिन मछली पकड़ने के दौरान वे ईरान के जल क्षेत्र में भटक गये । उन्हें ईरान द्वारा कैद कर लिया गया और बाद में ईरानी प्राधिकारियों ने उन्हें पाकिस्तान को सौंप दिया । इस मामले को विभिन्न अवसरों पर राजनयकि माध्यमों के जारिए ईरान के समक्ष उठाया गया । उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी ।

सरकार द्वारा बार-बार याद दिलाने के पश्चात पाकिस्तान की सरकार ने 19 मछुआरों के उनके कैद में होने की बात सितम्बर, 1999 में स्वीकार कर ली । 3 जनवरी 2000 को ही इन मछुआरों को कौंसली सेवाएं प्रदान की जा सकी । उनकी तथा अन्य भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए राजनयिक माध्यमों द्वारा बातचीत जारी है ।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास

*95. श्री पुन्नु लाल मोहले :
श्री सी. श्रीनिवास :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेत्रहीन, बधिर तथा मूक व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक विकास तथा पुनर्वास हेतु कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है या तैयार करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों के घर तक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इसके लिए कौन-कौन से राज्यों/क्षेत्रों को चुना गया है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सरकार ने देश में विकलांग व्यक्तियों की अधिकतम संख्या तक पहुंचने विशेषकर विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अनेक योजनाएं तैयार की हैं । विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जनशक्ति प्रशिक्षण और सेवाएं प्रदान करने के लिए 4 राष्ट्रीय संस्थान और 2 शीर्ष स्तरीय संस्थान हैं । इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों के बाह्य-पहुंच विस्तार केन्द्रों के रूप में विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में विकलांगता के क्षेत्र में छः संयुक्त क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र शामिल हैं । विकलांगता के इस क्षेत्र में दृष्टिहीन, वाणी एवं श्रवण विकलांग व्यक्तियों के लिए शामिल हैं, मेरूदंड क्षतिग्रस्तता तथा अस्थि विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 4 संसाधन केन्द्र जिनमें केन्द्र और राज्य की भागीदारी 90:10 के आधार पर हैं, गुणवत्ता वाले सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की आसान उपलब्धता के लिए भारतीय कृत्रिम अंत निर्माण निगम (एलिम्को) के चार सहायक उत्पादन केन्द्र हैं । सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की भी स्थापना की है । इसके अतिरिक्त, सरकार दृष्टिहीन, वाणी एवं श्रवण विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान उपलब्ध करा रही है ।

सरकार विकलांग व्यक्तियों को उनके घरों में व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए 10 राज्यों में पहले ही जिला पुनर्वास केन्द्र योजना चला रही है । उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 11 जिला पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं । विकलांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर अवसंरचना सृजित करने के उद्देश्य से हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक एक नई चार आयामों वाली योजना को

हाल में अनुमोदित किया गया है । इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों को उनके घरों पर व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए 104 जिलों की पहचान की गई है। पहचान की गई सेवाओं में केन्द्र सरकार और जिला प्रशासन राज्य सरकार के लिए अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों/भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम/जिला पुनर्वास केन्द्रों के मध्य आपसी सहयोग से संयुक्त फिटमेंट और पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है।

गरीबी-रेखा से नीचे की जनसंख्या

*96. **श्री पी. आर. खुंटे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अस्सी प्रतिशत लोग गरीबी रेखा-से नीचे रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या देश के विशेषकर मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कोई विशेष उपाय करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में गरीबी के संबंध में योजना आयोग द्वारा सूचित अद्यतन अनुमानों के अनुसार यह देखा गया है कि वर्ष 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में 48.11% एवं शहरी क्षेत्रों में 49.48% अनुसूचित जातियां और ग्रामीण क्षेत्रों में 51.94% एवं शहरी क्षेत्रों में 41.41% अनुसूचित जनजातियां गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विशेष उपाय किए जा रहे हैं। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं

1. विशेष संघटक योजना

अनुसूचित जातियों के समग्र विकास के लिए तथा उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए विशेष संघटक योजना वर्ष 1979 में शुरू की गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं के सामान्य क्षेत्रों से परिव्ययों तथा लाभों के प्रवाह को वास्तविक तथा वित्तीय दोनों अर्थों में कम से कम अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में सुव्यवस्थित रूप देने के लिए विशेष संघटक योजना को रूपांकित किया जाता है। यह एक प्रकार का आवरण है जिसकी छत्र छाया में राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सभी योजनाओं का समन्वय किया जाता है ताकि अनुसूचित जातियों की विभिन्न आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके। इस समय अनुसूचित जातियों की पर्याप्त जनसंख्या वाले 24 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तैयार कर रहे हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल राज्य योजना परिव्यय में से विशेष संघटक योजना के लिए निधियों का निर्धारण संबंधित राज्यों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की संख्या के अनुपात से कम नहीं होना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार के स्तर पर विशेष संघटक योजना की कार्यनीति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने में केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों की भागीदारी सम्मिलित है। 13 मंत्रालयों/विभागों ने विशेष संघटक योजनाएं बनायी हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से सम्पर्क बना रखा है तथा उनसे व्यापक विशेष संघटक योजना को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए कहा है।

2. अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

2.1 वर्ष 1979-80 में शुरू की गई केन्द्रीय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के तेजी से सामजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पूरक प्रयास के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता दी जानी होती है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का एक योगज है तथा अनूसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्यों के प्रयासों की सम्पूर्णता में वृद्धि करने के लिए यह बनाई गई है। विशेष केन्द्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का एक केन्द्रीय अनुदान है और इसका अन्तर्निहित उद्देश्य यह है कि इसका उपयोग अनुसूचित जातियों के लिए विकास संबंधी कार्यक्रमों पर और अधिक जोर, उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के संदर्भ में उनकी सीमित परिसम्पत्तियों की उत्पादकता और उससे आय बढ़ाने के लिए उनके लिए परिवारोन्मुखी योजनाओं को आरंम्भ करके किया जाना चाहिए। उसका उपयोग गहरी खाइयों को पाटने के लिए किया जाता है तथा यह केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित जातियों की विकासात्मक आवश्यकताओं के जटिल क्षेत्रों में निधियों के प्रवाह को निर्दिष्ट करने की राशि प्रदान करता है।

2.2 विशेष केन्द्रीय सहायता विशेष संघटक योजना कार्यान्वित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर 40% राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सापेक्षित पिछड़ेपन के आधार पर, 10% राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना में मिश्रित आर्थिक विकास कार्यक्रमों द्वारा शामिल किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी की रेखा पार करने के योग्य बनाने के लिए प्रतिशतता के आधार पर 25% तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की तुलना में 25% निर्मुक्त की जाती है। योजना के लिए कुल बजट आबंटन का 10% पूर्वोत्तर राज्यों को आंबटित किए जाएंगे।

3. आर्थिक योजनाएं

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	वर्ष 1999-2000 के लिए आवंटन (रुपये करोड़ में संशोधित अनुमान)
1	2	3	4
3.1	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुसूचित जातियों को आर्थिक विकास के लिए उनके प्रयासों को कार्यान्वित करने की दिशा में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।	437.00
3.2	सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना	वैकल्पिक व्यवसायों में सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। 20-25 सफाई कर्मचारियों की सहकारिताएं बनाकर सैनिटरी मार्ट की नवीन अवधारणा का अपनाने के द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया है।	70.00
3.3	अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता	एस टी डी सी की शेयर इक्विटी मेक 49 प्रतिशत तक की सीमा तक भाग लेना जो ऋण सहायता के लिए गारंटीकर्ताओं और प्रोत्साहकों के रूप में कार्य करती हैं और लक्ष्य समूहों को मार्जित का सब्सिडी की व्यवस्था करते हैं।	20.00
3.4	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	गरीबी की रेखा से दो गुना नीचे रह रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आय सृजक कार्यकलापों को वित्तपोषित करते हैं। एन सी एफ डी सी राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों के माध्यम से वित्तीय सहायता देता है।	30.00
3.5	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	सफाई कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक रोजगार के रूप में आय सृजक व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त सहायता देता है।	20.00
3.6	अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना	स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से अनुसूचित जातियों की शैक्षिक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना	30.00
4. शैक्षिक योजनाएं			
4.1	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	मान्यताप्राप्त संस्थाओं में मैट्रिकोत्तर मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता।	135.00
4.2	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिकेपूर्व छात्रवृत्ति	मैट्रिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सफाई कार्य, चर्मशोधन तथा रंगाई से पारंपरिक संबंध रखने वाले सफाई कर्मचारियों, झाड़ूवरदारों के बच्चों को वित्तीय सहायता।	7.56
4.3	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा पोस्ट डाक्टोरेट स्तरों पर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और विज्ञान के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विदेश में अध्ययन करने के लिए योग्य चुने गए छात्रों को वित्तीय सहायता।	1.00
4.4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को योग्यता का उन्नयन	कक्षा 9 से 12 तक उपचारी तथा विशेष कोचिंग के द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन करना।	1.50
4.5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तकें	मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, पोलिटेक्नीक, विधि, चार्टर्ड एकाउन्टेंसी, एम.बी.ए. तथा वायो साइन्सेस अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रों को पुस्तकें प्रदान करना।	2.50
4.6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना	केन्द्रीय सेवाओं, बैंकिंग भर्ती और रेल सेवाओं आदि के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा	4.00

1	2	3	4
		अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।	
4.7	अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल का निर्माण	अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना।	20.50 लडके-12.00 (सं.अ.) लड़कियां 8.50 (सं.अ.)
4.8	अत्यन्त कम साक्षरता स्तरों के अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम	अत्यन्त कम अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए आवासीय स्कूलों के माध्यम से शैक्षिक निवेश का पैकेज प्रदान करना।	0.70
5. सामाजिक योजनाएं			
5.1	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन)	प्रशासनिक/प्रवर्तन तथा न्यायिक तंत्र, प्रसार, राहत और पुनर्वास प्रभावित व्यक्तियों में मजबूती प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करना।	25.00

6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत मार्च 1992 में किया गया ताकि एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जा सके जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपयों को मानीटर करेगा और उनसे संबंधित मामलों की समीक्षा करेगा तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों में आयोग का परामर्श लोना अपेक्षित है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 की धारा 5 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा, सुरक्षा उपाय तथा संवर्धन करने के लिए आयोग को व्यापक अधिकार प्रदान किए हैं । उक्त अनुच्छेद की धारा 8 के अंतर्गत आयोग को कुछ मामलों में सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है तथा भारत के किसी भाग के किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी करने तथा दबाव देने एवं शपथ पत्र पर शपथ लेने, साक्ष्य प्राप्त करने पर उनकी जांच करने के अधिकार हैं । अनुच्छेद 338 की धारा 6 के अनुसार आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में बताते हुए की गई कार्रवाई की रिपोर्टें सदन के दोनों पटलों पर रखनी होती हैं । अब तक आयोग ने एक विशेष रिपोर्ट के अतिरिक्त चार रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं । इनमें से तीन रिर्पोटें की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन सहित संसद में प्रस्तुत की गई हैं और अन्य के इसी सत्र में प्रस्तुत किए जाने की आशा है ।

7. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

सफाई कर्मचारियों के हितों तथा अधिकारों के संवर्धन तथा सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 12 अगस्त, 1994 को किया गया था । राष्ट्रीय आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ सफाई कर्मचारियों के कल्याणार्थ, कार्यक्रमों तथा योजनाओं को कार्यान्वित करने संबंधी मामलों तथा विशेष की शिकायतों के बारे में छानबीन करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं । इस आयोग ने अब तक दो रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं और की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन सहित उन्हें इसी सत्र में संसद के समक्ष रखे जाने की आशा है ।

8. अन्य

8.1 डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में मार्च, 1992 में की गई थी । इस प्रतिष्ठान को भारत रतन बाबा साहेब डा. बी.आर. अम्बेडकर शताब्दी समारोह के दौरान पहचान की गई महत्वपूर्ण तथा दीर्घावधि योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रबन्ध, प्रशासन तथा संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस प्रतिष्ठान की महत्वपूर्ण योजनाओं तथा कार्यक्रमों में डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय, बाबा साहेब के चिंतन तथा विचारों पर अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में डा. अम्बेडकर पीठ, कमजोर वर्गों के विकास तथा सामाजिक सूझ-बूझ के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, शोषित तथा अलाभान्वितों के लिए सामाजिक परिवर्तन, सामंजस्य, समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा हेतु डा. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की एकत्रित कृतियों का प्रकाशन, 26 अलीपुर रोड, दिल्ली में डा. अम्बेडकर स्मारक बनाना, डा. अम्बेडकर, उनके जीवन तथा लक्ष्यों पर सेमिनार, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों तथा मेलों का आयोजन जैसे सामान्य कार्यकलाप शामिल हैं।

8.2 5-7 दिसम्बर, 1999 को संसद के अ.जा./अ.ज.जा. सदस्यों का सम्मेलन

सम्मेलन के दौरान गठित प्रारूप समिति ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 20 विशेष सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर भारत सरकार के संबंधित

मंत्रालयों एवं विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है जिन्हें इन सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं

9. आदिवासी उपयोजना

वर्ष 1974-75 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अपनाए गए आदिवासी उप योजना दृष्टिकोण की नीति द्विआयामी है अर्थात् (1) अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना और (2) कानूनी तथा प्रशासनिक सहायता के माध्यम से उनके हितों की रक्षा करना। आदिवासी उपयोजना नीति 18 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होती है जहां आदिवासी अल्पसंख्यक हैं परन्तु वंचित क्षेत्रों में रहते हैं जहां उनकी जनसंख्या अधिक है। आदिवासी उपयोजना नीति 194 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं, 259 संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण तथा 82 कलस्टरों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। आदिवासी उपयोजना अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए सरकार की कार्यनीति में महत्वपूर्ण घटक है।

10. आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

भारत सरकार द्वारा 20 आदिवासी उपयोजना राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासियों के विकास के लिए उनके प्रयासों के सहायतार्थ प्रदान की जाती है। आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता योजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। विशेष केन्द्रीय सहायता से परिवारोन्मुखी आय सृजक योजनाओं को पर्याप्त अधिमान देते हुए उन योजनाओं की आनुषंगिक अवसंरचना का निमार्ण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग बिल्कुल संतोषजनक रहा है। वास्तव में यही एकमात्र योजना है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभप्रद रोजगार के माध्यम से गरीबी की रेखा पार करने में सहायता प्रदान की जाती है। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में निधियों के उपयोग संबंधी उपलब्धियाँ आशानुरूप नहीं हैं।

नौवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग 1997-98 में 330 करोड़ रु. के आवंटन की तुलना में 329.61 करोड़ रु. और 1998-99 में 380 करोड़ रु. के प्रावधान की तुलना में 380 करोड़ रु. था। वर्ष 1999-2000 के लिए आवंटन 400 करोड़ रु. है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं

11. शैक्षिक योजनाएं

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	वर्ष 1999-2000 के लिए आवंटन (रु॰ करोड़ में संशोधित अनुमान)
1	2	3	4
11.1	अनुसूचित जनजातियों के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण	अनुसूचित जनजातियों के लड़कों और लड़कियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना।	24.00 लड़के - 12.00 लड़कियां - 12.00
11.2	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	आवासीय स्कूलों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना	15.00
11.3	आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	यह योजना देश के 136 जिलों को कवर करती है जहां 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति महिला में साक्षरता 10% से कम थी। इस योजना का उद्देश्य इन समुदायों में शिक्षा में सुधार लाना है।	6.75
11.4	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	योजना का प्राथमिक उद्देश्य रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों को प्राप्त करने में जनजाति युवाओं की मदद करने के लिए उनके कौशल का विकास करना है।	9.75
11.5	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	इस योजना में आवासीय/गैर-आवासीय स्कूलों, होस्टलों की स्थापना करने, कम्प्यूटर पर प्रशिक्षण देने, शार्टहैंड और टाइप राइटिंग प्रशिक्षण देने, पुस्तकालयों की स्थापना करने आदि सहित व्यापक आयाम के कार्यकलाप शामिल हैं।	26.00
12. आर्थिक योजनाएं			
12.1.	आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने प्रयासों को सम्पूरित करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।	400.00
12.2.	अनुसूचित जनजाति विकास निगम तथा अन्य को सहायता	लघु वन उत्पादों के कार्यक्रलापों को आरंभ करने के लिए एस.टी.डी.सी. वन विकास निगम तथा लघु वन उत्पाद संघों के शेयर इक्विटी में भाग लेना। अनुदान शतप्रतिशत आधार पर दिया जाता है ताकि राज्य टी.डी.सी. के शेयर	15.00

1	2	3	4
		पूंजी आधार को मजबूत करने, वैज्ञानिक माल गोदामों का निर्माण, निगम की स्थापना, प्रक्रियाबद्ध करने, अनुसंधान तथा मूल्यांकन कार्यकलापों के लिए इसका उपयोग कर सकें।	
12.3.	आदिवासी सहकारी विपणन विकास निगम (ट्राइपेड) को मूल्य समर्थन	मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण अप्रत्याशित आकस्मिकताओं और नुकसान के कारण आदिवासी किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।	5.00
12.4.	आदिवासी सहकारी विपणन विकास निगम (ट्राइपेड) के शेयर पूंजी में निवेश	अनुसूचित जनजाति के समुदायों को उनके लघु वन उत्पाद तथा अधिशेष कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य तथा विपणन सहायता प्रदान करने तथा उन्हें शोषण करने वाले आदिवासी व्यापारियों और बिचौलियों से मुक्त करने का भी उद्देश्य है।	0.25
12.5.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	राज्य सरकारों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर उठाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं।	100.00
12.6.	ग्रामीण अन्न बैंक योजना	इसका उद्देश्य सुदूर और पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु को रोकना है जिसकी पहचान राष्ट्रीय स्तरों में गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करते हुए केन्द्रीय योजना समिति द्वारा की गई है। जनजातियों के प्रति परिवार 1 क्विंटल की दर से अनाज की खरीद के लिए एक मुश्त अनुदान, स्टोरेज सुविधाएं तथा माप तौल/तुला की खरीद। ट्राइफेड माध्यम एजेंसी है।	1.00
12.7.	आदिम जनजाति समूहों का विकास	समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं, आदिवासी अनुसंधान संस्थानों तथा गैर सरकारी संगठनों को कार्यकलाप जैसे जागरूकता सृजन आत्म विश्वास निर्माण, आदिवासी युवा संगठनों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण आरंभ करने के लिए 100% सहायता दी जाती है।	10.00
13. सामाजिक योजनाएं			
13.1	अनुसंधान और प्रशिक्षण	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तथा मणिपुर राज्य सरकारों द्वारा स्थापित 14 आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान दिए जाते हैं जो प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं आदि के आयोजित करने के अलावा अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यकलाप चलाते हैं। इस योजना में ऐसे छात्रों /विद्वानों को रिसर्च फैलोशिप प्रदान करने की व्यवस्था है जो आदिवासी विकास के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करना चाहते हैं।	4.00

14. अनुसूचित जातियों के विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(रु॰ लाख में)

क्रम सं॰	योजना का नाम	1997-98	1998-1999	1999-2000
1	2	3	4	5
14.1	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	1922.45	2237.08	2321.45
14.2	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एससीडीसी को सहायता	25.47	4.77	....
14.3	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)	....	....	
14.4	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विकास निगम	...	228.60	....
14.5	सफाई कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना	2451.00	शून्य	शून्य
14.6	अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	शून्य	शून्य	193.85

1	2	3	4	5
14.7	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	9.73	90.22	86.05
14.8	अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण	849.49	574.53	537.17
14.9	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक	31.39	शून्य	शून्य
14.10	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजनाएं	43.12	82.94	66.09
14.11	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान	39.72	55.81	40.98
14.12	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	500.85	682.06	732.96
14.13	अत्यंत कम साक्षरता स्तरों की अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम	6.08	315.22	17.02
14.14	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की योग्यता का उन्नयन	21.45	55.74	39.15

15. अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्रम सं.	योजना का नाम	1997-98	1998-1999	1999-2000
15.1	आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	9207.83	9476.17	6472.72
15.2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अनुदान	1262.50	2125.00	500.64
15.3	अनुसूचित जनजाति विकास तथा अन्य को सहायता	200.00	255.00	..
15.4	आदिवासी महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	50.20	39.57	55.46
15.5	स्वैच्छिक प्रशिक्षण केन्द्र	...	109.50	16.85
15.6	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान	8.88	22.23	32.50
15.7	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	49.96	49.39	2.61
15.8	लड़कियों के छात्रावास का निर्माण		100.00	
15.9	लड़कों के छात्रावास का निर्माण		100.00	
15.10	आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	...	100.21	
15.11	आदिम जनजाति समूहों का विकास	...	100.00	...

[अनुवाद]

बोली उपरान्त की जाने वाली बातचीत

*97. **श्री रामसागर रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बोली के बाद की जाने वाली सभी तरह की बातचीत को रोकने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी विभागों, अस्पतालों और सरकार द्वारा प्रायोजित सहकारी संस्थाओं में बोली उपरान्त बातचीत प्रचलन में है ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता-आयोग (सी.वी.सी) ने अपने दिनांक नवम्बर 18, 1998 के अनुदेशों द्वारा, सबसे कम दर वाले पहले निविदादाता (एल 1) से समझौता-परक बातचीत किए जाने के सिवाय, निविदा के बाद अन्य सभी निविदादाताओं से समझौता-परक बातचीत किए जाने पर रोक लगा दी है । इसके बाद, कुछ संगठनों से इस बारे में संदर्भ मिलने पर केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने दिनांक 15.03.1999 को निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी कर दिए :

1. निविदा के बाद की बातचीत पर रोक लगाए जाने से, सार्वजनिक क्षेत्र से खरीद किए जाने को तरजीह दिए जाने के बारे में सरकार की नीति प्रभावित नहीं होगी ।

2. फिर भी, महँगे उपकरण, समान मंगवाने अथवा अनुचित खरीद

किए जाने की दृष्टि से, सार्वजनिक क्षेत्र को तरजीह दिए जाने का प्रयोग, एक ढाल अथवा बहाने के रूप में नहीं किया जाए।

3. जब मँगवाई जाने वाली किसी वस्तु की मात्रा इतनी अधिक हो कि सबसे कम दर वाला निविदादाता (एल-1) अकेले ही, उसकी आपूर्ति करने में असमर्थ हो तो ऐसे मामलों में किसी वस्तु की मात्रा की आपूर्ति किए जाने का कार्य इस तरह बाँटा जाए कि उसकी खरीद निष्पक्ष, पारदर्शी, न्यायसंगत और उचित तरीके से हो ।

4. इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध करने वाले अलग-अलग संस्थानों की वस्तुस्थिति स्पष्ट कर देने के अतिरिक्त, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने अपने दिनांक अक्तूबर 01, 1999 के संप्रेषण में यह और स्पष्ट किया कि उसके अनुदेश विश्व बैंक-परियोजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, एशियाई विकास-बैंक आदि के संबंध में लागू नहीं होंगे । फिर भी, उपर्युक्त अनुदेश तभी लागू होंगे जब खरीद-फरोख्त, देश के भीतर ही स्थित विभागों द्वारा की जाए । ये अनुदेश तब भी लागू होंगे जब खरीद देश के बाहर के स्रातों से की जाए और जब ऐसी खरीद विभाग/संगठन के बजट-प्रावधानों और उसके सामान्य कार्यकलापों के अंतर्गत ही हो ।

(ग) से (ङ) इस बारे में जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

भारत को पाकिस्तान से परमाणु खतरा

*98. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
प्रो॰ रासासिंह रावत :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ द्वारा जनवरी, 2000 के प्रथम सप्ताह में सी॰ एन॰ एन॰ के साथ साक्षात्कार में दिए गए बयान की जानकारी है जिसमें उन्होंने भारत को परमाणु धमकी दी है ;

(ख) क्या भारत सरकार इस तथ्य को विश्व की बड़ी परमाणु शक्तियों के ध्यान में लायी है ;

(ग) यदि हां, तो इन देशों से सरकार को क्या प्रतिक्रिया मिली है ; और

(घ) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हां । उक्त साक्षात्कार पर गौर किया गया है ।

(ख) से (घ) अन्य देशों के साथ अपने क्रिया-कलापों में सरकार, नाभिकीय मसलों पर पाकिस्तान के संयम न बरतने को निरन्तर उजागर करती रही है जिसे करगिल संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा दिए गए कुछ गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य में भी परिलक्षित किया गया है । यह "पहले प्रयोग नहीं" और "न्यूनतम निवारक क्षमता" के प्रति भारत की वचनबद्धता के प्रतिकूल है । अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के रवैये की सराहना की है । सरकार अपनी सुरक्षा के प्रति खतरे के अपनी निजी मूल्यांकन के अनुसार राष्ट्र की सुरक्षा की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है ।

[हिन्दी]

कृषि फसलों का उत्पादन

*99. **डा॰ सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री अरुण कुमार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान देश में गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, दालों और तिलहनों की पैदावार का प्रति एकड़ अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन की जानकारी उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रति एकड़ अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन के बीच भारी अंतर को कम करने हेतु किसी संभावना का सरकार द्वारा पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अंतर को किस सीमा तक कम कर दिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भावी योजना तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, दलहन और तिलहन की अधिकतम और न्यूनतम उपज दरें निम्नवत् हैं :

(उपज दर : कि॰ ग्रा॰/हैक्टे॰)

फसल	1996-97		1997-98		1998-99	
	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
गेहूं	4234	771	3853	473	4332	819
	पंजाब	कर्नाटक	पंजाब	कर्नाटक	पंजाब	कर्नाटक
चावल	3397	993	3465	834	3443	1013
	पंजाब	उड़ीसा	पंजाब	म॰प्र॰	तमिलनाडु	मध्य प्रदेश
गन्ना	99841	39142	106731	38574	134156	39303
	तमिलनाडु	म॰प्र॰	तमिलनाडु	म॰प्र॰	तमिलनाडु	मध्य प्रदेश
कपास	441	139	356	95	416	110
	पंजाब	म॰प्र॰	गुजरात	महराष्ट्र	गुजरात	उत्तर प्रदेश
दलहन	927	325	888	330	835	357
	उत्तर प्रदेश	हि॰प्र॰	हरियाणा	आ॰प्र॰	उत्तर प्रदेश	उड़ीसा
तिलहन	1478	412	1476	452	1579	460
	हरियाणा	उड़ीसा	तमिलनाडु	उड़ीसा	तमिलनाडु	उड़ीसा

उपज दरों का राज्यवार/वर्षवार ब्यौरे विवरण-I से VI में दिए गए हैं:

(ग) और (घ) उपज दरों में विषमता कम करने के लिए सरकार चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्र में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, गहन कपास विकास कार्यक्रम और गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत् विकास क्रियान्वित कर रही है । इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अधीन बीजों की अधिक उत्पादक किस्मों के उपयोग समेकित कृमि प्रबंध अनुप्रयोग, सूक्ष्म सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध और उन्नत कृषि औजारों के प्रचार के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं । इसके अलावा, प्रौद्योगिकी के प्रभावी अंतरण के लिए कृषक और कृषि मजदूरों के प्रशिक्षण सहित कृषकों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं । अधिकतम और न्यूनतम उपज दरों में अन्तर कम करना मुख्य रूप से कृषि जलवायु घटकों, फार्म के आकार, उच्च गुणवत्ता के आदानों का समय पर उपयोग, उन्नत पद्धतियों के पैकेज के विकास तथा अपनाने के साथ साथ निवेश के स्तर पर निर्भर करता है तथा यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना संभव नहीं है कि यह अन्तर किस सीमा तक कम किया जा सकता है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय अभिशासन कार्यसूची के अनुसार, सरकार ने क्षेत्र विशिष्ट कार्यनीतियां अपनाकर कृषि अवसंरचना का सृजन तथा संसाधनों का और अधिक प्रभावी उपयोग करके अगले दस वर्षों में खाद्य उत्पादन को दो गुणा करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। इन कार्यनीतियों से देश में उत्पादन और उत्पादकता स्तर बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

विवरण - I

वर्ष 1996-97 से वर्ष 1998-99 तक मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की उत्पादकता

(उपज कि.ग्रा./हैक्टेयर)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
असम	1332	1300	1010
बिहार	2183	2337	1992
गुजरात	2299	2373	2427
हरियाणा	3880	3660	3916
हिमाचल प्रदेश	1487	1700	1700
जम्मू व कश्मीर	1671	1620	1530
कर्नाटक	771	473	819
मध्य प्रदेश	1801	1573	1794
महाराष्ट्र	1460	898	1289
पंजाब	4234	3853	4332
राजस्थान	2741	2501	2487
उत्तर प्रदेश	2668	2495	2510
पश्चिम बंगाल	2390	2206	2117
अखिल भारत	2679	2485	2583

नोट : मोटे अक्षरों में दिए गए आंकड़े अधिकतम और रेखांकित आंकड़े न्यूनतम उपज दरें दर्शाते हैं ।

विवरण - II

वर्ष 1996-97 से वर्ष 1998-99 तक मुख्य चावल उत्पादक राज्यों में चावल की उत्पादकता

(उपज कि.ग्रा./हैक्टेयर)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	2601	2431	2781
असम	1336	1359	1345
बिहार	1437	1395	1301
गुजरात	1474	1550	1633
हरियाणा	2964	2800	2239
हिमाचल प्रदेश	1329	1397	1423
जम्मू व कश्मीर	1567	1992	2179
कर्नाटक	2364	2374	2529
केरल	1958	1975	1891
मध्य प्रदेश	1101	834	1013
महाराष्ट्र	1769	1621	1664
उड़ीसा	993	1380	1212
पंजाब	3397	3465	3152
राजस्थान	1184	1164	1223
तमिलनाडु	2671	3050	3443
उत्तर प्रदेश	2121	2148	1958
पश्चिम बंगाल	2179	2243	2255
अखिल भारत	1882	1900	1928

नोट : मोटे अक्षरों में दिए गए आंकड़े अधिकतम और रेखांकित आंकड़े न्यूनतम उपज दरें दर्शाते हैं ।

विवरण - III

वर्ष 1996-97 से वर्ष 1998-99 के दौरान मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने की उत्पादकता

(उपज कि.ग्रा./हैक्टेयर)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	754.14	72607	78038
असम	41513	41134	39987
बिहार	45081	45925	48547
गुजरात	68783	71735	69110
हरियाणा	55679	53169	55040
कर्नाटक	82859	91455	91199
केरल	92898	92898	72571
मध्य प्रदेश	3914*	3857*	39303*
महराष्ट्र	80986	83042	88998
उड़ीसा	56685	61176	65897
पंजाब	63815	56746	59515
राजस्थान	48322	49944	47712
तमिलनाडु	99841	106731	134156
उत्तर प्रदेश	59390	65115	59019
पश्चिम बंगाल	72703	70764	74420
अखिल भारत	66496	71134	72560

टिप्पणी : मोटे अक्षर के आंकड़े अधिकतम पैदावार दर तथा तारांकित आंकड़े न्यूनतम पैदावार दर दर्शाते हैं।

विवरण - IV

वर्ष 1996-97 से वर्ष 1998-99 के दौरान मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में कपास की उत्पादकता

(उपज कि.ग्रा./हैक्टेयर)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	315	248	198
गुजरात	304	356	416
हरियाणा	393	301	255
कर्नाटक	237	246	239
केरल	279	291	276
मध्य प्रदेश	139 *	168	145
महाराष्ट्र	173	95 *	139
उड़ीसा	327	278	293
पंजाब	441	220	180
राजस्थान	354	229	230
तमिलनाडु	222	267	301
उत्तर प्रदेश	159	157	110*
अखिल भारत	266	208	223

टिप्पणी : मोटे अक्षरों में दिए गए आंकड़े अधिकतम और तारांकित आंकड़े न्यूनतम उपज दरें दर्शाते हैं ।

विवरण - V

वर्ष 1996-97 से वर्ष 1998-99 के दौरान मुख्य दलहन उत्पादक राज्यों में दलहन की उत्पादकता

(उपज कि.ग्रा./हैक्टेयर)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	519	330*	487
असम	572	547	545
बिहार	801	731	764
गुजरात	721	685	735
हरियाणा	827	888	827
हिमाचल प्रदेश	325 *	361	366
जम्मू एवं कश्मीर	543	564	575
कर्नाटक	407	295	398
केरल	716	795	788
मध्य प्रदेश	705	654	709
महाराष्ट्र	613	364	644
उड़ीसा	343	364	357*
पंजाब	821	683	654
राजस्थान	491	600	526
तमिलनाडु	400	413	463
उत्तर प्रदेश	927	830	835
पश्चिम बंगाल	741	688	621
अखिल भारत	635	567	622

टिप्पणी : मोटे अक्षर के आंकड़े अधिकतम पैदावार दर और तारांकित आंकड़े न्यूनतम पैदावार दर दर्शाते हैं ।

विवरण - VI

वर्ष 1996-97 से वर्ष 1998-99 तक मुख्य तिलहन उत्पादक राज्यों में तिलहन की उत्पादकता

(उपज कि.ग्रा./हैक्टेयर)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	803	548	827
अरुणाचल प्रदेश	946	954	968
असम	512	549	478
बिहार	660	737	699
गुजरात	1340	1312	1308
हरियाणा	1478	712	1279
जम्मू व कश्मीर	681	680	677
कर्नाटक	674	551	702
केरल	615	692	738
मध्य प्रदेश	855	917	912
महाराष्ट्र	891	646	991
उड़ीसा	412	452	460
पंजाब	1322	1129	1193
राजस्थान	909	746	886
तमिलनाडु	1438	1476	1579
उत्तर प्रदेश	876	581	710
पश्चिम बंगाल	839	761	778
अखिल भारत	926	816	944

नोट : मोटे अक्षरों में दिए गए आंकड़े अधिकतम और रेखांकित आंकड़े न्यूनतम उपज दरें दर्शाते हैं ।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन

*100. श्री त्यकबर अली खांदोकर :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 2000 के *इकोनोमिक टाइम्स* में "पैरेलल पेंशन स्कीम फार अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर मूटिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) दवे समिति द्वारा और क्या-क्या सिफारिशें की गईं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन सभी सिफारिशों के कब तक लागू होने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धावस्था समाज और आय सुरक्षा (ओएसिस) के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना शुरू की और भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा से जुड़े नीतिगत प्रश्नों की जांच करने तथा सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक आठ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नामित की । ऐसे अध्ययन की जरूरत वृद्धों की बढ़ती हुई संख्या और इस तथ्य के कारण महसूस की गई कि वृद्धावस्था पेंशन और सुरक्षा की औपचारिक प्रणाली सिर्फ वेतनभोगी जनसंख्या के लगभग 11 प्रतिशत को शामिल करती है । समिति ने सरकार को 11.1.2000 को दी गई अपनी अन्तिम रिपोर्ट में उन उपायों की सिफारिश की है जो प्रत्येक कामगार को अपने कामकाजी जीवन के दौरान पर्याप्त बचत करने में सहायता कर सकते हैं जो उनकी वृद्धावस्था में गरीबी के विरुद्ध एक कवच के रूप में कार्य कर सके । सिफारिशों में वर्तमान पेंशन प्रावधानों में और सुधार करने तथा उस योजना में शामिल न किए गए कामगारों के लिए नई पेंशन योजना तैयार करने संबंधी दो केन्द्र बिन्दु हैं । रिपोर्ट की इन सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

(घ) सिफारिशों पर इस समय सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और निर्धारित समय-सीमा विनिर्दिष्ट करना मुश्किल है ।

आबिद हुसैन समिति की सिफारिशें

887. श्री मोहन रावले : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग क्षेत्र में आबिद हुसैन समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) कितनी सिफारिशों पर अमल किया गया है/किया जाना है ;

(ग) क्या सरकार का लघु उद्योग क्षेत्र में और अधिक मदों से आरक्षण हटाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इन मदों से आरक्षण हटाने के क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) आबिद हुसैन समिति की मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ लघु उद्यम के लिए एक अलग अधिनियम बनाना, लघु उद्योग लगाने के लिए सेवा उपक्रम, लघु उद्योग इकाइयों के लिए निवेश सीमा को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी विकास संवर्धन ऋण संवितरण प्रणाली को प्रवाही बनाने तथा लघु उद्योग क्षेत्र में निर्माण किए जाने वाले आरक्षित मदों का अनारक्षण किया जाना शामिल है । इन रु. 30 मिलियन की निवेश सीमा को बढ़ाने तथा लघु उद्योग आरक्षण को समाप्त करने जैसी सिफारिश को छोड़कर सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

(ग) और (घ) औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट तौर पर गठित आरक्षण सलाहकार समिति द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट निर्माण के लिए मदों के आरक्षण/अनारक्षण के मुददे की निरंतर आधार पर जांच की जाती है । सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर आरक्षित सूची में मदों की नामावली में समय-समय पर वृद्धि/हटाना/परिवर्तन किया जाता है ।

खादी उद्योग का विकास

888. श्री टी. गोविन्दन : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में खादी उद्योग के विकास हेतु कोई विशेष योजना चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए रोजगार कार्यालय

889. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालय के माध्यम से नौकरी की तलाश करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार महिलाओं के लिए अलग रोजगार कार्यालयों को खोलने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) सरकार द्वारा विशेषकर रोजगार कार्यालय में पंजीकृत महिलाओं को नौकरी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) रोजगार चाहने वाली महिलाओं की संख्या में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) चूंकि रोजगार चाहने वाली महिलाओं की देख-रेख के लिए वर्तमान प्रणाली को पर्याप्त समझा गया अत: महिलाओं के लिए अलग से रोजगार कार्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(च) नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार सृजित करना है । नौवीं योजना में उच्च बेरोजगारी एवं श्रमिकों के उत्तरोत्तर नैमित्तिकरण को देखते हुए एक राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना आरंभ की गई है । ये सभी कदम रोजगार चाहने वाली महिलाओं के लिए भी लाभप्रद होंगे ।

विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं/रोजगार

890. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1.1.97 से 31.1.2000 के दौरान विकलांग व्यक्तियों की संख्या राज्य-वार कितनी थी;

(ख) इन विकलांग व्यक्तियों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ;

(ग) किन व्यक्तियों को विकलांग कहा जाता है एवं विकलांग व्यक्ति होने की परिभाषा क्या है;

(घ) पूर्वोक्त अवधि के दौरान कार्यवार कितने विकलांग व्यक्तियों को वर्षवार रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ङ) इन व्यक्तियों द्वारा अपना नाम दर्ज करवाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(च) वर्ष 2000 से 2002 की अवधि के दौरान वर्षवार कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का अनुमान है;

(छ) क्या सरकार और सम्बद्ध विभाग को इस बात की शिकायतें मिली हैं कि इन विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने या बैंकों से ऋण लेने या रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराने के रिश्वत देनी पड़ती है;

(ज) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(झ) इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने विकलांग व्यक्तियों की संख्या संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए जुलाई-दिसम्बर, 1991 में 47वें दौर के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की संचालन किया । नमूना सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 5% जनसंख्या का किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित होने का अनुमान है ।

(ख) विकलांग व्यक्तियों को अनेक रियायतें/सुविधाएं जैसे यात्रा भत्ता, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, आयु में छूट, छात्रवृत्ति, पेट्रोल सब्सिडी, रेल द्वारा यात्रा के लिये रियायत, आयकर रियायत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से रियायती ऋण आदि प्रदान की गई है ।

(ग) विभिन्न विकलांगताओं की परिभाषाएं नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 में दी गई है ।

(घ) विशेष रोजगार कार्यालयों द्वारा उसके आरंभ से दिसम्बर, 1997 तक स्थापन की संख्या व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में इसके आरंभ से दिसम्बर, 1998 तक पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या तथा वर्ष 1996 तथा 1997 के दौरान विकलांग व्यक्तियों से संबंधित रोजगार कार्यालयों द्वारा स्थापन की संख्या क्रमश: विवरण-I से III पर है ।

(ङ) रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के लिए रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया को सभी लोगों द्वारा अनुसरण किया जाना अपेक्षित होता है जो स्वयं को पंजीकृत करवाने के इच्छुक होते हैं जिनमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं।

(च) ऐसे प्रक्षेपणों पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(छ) और (ज) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(झ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण - I

आरंभ से दिनांक 31.12.1997 की अवधि के दौरान विशेष रोजगार कार्यालय द्वारा किए गए नियोजन की संख्या

क्र.सं.	विशेष रोजगार कार्यालय	आरंभ का वर्ष	नियोजन
1	2	3	4
1.	मुम्बई	1959	6399
2.	दिल्ली	1961	5175
3.	मद्रास	1962	11047
4.	हैदराबाद	1962	3696
5.	कलकत्ता	1963	2826
6.	अहमदाबाद	1963	6341
7.	बंगलौर	1963	3678
8.	लुधियाना	1964	2706
9.	कानपुर	1965	1336
10.	त्रिवेन्द्रम	1970	4138
11.	जबलपुर	1971	1277
12.	पटना	1974	658
13.	जयपुर	1975	1107
14.	चंडीगढ़		
15.	भुवनेश्वर	1976	304
16.	शिमला	1977	
17.	गुवाहाटी	1979	

1	2	3	4
18.	अगरतला	1979	163
19.	राजकोट	1981	1139
20.	सूरत	1981	798
21.	बड़ौदा	1981	1380
22.	इम्फाल	1982	28
23.	विशाखापट्टनम	1987	166
24.	मैसूर	1996	70
25.	कोझी कोड	1996	40
26.	कोल्लम	1996	24
27.	अजमेर	1997	6
28.	अलवर	1997	10
29.	गोरखपुर	1997	-
30.	अलीगढ़	1997	13
31.	इलाहाबाद	1997	-
32.	आगरा	1997	1
33.	वाराणसी	1997	1
	कुल		54526

विवरण - II

आरंभ से दिसम्बर, 1998 तक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या

वी.आर.सी. का नाम	कुल
अगरतला	1076
अहमदाबाद	8963
बंगलौर	6038
भुवनेश्वर	6583
कलकत्ता	8265
चेन्नई	9563
दिल्ली	6843
गुवाहाटी	3507
हैदराबाद	12182
जबलपुर	6340
जयपुर	2780
कानपुर	9015
लुधियाना	6912
मुम्बई	11436
पटना	861
तिरुवनन्थापुरम	8057
वडोदरा	880
कुल	109301

विवरण - III

वर्ष 1996-97 के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालयों द्वारा नियोजित संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1996-97 के दौरान नियोजित संख्या	
	1996	1997
राज्य		
1. आन्ध्र प्रदेश	304	433
2. अरुणाचल प्रदेश	-	-
3. असम	5	12
4. बिहार	4	4
5. गोवा	10	54
6. गुजरात	346	456
7. हरियाणा	128	83
8. हिमाचल प्रदेश	46	26
9. जम्मू व कश्मीर	-	-
10. कर्नाटक	372	547
11. केरल	737	650
12. मध्य प्रदेश	106	144
13. महाराष्ट्र	369	450
14. मणिपुर	19	3
15. मेघालय	1	3
16. मिजोरम	-	-
17. नागालैन्ड	-	-
18. उड़ीसा	30	140
19. पंजाब	59	81
20. राजस्थान	197	223
21. सिक्किम*	-	-
22. तमिलनाडु	912	894
23. त्रिपुरा	1	-
24. उत्तर प्रदेश	70	70
25. पश्चिम बंगाल	76	54
संघ राज्य क्षेत्र		
26. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	-	-
27. चंडीगढ़	7	11
28. दादर व नगर हवेली	-	-
29. दिल्ली	54	22
30. दमन व दीव	-	-
31. लक्षद्वीप	-	-
32. पांडिचेरी	-	-
कुल	3859	4450

नोट :- *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

सब्जियों और फलों का प्रसंस्करण

891. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सब्जियों और फलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के मद्देनजर उनके प्रसंस्करण संबंधी कृषि उद्योग का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या मटर और टमाटर का अधिक उत्पादन होने के कारण किसानों को मटर और टमाटर सस्ती दरों पर बेचना पड़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कृषि आधारित उद्योग स्थापित करके सब्जियों और फलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है; और

(घ) क्या किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये कोई योजना बनायी गयी है ?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग फल एवं सब्जी प्रसंस्करण समेत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देता है । विभाग अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को रियायती वित्त देता है । इसके अलावा, अन्य एजेंसियां जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी अपनी-अपनी स्कीमों के तहत सहायता देते हैं। इस क्षेत्र को वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में शामिल भी किया गया है ।

(ख) किसी राज्य सरकार से ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि मटर और टमाटर की बागवानी की फसलों की अत्यधिक उपज के कारण किसान मजबूरन उन्हें अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर बेच रहे हैं ।

(ग) कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना द्वारा प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने की काफी संभावना है । अनुमान है कि फल और सब्जियों का प्रसंस्करण जोकि 1988 के पूर्व कुल उत्पादन के 0.5% से कम था 1997 तक बढ़कर लगभग 1.8% हो गया है ।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर बागवानी फसलों के लिए भारत सरकार एक बाजार हस्तक्षेप स्कीम लागू कर रही है । स्कीम में, एक अवधि विशेष के लिए उत्पाद की पहले से निश्चित मात्रा को सम्मत कीमत पर खरीदने का प्रावधान है ताकि कीमतों के घटने की प्रवृत्ति को रोका जा सके और उत्पादकों को लाभकारी कीमत मिलना सुनिश्चित हो सके । बाजार हस्तक्षेप स्कीम के तहत खरीद के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ (नेफेड) है ।

[अनुवाद]

दूरसंवेदी उपग्रह कार्यक्रम

892. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंवेदी उपग्रह कार्यक्रम के संबंध में लागत लाभ अध्ययन पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अध्ययन के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां ।

(ख) सुदूर संवेदन उपग्रह कार्यक्रम के संबंध में लागतों और लाभों के आकलन के लिए विविध अध्ययन आयोजित किए गए हैं । देश में शुरू की गई विविध परियोजना/कार्यक्रमों में विविध विकासात्मक क्रियाकलापों की सहायता में सुदूर संवेदन से व्युत्पन्न सूचना का प्रयोग और जलविभाजक प्रबंध, भूमि उपयोग आयोजना, जल संसाधन उपयोजन, सिंचाई प्रबंध, तटीय प्रबंध, कमाण्ड क्षेत्र विकास, शहरी विकास, आपदा प्रबंध सहायता इत्यादि के क्षेत्र में सामाजिक लाभों से व्युत्पन्न सूचना के उपयोग को पर्याप्त रूप में सिद्ध किया जा चुका है । सुदूर संवेदन आंकड़ों के उपयोग से प्राप्त होने वाले सामाजिक लाभों की अर्हता के लिए आयोजित विशिष्ट सर्वेक्षणों ने विविध क्षेत्रों, विशेष रूप में भूमिजल की उपलब्धता में वृद्धि, दोहरी कृषि पद्धतियां, भूमि का इष्टतमी उपयोग इत्यादि में जलविभाजक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सुधार दिखाये हैं। यह अनुमान भी लगाया गया है कि किसी भी समग्र विकासात्मक परियोजना लागत में सुदूर संवेदन आंकड़ों के उपयोग की लागत लगभग 3-5% होती है । इसके अलावा, विविध राष्ट्रीय मानचित्रण मिशनों के माध्यम से मुख्य रूप में आयोजित किए गए सुदूर संवेदन के आंकड़ों की सूचना जनन क्षमता की पारम्परिक क्षमताओं की लागतों के साथ तुलना की गई है। सुदूर संवेदन आंकड़ों के उपयोग के फलस्वरूप लागत में होने वाली बचत लगभग 500 करोड़ से अधिक आकलित की गई है । भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा शुरू किए गए एक पृथक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि फसल के एकड़वार क्षेत्रफल, सिंचाई प्रबंध, जलविभाजक विकास, भूमि उपयोग परिवर्तन विश्लेषण, वानिकी प्रबंध और बड़े पैमाने पर मानचित्रण के पूर्वानुमान में सुदूर संवेदन उपग्रहों के समुचित उपयोग द्वारा समाज को प्राप्त होने वाले संभावित लाभ न केवल सुदूर सवेंदन कार्यक्रम की लागत को पूरा करेगी, अपितु यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय अन्तरिक्ष प्रयास के लिए भी लागत से अधिक अदा करेगी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

[हिन्दी]

ठेका श्रमिक

893. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी और अर्धसरकारी क्षेत्र में कितने ठेका श्रमिक हैं;

(ख) इन श्रमिकों की संख्या और श्रेणी क्या हैं ;

(ग) इन श्रमिकों के लिए सेवा शर्तें और नियम क्या हैं और इन्हें दिए जा रहे वेतन, महंगाई भत्ता, छुट्टी और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में ठेका श्रम के प्रति रोष के कारण इस व्यवस्था को समाप्त करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसे कैसे और कब तक समाप्त किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) केन्द्रीय क्षेत्र में दिल्ली में वर्ष 1998 के दौरान ठेकेदारों को 70 लाइसेंस जारी किये गये तथा इन लाइसेन्सों द्वारा शामिल किए गए ठेका श्रमिकों की संख्या 7921 थी । तथापि, राज्य क्षेत्र में लगाए गए ठेका श्रमिकों से संबंधित इस तरह के आंकडे केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते ।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में व्यवस्थ की गई है कि ठेकेदारों के कामगारों को अदा की जाने वाली मजदूरी की दरें ऐसे नियोजन के लिए जहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित दरें लागू हों तो उन दरों से तथा जहां उक्त नियोजन के लिए करार, समझौता या पंचाट द्वारा ऐसी दरें नियत की गई हों तो ऐसी नियत दरों से कम नहीं होंगी । यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार उसी या तत्सदृश्य प्रकृति का कार्य करता है जो प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कामगारों द्वारा किया जाता है, तो ठेकेदार के कामगारों की मजदूरी दरें, छुट्टी, कार्य घंटे तथा अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों के लिए उसी या तत्सुदृश्य प्रकृति के कार्य के लिए लागू हों। अन्य मामलों में ठेकेदार के कामगारों की मजदूरी दरें, छुट्टी, कार्य घंटे तथा सेवा शर्तें वही होंगी जैसी मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इस बारे में निर्धारित की जाएं ।

किसी प्रतिष्ठान में किसी प्रक्रिया, संक्रिया या किसी कार्य में यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड से परामर्श करके ठेकाश्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने के लिए "समुचित सरकार" प्राधिकृत है । किसी प्रतिष्ठान में किसी जॉब/प्रक्रिया/कार्य में ठेका श्रम का प्रतिषेध करने की माँग करने वाला आवेदन जाँच-पड़ताल के लिये तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उप-धारा (2) में निर्धारित अपेक्षाओं के संदर्भ में समुचित सिफारिशें देने के लिये बोर्ड को भेज दिया जाता है । बोर्ड की सिफारिश पर "समुचित सरकार" उन जॉबों में ठेका श्रम पद्धति का प्रतिषेध करने के प्रश्न पर विचार कर सकती है । अत:, यह एक सततगामी प्रक्रिया है ।

[अनुवाद]

रोजगार सहायता हेतु मार्गनिदेश

894. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों से आने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को रोजगार सहायता दिए जाने के संबंध में कोई नीति अथवा मार्गनिदेश हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्तियों द्वारा यह सहायता प्राप्त की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए रोजगार सहायता से संबंधित दिशा-निर्देश कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार के मार्च, 1997 तदनुसार दिनांक 19 जून, 1978 को संशोधित संकल्प द्वारा शासित होते हैं ।

(ख) पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्व अफ्रीकी देश केन्या, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तांगानीका तथा जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया तथा वियतनाम के भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से आये विस्थापित भारतीय मूल के व्यक्ति केन्द्र सरकार के किसी भी पद हेतु पात्र हैं बशर्ते कि उनके समर्थन में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(ग) चूंकि विभिन्न भर्ती ऐजेंसियां भर्ती कार्य में लगी हैं, ऐसी सूचना रखी नहीं जाती ।

वेबसाइट के माध्यम से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सूचना

895. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 2000 को "*दि हिन्दुस्तान टाइम्स*" में प्रकाशित विज्ञापन की ओर दिलाया गया है जिसमें केन्द्र सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के बारे में विशिष्ट सूचना उपलब्ध कराने हेतु आम जन के सहयोग के लिए ध्यान आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विज्ञापन पर लोगों की विस्तृत प्रतिक्रिया क्या रही है; और

(ग) सी.बी.आई. द्वारा केन्द्रीय भंडार, एन.सी.सी.एफ. और सुपर बाजार से पंजीकृत व्यापारियों या सप्लायरों तथा इन एजेंसियों में काम करने वाल कर्मचारियों के बारे में सूचना न मांगने के क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) उपर्युक्त विज्ञापन, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा केन्द्र-सरकार और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के बारे में जानकारी माँगने की दृष्टि से जारी किया गया था ।

(ख) केन्द्र-सरकार के कुछ विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार के बारे में आम जनता से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की वेबसाइट पर 23.02.2000 तक 10 ई-मेल संदेश प्राप्त हुए हैं ।

(ग) उपर्युक्त विज्ञापन द्वारा केन्द्र सरकार के सभी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के बारे में जानकारी मांगी गई है, अत: इसमें ऐसे किसी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के

कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों/आपूर्तिकर्ताओं से साँठ-गाँठ किए जाने के भ्रष्ट आचरण के बारे में जानकारी माँगा जाना भी शामिल है ।

[हिन्दी]

स्थिरीकरण कोष

896. श्री राजो सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार की ओर से कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष योजना के तहत आबंटित राशि को बढ़ाते हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰ सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) बिहार सरकार से अभी तक कृषि स्थिरीकरण कोष स्कीम के तहत आबंटन की राशि बढ़ाए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । हालांकि बिहार सरकार से चालू वित्त वर्ष में स्कीम के तहत 21.60 करोड़ रु॰ की धनराशि के लिए केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की जांच के बाद धनराशि निर्मुक्त की जाएगी ।

[अनुवाद]

जर्मनी के आप्रवासन कानून

897. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी ने नये सहस्त्राब्दि वर्ष के पहले ही दिन अपने नये आप्रवासन कानून को लागू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कानून में किए गए परिवर्तन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कानून के पश्चात् कितने भारतीयों के जर्मन नागरिकता के योग्य पाये जाने की संभावना है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जर्मनी में 1 जनवरी, 2000 को एक नया नागरिकता कानून प्रवृत्त हुआ था ।

(ख) नए नागरिकता कानून में कतिपय शर्तों के साथ जन्म से नागरिकता के संबंध में प्रावधान है । प्राकृतिककरण के लिए पात्र बनने के लिए अनिवार्य विधिक निवास की अवधि को 15 वर्ष से कम करके 8 वर्ष कर दिया गया है । नए मानदण्ड लागू किए गए हैं जिन्हें प्राकृतिककरण के लिए पूरा करना होता है । नए कानून में सीमित दोहरे राष्ट्रीयकरण के लिए भी प्रावधान किया गया है ।

(ग) जर्मनी में कानूनी रूप से रह रहे लगभग सभी 34,000 भारतीयों के नए नागरिकता कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत आ जाने की संभावना है ।

(घ) नया नागरिकता कानून जर्मनी का आन्तरिक मामला है ।

वेतन का भुगतान न होना

898. श्री सुनील खां : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड (एच.एस.सी. एल) के कर्मचारियों को पिछले लगभग साल भर से वेतन नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र वेतन देने हेतु क्या उपाय किए गए या करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) जी, हां । हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि॰ (एच.एस.सी.एल) के लिए जुलाई, 1999 में एक वित्तीय पुनर्गठन एवं वित्तीय सहायता पैकेज मंजूर किया गया है । आशा है कि इस पैकेज को कार्यान्वित करने से कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

899. श्री सुबोध राय : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने गांवों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण उद्योग में लोगों को लगाया गया है तथा राज्य-वार कितने लोग इसमें कार्यरत हैं;

(ख) पंजीकृत ग्रामीण उद्योगों/संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन गांवों का ब्यौरा क्या है जहां खादी और ग्रामोद्योग आयोग उत्पादन कर रहा है तथा उसमें कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास ऐसे उद्योगों के विस्तार हेतु कोई कार्यक्रम विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) देश के 2.61 लाख ग्रामों में 58.29 लाख लोग खादी और ग्रामोद्योगों में लगे हुए हैं। देश में खादी और ग्रामोद्योगों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) पंजीकृत खादी और ग्रामोद्योगों/संस्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के तहत कवर किये गये सभी 2.61 लाख गांव उत्पादन में लगे हुए हैं। खादी और ग्रमोद्योगों में लगे कामगारों का विवरण विवरण-I के अनुसार है ।

(घ) जी, नहीं। प्रतिबंधित सूची के अतिरिक्त, खादी और ग्रामोद्योग आयोग सभी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण-I

राज्यवार रोजगार -1998-99

(संख्या लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खादी	ग्रामोद्योग	कुल
1	2	3	4	5
1.	*राज्य*			
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.33	3.26	3.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*
3.	असम	0.27	0.98	1.25
4.	बिहार	2.54	1.26	3.80
5.	गोवा	0	0.05	0.05
6.	गुजरात	0.46	0.55	1.01
7.	हरियाणा	0.52	0.39	0.91
8.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.69	0.83
9.	जम्मू व कश्मीर	0.35	0.88	1.23
10.	कर्नाटक	0.46	1.96	2.42
11.	केरल	0.15	1.93	2.08
12.	मध्य प्रदेश	0.14	1.15	1.29
13.	महाराष्ट्र	0.18	4.47	4.65
14.	मणिपुर	*	0.42	0.42
15.	मेघालय	*	0.11	0.11
16.	मिजोरम	0	0.15	0.15
17.	नागालैन्ड	*	0.19	0.19
18.	उड़ीसा	0.03	1.95	1.98
19.	पंजाब	0.77	0.96	1.73
20.	राजस्थान	1.04	3.29	4.33
21.	सिक्किम	*	0.06	0.06
22.	तमिलनाडु	0.62	10.54	11.16
23.	त्रिपुरा	0	0.23	0.23
24.	उत्तर प्रदेश	5.18	5.33	10.51
25.	पश्चिम बंगाल	0.63	3.42	4.05
	योग-1	13.81	44.22	58.03
2.	*संघ राज्य क्षेत्र*			
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	*	*
27.	चंडीगढ़	0	0.03	0.03
28.	दादर व नगर हवेली	0	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	0
30.	दिल्ली	0.03	0.15	0.18
31.	लक्षद्वीप	0	*	*
32.	पांडिचेरी	0.01	0.04	0.05
	योग-2	0.04	0.22	0.26
	कुल योग - 1+2	13.85	44.44	58.29

*500 से कम ।

विवरण-II

दिनांक 31.3.1999 तक राज्यवार पंजीकृत संस्थाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पंजीकृत संस्थाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	284
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	35
4.	बिहार	86
5.	गोवा	21
6.	गुजरात	35
7.	हरियाणा	362
8.	हिमाचल प्रदेश	60
9.	जम्मू व कश्मीर	22
10.	कर्नाटक	312
11.	केरल	38
12.	मध्य प्रदेश	135
13.	महाराष्ट्र	967
14.	मणिपुर	17
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	-
17.	नागालैन्ड	5
18.	उड़ीसा	77
19.	पंजाब	152
20.	राजस्थान	110
21.	सिक्किम	-
22.	तमिलनाडु	131

1	2	3
23.	त्रिपुरा	5
24.	उत्तर प्रदेश	2098
25.	पश्चिम बंगाल	183
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	-
27.	चंडीगढ़	-
28.	दादर व नगर हवेली	-
29.	दमन व दीव	-
30.	दिल्ली	10
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पांडिचेरी	1
	कुल	5149

धनराशि का उपयोग

900. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब के किसी संसद सदस्य ने केन्द्र सरकार और कुछ अन्य बाह्य निकायों द्वारा राज्य में सिंचाई सुविधाओं के प्रोत्साहन हेतु मुहैया कराई गई धनराशि का उपयुक्त रूप से उपयोग न करने के बारे में कोई शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मत्रांलय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कीटनाशक

901. **श्री विजय गोयल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में अन्य देशों में प्रतिबंधित कीटनाशकों के बहुत से ब्रांडों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके हानिकारक प्रभाव का पता लगाने हेतु गत वर्षों के दौरान कोई अनुसंधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) कुछ कीटनाशक जिनके उपयोग पर अन्य देशों में रोक/प्रतिबन्धित हैं, भारत में उपयोग किऐ जा रहे हैं। ऐसे कीटनाशकों की सूची संलग्न विवरण में की गई है।

(ग) और (घ) इनमें 3 कीटनाशक जिनके नाम कार्बोसल्फोन, फैनप्रापैथरीन तथा लीन्यूरॉन हैं, का पंजीकरण भारत में उपयोग हेतु विगत तीन वर्षों के दौरान उनके दुप्रभावों के बारे में विश्व व्यापी स्तर पर सृजित विभिन्न आंकडों के मूल्यांकन के बाद कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत गठित पंजीकरण समिति द्वारा भारत में उपयोग के लिए किया गया। विशेषज्ञ समितियों द्वारा इन कीटनाशकों के मूल्यांकन की सतत प्रक्रिया है। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले 11 कीटनाशकों का मूल्यांकन कराया गया था और उसकी सिफारिश के अनुसार सरकार ने दो खतरनाक कीटनाशी फॉर्मूलेशनों, जिनके नाम मिथोमाइल 12.5% एल तथा फास्फेमिडॉन 85% एस एल है, के उपयोग पर दिनांक 26.3.2000 से रोक लगा दी और नौ कीटनाशकों के लगातार उपयोग की अनुमति प्रदान की। अनुबंध में उल्लिखित शेष 26 कीटनाशकों के उपयोग को जारी रखने अथवा न रखने के बारे में एक अन्य विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

कीटनाशक, जिनके उपयोग पर अन्य देशों में रोक लगी है/अत्यन्त प्रतिबंधित हैं, परन्तु भारत में उपयोग में लाए जा रहे हैं

क्रम सं.	कीटनाशक
1	2
* 1	एलेक्लोर
2	एल्डीकार्ब
3	एल्यूमिनियम फॉसफाइड
* 4	बीनोमाइल
5	कैप्टाफॉल
6	कप्टॉन
7	कार्बोरिल
8	कार्बोफ्यूरेन
9	कार्बोसल्फॉन
10	क्लोरोबेंजिलेट
11	डी. डी. टी.
12	डाइकोफॉल
13	डाइएल्ड्रीन
14	डाइमेथोएट
* 15	डाइयूरॉन
16	इ. डी. बी. (एथीलीन डाइब्रोमाइड)
17	एण्डोसल्फॉन
* 18	फेनारिमोल
19	फैनप्रोपेथरीन

1	2
20	लिण्डेन
21	लिन्यूरोन
22	मैलाथियॉन
23	मैनेइक हाइड्राजॉइड
24	एम. इ. एम. सी.
25	मैथेमाइल
26	मिथाइल पैराथियॉन
* 27	मोनोक्रोटोफॉस
* 28	ऑक्सीफ्लोरोफैन
29	पैराक्वेट डाइक्लोराइड
30	फोरेट
31	फॉसफेमिडॉन
32	प्रैटिलेक्लोर
33	सोडियम साइनाइड
* 34	थियोमेटॉन
35	थिरेम
* 36	ट्राइएजोफॉस
37	ट्राइडेमॉर्फ
38	ट्राइक्लोरो एसिटिक एसीड
39	जिंक फॉसफाइड
* 40	जिरेम

* लगातार उपयोग की अनुमति है।

अरुणाचल प्रदेश में लघु उद्योग

902. श्री जारबोम गामलिन : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ आंबटित की गई राशि कितनी है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) मंत्रालय के विकास कार्यक्रम पूरे देश में एक जैसे हैं और इन्हें सीड़ो, एन एस आई सी, सिड़बी तथा पी पी डी सीज जैसे संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ लागू किए गए हैं:

1 आयकर और उत्पाद शुल्क के प्रयोजन के लिए आई आई डी केन्द्र 10 वर्षों की अवधि के लिए कर-मुक्त क्षेत्र हो जाते हैं।

2 उत्पादन आरम्भ होने के बाद 10 वर्षों की अवधि के लिए कार्यशील पूंजी श्रृणों पर 3 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता मुहैया की जाती है।

3 24-12-1997 के बाद स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लिए व्यापक बीमा योजना लागू की गई है।

4 पूंजीगत निवेश योजना के अंतर्गत संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के 15 प्रतिशत की दर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध है, जो 30.00 लाख रु. की सीमा की शर्त के अधीन है।

5 परिवहन आर्थिक सहायता योजना 31.03.2007 तक 7 वर्षों के लिए बढ़ा गई है। राशि का संवितरण पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम के माध्यम से किया जाता है।

6 गुवाहाटी में कुल 13.28 करोड़ रु. की लागत पर एक टूल-रूम एवं ट्रेनिंग केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

7 पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुवाहाटी में एक उद्यमी विकास संस्थान स्थापित किया गया है।

8 उत्तर-पूर्व राज्यों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए आयु तथा आय सीमा में छूट दी गई है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए संघ सरकार द्वारा 4304 करोड़ रु. की राशि आंबटित की गई है। निधियां योजना/कार्यक्रम-वार आंबटित की जाती हैं, न कि राज्य-वार ।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति

903. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों

के लिए अलग से राष्ट्रीय नीति तैयार करने का काम अपने प्रारम्भिक चरण में है। वैसे देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र की वृद्धि को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा पहले से किए गए नीतिगत उपायों में निम्नलिखित शमिल हैं:

(i) अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों के लिए शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु स्वत: मंजूरी उपलब्ध है।

(ii) बैंक ऋण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया है।

(iii) अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदों को औद्योगिक (विकास एवम विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग से मुक्त रखा गया है।

(iv) खाद्य प्रसंस्करण मदों के लिए उत्पाद एवम सीमा शुल्कों को युक्तिसंगत किया गया है।

(v) राज्य सरकारों की नोडल एजेन्सियों के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना स्कीमों के तहत, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए निजी उद्योगों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/गैर सरकारी संगठनों/सहकारिताओं/मानव संसाधन विकास संगठनों और अनुसंधान एवम विकास संस्थानों आदि को आसान शर्तों पर ऋण एवम अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष। विभाग किसी राज्य में स्वयं किसी यूनिट की स्थापना नहीं करता।

(ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 (फरवरी तक) की अवधि के दौरान 316 यूनिटों को वित्तीय सहायता दी गई है जोकि अनुसंधान एवम विकास, गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं एवम सेमिनारों/कार्यशालाओं आदि हेतु दी गई सहायता के अतिरिक्त है।

[अनुवाद]

इस्पात अस्पताल का उन्नयन

904. श्री अनंत नायक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राउरकेला में एक मेडिकल कालेज की स्थापना कर वहां स्थित इस्पात अस्पताल का उन्नयन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मत्रांलय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र का विस्तार

905. श्री चिंतामन वनगा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र की इकाई-तीन तथा चार का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इकाई-तीन तथा चार के विस्तार से विस्थापित हुए व्यक्तियों को समुचित पुनर्वास/मुआवजा प्रदान कर दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) तारापुर में तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 (2x160 मेगावाट) वर्ष 1969 से काम कर रहे हैं। इस समय 2x500 मेगावाट परियोजना (तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 तथा 4)।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 के पास ही उसी स्थल पर निर्माणाधीन है।

(ग) तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 तथा 4 की स्थापना के लिए लगभग 206 हैक्टेयर ।

(घ) भूमि की आवश्यकता है । इसमें से लगभग 160 हैक्टेयर भूमि दो गाँवों (अक्करपट्टी तथा पोफरन) में निजी भूमि है और शेष सरकारी भूमि है । अक्करपट्टी तथा पोफरन में 1167 ।

(ङ) परिवारों का पुनर्वास किया गया है और अभी तक किसी परिवार को विस्थापित नहीं किया गया है । भारत सरकार/न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित मुआवजे के भुगतान के लिए और पुनर्वास पैकेज के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम

906. श्री विकास चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार को सूचना दिए बगैर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान कुल कितनी औद्योगिक इकाइयाँ बन्द कर गयी थी; और

(ख) कुल कितनी औद्योगिक इकाइयों ने उक्त के अन्तर्गत सरकार को सूचना दी है?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत अनुमति लिए बिना केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की बंदी से संबंधित कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ख) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत बंदी के लिए नोटिस देने वाली केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या निम्नवत है:

वर्ष	औद्योगिक इकाइयों की संख्या
1997-98	12
1998-99	07

कीटों का हमला

907. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल बागानों में कीटों के हमले का सामना करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले शक्तिशाली रसायनों के कारण आसपास की बागान फसलें जैसे कि मिर्च, सुपारी, कॉफी आदि क्षतिग्रस्त हो रही हैं;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा अन्य सम्बद्ध अनुसंधान निकायों ने पूरी समस्या का अध्ययन किया है और कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए बढ़िया तरीकों का पता लगाया है जिससे कृषि फसलों को कोई क्षति न हो; और

(ग) यदि हां, तो डाइको फोल आदि जैसे कीटनाशकों का गलत ढंग से उपयोग करने से नारियल के बागानों को होने वाली क्षति से संबंधित समस्या को हल करने के लिए अनुसंधान संस्थानों को सहभागीदार बनाते हुए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) नारियल की कुटकियों के लिए मोनोक्रोटोफॉस, ट्राईएजोफॉस और डाइकोफॉल जैसे रसायन प्रभावी होते हैं। हालांकि डाइकोफॉल प्रभावी है परन्तु डाइकोफॉल में 0.1% डी. डी. टी. (एक आर्गेनोक्लोरिन यौगिक) होने के परिणामस्वरूप पारिस्थितिक प्रणाली में डी.डी.टी. का संचयन हो सकता है। इसलिए डाइकोफॉल की सिफारिश केवल सतत रोपणों के मामले में की जाती है और जहां पर मिश्रित फसल उगाई जाती है उन स्थानों पर इसके प्रयोग को हतोत्साहित किया जाता है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय और केरल कृषि विश्वविद्यालय ने कुटकियों के प्रबंधन में उपयोग किये जाने वाले रसायनों के अवशिष्टों का विश्लेषण किया है। नारियल काटने से पहले नाशीकीट नाशी के उपयोग के बाद कम से कम 45 दिन तक की प्रतीक्षा करने की सिफारिश की जाती है।

(ग) रासायनिक नाशीकीटनाशियों के विकल्प के रूप में उपयोग करने के लिए केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान सस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने पारिस्थितिकी के अनुकूल पादप उत्पादों, जैसे नीम से बने उत्पाद जिनमें 0.1% एजेडाइरेक्टीन, वैटेबल सल्फर विद्यमान है तथा पारिस्थितिकी के अनुकूल एक एक्रीसिड की भी सिफारिश की है।

नारियल की कुटकियों के जैविक नियंत्रण के लिए कुटकियों के समूह से एक एन्टोमोफन्गल पैथोजीन, हिरसूटैला थोपसोनी अलग किया गया है और इसकी रोगजनकता के लिए इसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत एक परियोजना को स्वीकृति दी है जिसे 145 लाख रु. के परिव्यय के साथ पांच एजेंसियों द्वारा पारिस्थितिकी के अनुकूल नियंत्रण उपायों पर विशेष जोर देते हुए एरियोफिड कुटकी पर अनुसंधान में तेजी लाने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

908. श्री रामटहल चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता उपलब्ध करायी गयी है?

कृषि मन्त्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अलग से राष्ट्रीय नीति तैयार करने का काम अपने प्रारम्भिक चरण में है। वैसे देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र की वृद्धि को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा पहले से किए गए नीतिगत उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों के लिए शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु स्वत: मंजूरी उपलब्ध है।

(ii) बैंक ऋण हेतु खाद्य मदों को प्राथमिक क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया है।

(iii) अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदों को औद्योगिक (विकास एवम विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग से मुक्त रखा गया है।

(iv) खाद्य प्रसंस्करण मदों के लिए उत्पाद एवम सीमा शुल्कों को युक्तिसंगत किया गया है।

(v) राज्य सरकारों की नोडल एजेन्सियों के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना स्कीमों के तहत, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए निजी उद्योगों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/गैर सरकारी संगठनों/सहकारिताओं/मानव संसाधन विकास संगठनों और

अनुसंधान एवम विकास संस्थानों आदि को आसान शर्तों पर ऋण एवम अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष। विभाग किसी राज्य में स्वयं किसी यूनिट की स्थापना नहीं करता।

(ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 (फरवरी तक) की अवधि के दौरान 316 यूनिटों को वित्तीय सहायता दी गई है जोकि अनुसंधान एवम विकास, गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं एवम सेमिनारों/कार्यशालाओं आदि हेतु दी गई सहायता के अतिरिक्त है।

[अनुवाद]

हिन्दुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देना

909. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अल्पसंख्यक आयोग यह चाहता है कि कश्मीर जैसे राज्य में हिन्दुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया जाए;

(ख) यदि हां, तो कुछ पूर्वोत्तर राज्यों जहां हिन्दू अल्प संख्या में हैं, को अल्पसंख्यक सूची में शामिल न करने के कारण हैं; और

(ग) कितनी राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यक आयोग समाप्त कर दिए हैं और इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मत्रांलय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न कि अन्पसंख्यक कौन है, माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका के अतंर्गत न्यायालय के विचाराधीन है । अल्पसंख्यक दर्जे के प्रावधान पर आगे कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर की जाएगी।

(ग) (1) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना इसके अध्यक्ष/सदस्यों के लिए 3 वर्षों के कार्यकाल के साथ 17 फरवरी, 1992 के राज्य सरकार के संकल्प के माध्यम से की गई । जून, 1995 में जारी, सरकार के बाद के एम संकल्प के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार ने इस आधार पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन नहीं किया कि इसकी नीति के अनुसार सभी नागरिक समान हैं तथा अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए । जून, 1995 के इस संकल्प के कारण तत्पश्चात राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन नहीं किया गया ।

(2) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों से घटाकर । वर्ष करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का संशोधन किया जो 10.5.99 से प्रभाव में आया । इसे तत्कालीन विद्यमान आयोग के लिए भी लागू किया गया जिसने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पहले ही पूरा कर लिया था । उत्तर प्रदेश सरकार ने तबसे आयोग का पुनर्गठन नहीं किया है ।

श्रम कानून

910. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रुटियां दूर करने के लिए भारतीय श्रम कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक क्षेत्र में श्रमिकों के शोषण में वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा शोषण रोकने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कार्यनीति अथवा योजनाएँ तैयार की गई हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और संशोधन/नए विधान समीक्षा के परिणामों के आधार पर बनाए जाते हैं । सरकार ने हाल ही में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का भी गठन किया है जो आर्थिक नीति में हो रहे आम परिवर्तनों के साथ श्रम कानूनों की निरन्तरता तथा श्रमजीवी वर्ग को अधिक कल्याण मुहैया कराने, दोनों को सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगा ।

हज तीर्थयात्री

911. श्री सुरेश कुरूप : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ हज तीर्थयात्री अपनी यात्रा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके आवेदन को अंतिम क्षण में अस्वीकृत कर दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो उनके आवेदनों का अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा हज तीर्थयात्रा हेतु सभी आवेदनों को स्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) राज्य हज समितियाँ हज यात्रा के लिए भेजे गए किसी भी आवेदन को रद्द नहीं करती हैं बशर्ते कि वे आवेदन भेजने की तारीख के बाद न भेजे गए हों । हज यात्रा में और अधिक व्यक्तियों को शामिल करने के लिए भारत सरकार ने सऊदी अरब पर हज 2000 में भारत का कोटा 91,000 से बढ़ाकर 1,20,000 करने पर लिए जोर दिया । इसके अतिरिक्त हज-2000 के लिए सरकार ने केन्द्रीय हज समिति का कोटा 66,000 से बढ़ाकर 72,000 कर दिया है ताकि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से अधिक संख्या में आवेदकों को यात्रा में शामिल किया जा सके ।

जेलों में युद्ध बंदी

912. श्री पी॰ एस॰ गढ़वी:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री राम प्रसाद सिंह:
श्री सुकदेश पासवान:
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारगिल युद्ध बंदियों सहित अनेक युद्ध बंदी अभी भी पाकिस्तानी जेलों में बन्द हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्वास किया जाता है कि 54 भारतीय युद्धबंदी पाकिस्तान की अभिरक्षा में है । पाकिस्तान लगातार यह कहता रहा है कि कोई भी भारतीय युद्धबंदी उसकी अभिरक्षा में नहीं है । प्रधान मंत्री के स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान के साथ बहुत से अवसरों पर यह मसला उठाया गया । 20-21 फरवरी, 1999 की पाकिस्तान की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने यह मसला पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ उठाया था तथा दोनों पक्षों ने गुमशुदा युद्धबंदियों के मामले सहित मानवाधिकारों के मसलों की जांच करने के लिए मंत्रिस्तरीय दो सदस्यीय समिति गठित की थी । 5-6 मार्च, 1999 को पाकिस्तान के साथ सम्पन्न आधिकारिक स्तर की वार्ता में भी यह मसला उठाया गया था। पाकिस्तान के पक्ष ने कहा कि उसकी अभिरक्षा में कोई भी भारतीय युद्धबंदी नहीं है परन्तु वह मामले की पुनः जांच करने पर सहमत हुआ । सरकार इस मसले को पाकिस्तान के साथ लक्ष्यपरक तरीके से आगे बढ़ाती रहेगी ।

कपास का उत्पादन

913. श्री अशोक ना॰ मोहोल :
श्री ए॰ वेंकटेश नायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिए कपास उत्पादन का आकलन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक उत्पादन होने की संभावना है ;

(ग) क्या अतिरिक्त उत्पादन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) कपास उगाने वाले किसानों को अच्छा लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने क लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰ सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां । अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान कपास का उत्पादन 170-170 कि.ग्रा की 121.3 मिलियन गांठें होने की संभावना है । इसके मुकाबले, वर्ष 1998-99 के दौरान उत्पादन 121.8 मिलियन गांठें रहा । इस प्रकार, चालू वर्ष में कपास का उत्पादन-पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम होने की संभावना है ।

(ग) से (ङ) कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के तहत कवर किया गया है । न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन लागत, आदान-उत्पादन मूल्य- एकरूपता बाजार मूल्यों में उतार चढ़ाव, अंतः फसल मूल्य एकरूपता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य स्थिति इत्यादि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है, जिससे लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके । तथापि, कपास की मांग और पूर्ति पर भी नजर रखी जाती है, जिससे दोनों के बीच असंतुलन को रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा सकें ।

लघु उद्योग क्षेत्र हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देश

914. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों से संबंधित विनियमों में कातिपय संशोधन लाकर रुग्ण लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में संसद के चालू बजट सत्र के दौरान एक व्यापक विधेयक भी लाने का है;

(ग) क्या लघु उद्योग के क्षेत्रों का निष्पादन अभी असंतोषजनक है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रयासों से लघु उद्योग के क्षेत्र में सुधार हेतु कितनी सहायता मिलेगी ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों में, संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर रिकार्ड की है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोटा नियन्त्रण

915. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2001 के बाद जब भारत कोटा नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा तब लघु उद्योग अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पायेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार की स्थिति से किस प्रकार निपटने का सरकार का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) अप्रैल 2001 के बाद मात्रात्मक नियंत्रण की स्थिति के प्रभाव में अपने को समर्थ रख सकें इसके लिए भारत के लघु उद्योगों के पास पर्याप्त प्रतियोगितात्मक शक्ति है। तथापि सरकार अपने लघु उद्यमों को विश्व्यापी प्रतियोगितात्मक बनाने के लिए घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व व्यापार संगठन को सुग्राही बनाने, प्रौद्योगिकी विकास, आई. टी. आवेदन पत्रों, मानक तथा गुणवत्ता नियंत्रण, आधुनिक प्रबंधकीय पद्धति तथा व्यापार से व्यापार जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दे रही है।

[हिन्दी]

पेंशन सुविधाएं

916. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी इंस्ट्रूमेंटलिटीज के कर्मचारी पेंशन सुविधाओं से वंचित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके औचित्य सहित तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार, स्वायत्त/सांविधिक निकायों और संस्थाओं सहित, किसी भी अभिकरण के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रसुविधाएं दिए जाने से इंकार नहीं करती। ये अभिकरण, सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन से, पेंशन से संबंधित नियमों सहित, अपने ही नियम बना सकते हैं अथवा केन्द्र सरकार के नियम अपना सकते हैं अथवा वे ऐसे अभिकरणों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचें के अंतर्गत, केन्द्र-सरकार के नियमों में यथाअनुमत संशोधन करके उन्हें ही अपना सकते हैं।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट

917. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी राज्यों में कृषि उत्पादन में कमी की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/ किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, नहीं। सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान न तो समग्र स्तर पर कृषि में और न ही बानिकी तथा मात्स्यिकी समेत कृषि तथा संबंद्ध क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में कोई गिरावट आयी है। वर्ष 1998-99 तथा वर्ष 1999-2000 में समग्र घरेलू उत्पाद तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान वर्ष 1993-94 के मूल्यों पर निम्नवत् हैं:

(करोड रु.)

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्द्धन
1998-99	1081834	290181
1999-2000	1145436	292643

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

लघु उद्योगों को ई-मेल की सुविधा

918. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के जिला औद्योगिक केन्द्रों को ई-मेल सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषकर मध्य प्रदेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) लघु उद्यमियों को ऑन-लाइन सूचना सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक व्यापक वेब-साइट 'लघु उद्योग कॉम' आरंभ किया है। वेब-साइट में अन्य बातों के साथ साथ प्रयोगकर्ताओं के लिए लघु उद्योग विकास संगठन को अपनी पूछताछ करने के लिए ई-मेल सुविधा निहित है। लघु उद्यमियों द्वारा आई. टी. एप्लीकेशन्ज सहित सभी आई. टी. एप्लीकेशन्ज का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने प्राइवेट इन्टरनेट सर्विस प्रदान करने वालों को इन्टरनेट सुविधाएं बढाने की अनुमति दी है, जिसमें देश भर में लघु उद्योग इकाइयों सहित प्रयोगकर्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए ई-मेल सुविधाएं शमिल हैं। इसके परिणामस्वरूप आज ऐसे कई इन्टरनेट सर्विस प्रदान करने वाले हैं, जो उच्च प्रतिस्पर्धात्मक एवं आसान दरों पर पूरे देश में ई-मेल और अन्य इन्टरनेट सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनका लाभ मध्य प्रदेश राज्य के लघु उद्यमियों सहित सभी लघु उद्यमियों द्वारा उठाया जा सकता है।

के.वी.आई.सी. के माध्यम से रोजगार

919. श्री होलखोमांग हौकिप:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान राज्यों, विशेषकर मणिपुर के ग्रामीण श्रमिकों हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु कोई विशिष्ट योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) जी हां। खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) वर्ष 1995-96 से पूरे देश में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) कार्यान्वित कर रहा है। 10.00 लाख रुपये तक की परियोजनाओं हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मार्जन मनी 30% की दर से उपलब्ध कराई जाती है जबकि शेष पूरे देश में यह राशि 25% की दर से उपलब्ध कराई जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लाभार्थी का अंशदान 5% अपेक्षित होता है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार तथा के. वी. आई. सी. इस योजना की निरंतर निगरानी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सी.बी.आई. मामले

920. श्री सुकदेव पासवान:
श्री सुबोध मोहिते:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक जन सेवकों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1997, 1998 और 1999 के दौरान भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मामलों में न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर दोषियों को दंड दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने मामलों का निपटान किया गया, कितने व्यक्तियों को बरी किया गया और कितनों को दोषी पाया गया तथा कितने मामले कितने समय से लंबित पड़े हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्ष अर्थात् 1997, 1998 और 1999 के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के 2565 मामले दर्ज किए। इनमें से 668 मामलों में आरोप-पत्र दायर कर दिए गए हैं शेष 1897 मामलों की अभी भी जाँच चल रही है। उन मामलों का विभिन्न विषयक ब्यौरा निम्नानुसार है, जिनमें आरोप-पत्र दायर कर दिए गए हैं:

	वर्ष		
	1997	1998	1999
उन मामलों की सं. जिसमें आरोप-पत्र दायर कर दिया गया	327	239	102
सुनवाई से निबटाए गए मामलों की सं.	17	13	-
उन मामलों की सं. जिसमें निष्कर्षत: दोष सिद्ध हो गए	10	12	-
उन मामलों की सं. जिसमें निष्कर्षत: दोष मुक्ति हो गई	7	1	-
सुनवाई के लिए लंबित चल रहे मामलों की संख्या	310	226	102

अपने-अपने पंजीकरण की तारीख से जाँच के लिए लंबित चल रहे सभी मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

921. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लाभ के लिए चालू योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए और शक्तियां मांगने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में पिछड़ा वर्ग के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उद्धार और उत्थान के लिए किए गए नये प्रयासों/प्रस्तावित प्रयासों के और वर्ष 2000-2001 के लिए समान्य रूप से राज्यवार और विशेष रूप से महाराष्ट्र के मामले में तैयार की गई वार्षिक योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं की चालू वर्ष के दौरान जिस-जिस तारीख को समीक्षा की गई, उसका ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधान के अनुसार किया गया था। अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार आयोग सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में नागरिकों की किसी श्रेणी को शामिल करने के लिए अनुरोधों की जांच करता है तथा ऐसी सूचियों में किसी पिछड़ा वर्ग को अधिक शामिल या कम शामिल किए जाने संबंधी शिकायतों को सुनता है और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सलाह देता है जो वह उचित समझता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं का मानिटर करने के लिए सरकार से इस आधार पर सम्पर्क नहीं किया है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय तथा मानिटर करने हेतु कोई नोडल ऐजेंसी नहीं है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार जैसा कि संशोधित किया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सम्रग नीति, विकास कार्यक्रमों के आयोजन और समन्वय हेतु नोडल मंत्रालय है। यह मत्रांलय राज्य सरकारों के परामर्श से अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी सभी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का समन्वय और मानिटर करता है।

यह मंत्रालय वर्ष 1998-99 से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(1) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग की योजना।

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टलों की योजना।

(3) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना।

(4) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भारत में अध्ययन हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना।

(5) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना।

वर्ष 2000-2001 के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 103.03 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। जैसा कि योजनाओं के अतर्गत अपेक्षित है, पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठनों को योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से पिछड़ें वर्गों के सदस्यों को रियायती दर पर सांस्थनिक वित्त प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा अब तक महाराष्ट्र को 28.6 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।

[हिन्दी]

कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार

922. **श्री रामपाल सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तानी सरकार को विरोध जताया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तानी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय केदियों ने दुर्व्यवहार और आधारभूत सुविधाओं के अभाव की शिकायत सरकार से की है। सरकार ने, इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन के जरिए, कोंसली चर्चा के समय, इन शिकायतों को पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ उठाया है और यह मांग की है कि इन शिकायतों का समाधान करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएं। तथापि, अभी तक पाकिस्तान की जेलों में बन्द भारतीय कैदियों की दशा में कोई सुधार आना प्रतीत नहीं होता है।

ट्यूबवैलों की खुदाई

923. **श्रीमती रेणु कुमारी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में ट्यूबवैल खुदाई योजना का प्रथम चरण विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी लक्षित ट्यूबवैलों का कार्य प्रथम चरण में अब तक पूरा नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो प्रथम चरण के शेष सभी ट्यूबवैलों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मत्रांलय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नए नलकूपों की स्थापना, विद्यमान नलकूपों के आधुनिकीकरण और पुनर्वास के लिए अप्रैल, 1987 से मई, 1994 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना कार्यान्वित की गई थी। बिहार सरकार के सामने आई वित्तीय बाधाओं के कारण, 500 नये नलकूपों की स्थापना, 1500 नलकूपों के आधुनिकीकरण और 3212 नलकूपों के पुनर्वास के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि क्रमशः 89, 1244 और 3197 नलकूप थी।

(घ) बिहार सरकार के उन शेष कार्यों जिन्हें मार्च, 2000 तक पूरे किये जाने की योजना थी, को पूर्ण करने के लिए नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास निधि (आर. आई. डी. एफ) फेज-1 कार्यक्रम के तहत ऋण सहायता प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

बिहार के लिए विकास पैकेज

924. श्री राम प्रसाद सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने 24 दिसम्बर, 1999 को एक सार्वजनिक सभा में बिहार के लिए 26000 करोड़ रुपये के विकास पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाऐ गये विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिये कोई समयबद्ध कार्य योजना बनायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी नहीं। प्रधान मंत्री ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1999 को बिहार के लिए 26000 करोड़ रुपये के किसी ऐसे विकास पैकेज की घोषणा नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

925. श्री महेश्वर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की पहली किश्त जारी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत धनराशि को जल्द से जल्द जारी करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क)और (ख) चालू वर्ष 1999-2000 के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों की पहली किश्त उन सभी पात्र मामलों में जारी की जा चुकी है, जिनमें अस्वीकृत शेष राशि 50 लाख रुपये से कम होने को सूचना संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा दी गई है। निधियों के अवमोचन का साप्ताहिक विवरण संसद पुस्तकालय को भेजा जाता है तथा इसकी सूचना इंटरनेट पर यू.आर.एल.डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. एनआईसी ईन/डीपीआई पर भी उपलब्ध है।

(ग) 50 लाख रुपए से कम अस्वीकृत शेष होने का व्यय विवरण प्राप्त होने पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियां अवमोचित की जाती है। इस प्रयोजन से एक प्रपत्र सभी जिला कलेक्टरों को परिचालित किया जा चुका है। जिला कलेक्टरों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे इस मंत्रालय से निधियां प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना सांसदों द्वारा उनकी निधियों की पात्रता के अनुसार अनुशासित कार्यों को संस्वीकृति प्रदान करें तथा निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट भेजें ताकि निधियां पूरी तरह से जारी की जा सके। साथ ही सांसदों से अनुरोध किया गया है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों के अनुकूलतम उपयोग के लिए संबंधित कलेक्टरों को पर्याप्त संख्या में कार्य अनुशासित करें ।

[अनुवाद]

अपहरणकर्त्ताओं पर मुकदमा चलाना

926. श्री आर॰ एल॰ भाटिया:
श्री जी॰ एस॰ बसवराज:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जनवरी, 2000 के 'दि ट्रिब्यून' में 'पाक-ट्रेन्ड अल्टाज एक्टिव वर्ल्डवाइड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या बंधकों के बदले में मुक्त किए गए एक पाकिस्तानी मुस्लिम मौलवी मौलाना मसूद अजहर ने कश्मीर में भारतीय शासन से लोहा लेने के लिए पांच लाख व्यक्तियों की भर्ती करने की प्रतिज्ञा की है;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि अपहरणकर्त्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा;

(घ) यदि, हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा कश्मीर में पाकिस्तानी उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी हाँ। सरकार ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के नेताओं द्वारा भारत के विरोध में दिए गए वैरपूर्ण दुष्प्रचार करने वाले वक्तव्यों के बारे में रिपोर्ट देखी हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के साथ अपहरण के मामले को उठाया है और अपहरण में उनके राष्ट्रिकों के संलिप्त होने के उन्हें प्रमाण दिए हैं। सरकार के पास उपलब्ध प्रमाण पाकिस्तान में अपहरणकर्त्ताओं की उपस्थिति की ओर निश्चित रूप से संकेत देते हैं। अपने उत्तर में पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सामान्य स्थिति को दोहराया

है कि वह उसके क्षेत्र अथवा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को हिरासत में लेगा और उन पर मुकदमा चलाएगा जिन पर अपहरण से संबंधित अपराध करने का संदेह हो। चूंकि उन्होंने सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए साक्ष्य को उसी समय नामंजूर कर दिया है इसलिए पाकिस्तान की सामान्य वचनबद्धता का भी तदनुसार मूल्यांकन करना होगा।

(ङ) सरकार आतंकवाद का सामना करने के अपने संकल्प के प्रति दृढ़ है और देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा के लिए निरन्तर सभी आवश्यक उपाय करती है।

सी. वी. सी. नेट में अधिकारी

927. **श्रीमती सुशीला सरोज:**
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री अरुण कुमार:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन आई.ए.एस., आई.पी.एस. और अन्य वरिष्ठ नौकरशाही के नाम और ब्यौरा क्या है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तथा जिनके पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति है;

(ख) सी.वी.सी. की अनुशंसा के अनुरूप उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ; और

(ग) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप दर्ज किए गए है और उनमें से कितने अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है और अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद उन्हें किस तरह की सजा दी गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपने वेब साइट पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों के 83 मामले दर्शाए हैं जिसके विरुद्ध उसने भ्रष्टाचार के आरोप में आपराधिक/भारी शास्ति की कार्रवाई की सिफारिश की थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 83 मामलों में से 11 मामले, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपात में परिसंपत्तियां रखने के हैं। 11 मामलों में से 10 मामलों में अभियोजन की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अन्य सेवाओं के कुछ उच्च अधिकारियों (ब्यूरोक्रेट्स) की सूची भी आयोग के वेब साइट में रखी गई है। कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के ग्रेड-1 और उससे ऊपर के अधिकारियों का संवर्ग-नियन्त्रक प्राधिकारी है। अन्य सेवाओं के संबंध में यह जानकारी, इस मंत्रालय में केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का संबंध है, सेवा के किसी भी सदस्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी मामला निबटाने का अधिकार, उस संबंधित राज्य-सरकार को भी होता है, जहां उक्त सेवा का सदस्य उस समय कार्यरत हो । इस प्रकार, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें जैसी भी स्थिति हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी मामला निबटाने के लिए प्राधिकृत और ऐसा करने में सक्षम है । इस बारे में राज्य-सरकारों के संबंध में, जानकारी केन्द्रीकृत रूप से रखी अथवा मॉनीटर नहीं की जाती ।

पिछले तीन वर्ष के दौरान, केन्द्र-सरकार और राज्य-सरकारों के काम-काज में लगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों सहित, भारतीय प्रशासनिक सेवा के, भ्रष्टाचार-निवारण अधिनियम, 1988 के तहत विभिन्न अपराधों में संलिप्त अधिकारियों के 27 मामलों में केन्द्र सरकार ने अभियोजन की मंजूरी प्रदान कर दी है । केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कार्य करते रहने के दौरान किए गए दुराचार के आरोप में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों के विरुद्ध भारी शास्ति की कार्यवाही भी आरंभ कर दी गई है । पिछले तीन वर्षों में, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 10 विभागीय मामलों में शास्तियाँ लगाई गई हैं ।

विश्वव्यापी आतंकवाद

928. **श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति**
श्री सुरेश कुरूप :
श्री भीम दाहाल :
श्री राममोहन गाड्डे
श्री विलास मुत्तेमवार
श्री माणिकराव होडिल्या गावित:
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :
श्री शिवाजी माने :
श्री अशोक ना॰ मोहोल :
श्रीमती रीना चौधरी :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के तौर-तरीके सुझाने हेतु एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया है;

(ख) क्या यह प्रस्ताव दोनों पक्षों के बीच कई उच्चस्तरीय वार्ताओं और भारत व अमरीका के बीच बनी आपसी समझ का परिणाम है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) दोनों देश किस सीमा तक विश्व भर में फैल रहे आतंकवाद को रोकने के लिए तालमेल कर रहे हैं ;

(ङ) क्या आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु भारत अमरीका संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक फरवरी, 2000 में वाशिंगटन में हुई थी ;

(च) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसका क्या परिणाम निकला ; और

(छ) दोनों देशों ने विश्वव्यापी आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम और उपायों पर विचार किया है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हां । 18-19 जनवरी, 2000 को लंदन में संपन्न भारत-अमरीका सुरक्षा वार्ता के अन्तिम दौर के समाप्त होने पर भारत और अमरीका ने आतंकवाद विरोधी भारत अमरीकी संयुक्त कार्यदल का गठन करने की घोषणा की थी ।

(ख) और (ग) इस मसले पर विस्तार से परामर्श करने के बाद दोनों देश आतंकवाद की रोकथाम के लिए अपने सहयोग को संस्थागत रूप देने पर सहमत हुए हैं । सूचना का आदान-प्रदान करने और आतंकवाद को खतरे और इसका मुकबला करने के साधनों का मूल्यांकन करने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों की 2-3 सितंबर, 1999 को वाशिंगटन में तथा 17 सितंबर 1999 को दिल्ली में बैठकें हुई । आतंकवाद के मसले पर व्यापक चर्चा 17-18 नवंबर, 1999 और 18-19 जनवरी, 2000 को लंदन में उस समय भी हुई थी जब सुरक्षा, अप्रसार, निरस्त्रीकरण और संबंधित मसलों पर दोनों पक्षों की बैठकें हुई थी ।

(घ) से (च) भारत-अमरीका आतंकवाद विरोधी कार्य दल की पहली बैठक 7-8, फरवरी, 2000 को वाशिंगटन डी.सी. में हुई । दोनों पक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद उग्रवाद और नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार के बढ़ते हुए खतरे पर चिन्ता व्यक्त की । दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी कृत्यों, तरीकों और आचरणों की एकस्वर से निंदा की चाहे इन्हें न्यायोचित ठहराने के लिए कोई भी बहाना क्यों न बनाया जाए । दोनों पक्ष आतंकवाद के विरुद्ध सहायता कार्यक्रम में अमरीकी प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए विशिष्ट उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए सहमत हुए । इस दल ने भारत द्वारा प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद अभिसमय पर अप्रैल में प्रत्येक पक्ष के विधि विशेषज्ञों की बैठक का आयोजन करने का भी निर्णय लिया ।

दोनों पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयासों के एक भाग के रूप में अपने संयुक्त सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए ताकि इंडियन एअर लाइन्स की उड़ान 814 के अपहरणकर्त्ताओं को न्यायालय में पेश किया जा सके ।

(छ) दोनों देश अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने के लिए सहयोग का संवर्धन करने पर सहमत हुए और इस प्रक्रिया के भाग के रूप में दोनों पक्ष एक-दूसरे के अनुभव से लाभ उठाने, सूचना का आदान-प्रदान करने और विचारधारा तथा कार्रवाई में समन्वय करेंगे ।

लघु उद्योग के क्षेत्र में रुग्णता

929. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि लघु उद्योग के क्षेत्र में रुग्णता बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इन रुग्ण इकाइयों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन इकाइयों को फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में किसी पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार लघु उद्योग इकाइयों के मध्य औद्योगिक रुग्णता के प्रभाव से भली-भांति परिचित है तथा सम्भाव्य रूप से जीवनक्षम रुग्ण उद्योगों की समय से पहचान तथा पुनर्वास करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य स्तरीय अंतसंस्थागत समिति के रूप में संस्थागत तंत्र, बैंकों तथा राज्य वित्तीय संस्थाओं में विशेष पुनर्वास प्रकोष्ठ और, पात्र इकाइयों की पुनर्वास सहायता के विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल हैं।

लंबित सिंचाई परियोजनायें

930. **श्री जी॰ जे॰ जावीया :**
श्री ए॰ वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना॰ मोहोल:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली ऐसी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तैयार की गयी थी लेकिन वित्तीय अभाव के कारण अभी तक लागू नहीं की जा सकी हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इन परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आठवीं योजना के दौरान मूल्यांकन के लिए 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागतवाली 47 वृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट केन्द्र को प्रस्तुत की गई हैं। इनमें से राज्यों द्वारा 20 परियोजनाओं पर कार्य पहले से ही शुरू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का अन्वेषण, आयोजना, निष्पादन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों और उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

कंधार हवाई अड्डे पर अपहरणकर्त्ताओं के पास हथियार

931. श्री रामदास आठवले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंधार हवाई अड्डे पर विमान उतरने के बाद अपहरणकर्त्ताओं के हथियारों की संख्या में वृद्धि हो गई थी;

(ख) क्या भारत द्वारा विमान के बाहर अपहरणकर्त्ताओं के कूट संदेशों को रिकार्ड किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कंधार में अपहरणकर्त्ताओं को हथियार उपलब्ध कराने वाले स्रोतों का ब्यौरा क्या है और वे किन व्यक्तियों से कूट संदेश प्राप्त कर रहे थे;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) मुक्त किये गये अपहरणकर्त्ताओं के विरुद्ध अभियोजन के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों के अनुसार उनको गिरफ्तार करने की मुहिम आरंभ करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी अथवा की जा रही है; और

(छ) क्या सरकार ने अपहरणकर्त्ताओं को भेजने वाले देश और उस स्थान का पता लगाने के संबंध में जांच की है जहां ये कट्टर आतंकवादी - आश्रय लिए हुए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (छ) जी हाँ। अपहृत विमान से रिहा हुए चालक दल और यात्रियों से मिली जानकारी से पता चला है कि विमान के कंधार पहुंचने के बाद अपहरणकर्त्ताओं के पास उपलब्ध शस्त्रों में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से वृद्धि हुई थी। कंधार में हमारे अधिकारियों को यह स्पष्ट हो गया था कि अपहरणकर्त्ता विमान के बाहर स्थित नियंत्रणकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे।

भारतीय हिरासत में रखे गए जिन आतंकवादियों की रिहाई अपहरणकर्त्ताओं द्वारा कराई गई उनके पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दिखाई देने की खबर है जहां तक अपहरणकर्त्ताओं का प्रश्न है यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं कि अपहरणकर्त्ता इस समय पाकिस्तान में मौजूद हैं। सी.बी.आई. द्वारा अपहरण के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

आई सी 814 के अपहरण में पाकिस्तान की सह-अपराधिता से संबंधित तथ्यों को संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में ला दिया गया है। सरकार ने यह मामला पाकिस्तान की सरकार के साथ भी उठाया है और उसे उन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, जिनका पाकिस्तान पक्षकार है और जिनके तहत पाकिस्तान यथोचित न्यायिक प्रक्रिया के लिए अपहरणकर्त्ताओं को भारत को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य है, के अधीन उसकी बाध्यकारिताओं का स्मरण कराया है।

अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन को भी अपहरण का ब्यौरा भेज दिया गया है तथा अपहरणकर्त्ताओं और उनके सह-अपराधियों की गिरफ्तारी और उनके प्रत्यर्पण के संबंध में इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाए जाने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

गेहूं उत्पादन

932. श्री तेजवीर सिंह चौधरी:
श्री राजो सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रति वर्ष गेहूं उत्पादन हेतु निर्धारित राज्य-वार लक्ष्य और हासिल की गई उपलब्धियां क्या रहीं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्ष 1999-2000 के लिए गेहूं उत्पादन हेतु क्षेत्रफल बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों, विशेषत: बिहार को गेहूं उत्पादन हेतु दी जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰वी॰पी॰वी॰के॰ सत्यनारायण राव) : (क) इस मंत्रालय द्वारा गेहूं के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 में क्रमश 65.00 मिलियन मी. टन 68.5 मिलियन मी॰ और 70.00 मिलियन मी॰ टन निर्धारित किया गया था। विगत तीन वर्षों के लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) जी नहीं। गेहूं की फसल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र अनुकूल जलवायीय परिस्थितियों पर, विशेषकर सितम्बर व अक्टूबर में होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है। विगत चार वर्षों में गेहूं की बुआई वाले क्षेत्र में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दिखाई देती है यथा:

वर्ष	क्षेत्र (मिलियन है॰)
1995-96	25.01
1996-97	25.89
1997-98	26.70
1998-99	27.40

(घ) देश के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए देश भर में चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलाई जा रही है। बिहार राज्य को चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में चलाये जा रहे समेकित अनाज विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा, उच्च उत्पादक किस्मों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करने और उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए गेहूं के मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम बिहार सहित सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में चलाई जा रही है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996-97		1997-98		1998-99	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.01	0.090	0.01	0.060	0.06	0.069
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.10	0.061	0.10	0.057	0.08	0.044
3.	असम	1.00	1.171	1.00	1.101	1.20	0.905
4.	बिहार	44.00	45.607	45.00	48.487	47.50	41.808
5.	गुजरात	12.00	13.360	11.50	16.470	13.50	17.026
6.	हरियाणा	73.50	78.260	77.00	75.540	79.00	85.680
7.	हिमाचल प्रदेश	5.50	5.310	6.00	6.413	6.00	6.414
8.	जम्मू व कश्मीर	3.50	4.126	4.00	3.965	4.50	3.650
9.	कर्नाटक	1.50	1.903	2.00	1.185	2.20	2.199
10.	मध्य प्रदेश	71.00	77.932	75.00	72.202	76.00	83.442
11.	महाराष्ट्र	11.10	11.670	12.50	6.710	12.50	13.085
12.	मेघालय	0.06	0.069	0.06	0.069	0.06	0.069
13.	नागालैन्ड	0.01	0.025	0.01	0.030	0.01	0.094
14.	उड़ीसा	0.50	0.066	1.00	0.66	1.00	0.044
15.	पंजाब	135.50	136.720	136.00	127.150	137.00	144.600
16.	राजस्थान	56.40	67.820	62.00	67.010	65.50	68.798
17.	सिक्किम	0.20	0.148	0.20	0.140	0.20	0.064
18.	तमिलनाडु	-	Neg.	-	0.001	-	Neg.
19.	त्रिपुरा	0.07	0.39	0.10	0.044	0.05	0.021
20.	उत्तर प्रदेश	225.50	240.496	242.02	228.339	244.64	231.695
21.	पश्चिम बंगाल	7.45	8.390	8.00	8.105	8.50	7.781
22.	दादर व नगर हवेली	-	Neg.	-	0.012	0.003	0.003
23.	दिल्ली	1.10	0.239	1.50	0.294	0.50	0.294
	अखिल भारत	650.00	693.502	685.00	663.450	700.003	707.785

संगठित और गैर-संगठित क्षेत्र के कामगार

933. श्री नामदेव इरबाजी दिवाथे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में राज्य श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) संगठित और गैर-संगठित क्षेत्र के कामगारों विशेषरूप से कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित कामगारों की समस्याओं के संबंध में लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निणयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कुछ भागों में अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) जी, हां। खेतिहर मजदूरों के लिए मसौदा विधान पर विचार विमर्श करने हेतु नई दिल्ली में 18.1.2000 को राज्यश्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ग) खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए केन्द्रीय विधान के प्रस्ताव की उक्त सम्मेलन में प्राप्त विचारों/अभिमतों के आधार पर पुनर्जांच की जा रही है।

(घ) बंधुआ श्रम प्रथा का बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अध्यादेश, 1975 तत्पश्चात संसद में एक अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित, के अन्तर्गत 25.10.1975 से पूरे देश में उन्मूलन कर दिया गया है। यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अधिनियम के कारगर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रम मत्रालय 1978 से केन्द्र द्वारा प्रयोजित एक योजना चला रहा है जिसके अन्तर्गत 10,000 की उच्चतम सीमा तय की वित्तीय सहायता मुक्त कराये गए प्रत्येक बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए दी जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

934. श्री भीम दाहाल:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सहस्त्राब्दि वर्ष के दौरान राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र को आधारभूत ढाँचे का दर्जा देने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिकतम कम्प्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किया गया है; और

(च) देश में राज्य-वार ऐसे संस्थानों को कब तक खोल दिया जाएगा और प्रचालनात्मक बना दिया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सूचना प्रौद्योगिकी का एक आधार क्षेत्र होने के कारण दूरसंचार को पहले ही आधारभूत सुविधा का दर्जा प्राप्त है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों को भी निवेश तथा निगमित कर के प्रयोजन से आधारभूत सुविधा का दर्जा प्रदान किया गया है।

(घ) से (च) सरकार को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) की स्थापना करने के प्रयोजन से सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से अब तक वर्ष 1996 में ग्वालियर में तथा वर्ष 1999 में इलाहाबाद में एक-एक भारतीय प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान की स्थापना की है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी क्रमशः हैदराबाद और बंगलौर में आईआईआईटी की स्थापना की है।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किए गए उपाय

भारत सरकार ने इंटरनेट, ई-वाणिज्य, आईटी शिक्षा और आईटी आधारित शिक्षा सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी प्रयासों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 15.10.1999 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया है।

सरकार ने राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल की पहली रिपोर्ट स्वीकार कर ली है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी कार्य योजना के बारे में 108 सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों में दूरसंचार, वित्त, बैंकिंग, राजस्व, वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिकी, मानव संसाधन विकास, प्रतिरक्षा और ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों के व्यापक क्षेत्र के बारे में उपाय और नीतियाँ सुझाई गई हैं ताकि भारत अगले दस वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर सके। वर्ष 2008 तक सॉफ्टवेयर के निर्यात का लक्ष्य 50 बिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किया गया है। इस कार्यदल ने वर्ष 2008 तक भारत में "सभी को सूचना प्रौद्योगिकी" का लक्ष्य रखने की सिफारिश की है। कार्यदल की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट में हार्डवेयर उद्योग के विकास, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, जनशक्ति प्रशिक्षण तथा शिक्षा से संबंधित मुद्दों और नीतियों के बारे में बताया गया है।

सभी सरकारी विभागों द्वारा अपने बजट का 2 से 3% भाग सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन पर व्यय करने की अपेक्षा की गई है। कम्प्यूटरों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती का प्रावधान किया गया है।

भारत के कई राज्यों ने व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी योजनाएँ तैयार कर ली हैं और ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी नीतियाँ बनाई हैं जिनसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों का तेजी से विकास करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायता मिलेगी।

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, विशेष रूप से लघु एवं मझोले उद्यमों, के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के सहयोग से 100 करोड़ रुपये की एक उद्यम पूँजी निधि का भी गठन किया है।

देश में वैयक्तिक कम्प्यूटरों की संख्या इस समय प्रति 1000 व्यक्तियों पर 3 से कुछ अधिक है। वर्ष 2008 तक वैयक्तिक कम्प्यूटरों की संख्या को बढ़ाकर प्रति 1000 व्यक्तियों पर 20 करने का लक्ष्य है। देश में कम्प्यूटरों की मांग को बढ़ाने के लिए कम्प्यूटरों पर मूल्यह्रास को बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

सरकार ने 'इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता' (आईएसपी) नीति का कार्यान्वयन किया है। इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने और विदेशी उपग्रहों पर बैण्डविड्थ किराए पर लेने की अनुमति दी गई है। देश में इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को लाइसेंस प्रदान किया गया है। पहले पाँच वर्षों के लिए कोई लाइसेंस शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है और पाँच वर्षों के बाद एक रुपये के नाममात्र शुल्क का भुगतान किया जाना है । सरकार द्वारा अनुमोदित इंटरनेट नीति में इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता द्वारा नेटवर्कों के बीच अन्तर्संम्पर्क करने और अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जो विदेश संचार निगम लिमिटेड से स्वतंत्र होगा। इंटरनेट की आधारभूत सुविधाओं का दर्जा नीचे दिए गए अनुसार बढ़ाने का प्रस्ताव है:

(क) दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) देश में राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन स्थापित कर रहा है।

(ख) इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं को तंतु प्रकाशिकी अथवा रेडियो संचार के माध्यम से अन्तिम मील सम्पर्क मुक्त रूप से स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

(ग) प्राधिकृत केवल टीवी के माध्यम से भी इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने के शुल्क में हाल की में कमी की गई है। दूरसंचार सेवा विभाग ने इंटरनेट अनुप्रयोगों के लिये पट्टे पर ली गई एवं प्रयोग में लाई जा रही लाइनों के किराए में 20 प्रतिशत छूट की पेशकश हाल ही में की है। दूरसंचार सेवा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को इंटरनेट खातों पर एक कालीन छूट दी जा रही है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लेह (जम्मू एवं कश्मीर) को छोड़कर पूरे देश में निकटतम इंटरनेट नोड से स्थानीय कॉलों के आधार पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विद्यमान विभागीय सार्वजनिक कॉल आपरेटरों (पीसीओ) तथा ग्राहक ट्रंक डायलिंग (एसटीडी) बूथों का दर्जा बढ़ाकर टेली-इन्फो/साइबर केन्द्र करने का प्रस्ताव है। ये केन्द्र बहु-उपयोगिता सेवाएँ जैसे कि इंटरनेट, ई-मेल सुविधा तथा इंटरनेट लाइब्रेरियाँ उपलब्ध कराएंगे ।

इंटरनेट और ई-वाणिज्य पर लेनदेन को वैधानिक रूप देने के लिए संसद के पिछले सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 पेश किया गया। इस प्रकार का कानूनी ढाँचा देश में ई-वाणिज्य कार्यकलापों को आसान बनाएगा और इस कार्यकलाप में तेजी आएगी।

मिनिकिट की आपूर्ति

935. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में मिनिकिट बीज कार्यक्रम लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले और अपने अपने विकास खंड में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र कृषि विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में समुचित पहचान रखने वाले किसानों को ऐसे मिनिकिट बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰ सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी हां। चावल, गेहूं एवं मक्का सहित मोटे अनाजों की बीज मिनि-किट कार्यक्रम की केन्द्र प्रायोजित स्कीम भारत सरकार की 100% सहायता से पहले से ही क्रियान्वित की जा रही है। किसानों को तिलहन एवं दलहन के बीज मिनिकिट भी दिए जा रहे हैं और इस व्यय को भारत सरकार एवं राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात में वहन कर रही हैं।

(ग) जी, नहीं।

इंडियन एयरलाइन्स के आई सी-814 विमान के अपहरण के मामले में विदेश नीति

936. श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस के अपहरण-काण्ड को सुलझाने के दौरान किन परिस्थितियों के अंतर्गत सरकार को एक ही विमान में रिहा किए गए आतंकवादियों को विदेश मंत्री के साथ कंधार भेजना पड़ा तथा इसका औचित्य क्या था;

(ख) विदेशी भूमि (अफगानिस्तान) में बंधकों के बदले अत्यन्त खतरनाक कैदियों को हड़बड़ी में छोड़ देने का घातक निर्णय लेने का औचित्य क्या था;

(ग) क्या भारत सरकार का पाकिस्तान के सैनिक शासन से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत बहाल करने की कोई पेशकश/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार, वर्तमान पाकिस्तान शासन के साथ बातचीत न करने की अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ; और

(छ) इस स्थिति से निपटने लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) विदेश मंत्री ने यह सुनिश्चत करने के लिए कंधार जाने का निर्णय लिया कि अपहरण की घटना का पटाक्षेप हो सके, यात्रियों तथा चालक दल की अंतिम क्षणों में बाधा रहित रिहाई और सुरक्षित वापसी हो सके तथा यदि कोई बाधा हो भी तो उसे तत्काल उसी समय निर्णय लेकर निबटाया जा सके। कंधार में तथा उस विमान में, जिसमें यात्रीगण घर वापस लौटे, मंत्री की उपस्थिति से सभी छोडे गए उन यात्रियों को सांत्वना मिली जो एक सप्ताह से अधिक की अवधि से बंदी थे। कंधार हवाई अड्डे पर सीमित आधारभूत सुविधाओं एवं साथ ही और अधिक हवाई जहाज को उतारने में उनकी अक्षमता से उत्पन्न संभारतंत्रीय बाध्यताओं के कारण उन्हें उसी विमान में यात्रा करनी पड़ी जिसमें तीन आंतकवादी गए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) सरकार का दृष्टिकोण है कि सार्थक बातचीत के लिए वातावरण तैयार करने के लिए पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध सीमा पार के आतंकवाद को रोकना होगा तथा दुष्प्रचार बंद करना होगा।

पहाड़ी क्षेत्रों में जल प्रबंधन

937. **मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा-जल भारी मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए राज्यवार कोई कार्य योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की सिंचाई और पेयजल समस्या को हल करने के लिए वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अन्य क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) इस समय विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा जल क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई अलग कार्य योजना शुरू करने का सरकार के समक्ष काई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने राज्य सरकारों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में प्रायोगिक आधार पर पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के जरिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की है। अन्य राज्यों में जल की कमी वाले क्षेत्रों को भी इस स्कीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा, कृषि मंत्रालय कृषि योग्य/गैर-कृषि योग्य भूमि तथा उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विविध खेती से सम्बद्ध स्व:स्थाने नमी सरंक्षण के लिए वर्षापोषित क्षेत्रों में प्राकतिक जल निकास नालों (लाइनों) के सुधार के लिए वर्षापोषित क्षेत्रों की राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलाई है। इस परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ लोगों की सहभागिता, मित्र कृषक मंडलों के रूप में ऐसे जल विभाजक/ग्राम आधारित संस्थाओं की सहायता, स्व-सहायता थ्रिफ्ट समूहों आदि और गैर-सरकारी संगठनों, पंचायतों और अन्य ग्रामीण संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त संस्थागत ढांचे की भी व्यवस्था है।

केरल में कृषि और ग्रामीण उद्योगों का विकास

938. **श्री कोडीकुनील सुरेश:**
डा॰ बलिराम:

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में आज तक राज्यवार कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कितना निवेश किया गया;

(ख) केरल में विभिन्न लाभों/रियायतों और ऋण के लिए अधिकृत कृषि और ग्रामीण उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने उद्योग लाभान्वित हुए और राज्यवार विभिन्न श्रेणियों के अतंर्गत कितनी राशि का ऋण दिया गया; और

(घ) अभी भी राज्यवार कितने आवेदन लंबित हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र पर 1998-99 के दौरान किया गया राज्यवार संवितरण दर्शानेवाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मार्जिन मनी योजना के अधीन दिए गए सभी लाभ और रियायतें, लघु प्रतिबंधात्मक सूची के सिवाय, सभी ग्रामीण उद्योगों पर लागू हैं। योजना अनुसार, 10 लाख रुपये

तक की लागत वाली परियोजना के लिए 25% मार्जिन मनी और 10 लाख से ऊपर 25 लाख रुपये तक शेष लागत पर 10% मार्जिन मनी दी जा रही है।

(ग) कृषि और ग्रामिण उद्योग के अन्तर्गत राज्यवार प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण और लाभार्थियों (रोजगार) का ब्यौरा क्रमश: विवरण I और II में दिया गया है।

(घ) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण उद्योगों के लिए ऋण सीधे बैंकों द्वारा दिया जाता है। बैंकों के पास लम्बित ऋण आवेदनों की सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती।

विवरण - I

1998-99 के दौरान बजट संबंधी स्रोतों के अंतर्गत राज्यवार संवितरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य	खादी		ग्रामोद्योग		कुल	
		अनुदान	कर्ज	अनुदान	कर्ज	अनुदान	कर्ज
	I. राज्य						
1.	आन्ध्र प्रदेश	275.35	19.76	340.75	31.0	616.10	50.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3.	असम	59.79	0.79	2.22	2.00	62.01	2.79
4.	बिहार	1196.53	53.83	33.96	7.02	1230.49	60.85
5.	गोवा			40.36	1.55	40.36	1.55
6.	गुजरात	2554.96	43.34	268.56	29.13	2823.52	72.47
7.	हरियाणा	652.94	2.10	185.23	8.88	838.17	10.98
8.	हिमाचल प्रदेश	76.51	6.52	272.94	4.33	349.45	10.85
9.	जम्मू व कश्मीर	182.50	6.61	352.13	0.52	534.63	7.13
10.	कर्नाटक	1008.73	102.75	1228.32	61.58	2237.05	164.33
11.	केरल	205.45	35.48	395.94	13.68	601.39	49.58
12.	मध्य प्रदेश	178.49	8.18	1319.02	12.11	1497.51	20.29
13.	महाराष्ट्र	310.59	7.62	308.97	41.96	619.56	49.58
14.	मणिपुर			266.93	0.34	266.93	0.34
15.	मेघालय	2.36		49.93	0.86	52.29	0.86
16.	मिजोरम	0.02	0.10	344.39		344.11	0.10
17.	नागालैन्ड	5.37		396.94		402.31	
18.	उड़ीसा	172.53	6.10	87.02	8.34	259.55	14.44
19.	पंजाब	345.73	11.45	605.12	1.21	950.85	12.66
20.	राजस्थान	1490.71	19.70	461.80	23.60	1952.51	43.30
21.	सिक्किम						
22.	तमिलनाडु	2690.76	42.27	414.40	37.41	3104.86	79.68
23.	त्रिपुरा	0.50			2.20	0.50	2.20
24.	उत्तर प्रदेश	4201.30	332.88	1454.00	188.90	5655.30	521.78
25.	पश्चिम बंगाल	595.10	36.28	20.49	48.54	615.59	84.82
	कुल-I	16206.22	735.76	8849.12	525.26	25055.34	1261.02
	II. संघ राज्य						
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह						
2.	चंडीगढ़						
3.	दादर व नगर हवेली						
4.	दमन व दीव						
5.	दिल्ली	669.27	1.65	30.84	10.11	700.11	11.76
6.	लक्षद्वीप	0.39		34.64		35.03	
7.	पांडिचेरी			2.23	1.29	26.23	1.29
	कुल-II	669.66	1.65	91.71	11.40	761.37	13.05
	III. विभागीय	752.48		7707.43	7.67	8459.91	7.67
	कुल योग I, II, III	17628.36	737.41	16648.26	544.33	34276.62	1281.74

1998-99 के दौरान बैंक कर्ज की सहायता के अंतर्गत राज्यवार संवितरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य	कुल योग
I. राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	660.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	-
3.	असम	1.52
4.	बिहार	4.01
5.	गोवा	1.65
6.	गुजरात	275.78
7.	हरियाणा	384.20
8.	हिमाचल प्रदेश	256.45
9.	जम्मू एवं कश्मीर	295.07
10.	कर्नाटक	3661.51
11.	केरल	874.52
12.	मध्य प्रदेश	1473.96
13.	महाराष्ट्र	602.60
14.	मणिपुर	583.69
15.	मेघालय	97.43
16.	मिजोरम	734.46
17.	नागालैंड	1.57
18.	उड़ीसा	199.48
19.	पंजाब	1255.50
20.	राजस्थान	238.08
21.	सिक्किम	-
22.	तमिलनाडु	95.47
23.	त्रिपुरा	-
24.	उत्तर प्रदेश	2672.81
25.	पश्चिम बंगाल	-
	कुल-I	14370.18
II. संघ राज्य		
1.	अंडमान एवं निकोबार	6.91
2.	चंडीगढ़	-
3.	दादर एवं नगर हवेली	-
4.	दमन व दीव	-
5.	दिल्ली	71.10
6.	लक्षद्वीप	75.04
7.	पांडिचेरी	68.35
	कुल-II	221.40
	कुल योग	14591.58

विवरण - II

राज्यवार रोजगार - 1998-99

(संख्या लाख में)

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य	खादी	ग्रामोद्योग	कुल
I. राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.33	3.26	3.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*
3.	असम	0.27	0.98	1.25
4.	बिहार	2.54	1.26	3.80
5.	गोवा	0	0.05	0.05
6.	गुजरात	0.46	0.55	1.01
7.	हरियाणा	0.52	0.39	0.91
8.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.69	0.83
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.35	0.88	1.23
10.	कनार्टक	0.46	1.96	2.42
11.	केरल	0.15	1.93	2.08
12.	मध्य प्रदेश	0.14	1.15	1.29
13.	महाराष्ट्र	0.18	4.47	4.65
14.	मणिपुर	*	0.42	0.42
15.	मेघालय	*	0.11	0.11
16.	मिजोरम	0	0.15	0.15
17.	नागालैंड	*	0.19	0.19
18.	उड़ीसा	0.03	1.95	1.98
19.	पंजाब	0.77	0.96	1.73
20.	राजस्थान	1.04	3.29	4.33
21.	सिक्किम	*	0.06	0.06
22.	तमिलनाडु	0.62	10.54	11.16
23.	त्रिपुरा	0	0.23	0.23
24.	उत्तर प्रदेश	5.18	5.33	10.51
25.	पश्चिम बंगाल	0.63	3.42	4.05
	कुल-I	13.81	44.22	58.03
II.	*संघ राज्य*			
26.	अंडमान एवं निकोबार	0	*	*
27.	चंडीगढ़	0	0.03	0.03
28.	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	0
30.	दिल्ली	0.03	0.15	0.18
31.	लक्षद्वीप	0	*	*
32.	पांडिचेरी	0.01	0.04	0.05
	कुल योग-II	0.04	0.22	0.26
	कुल योग-I+II	13.85	44.44	58.29

*500 से कम ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कोष योजना

939. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार के मत्स्यन विभाग ने बिहार के मछुआरों के लिए आवास बनाने के लिए राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कोष योजना हेतु केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। बिहार के मात्स्यिकी विभाग ने केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के आदर्श मछुआरा गांव विकास घटक के अंतर्गत एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें केन्द्रीय सहायता के 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में 26.85 लाख रुपये जारी करने की बात कही गई थी।

(ख) राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव पर केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्रथम किश्त के रूप में राज्य सरकार को 10 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। शेष राशि को जारी करना राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट मिलने पर आधारित होगा।

[अनुवाद]

इस्पात क्षेत्र की समीक्षा

940. श्री अंनत गुडे : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी और निजी क्षेत्र में इस्पात उद्योग के निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में उसके निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्पात क्षेत्र के असंतोषजनक कार्य निष्पादन को बढ़ाने हेतु हाल के वर्षों में विचाराधीन/लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आमतौर पर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए हुई प्रगति और किए गए/प्रस्तावित निवेश और विशेषकर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के संरचनात्मक पुनर्गठन का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में इस्पात का उत्पादन करने वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि॰ (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि॰ (आर.आई.एन.एल.) नामक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा की है। अप्रैल से सितंबर, 1999 के दौरान सेल के विक्रेय इस्पात का वास्तविक उत्पादन समझौता ज्ञापन लक्ष्य का 99% था। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान आर॰आई॰एन॰एल॰ का विक्रेय इस्पात का उत्पादन समझौता ज्ञापन लक्ष्य का 95.5% था। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, इस क्षेत्र के संबंध में कोई समीक्षा नहीं की जा रही है।

(ग) इस्पात क्षेत्र के निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार ने हाल ही में अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद मिश्र को उन्मुखी बनाना और बाजार-मांग में हुए परिवर्तन के अनुसार उत्पादन को समायोजित करना।
- ग्राहकों के साथ समझौता ज्ञापन/आपूर्ति व्यवस्था करके दीर्घकालिक ग्राहक संबंध विकसित करना।
- निर्यात संबंधी अड़चनों को दूर करने में इस्पात निर्यातकों की सहायता करने के लिए एक "इस्पात निर्यातक मंच" का गठन किया गया है।
- इस्पात की मांग और खपत में वृद्धि करने के लिए विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात ने इस्पात की मांग, विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि पर आधारित औद्योगिक क्षेत्रों जैसे गैर-परंपरागत क्षेत्रों में, बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।
- निर्यात में वृद्धि करने के लिए इस्पात के निर्यात हेतु ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक (डी ई पी बी) दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
- इस्पात विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकी में सुधार करने और भारतीय इस्पात की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की जांच और सहायता करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

(घ) सेल संयंत्रों के आधुनिकीकरण का कार्य हाल ही में पूरा किया गया है और आर॰आई॰एन॰एल॰ एक आधुनिक संयंत्र है। सरकार ने सेल के लिए वित्तीय और कारोबार पुनर्संरचना पैकेज मंजूर किया है जिसमें इस्पात विकास निधि से लिए गए ऋणों को माफ करना, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना पर होने वाले व्यय की पूर्ति और पहले के ऋणों को चुकाने संबंधी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के लिए सेल द्वारा जुटाए जाने वाले धन के लिए गारंटी देना, विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करना और सेल के साथ संयुक्त उद्यम में इस्को को परिवर्तित करना शामिल है।

जल प्रबंधन

941. श्री ए. नरेन्द्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है;

(ख) प्रत्येक राज्य की सिंचाई तथा पन बिजली क्षमता कितनी है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान उनके द्वारा कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार द्वारा, इन राज्यों में सिंचाई तथा पन बिजली क्षमता में वृद्धि हेतु हाल की में कोई सर्वेक्षण किया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को इस प्रयोजन हेतु कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) देश में औसत वार्षिक सामान्य वर्षा 1192 मि.मी. और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में क्रमशः 908 मि.मी. और 1172 मि. मी. है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में सिंचाई क्षमता और जल विद्युत क्षमता के विकास का स्तर इस प्रकार है:

राज्य	सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)		जल विद्युत क्षमता (मेगावाट)	
	आकलित चरम क्षमता	31.3.97 को सृजित क्षमता	आकलित	विकसित
आन्ध्र प्रदेश	11260	5947	2909	1402
कर्नाटक	5974	3197	4347	2204

(ग) से (ङ) चूंकि सिंचाई और विद्युत विकास की परियोजनाओं का प्रारम्भ, आयोजना और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इसलिए राज्य सरकारों द्वारा हाल में किए गये किसी सर्वेक्षण से संबंधित सूचना केन्द्र के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 1996-97 से चल रही चुनिन्दा वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान कर रही है।

भारतीय अन्तरिक्ष की संरक्षा

942. **डॉ॰ वी॰ सरोजा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय अंतरिक्ष की संरक्षा करने और साइबर कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। जहां तक साइबर कानून का संबंध है इलेक्ट्रानिकी वाणिज्य तथा इलेक्ट्रानिकी कार्यकलापों को सुसाध्य बनाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी बिल 1999 तैयार किया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी ठेकों, कम्प्यूटर अपराधों की रोकथाम, इलेक्ट्रानिकी फाइलिंग/प्रलेखन इत्यादि को मान्यता प्रदान करना है। यह बिल लोक सभा में 16.12.1999 को पेश किया गया था और इस समय यह स्थायी समिति के पास है। चूंकि वायु आकाश से ऊपर, अंतरिक्ष पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी राष्ट्र की सार्वभौमिकता नहीं है, भारत सरकार ने उपग्रह सुदूर संवेदन, उपग्रह संचार और अन्य उपयोगों के क्षेत्र में भारत के हितों के संरक्षण के लिए नीतियों को तैयार करने का कार्य शुरू किया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अपहरण के मुद्दे पर तालिबान प्राधिकारियों का व्यवहार

943. **श्री रूपचंद पाल:**
श्री उत्तमराव ठिकले:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
कर्नल (सेवा निवृत्त) सोना राम चौधरी:

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जनवरी, 2000 के 'द हिंदुस्तान टाइम्स' में 'तानिबान लेड आउट रेड कारपेट फार अजहर महमूद' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो जब वे तीन अपराधियों के साथ कंधार हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उसके बाद तालिबान प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हमने तालिबान को स्पष्ट बता दिया था कि चूंकि कंधार उनके क्षेत्राधिकार में आता है, हम छोड़े गए आंतकवादियों को कंधार हवाई अड्डे पर लाएंगे तत्पश्चात से तालिबान के नियंत्रण में होंगे। ऐसी आशा थी कि अपहर्ताओं तथा छोड़े गए आतंकवादियों दोनों के मामलों में तालिबान अपनी विधि के अनुसार कार्य करेंगे। अपहर्ताओं और छोडे गए आतंकवादियों को दस घण्टों में अफगानिस्तान छोड़ने की अनुमति देने संबंधी तालिबान द्वारा लिया गया निर्णय उनका अपना था। तालिबान प्राधिकारियों ने वास्तविक मध्यस्थ की भूमिका निभाते समय अपहर्ताओं, छोड़े गए आतंकवादियों तथा उनके समर्थकों के प्रति अपनी सहानुभूति बनाये रखी।

ब्रिटेन के सेनाध्यक्ष की पाकिस्तान यात्रा

944. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
श्रीमती श्यामा सिंह:
डा॰ रमेशचंद तोमर:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जनवरी, 2000 के 'द हिंदुस्तान टाइम्स' में 'यू के आर्मी चीफ्स विजिट टू पाक अपसैट्स इंडिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या सरकार को ब्रिटेन-पाक संबंधों में सुधार के संदर्भ में यात्रा के उद्देश्य और परिणाम के बारे में सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ब्रिटेन की सरकार के वरिष्टतम सेनाधिकारियों की पाकिस्तान यात्रा से ब्रिटेन के साथ संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हां। ब्रिटेन की सरकार ने जनरल गुदेरी की पाकिस्तान की यात्रा की सूचना हमें पहले ही दे दी थी।

(ख) और (ग) ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि जनरल गुदेरी की पाकिस्तान यात्रा का उद्देश्य पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा की आवश्यकता के संबंध में पाकिस्तान के वर्तमान शासन को स्पष्ट संदेश भेजना था। पाकिस्तान से कश्मीर में सीमा-पार आतंकवाद को दिया जा रहा समर्थन बंद करने का भी अनुरोध किया गया।

(घ) और (ङ) सरकार का विचार है कि पाकिस्तान शासन द्वारा जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार आतंकवाद की नीति को अपनाने से रोकने तथा पाकिस्तान में लोकतंत्र की शीघ्र बहाली के लिए सभी प्रयास जारी रखे जाने चाहिएं ताकि इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को बढ़ावा मिल सके।

वार्षिक संपत्ति विवरणी

945. **श्री रघुनाथ झा** : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के लिए अपनी-अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी भरकर जमा करना अनिवार्य है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) नहीं, श्रीमन।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत के प्रति चीन के दृष्टिकोण में परिवर्तन

946. **श्री अजय सिंह चौटाला:**
कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी:
श्री कमल नाथ:

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 2000 के 'द हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार शीर्षक 'जिआंग जोमिंग रिडिक्युल्स इण्डिया' की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या यह बीजिंग में हमारे विदेशी मिशन की असफलता है अथवा हमारे रक्षा मंत्री के उस आरोप का यह अप्रत्यक्ष प्रभाव है कि चीन भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा खतरा है अथवा हमारे विदेश मंत्री द्वारा चीन में जाकर वहां उस देश को निर्दोष करार देने का प्रभाव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस समाचार की विषय वस्तु को चीन के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण अच्छे पड़ोसी के और सहयोगी संबंधों के विकास की अपनी इच्छा को दोहराया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़ताल

947. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख केन्द्रीय मजदूर संघों द्वारा किए गए आह्वान पर देश भर के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सभी श्रमिक 2 फरवरी, 2000 को हड़ताल पर चले गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा ऐसी हड़ताल से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा प्रस्तावित है तथा इसमें क्या सफलता मिली है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) एटक, सीटू तथा हिन्द मजदूर सभा नामक तीन केन्द्रीय श्रमिक संघों के आह्वान पर कुछ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कामगार 2 फरवरी, 2000 को एक दिन की हड़ताल पर रहे।

(ख) श्रमिक संघों ने हड़ताल का नोटिस सभी प्रकार के निजीकरण व विनिवेश, रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को पुनरुज्जीवित न किए जाने व उनकी बन्दी, कई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में मजदूरी का भुगतान न होने, मजदूरी संशोधन से संबद्ध डी पी ई के दिशानिर्देशों, श्रमिक संघ के अधिकारों व श्रम कानूनों का अतिक्रमण करने के विरोध में दिया था। श्रम मंत्री ने सभी असंतुष्ट केन्द्रीय श्रमिक संघों से 25.1.2000 तथा 1.2.2000 को मुलाकात की तथा उनसे हड़ताल पर न जाने का आग्रह किया। सरकार में उच्चतम स्तर पर भी इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था तथा संघों की मांगों पर विचार करने के लिए एक मंत्रीदल गठित किया गया था।

[हिन्दी]

श्रम संबंधी कानून

948. **श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशकों का उत्पादन करने वाली कम्पनियां वर्तमान श्रम संबंधी कानूनों और संरक्षा उपायों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसी कौन-कौन सी कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई; और

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान श्रम संबंधी कानूनों और सुरक्षा उपायों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु इन कम्पनियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा की है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राहत कोषों का अन्यत्र उपयोग किया जाना

949. **श्री रामजीवन सिंह:**
श्री रामचन्द्र पासवान:

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदा और सूखा राहत हेतु निर्धारित केन्द्रीय और स्वैच्छिक कोषों के अधिकांश हिस्सों को राज्य सरकारों ने अन्य कार्यों हेतु उपयोग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा इन कोषों की अन्यत्र उपयोगों की गई राशि का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰ सत्यनारायण राव) : (क) से (घ) प्राकृतिक आपदाएं आने पर समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में आपदा राहत निधि में प्रदत्त सहायता राशि से राहत उपाय करना प्रथमत: संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा मार्च 1998 को समाप्त वर्ष से संबंधित रिपोर्ट में कुछ अनियमितताओं जैसे धनराशि का इतर कार्यों के लिए उपयोग निर्धारित मानदण्डों से अधिक व्यय कुछ राज्यों द्वारा उन्हें प्रदत्त आपदा राहत निधि के संवितरण के दुर्विनियोजना तथा गबन की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। समुचित कार्रवाई हेतु इन्हें संबंधित राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है क्योंकि आपदा राहत निधि से व्यय पर नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है।

तत्काल पासपोर्ट योजना

950. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि:**
डा॰(श्रीमती) सी॰ सुगुणा कुमारी:

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिना बारी के पासपोर्ट जारी करने के लिए एक तत्काल पासपोर्ट योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना का लाभ उठाने के लिए किस वर्ग के लोग पात्र हैं; और

(घ) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों ने इस योजना के अन्तर्गत कितने पासपोर्ट जारी किये हैं/कितने लंबित पड़े हैं साथ ही क्षेत्रवार सामान्य श्रेणी के आवेदनों पर उक्त योजना का क्या प्रभाव पड़ा है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) कुछ पासपोर्ट आवेदकों की बारी से पहले पासपोर्ट जारी करने की वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए 1.1.2000 से तत्काल योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर ऐसे पात्र आवेदकों को अपनी बारी से पहले पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिन्हें बाद में पुलिस जांच करने के आधार पर पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं बशर्ते ऐसे मामले भारत सरकार के कम से कम उप सचिव के स्तर के अधिकारी से प्रमाणित हों।

(ग) ऐसे आवेदक जो इस योजना के अन्तर्गत पासपोर्ट पाने के पात्र हैं; उनके पास तत्काल विदेश यात्रा के लिए कोई वैध कारण होना चाहिए और इनमें 15 वर्ष की आयु तक के अवयस्क, पुन: जारी किए जाने वाले और डुप्लीकेट पासपोर्टों के ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें आवेदक के पते में कोई परिवर्तन नहीं है; सभी मामले जिनमें प्राधिकृत अधिकारी का सत्यापन प्रमाण-पत्र उपलब्ध है; और केन्द्र /राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं के सभी कर्मचारियों और उनकी पत्नियाँ/पति शामिल हैं जिनके बारे में विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।

(घ) 15 फरवरी, 2000 तक तत्काल योजना के अन्तर्गत सभी पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा जारी किए पासपोर्टों की संख्या 7065 है। तत्काल योजना के अन्तर्गत कोई मामला नहीं है।

तत्काल योजना के अन्तर्गत पासपोर्ट जारी करने के कारण सामान्य श्रेणी के आवेदकों पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव देखने में नहीं आया है।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवक

951. **श्री बृजलाल खाबरी:**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:
श्री राम शकल:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेरोजगार युवकों की संख्या तेजी से बढ़ी है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस का कारण और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले देश

952. **श्री आर. एल. भाटिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापक परीक्षण निषेध दस्तावेज के अतिरिक्त बड़े पाँच देशों ने समानान्तर समझौतों, समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और अन्य वर्गीकृत दस्तावेजों का लेन-देन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन देशों ने इन समानान्तर समझौतों के तहत एक दूसरे को विशेष अधिकार दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन देशों ने इन समझौतों के तहत उन अनुमत्य प्रयोगों और परीक्षणों को परिभाषित किया है जिनका परीक्षण केवल वे कर सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस प्रकार के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं कि व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि संगठन की कार्यकारी परिषद के स्थायी सदस्यों की भूमिका क्या होगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने पर अब भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) नाभिकीय विस्फोटक परीक्षण का निषेध करती है, यह एक ऐसी बाध्यता है जो सभी पक्षकार राज्यों पर समान रूप से लागू होती है। तथापि इसमें इस प्रकार की समझबूझ विद्यमान है जो नाभिकीय शस्त्रों के विकास, विस्फोट रहित परीक्षण, निर्माण और सुरक्षित रखरखाव को अनुज्ञेय बनाती है, हलांकि सी टी बी, में इसकी कोई परीभाषा नहीं दी गई है। अप्रसार संधि के पक्षकार नाभिकीय शस्त्र रहित राज्य अप्रसार संधि के प्रति अपनी बाध्यकारिता के कारण इन अनुज्ञेय गतिविधियों पर अमल नहीं कर सकते हैं। भारत अप्रसार संधि का पक्षकार नहीं है, फिर भी यह नाभिकीय शस्त्र संपन्न देश है, इसलिए भारत अपनी तकनीकी क्षमताओं की शर्तों के अध्यधीन समस्त क्रियाकलापों को प्रारंभ कर सकता है।

(घ) सीटीबीटी के अन्तर्गत कार्यकारी परिषद के 1/3 पद निगरानी सुविधाओं की संख्या, निगरानी में विशेशज्ञता और बजट में अंशदान के सूचक मानदण्ड के आधार पर भरे जाने होते हैं। सबत सदस्यता की संभावना के साथ अमरीकी, रूस, यू. के. फ्रांस चीन और भारत जैसे संभरणकर्त्ता देशों के रूप में इसका निर्धारण किया जाता है जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुपक्षीय समूहों में आचरण किया जाता है, सीटीबीटी के अधीन क्षेत्रीय समूह कार्यकारी परिषद के स्थान क्रमानुसार समझबूझ में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं तदनुसार उदाहरण के लिए अमरीका ने उत्तरी अमरीका और पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ समझबूझ दिखाई है, जैसा कि सन्धि में परिभाषित किया गया है कि कार्यकारी परिषद में अमरीका का सदैव स्थान रहेगा।

(ङ) और (च) सी टी बी टी पर भारत की स्थिति का खुलासा प्रधान मंत्री द्वारा सितंबर, 1998 में संयुक्त राष्ट्र सभा और दिसंबर, 1998 में संसद में कर दिया गया था सितंबर, 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री द्वारा इसे पुन: दोहराया गया। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने की अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के बाद सरकार यह मानती है कि अब हमें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को पुन: आश्वासन देने की आवश्यकता है और इस संबंध में राष्ट्रीय मतैक्य विकसित करना चाहती है सरकार सी.टी.बी.टी. के मसले पर मतैक्य निर्माण करने के अपने प्रयासों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रेरित है और आचरण का अनुसरण करना चाहती है।

[हिन्दी]

खेती योग्य भूमि में कमी

953. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान नकदी फसलों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग के कारण खेती योग्य भूमि में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर कृषि प्रयोजनार्थ कृषि योग्य भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक तीन वर्षों के दौरान खेती योग्य क्षेत्र, बोया गया निवल क्षेत्र, परती भूमि, खेती योग्य बंजर भूमि तथा विविध वृक्षीय फसलों के अंतर्गत आने वाली भूमि में कमी देखी गई है जैसा कि इस तालिका से देखा जा सकता है।

(क्षेत्र 000 है. में)

वर्ष	बोया गया निवल क्षेत्र	अन्य खेती योग्य भूमि	खेती योग्य भूमि 2+3+4
1	2	3	4
1994-95	142960	37481	180441
1995-96	142197	37945	180142
1996-97	142819	37159	179978

नकदी फसलों के तहत आने वाला क्षेत्र बोये गये निवल क्षेत्र का ही भाग होता है और इस तरह से यह खेती योग्य भूमि का ही एक भाग होता है, हालांकि बोए गए निवल क्षेत्र की ह्रासमान प्रवृत्ति नहीं है, खेती योग्य भूमि में कमी मुख्य रूप से परती भूमि खेती योग्य बंजर भूमि तथा विविध वृक्षीय फसलों के तहत आने वाली भूमि जैसी अन्य खेती योग्य भूमि में कमी के कारण हैं।

(ग) और (घ) कृषि मंत्रालय राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों पर कृषि योग्य भूमि की गैर-कृषि उद्देशों के लिए उपयोग को रोकने के लिए दबाव डालता रहा है। कृषि मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति की रूपरेखा तैयार की है जिसमें अन्य बातों के अलावा शहरी नीति की पुनअवसंरचना की परिकल्पना की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च उत्पादक भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से रोका जाए। इस नीति को राज्यों द्वारा अपनाए जाने की सिफारिश की गई है।

[अनुवाद]

आठ मजदूर संगठनों की बैठक

954. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में आठ केन्द्रीय मजदूर संगठनों की बैठक बुलायी थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मजदूर संगठनों ने वेतनमानों में वृद्धि पर विशेष बल देते हुए मांग पत्र सौंपा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (च) सरकार ने 8 बड़े केन्द्रीय संघों से 29.1.2000 तथा 1.2.2000 को मुलाकात की और उनसे 2.2.2000 को हड़ताल पर न जाने की अपील की। संघों ने निजीकरण व विनिवेशन, रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को पुनरुज्जीवित न किए जाने तथा उनकी बन्दी, कई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में मजदूरी का भुगतान न होने, मजदूरी संशोधन संबंधी सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों आदि के खिलाफ अपना एक मांग पत्र सौंपा। केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों की मांगों पर उच्चतम स्तर पर विचार किया गया था तथा उनकी कुछ मांगों पर विचार करने और अनुशंसाएं देने के लिए मंत्रियों का एक दल गठित किया गया है।

योजनागत आबंटन

955. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजना के दौरान कृषि के क्षेत्र में पिछली योजनावधि में किए गए आवंटन की अपेक्षा इस बार के योजनागत आवंटन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति के उपचार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, नहीं। कृषि और संबद्ध गतिविधियों (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण सहित) को सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय में वृद्धि हुई है। यह आठवीं पंचवर्षीय योजना के 54992.50 करोड़ रु० से नौवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 97882 करोड़ रु० हो गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन की सिफारिशों को लागू किया जाना

956. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर 1999 के दौरान लंदन में आयोजित छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) इन सिफ़ारिशों को लागू किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन में निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए थे :

1. महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय को विश्वभर से हिन्दी से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
2. विश्व हिन्दी सचिवालय को शीघ्र ही अपना कार्य आरंभ कर देना चाहिए।
3. हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में स्थान दिया जाना चाहिए।
4. हिन्दी में सूचना प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाना चाहिए और उसका मानकीकरण किया जाना चाहिए।
5. हिन्दी के आधुनिक गैजेट्स को उदारता से वितरित किया जाना चाहिए।

(ख) सरकार इन संकल्पों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिन्दी संबंधी सूचना को एकत्रित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करने के तौर तरीके तलाश रहा है।

2. विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना करने के संबंध में कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी गई है । सचिवालय को अस्थायी तौर पर अवस्थित करने के लिए उपयुक्त कार्यालय परिसर का पता लगाया गया है । जहां तक सचिवालय के भवन के निर्माण का प्रश्न है उपयुक्त भूखंड की तलाश करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

3. हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में स्थान दिलाने के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है। इस समय अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनी, अरबी, रूसी और चीनी, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं । किसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाना संगठन के सुस्थापित नियमों की क्रियाविधि द्वारा शासित होता है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बहुमत का अनुमोदन अपेक्षित होगा । ऐसे प्रस्ताव के लिए पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने में इस भाषा का प्रयोग करने वाले राष्ट्रीय शिष्टमंडलों की संख्या, और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों पर पड़ने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । किसी अतिरिक्त आधिकारिक भाषा की शुरूआत में संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से पर्याप्त लाभ करना होगा जो इसके सदस्य राज्यों के निर्धारित योगदान से ही पूरा किया जाता है । संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 17(2) में प्रावधान है कि "संगठन का व्यय महासभा द्वारा यथा संविभाजित सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा ।" तथापि, सरकार मामले पर यह देखने के लिए विचार कर रही है कि यह विशेषरूप से संयुक्त राष्ट्र के समक्ष उपस्थित वित्तीय संकट के प्रकाश में कहां तक व्यावहारिक हो सकता है ।

4. हिन्दी में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है ।

5. हिन्दी सॉफ्टवेयर और सी डी रोम उन देशों में स्थित मिशनों को भेजे जा रहे हैं जहाँ भारतीय मूल के लोग और हिन्दी प्रेमी भारी संख्या में रहते हैं ।

(ग) और (घ) विश्व हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन विदेशों में स्थित हिन्दी स्वयं सेवी संगठनों और हिन्दी प्रेमियों द्वारा किया जाता है । उनमें पारित संकल्प सिफारिशें मात्र होते हैं। तथापि, विश्व हिन्दी सम्मेलन में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन में अब तक किसी प्रकार की कोई देरी अथवा बाधा नहीं आई है।

[अनुवाद]

बरेली पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट जारी करना

957. **श्री चन्द्र विजय सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दूसरे नगरों की तुलना में बरेली और मुरादाबाद के कितने आवेदनों को बरेली पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट जारी किए गए;

(ख) क्या मुरादाबाद में कोई पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान पासपोर्ट-कार्यालय बरेली के क्षेत्राधिकार में आने वाले बरेली, मुरादाबाद और अन्य जिलों के उन आवेदकों की संख्या जिन्हें पासपोर्ट जारी किए गए हैं, निम्नलिखित हैं :

वर्ष	बरेली	मुरादाबाद	अन्य जिले
1997	2825	4202	37003
1998	2582	3688	37987
1999	2616	3406	49922

(ख) इस समय, मुरादाबाद में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मुरादाबाद से प्रति वर्ष औसतन 4356 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। नया पासपोर्ट-कार्यालय खोलने के संबंध में कतिपय मानदण्ड हैं जैसे मौजूदा कार्यालयों की अवस्थिति, किसी विशिष्ट क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों की संख्या और विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की यह सिफारिश कि एक नया पासपोर्ट-कार्यालय खोलने के लिए उस क्षेत्र से प्रति वर्ष कम से कम 50,000 आवेदन-पत्र प्राप्त होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मुरादाबाद में नया पासपोर्ट-कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट

958. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:**
डा॰ रमेश चंद तोमर:
श्री एस. डी. एन. आर. वाडिवार:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के पासपोर्ट कार्यालय को तत्काल पासपार्ट योजना के आधार पर पासपोर्ट जारी करते समय और अधिक कड़ाई बरतने के निर्देश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अंतर्गत कई आई एस आई एजेन्टों ने पासपोर्ट लेकर उनका दुरुपयोग किया ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी किये गये;

(घ) क्या सरकार का विचार त्रुटिमुक्त व्यवस्था अपनाने का है ताकि वास्तविक भारतीय निवासियों को ही पासपोर्ट मिल सके और तत्काल पासपोर्ट योजना की समीक्षा हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पासपोर्ट के इच्छुक व्यक्तियों की सही पहचान सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या व्यवस्था अपनाई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) बिना बारी के पासपोर्ट जारी करने की तत्काल योजना केवल उन पात्र आवेदकों के लिए होती है जिन्हें पुलिस जांच बाद में करने के आधार पर पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे मामले भारत सरकार के उपसचिव स्तर के समकक्ष किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए हों।

(ख) और (ग) तत्काल योजना 1 जनवरी, 2000 को ही प्रारंभ की गई और तत्काल योजना के अन्तर्गत किसी आईएसआई एजेंट को पासपोर्ट जारी किए जाने का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है। 15 फरवरी, 2000 तक इस योजना के अन्तर्गत जारी किए गए पासपोर्टों की कुल संख्या 7065 है।

(घ) और (ङ) सभी पासपोर्ट आवश्यक पुलिस सत्यापन के बाद ही जारी किए जाते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक की भारतीय राष्ट्रीयता का पता लगाया जाता है। केवल तात्कालिक प्रकृति के अल्पावधि की वैधता वाले पासपोर्ट और भारत सरकार के उपसचिव स्तर के समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी किए गए सत्यापन प्रमाणपत्र के आधार पर ही बाद में पुलिस जांच करने के आधार पर जारी किए जा सकते हैं।

जांच समिति

959. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाने और पश्चिम बंगाल की सड़क परियोजना हेतु कितने व्यक्तियों की भूमि और भवन अधिग्रहीत किए गए हैं;

(ख) क्या प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई जांच समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान समिति ने कितने व्यक्तियों की रोजगार सहायता हेतु सिफारिश की और इनमें से कितनों को यह सहायता उपलब्ध कराई गई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है व सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के लिए निधियों का आंबटन

960. **श्री निखिल कुमार चौधरी** : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में लघु उद्योगों के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या बिहार सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिये केन्द्र सरकार के साथ सहयोग नीति अपनाई है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने लघु उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराई गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) संघ सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश भर के लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के विकास हेतु 4304 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। निधियां, योजना/कार्यक्रमों वार आबंटित की गई है न कि राज्य वार।

(ग) भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने संस्थानों/कार्यालयों के मार्फत विभिन्न प्रकार की जो सहायता उपलब्ध कराई गई है, बिहार में उन लघु उद्योगों की संख्या इस प्रकार है : पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा 11,945, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा 200, लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) द्वारा 4,357 और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लघुतम उद्यमों की स्थापना हेतु लगभग, 8,140 हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ संबंध

961. **श्री उत्तम डिकले** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 2000 को 'पायोनियर' में 'एक्ट और पेरिश, आई. एस. आई. टेल्स कश्मीर मिलिटेन्ट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा बलों के विरुद्ध विघटनकारी गतिविधियाँ करने के लिए पाकिस्तान की आई.एस.आई. ने जम्मू-कश्मीर में कार्य कर रहे अनेक उग्रवादी समूहों को 'फिचादयान' समूह गठित करने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके बावजूद सरकार का यह मत है कि पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध जारी रखे जाने चाहिए;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य तथा भारत के अन्य भागों में सीमापार आतंकवाद प्रायोजित करने में सतत् रूप से लगा है।

सरकार ने हिंसा के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों द्वारा आत्मघाती दस्ते को जम्मू और कश्मीर में भेजे जाने से संबधित खबरें देखी हैं। हम पाकिस्तान के साथ शांति, मैत्री और सहयोग का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान द्वारा सीमापार आंतकवाद का प्रायोजन रोकने और भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार बन्द करने की आवश्यकता है।

सरकार देश की सुरक्षा और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के अपने संकल्प के प्रति दृढ़संकल्प है।

[हिन्दी]

वित्तीय अनियमितताएं

962. **श्री रिजवान जहीर** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधुनिकीकरण के नाम पर कतिपय प्रमुख इस्पात कंपनियों द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं तथा इनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी कंपनियों के विरुद्ध जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चूककर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) सरकारी क्षेत्र की किसी प्रमुख इस्पात कम्पनी द्वारा आधुनिकीकरण के नाम पर वित्तीय अनियमितताओं का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेपाल और बंगलादेश से आई.एस.आई. की गतिविधियां

963. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एस.आई. द्वारा काठमांडू में एक शाखा कार्यालय खोला गया है जहां से इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई सी 814 में अपहरणकर्त्ता सवार हुए थे तथा उन्हें स्थानीय पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियों द्वारा स्पष्ट रूप से सहायता मिली थी;

(ख) क्या आई.एस.आई. अपनी गतिविधियां बंगलादेश से भी चला रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को उक्त सरकारों के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इन सरकारों से अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) भारत के हितों के विरुद्ध द्वेषपूर्ण कार्रवाइयों के लिए आई एस आई द्वारा नेपाली क्षेत्र और भारत-नेपाल खुली सीमा के दुरुपयोग के बारे में भारत सरकार को पता है तथा वह इससे चिंतित है। सरकार को प्राप्त रिपोर्टों में काठमांडू स्थित स्थानीय पाकिस्तानी दूतावास द्वारा ऐसी गतिविधियों में सहायता पहुँचाने संबंधी सहअपराधिता के साक्ष्यों का पता चलता है। रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि उस राजदूतावास ने इंडियन एयरलांइस फ्लाइट सं॰ आई सी 814 के अपहर्ताओं को मदद पहुँचाई। इस बात की जांच की जा रही है कि अपहरण का स्वरूप क्या था और इसमें पाकिस्तानी राजदूतावास की किस सीमा तक भूमिका थी।

(ख) से (घ) सरकार को आई एस आई द्वारा भारत-बंगलादेश सीमा से भारत के विरुद्ध की जा रही गतिविधियों की भी जानकारी है। नेपाल और बंगलादेश से इस संबंध में सहयोग संवर्धित करने के उपाय किए गए हैं। प्रभावी सीमा प्रबंधन में सहयोग संवर्धित करने के लिए दोनों देशों के साथ संयुक्त कार्यदल बनाए गए है। भारत-नेपाल और भारत-बंगलादेश सीमाओं के प्रबंधन में आ रही समस्याओं पर नेपाल तथा बंगलादेश के प्राधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई है।

जहाँ तक भारत-बंगलादेश सीमा का प्रश्न है आंतरिक रूप से सुरक्षा संवर्धन के लिए कई उपाय किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं : सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनों की संख्या बढ़ाना, सीमा चौकी के बीच अंतरालों को कम करना, भूमि एवं नदी सीमा पर दोनों ओर पैट्रोलिंग बढ़ाना और सीमा सड़कों के निर्माण एवं तार लगाने के कार्य को तेज करना।

जहाँ तक भारत-नेपाल सीमा का प्रश्न है, यह ऐतिहासिक तौर पर एक खुली सीमा है जहाँ से लोग बिना वीसा के आते जाते हैं। भारत विरोधी गतिविधियाँ चलाने के लिए इस खुली सीमा के दुरुपयोग को देखते हुए नेपाल की शाही सरकार और भारत सरकार के संबंधित अभिकरण नियमित तौर पर सीधे एवं सीमा प्रबधंन संबंधी संयुक्त कार्यदल एवं गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। भारत के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए परिस्थितियों की समीक्षा करने तथा भारत एवं नेपाल की सीमा से जुड़े जिलों में सतर्कता बढ़ाने सहित संयुक्त समन्वयन उपायों के लिए दोनों पक्षों के बीच आवधिक बैठकें भी की जाती हैं।

नेपाली क्षेत्र से आई एस आई की गतिविधियों को रोकने तथा भारत-नेपाल खुली सीमा के प्रबंधन संबंधी मसला जनवरी 1999 की नेपाल नरेश की भारत यात्रा तथा सितम्बर 1999 की हमारे विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान उठाया गया था। दोनों देशों के बीच खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकने के लिए दोनों पक्षों द्वारा तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए निश्चय व्यक्त करने से संबंधित मामले में साझी चिंता का पता चलता है। अपनी ओर से नेपाल की शाही सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि भारत के हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए वे अपने क्षेत्र का प्रयोग नहीं करने देंगे तथा वे इस संबंध में भारत सरकार के साथ सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना सिंचित क्षेत्र

964. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बारामूला में वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्राप्त किये गऐ लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, हां। वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना कार्य जम्मू और कश्मीर के बारामूला में वर्ष 1994-95 में आरंभ हुआ।

(ख) 2000 हैक्टे. क्षेत्र के लक्ष्य के मुकाबले 1365 हैक्टे. क्षेत्र में उपचार कार्य किया गया है।

[अनुवाद]

सांख्यिकीय आंकड़े

965. **श्री तिरूनावक्करसू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण के बावजूद सांख्यिकी आँकड़े और कार्यक्रम कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरे अद्यतन नहीं रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) 20 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं, 20 सूत्री कार्यक्रम तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रबोधन के लिए एक केंद्रक अभिकरण के रूप में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्यक्रम का कार्यान्वयन स्कंध, अपनी रिपोर्टें मंत्रालय में उपलब्ध कम्प्यूटरों की मदद से तैयार करता है तथा पुराने आकड़ों का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत फाइलों में रखता है। 100 करोड़ तथा अधिक लागत वाली बड़ी परियोजनाओं का प्रबोधन फ्लैश रिपोर्ट प्रणाली के माध्यम से मासिक आधार पर किया जाता है। जैसे ही कोई परियोजना निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में पर्याप्त विलंब के संकेत देना शुरू करती है, जो परियोजना के अंतिम रूप से पूर्ण होने तथा इसकी लागत को प्रभावित कर सकते हैं, फ्लैश रिपोर्ट प्रणाली इसकी अग्रिम चेतावनी दे देती है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र की कंम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से इन परियोजनाओं के अभिलेख सभी संबंधित मंत्रालयों को उपलब्ध हो सकते हैं। इस मंत्रालय द्वारा प्रबोधित परियोजनाओं और कार्यक्रमों का वार्षिक आंकड़ा इस मंत्रालय के वेबसाइट पर भी रखा जाता है।

कर्नाटक में मत्स्य उद्योग

966. **श्री एस-डी-एन-आर- वाडियार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में मत्स्य उद्योग और विशेषकर झींगा पालन को प्रोत्साहन देने की व्यापक गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक राज्य को क्या अनुदान और सहायता दिए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल हुई है; और

(घ) नौवीं योजनावधि के दौरान उस राज्य में झींगा पालन के लिए क्या विशेष कार्य योजना तैयार की गई है और लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां। कर्नाटक में मात्स्यिकी और जलकृषि के संवर्धन की पर्याप्त गुंजाइश है। राज्य में झींगा पालन के लिए उपयुक्त लगभग 8000 हैक्टेयर क्षेत्र है।

(ख) और (ग) मात्स्यिकी और जलकृषि के संवर्धन के लिए कर्नाटक राज्य को विगत तीन वर्षों में दी गई सहायता तथा उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) "ताजा जल जलकृषि का विकास" संबंधी क्रेन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, नौवीं योजना अवधि के दौरान वैज्ञानिक मत्स्य पालन के अंतर्गत कर्नाटक में लगभग 13000 हैक्टेयर जल क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव है।

विवरण

वर्ष	कर्नाटक के लिये दी गई सहायता (लाख रुपए में)	खारा जल जलकृषि के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)	ताजा जल जलकृषि के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)	डीजल सहायता के अंतर्गत कवर की गई नावों की संख्या	मोटरीकृत नावों की संख्या
1996-97	75.64	700	3903	लगभग 1500	97
1997-98	155.92	500	2994	लगभग 1500	200
1998-99	173.30	600	3634	लगभग 1500	315

आई सी-814 का अपहरण

967. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री सुबोध राय:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इंडियन एयरलाइन्स विमान अपहरण के मामले में अमरीकी सरकार के रवैये से संतुष्ट है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि अमरीकी सरकार ने देश का साथ नहीं दिया और अपहरण को दुबई में ही समाप्त करने में सक्रिय सहयोग नहीं दिया;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीकी सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष यह मामला रखा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अमरीकी सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पूरे प्रकरण के दौरान चुप्पी साधे रहे जबकि वह अमरीका के किसी नागरिक के आंतकवादी कार्रवाई का शिकार होने पर बढ़चढ़ कर बोलते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस प्रकार के संतोष के औचित्य का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) आई सी 814 के अपहरण के दौरान सरकार अमरीका सहित अनेक मित्र देशों के साथ संपर्क में थी। स्थिति के संवेदनशील स्वरूप को देखते हुए अमरीका सहित कई मित्र देशों ने उन परिस्थितियों के अन्तर्गत हर संभव सहायता प्रदान करने की पेशकश की। अमरीका ने संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य सरकारों से भी बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए सभी सहायता प्रदान किये जाने के लिए संपर्क किया। अमरीकी ने अपहरण की कठोर शब्दों में निन्दा की और अपहर्ताओं को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाये जाने के उद्देश्य से पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग करने का आह्वान किया।

(ग) और (घ) लन्दन में 18-19 जनवरी 2000 तक जारी भारत अमरीका सुरक्षा वार्ता और 7-8 फरवरी, 2000 तक आतंकवाद का मुकाबला किये जाने से संबद्ध भारत-अमरीका संयुक्त कार्यदल की प्रथम बैठक के दौरान आई सी-814 के अपहरण पर व्यापक चर्चा हुई। अपहर्ताओं पर मुकदमा चलाया जाना सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर कार्य करने के लिए सहमत हुए।

सरकार ने इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ उठाया है, जो ऐसे मामलों का निपटारा किये जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का संबद्ध अधिकरण है। अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने परिषद को प्रस्तुत किये गये एक कार्यपरक दस्तावेज में आई सी-814 के अपहरण के संबंध में जानकारी दी है।

(ङ) और (च) सरकार ने बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करने के लिए तथा उन्हें भोजन और दवाओं की आपूर्ति सहित अन्य मानवीय सहायता प्रदान किये जाने में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से संपर्क किया था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अफगानिस्तान से संबद्ध अपने मानवीय समन्वयक श्री एरिक डी मुल को कंधार भेजा।

परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना

968. श्री बी.वी.एन. रेड्डी :
श्री के. येरननायडू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान परमाणु विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास काफी लम्बे समय से लंबित पड़ा है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां ।

(ख) 220 मेगावाट क्षमता वाली परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-2 जिसे 2.12.99 को दक्षिणी ग्रिड से जोड़ दिया गया है और 220 मेगावाट क्षमता की राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-3 जिसने 24.12.99 को क्रांतिकता प्राप्त की है, द्वारा वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने, और कुल 440 मेगावाट क्षमता वाली चल रही परियोजना जिनमें कैगा परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-1 और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-4 शामिल हैं को पूरा किए जाने और उन्हें चालू किए जाने के अलावा, नवीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु विद्युत विकास से संबंधित प्रस्तावों में, तमिलनाडु में कुडानकुलम नामक स्थान पर रूसी सहायता से स्थापित किए जाने वाले 2x1000 मेगावाट क्षमता के परमाणु बिजलीघर के लिए ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट बनाना शुरू करने और नवीं योजना के अंत तक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी एफ बी आर) (1x500 मेगावाट) के संबंध में प्रारंभिक कार्य शुरू करने के अतिरिक्त, तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना (टी ए पी पी) (2x500 मेगावाट) के दो यूनिटों-3 तथा 4, कैगा यूनिट-3 तथा 4 (2x220 मेगावाट) के संबंध में काम शुरू किया जाना शामिल है ।

(ग) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में, बिहार में परमाणु विद्युत परियोजना पर काम शुरू करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

वित्तीय रूप से कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण

969. **श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी के वित्तीय रूप से कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

970. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री अरुण कुमार:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का बड़ा भाग प्रति वर्ष बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित होता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन नदियों द्वारा बहा कर ले जाने वाले अतिरिक्त जल का उपयोग करने के उद्देश्य से, उन नदियों का पता लगाने के लिये जिनके कारण विध्वसंक बाढ़ आती है और भूमि का अत्यधिक कटाव होता है कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को क्रियान्वित करने में कितना अनुमानित खर्च आने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी हां। देश का एक बड़ा क्षेत्र विशेष रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में आने वाला क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित होता है। गंगा बेसिन में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन में असम और पश्चिम बंगाल सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होने वाले राज्य हैं। गत दस वर्षों में प्रभावित होने वाले कुल क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अत्यधिक बाढ़ और अत्यधिक भूमि कटाव करने वाली नदियों को किसी सीमा तक नदियों के उपरी तटों में जलाशयों का निमार्ण कर नियंत्रित किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र में बड़े जलाशयों के अन्वेषण शुरू किए गए हैं, ठीक इसी प्रकार केन्द्र सरकार ने नेपाल के साथ मिलकर बड़े बांधों का सयुक्त अन्वेषण शुरू किया है।

विवरण

विगत दस वर्षों (1990-1999) के लिये बाढ़/भारी वर्षा के कारण प्रभावित होने वाले राज्यवार कुल क्षेत्र

(मिलियन हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.000	0.022	0.344	0.000	0.000	0.000	1.128	0.183	1.675	0.000	0.335
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.119	0.070	0.000	0.004	0.007	0.000	0.000	0.000	0.020
3.	असम	0.448	1.000	0.231	1.249	0.053	1.309	0.571	0.753	1.324	0.293	0.727
4.	बिहार	0.870	0.980	0.076	0.415	0.601	0.926	1.189	1.471	2.512	0.740	0.978
5.	गोवा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.	गुजरात	0.484	0.188	0.000	0.000	0.000	0.000	1.822	0.000	0.000	0.000	0.249
7.	हरियाणा	0.086	0.001	0.000	0.000	0.032	0.801	0.068	0.010	0.000	0.000	0.100
8.	हिमाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.375	0.000	0.345	0.299	0.234	0.235	0.000	0.151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	जम्मू व कश्मीर	0.000	0.000	0.243	0.000	0.000	0.075	0.000	0.017	0.000	0.000	0.034
10.	कर्नाटक	0.000	0.276	0.000	0.298	0.128	0.005	0.069	0.019	0.000	0.000	0.080
11.	केरल	0.000	1.279	0.441	0.076	0.233	0.008	0.055	0.000	0.190	0.000	0.228
12.	मध्य प्रदेश	0.041	0.010	0.000	0.000	0.377	0.000	0.000	0.022	0.000	0.000	0.045
13.	महाराष्ट्र	0.270	0.001	0.045	0.017	0.062	0.003	0.000	0.000	0.005	0.000	0.040
14.	मणिपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15.	मेघालय	0.000	0.003	0.000	0.008	0.000	0.011	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
16.	मिजोरम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000
17.	नागालैंड	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
18.	उड़ीसा	0.780	1.095	0.062	0.000	0.000	0.000	0.000	0.775	0.000	0.000	0.271
19.	पंजाब	0.004	0.000	0.024	0.788	0.000	0.253	0.000	0.000	0.000	0.000	0.107
20.	राजस्थान	1.799	0.000	0.000	0.000	0.267	0.591	1.088	0.000	0.159	0.000	0.390
21.	सिक्किम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.024
23.	त्रिपुरा	0.000	0.000	0.000	0.053	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005
24.	उत्तर प्रदेश	2.203	0.811	0.696	1.444	0.985	1.279	1.124	0.349	2.523	0.053	1.147
25.	पश्चिम बंगाल	2.268	0.679	0.118	0.458	0.000	0.443	0.000	0.000	0.000	0.000	0.397
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27.	चण्डीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28.	दादर व नगर हवेली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
29.	दमन व दीव	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30.	दिल्ली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.058	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006
31.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	पांडिचेरी	0.000	0.012	0.001	0.008	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004
	भारत	9.298	6.357	2.645	5.268	2.752	6.111	7.420	3.855	8.623	1.086	5.342

टिप्पणी : (I) "0" से आशय है आकडों का सत्यापन किया जा रहा है।
(II) वर्ष 1993 से 1999 तक के आकड़े अंनतिम हैं।

[अनुवाद]

लघु उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम

971. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार से लघु उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम बनाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी हां। विभिन्न लघु उद्योग ऐसोसिएसनों ने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक अलग व्यापक कानून की मांग की है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एकल व्यापक कानून लागू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ काले, हैदराबाद को लघु उद्योग प्रशासन के संबंध में विभिन्न राज्यों में प्रचलित निवेश और निरीक्षण प्रक्रियाओं पर एक व्यापक अध्ययन करने तथा एक प्रारूप नमूना कानून के रूप में इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण करने के लिए सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है।

भारत और बंगलादेश के बीच 'इनक्लेव्स' की अदला-बदली

972. श्री मिनाती सेन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 मई, 1974 को हुये भारत-बंगलादेश सरहद सीमांकन कार्य से संबंधित भारत-बंगलादेश समझौते के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ऐसे उपबन्ध हैं जिसके अनुसार बंगलादेश में भारतीय 'इनक्लेव्स' (विदेशी अन्त: क्षेत्र) और भारत में बंगलादेश 'इनक्लेव्स' की अदला-बदली शीघ्रता से की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलादेश के साथ 'इनक्लेव्स' अदला-बदली को लेकर कोई प्रगति हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अदला-बदली प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिए अपेक्षानुसार गंभीर है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अदला-बदली की प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ङ) भारत गणराज्य की सरकार और बंगलादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच भारत और बंगलादेश के बीच भू-सीमांकन और सम्बन्धित मामलों से सम्बद्ध करार के अनुच्छेद 1, उप पैरा 12, में यह व्यवस्था है कि बंगलादेश में अंत: क्षेत्रों का आदान-प्रदान शीघ्रता से किया जाना चाहिए।

बंगलादेश में 111 भारतीय अंत: क्षेत्र और भारत में 51 बंगलादेश अंत: क्षेत्र हैं, इन सभी से संबंधित रिकॉर्ड का दोनों देशों के सर्वेक्षण प्राधिकारियों द्वारा मिलान कर लिया गया है।

अंत: क्षेत्रों का आदान-प्रदान भारत और बंगलादेश के बीच सीमा के संयुक्त सीमांकन के पूरा हो जाने के साथ सीधे और आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ है। सरकार बंगलादेश के साथ सीमा के संयुक्त सीमांकन के कार्य को संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से पूरा करना चाहती है। इसी बीच, भारत और बंगलादेश की सरकारें अपने-अपने अंत: क्षेत्रों में जनगणना करने के लिए तौर-तरीकों पर कार्य करने पर सहमत हुई हैं। भारत सरकार बंगलादेश की सरकार के साथ सीमा से सम्बद्ध सभी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विदेशी मत्स्य पोत

973. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री जी॰ जे॰ जावीया:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी मत्स्य पोतों के प्रचालन की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में अनुमत्त मत्स्य पोतों से अधिक मत्स्य पोत प्रचालन में हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है; और

(ङ) भारतीय मछुआरों के हितों की रक्षा हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति की समीक्षा करने वाली समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसार 1991 की पट्टा नीति के अंतर्गत मछली पकड़ने वाले विदेशी यानों को देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में काम करने की अनुमति है। इस समय, 26 वैध परमिटों के साथ पांच कम्पनियां काम कर रही हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण, विकास तथा उनका अधिकतम दोहन करने तथा मछुआरों के सभी समूहों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने समुद्री मात्स्यिकी के लिए व्यापक नीति तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ दल गठित किया है।

[हिन्दी]

पाठ्यक्रमों की समयावधि

974. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय मंत्री जी ने 12 दिसम्बर, 1998 को जन विकलांग संस्थान, नई दिल्ली के बी.एम.सी (ऑनर्स) पीटी/ओ.टी. के हड़ताली छात्रों के साथ बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुनर्वास परिषद के सचिव और दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति से उक्त पाठ्यक्रमों की अवधि साढ़े तीन वर्ष से बढ़ाकर साढ़े चार वर्ष करने और (ब्रिज कोर्ट) और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू न किए जाने के कारण छात्रों को पुन: हड़ताल पर जाना पड़ा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) विकलांग जन संस्थान ने साढ़े चार वर्षों की अवधि के पाठ्यक्रमों के नए फार्मेट विकसित किए हैं और यह इस मामले का अनुसरण दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ कर रहा है। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा ब्रिज पाठ्यक्रम पहले ही चलाए जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यूरेनियम का भंडार

975. **श्री के॰ येरननायडू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अपने परमाणु कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरी करने के लिए यूरेनियम के भंडार के मामले में आत्मनिर्भर है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुलबर्ग में पाए गए नये भंडारों का किस तरह उपयोग किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के परिमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने बिहार, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में विभिन्न स्थलों पर यूरेनियम निक्षेपों का पता लगाया है। इनमें से बिहार में जादुगुडा और नरवापहाड़ (पूर्वी सिंहभूम जिला) स्थित निक्षेपों का खनन, दाबित भारी पानी रिएक्टर प्रौद्योगिकी के आधार पर काम कर रहे परमाणु विद्युत रिएक्टरों की ईंधन संबंधी मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम का उत्पादन करने हेतु किया जा रहा है।

(ग) कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में गोगी नामक स्थान पर समन्वेषी खनन कार्य उस स्थान पर यूरेनियम निक्षेप की सीमा तथा गहराई की निरन्तरता का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इस निक्षेप की आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए और अधिक अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

भारत को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता

976. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारत को परमाणु हथियारों से विहीन करने के लिए किसी 'टू स्टाप' योजना की रूपरेखा तैयार की है तथा भारत को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता देने का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत के ऊपर सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के लिए अमरीका का दबाव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने एक अमरीकी अधिकारी को उद्धृत करने वाले इस आशय की खबरें देखी हैं। ऐसे वक्तव्य पूर्णत: अवास्तविक तथा अविश्वसनीय हैं। अमरीका को इस बात की पूरी जानकारी है कि भारत नाभिकीय शस्त्र संपन्न राज्य है और न्यूनतम विश्वसनीय नाभिकीय निवारक को बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध है। मई 1998 के नाभिकीय परीक्षणों के बाद प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, 'भारत एक नाभिकीय शस्त्र संपन्न राज्य है'। यह एक वास्तविकता है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह कोई अभिदान नहीं है जिसकी हम कामना करें और न ही यह ऐसा दर्जा है जिसे हमें कोई अन्य प्रदान करे।

(ग) और (घ) जी नहीं। सी टी बी टी पर भारत का दृष्टिकोण नितांत रूप से भारत के राष्ट्रीय हित और इस संबंध में राष्ट्रीय मतैक्य निर्माण करने के द्वारा दिशा निर्देशित है।

विकास के लिए समान मात्रा में अनुदान

977. श्री ई. अहमद : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय वक्फ परिषद निधि के अंतर्गत विकास के लिए समान मात्रा में अनुदान हेतु केरल सरकार से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत कितनी धनराशि आंबटित की गई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने आवेदन निपटाए गए/कितने लंबित हैं; और

(घ) लम्बित आवेदनों पर कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) वर्तमान योजना के अंतर्गत समान अनुदान हेतु आवेदनों को केवल संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा भेजा जाना अपेक्षित है। गत तीन वर्षों के दौरान केरल वक्फ बोर्ड से कोई ऐसा आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

खेतिहर मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

978. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार के पास नए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार खेतिहर मजदूरों के उत्थान के लिए नयी योजना तैयार करने का है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि कामगारों के रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन करने और उनके लिए कुछ कल्याण उपायों का प्रावधान करने के लिए एक व्यापक विधान बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कपास, मिर्च और प्याज के मूल्यों में गिरावट

979. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या हाल ही में कपास, मिर्च और प्याज के मूल्यों में भारी गिरावट के कारण किसानों को काफी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या साहूकारों से ऋण लेने वाले अधिकांश किसानों के लिए निवेशित मूलधन की पुन: प्राप्ति कठिन हो रही है;

(ग) क्या वर्षा और चक्रवात के कारण खरीफ की फसल को भी नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो कपास, मिर्च और प्याज उत्पादकों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कपास, मिर्च एवं प्याज की कीमतों में कमी आई है। बहरहाल, किसानों को भारी क्षति की सूचना नहीं है।

(ग) कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल कृषि-जलवायु कारकों के कारण कपास, मिर्च एवं प्याज की खरीफ फसलों के नुकसान की कुछ सूचनाएं मिली हैं।

(घ) कपास उत्पादकों के हितों की सुरक्षा हेतु, कपास निगम, जो केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण है, कपास की वाणिज्यिक एवं अंत: मूल्य समर्थन प्रचालन दोनों ही प्रकार की खरीद कर रहा है। इसके अतिरिक्त किसानों की सहायता के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ किया गया है। प्याज उत्पादकों की सहायता के लिए सरकार ने 2 लाख मी. टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। मिर्च के संदर्भ में, मिर्च उत्पादकों की मदद के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इनमें शामिल हैं, केन्द्रक बीजों का उत्पादन, मिनिकिटों का वितरण, क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिए सहायता, स्वस्थ वातावरण में मिर्च को सुखाने के लिए पॉलीथीन चादरों की आपूर्ति, और इसी उद्देश्य के लिए किसानों को खेती में मिर्च आदि सुखाने के लिए पक्के ड्राइंग यार्डों के निर्माण हेतु उत्पादकों को सहायता।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता

980. श्री हरि भाई चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा कुल कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-वार और योजना-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) प्रत्येक मामले में राज्य द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सहायता पूरी उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मांगी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान, गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनएफसीआर) से 282.01 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की थी। बहरहाल, कोई भी राशि जारी नहीं की गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा राहत समिति (एनसीआरसी प्रत्येक मामले की निश्चित प्रक्रिया के आलोक में एनएफसीआर से सहायता के लिए जांच करती है। एनएफसीआर से सहायता की प्रमात्रा आपदा की गंभीरता पर निर्भर करती है।

वर्ष 1997-98 के दौरान, राज्य सरकार ने एनएफसीआर से 664.33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की थी तथा एनसीआरसी द्वारा 86.90 करोड़ रुपये की राशि जारी गई थी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) प्राधिकारियों द्वारा टर्बो जेनरेटर सैटों की खरीद के लिए 440.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए भी अनुरोध किया था। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि एसएसपी राज्य क्षेत्रक परियोजना है तथा भागीदार राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश) को अपनी-अपनी राज्य योजनाओं में से इसका वित्त पोषण करना है।

वर्ष 1998-99 के लिए, राज्य सरकार ने 810.65 करोड़ रुपये की सहायता के लिए एनसीआरसी को एक ज्ञापन दिया था। 55.35 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इसके अलावा, राज्य सरकार ने गांधी नगर में राजभवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता की भी मांग की थी। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि चूंकि राजभवन का निर्माण योजना व्यय प्रकृति का था, इसलिए इसे राज्य योजना का एक हिस्सा होना चाहिए।

(घ) से (च) चालू वर्ष (1999-2000) के दौरान तूफान और सूखे के परिणामस्वरूप एनएफसीआर से 817.23 करोड़ रुपये की सहायता के लिए गुजरात सरकार के अनुरोध पर प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

मत्स्य क्षेत्र का विकास

981. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों के संदर्भ में गत तीन वर्षों में मत्स्य क्षेत्र में प्राप्त की गई राज्यवार उपलब्धियों की सरकार ने समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो मानक मूल्यांकन मानदंडों के संबंध में सामान्यत: और विशेषत: महाराष्ट्र में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) घरेलू उपभोग और निर्यात दोनों के लिए महाराष्ट्र में समुद्र और अंतर्देशीय मत्स्य के समेकित विकास के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मत्स्य निर्यात से प्राप्त की गई आय का ब्यौरा क्या है और अगले तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) मात्स्यिकी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य निष्पादन/उपलब्धियों की समीक्षा वार्षिक योजना तैयार करते समय तथा कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारियों की समिति द्वारा की जाती है। मछली उत्पादन, मोटरीकृत पारंपरिक क्रॉफ्ट, जल क्षेत्र तथा जलकृषि के अधीन कवर लाभार्थी, प्रशिक्षित मत्स्य कृषक आदि का इस्तेमाल महाराष्ट्र सहित राज्यवार कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए किया जाता है।

(ग) मात्स्यिकी का विकास करने के उद्देश्य से राज्य में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं:

1. निम्नलिखित के माध्यम से तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास:
   (1) पारंपरिक क्राफ्टों का मोटरीकरण
   (2) 20 मीटर से कम लम्बाई वाले यांत्रिकृत मात्स्यिकी यानों द्वारा खरीदे गए हाई स्पीड डीजल ऑयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।
2. समेकित तटवर्ती जलकृषि।
3. ताजा जल जलकृषि का विकास।
4. बड़े और छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाह।

उक्त के अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्देशीय मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए तालाबों/जलाशयों में अनुकूल आवश्यकताओं के अनुसार फिंगर लिंग्स/मत्स्य बीजों का स्टॉफ रखने के लिए कदम उठाए हैं। अंतर्देशीय क्षेत्र में प्रजनन स्थलों को संरक्षित रखा जा रहा है। समुद्री क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार समुद्री मात्स्यिकी को संरक्षित/परिरक्षित रखने के लिए मानसून के मौसम में (1 जून से 15 अगस्त अथवा नार्ली पूर्णिमा तक, जो भी पहले हो) यांत्रिकृत मत्स्य क्राफ्टों द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए समुद्री मात्स्यिकी विनियमन अधिनियम, 1981 को क्रियान्वित कर रही है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान अर्जित निर्यात राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1996-97	4,121.36
1997-98	4,697.48
1998-99	4,626.87

अगले तीन वर्षों के लिए निर्यात अर्जन के लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इंडोनेशियाई शिष्टमंडल का दौरा

982. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या इंडोनेशियाई शिष्टमंडल ने फरवरी, 2000 के दौरान भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो वहां हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री अब्दुर्रहमान वाहिद ने एक उच्चाधिकार प्राप्त शिष्टमंडल के साथ 8-9 फरवरी 2000 तक भारत की यात्रा की। हमारे दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श हुआ। इंडोनेशिया में तरल प्राकृतिक गैस के संयुक्त अन्वेषण के लिए एक भारतीय प्रस्ताव सकरात्मक रूप से प्राप्त हुआ था और मंत्रिस्तरीय स्तर पर एक संयुक्त आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था जो इस पर और द्विपक्षीय हित के अन्य मामलों में नियमित आदान-प्रदान को सुसाध्य बनाएगा। इसके अलावा आईटेक कार्यक्रम के अन्तर्गत इंडोनेशिया में निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया। इंडोनेशिया को विद्युत लोकोमोटिव्स बेचने की संभावना पर विचार-विमर्श किया गया और संबधित मंत्रालयों द्वारा पर्यटन से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया। इसके अलावा एम एम टी सी और काडिन-इंडोनेशिया के बीच अन्य व्यापार व्यवस्था से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन पर अलग से हस्ताक्षर हुए जबकि इरकान और मित्र-जय इंडोनेशिया में रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया।

सी.टी.बी.टी

983. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने वाले अमरीका तथा अन्य प्रमुख देशों से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि सी.टी.बी.टी. पर किए गए हस्ताक्षरकर्त्ता देशों के 'परमाणु-रोधी' उपायों के रख-रखावों के कितने अनुरूप हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अमरीकी कांग्रेस द्वारा सी.टी.बी.टी. के पुष्टीकरण से मना करने के क्या-क्या मुख्य कारण हैं;

(घ) क्या अमरीका तथा अन्य बड़ी शक्तियों ने भारत तथा पाकिस्तान द्वारा परमाणु-रोधी उपायों को रखे जाने की अनुमति देने के संबंध में अपनी इच्छा प्रकट की है;

(ङ) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया की वास्तविक स्थिति क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) व्यापक परीक्षण निषेध संधि सिर्फ भूमिगत विस्फोट नाभिकीय परीक्षण पर रोक लगाती है; यह विकास, गैर-विस्फोटी परीक्षण, उत्पादन तथा नाभिकीय हथियारों के सुरक्षित रखरखाव से संबंधित अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। अत: व्यापक परीक्षण निषेध संधि उन राज्यों द्वारा नाभिकीय निवारक रखने के पूर्ण अनुरूप है जिन्होंने पहले ही नाभिकीय परीक्षण कर लिये हैं।

(ख) (क) में उल्लिखित सरकार के मूल्यांकन से अमरीका सहमत है।

(ग) सी.टी.बी.टी. के विरुद्ध मतदान करने वाले अमरीकी सीनेटरों द्वारा व्यक्त की गयी दो प्रमुख आपत्तियों और विस्फोटी परीक्षण किये बिना अमरीकी नाभिकीय हथियारों के भंडार को बनाये रखने में संदेह और संधि की प्रामाणिकता के संबंध में थीं ।

(घ) से (च) अमरीका सहित अन्य प्रमुख वार्ताकारों के साथ भारत की द्विपक्षीय बातचीत इस आधार पर होती है कि भारत एक नाभिकीय शस्त्र संपन्न राज्य है और वह राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अपने आकलन के अनुरूप एक न्यूनतम विश्वसनीय नाभिकीय निवारक बनाये रखेगा । अमरीका और अन्य देश, जिनके साथ भारत बातचीत कर रहा है, वे भारत की स्थिति को स्वीकार करते हैं ।

[हिन्दी]

कल्पासार सिंचाई परियोजना

984. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात राज्य सरकार से राज्य में कल्पासार बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पारियोजना की अनुमानित लागत, जल और विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) परियोजना के पूरा होने के बाद कुल कितनी भूमि की सिंचाई हो पाएगी और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(घ) परियोजना पूरे करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) गुजरात सरकार से कल्पासार नाम की कोई ऐसी परियोजना प्राप्त नहीं हुई है ।

किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण और बीज प्रदान करना

985. श्री भालचन्द्र यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को सस्ते और कम मूल्य पर आधुनिक कृषि उपकरण एवं बेहतर बीज उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां । सरकार ने किसानों को सस्ते और रियायती दरों पर आधुनिक कृषि उपकरण तथा बेहतर बीज उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न फसल विशिष्ट स्कीमें तैयार की हैं । इससे संबंधित विवरण संलग्न है ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	कृषि उपकरणों पर सहायता प्रतिमान	बीज सहायता प्रतिमान
1.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी)	*(i)* उपकरण-लागत का 50% 2500 रु. तक *(ii)* *पौधा रक्षण उपकरण* क. हस्तचालित-लागत का 50% 600 रु. तक ख. विद्युत चालित-लागत का 50% 1500 रु. तक *(iii)* *छिड़काव सैट* क. लघु सीमांत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा महिला किसानों के लिए लागत का 90% प्रति सैट 25000/- रु. तक ख. अन्य किसानों के लिए लागत का 70%, प्रति सैट 25000/- रु. तक	*(i)* *प्रमाणित बीज* 300 रु. प्रति क्विंटल *(ii)* मिनीकिट-नि:शुल्क
2.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी)	-तदैव-	-तदैव-
3.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (एएमडीपी)	*(i)* *हस्त/पशुचालित*-प्रति उपकरण प्रति किसान लागत का 50% 1500 रु. तक *(ii)* *विद्युत चालित* - प्रति उपकरण प्रति किसान लागत का 50% 5000/-रु. तक	*(i)* *प्रमाणित बीज* 10 वर्षों में शंकर/एचवाईवी नियुक्त/अधिसूचित के लिए 400 रु. प्रति क्विंटल *(ii)* मक्का किस्मों का 2 कि.ग्राम का 40 रु. प्रति मिनीकिट तथा 2 किग्रा. संकर किस्म का 50 रु. प्रति मिनीकिट। लागत का 10% किसानों से लिया जाएगा।
4.	गहन-कपास विकास कार्यक्रम	*(i)* *छिड़काव सैट* -अनुसूचित जा./अनुसूचित जनजा., लघु और सीमांत तथा महिला किसानों के लिए लागत का 50% अन्य किसानों को 2 हैक्टे. तक प्रति हैक्टे. 10,000/- रु. तक *(ii)* *पौध रक्षण उपकरण* क. *हस्तचालित*-लागत का 50%, 700 रु. तक ख. *विद्युत चालित* - लागत का 50% 1500 रु. तक ग. टैक्टर चालित-लागत का 25% 4000 तक *(iii)* *टपका सिंचाई प्रणाली* - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन. जा., लघु, सीमांत तथा महिला किसानों को लागत का 50% अन्य किसानों को 35% जिसकी सीमा निम्नवत है-	*प्रमाणित बीज*-पहले 15 वर्षों के दौरान अधिसूचित किस्मों की लागत का 50% 1000/- रू. प्रति क्विंटल तक

राज्य	अनुसू. जाति/अनुसूचित जनजा. तथा महिला किसान	छोटे/सीमांत अन्य किसान
क. पूर्णतया विकसित	22500/-	16000/-
ख. कम विकसित	26000/-	18200/-
ग. पहाड़ी क्षेत्र	28500/-	20000/-

1	2	3	4
5.	समेकित मोटे अनाज विकास कार्यक्रम-चावल	(i) *हस्त/पशुचालित*-प्रति उपकरण प्रति किसान लागत का 50% 1500/- रु. तक (ii) *पावर टिलर*-लागत का 50% 30000/- रु. प्रति एकक (iii) *छिड़काव सैट*-छोटे और सीमांत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों के लिए लागत का 70% या 25000 रु. प्रति हैक्टे., जो भी कम हो। अन्य किसानों के लिए लागत का 70% या 25000/- रु. प्रति हैक्टे. जो भी कम हो।	(i) *प्रमाणित बीज* चावल, गेहूं और जौ के.एच.वाई.वी. पर 200 रु. प्रति क्विंटल (i) कदन्न पर 400 रु. प्रति क्विंटल तथा चावल के संकर बीजों पर 500 रु. प्रति क्विं. (पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिसूचित किस्मों वाले तक ही प्रतिबंधित)
6.	समेकित मोटे अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं	(i) *हस्त/पशुचालित*-प्रति किसान उपकरण लागत का 50%, 1500 रु. तक (ii) *बहुफसल विद्युत थ्रैशर* - प्रति किसान प्रति एकक लागत का 25%, 5000 रु. तक	(i) *प्रमाणित बीज*- चावल, गेहूं तथा जौ के एच वाई वी पर 200 रु. प्रति क्विंटल (ii) (मोटे अनाजों) (मक्का को छोड़कर) पर 400 रु. प्रति क्विंटल (iii) पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिसूचित किस्मों के संकर बीजों पर 500 रु. प्रति क्विंटल
7.	समेकित मोटे अनाज विकास कार्यक्रम-मोटे अनाज	(i) *हस्त/पशुचालित*-प्रति किसान प्रति उपकरण लागत का 50% 1500 रु. तक (ii) *बहुफसल विद्युत थ्रैशर*-प्रति एकक प्रति एकक लागत का 25% 5000/- रु. तक (iii) *छिड़काव सैट*-छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों के लिए लागत का 90% 25000/- रुपये प्रति सैट तक तथा अन्य किसानों के लिए लागत का 70% 25000/-रु. प्रति सैट तक	संकर ज्वार/बाजरा के लिए 1000 रु. प्रति क्विंटल तक तथा संकर चावल के लिए 500 रु. प्रति क्विंटल/गेहूं, चावल तथा जौ के लिए 200 रु. प्रति क्विंटल तथा कदन्न के लिए 400 रु. प्रति प्रति क्विंटल किस्मीय प्रतिस्थापन पर।
8.	विशेष पटसन विकास कार्यक्रम (एसजेडीपी)	(i) *हस्त/पशुचालित*-हैण्डव्हील हो पर प्रति एकक लागत का 50% 250 रु. तक सीमित तथा मल्टीरो बीज ड्रिल पर प्रति एकक लागत का 50% 1500 रु. तक	(i) बीजों पर 600 रु. प्रति क्विंटल
9.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास (सुबाक्स)	(i) *हस्त/पशुचालित* प्रति एकक लागत का 50% 1500 रु. तक (ii) *टैक्टर चालित* प्रति एकक लागत का 25% 1000/- रु. तक (iii) *टपका सिंचाई*-प्रति हैक्टे. लागत का 50% 25000/-रु. तक	-----

1	2	3	4
10.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	*टपका सिंचाई*- छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जा. तथा महिला किसानों के लिए लागत का 90% तथा किसानों की अन्य श्रेणियों के लिए लागत का 70% दोनों मामलों में 25,000/- रु. प्रति हैक्टे. तक सीमित।	----
11.	वाणिज्यिक बागवानी विकास	----	पुष्प कृषि (i) *बल्बस किस्म* 0.2 हैक्टे. की प्रति इकाई पर बीज लागत का 50% या 20000/-रु. तक (ii) *ग्राफ्ट किस्म*-0.2 प्रति इकाई पर बीज लागत का 50% या 15000 रु. तक (iii) *बीज किस्म* 0.2 हैक्टे. प्रति इकाई पर बीज की लागत का 50% या 4000 रु. तक
12.	समेकित मसाला विकास	(i) *पौध रक्षण उपकरण* लागत का 50% या 750/- रु. जो भी कम हो।	
13.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन	सभी श्रेणियों के किसानों को, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, पंजीकृत सहकारी समितियों, बहुद्देशीय कृषि फार्मिंग समितियों, कृषि ऋण समितियों की 30 पीटीओ अश्व शक्ति क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए प्रति ट्रैक्टर, उसे अधिकतम 3 उपर्युक्त उपकरणों सहित, लागत का 30% की दर या 30000 रु. तक	
14.	आयल पाम विकास कार्यक्रम	*टपका सिंचाई*-छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, तथा महिला किसानों के लिए लागत का 90% तथा अन्य किसानों के लिए लागत का 70%, दोनों ही मामलों में 25,000/-रु. प्रति हैक्टे.	*रोपण सामग्री* लागत का 75% या 5440/-रु. प्रति हैक्टे. तक
15.	नए/गैर-परंपरागत क्षेत्रों/मौसमों में तिलहन विकास के लिए नोबोड बोर्ड की स्कीम	छोटे और सीमांत किसानों को सहायता निम्नवत उपलब्ध है: (क) *मूंगफली डिकोटिकिटर*-लागत का 50% 10000 रु. तक (ख) *सीड ड्रिल*-लागत का 50% 5000 रु. तक (ग) *सोयाबीन हार्वेस्ट/रीपर*-लागत का 50% 20000/-रु. तक (घ) *बहुफसल थ्रैसर*-लागत का 50% 15000/- रु. तक	(i) मिनीकिट-नि:शुल्क

खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट

986. श्री मंजय लाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 फरवरी, 2000 के *दैनिक जागरण* में "अनाज उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) इसमें प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ग) खाद्यान्नों के उत्पादन में अत्यधिक गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस समाचार में दिए गए आंकडे केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अग्रिम अनुमान पर आधारित हैं। दरअसल ये आंकड़े फसल स्थिति पर आधारित थे, जिसका मूल्यांकन जनवरी, 2000 के दौरान किसी समय किया गया था। देश के अनेक भागों में दीर्घकालीन सूखे की स्थिति के कारण कई राज्यों में फसल की स्थिति प्रभावित हुई। बहरहाल देश में जनवरी, 2000 के मध्य हुई अच्छी वर्षा से अनाज की स्थिति में सुधार हुआ है। नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार यदि कृषि मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल बनी रहें, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान अनाज के उत्पादन में कोई अनावश्यक गिरावट आने की सम्भावना नहीं है।

(घ) उत्पादन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। देश में अनाज के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम आदि कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत बीजों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के प्रयोग छोटी सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबन्ध के प्रचार-प्रसार तथा उन्नत कृषि उपस्करों के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान कार्य भी लगातार किया जा रहा है, ताकि भारत में अनाज के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। प्रौद्योगिकि के कारगर अंतरण के लिए किसानों तथा कृषि मजदूरों के प्रशिक्षण सहित किसानों की जोतों पर प्रदर्शन भी आयोजित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि

987. श्री बी॰ एस॰ शिवकुमार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को जानकारी है कि 1 अप्रैल, 1993 से 15 नवम्बर, 1995 के दौरान बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ई॰ पी॰ एफ॰ पेंशन योजना के नियमों में संशोधन करके उन्हें 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है जिससे कि 1 अप्रैल, 1993 से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी पेन्शन पाने के हकदार हो सकें?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जो कर्मचारी समाप्त की गई परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और जो 1.4.1993 से 15.11.1995 की अवधि के दौरान सेवानिवृत हुए थे वे पेंशन के पात्र हैं जैसा कि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में प्रावधान किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

[हिन्दी]

इंडियन ऑयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड

988. श्री सूकामी सरोज : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड में हुई अनियमितताओं के बारे में कोई छानबीन की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या कंपनी ने कुछ कंपनियों को ठेके देने में भेदभाव किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (घ) कच्चा माल प्रभाग (आर एम डी) सेल में कुछ फर्मों का पक्ष लेने सहित ठेका आदि देने में अनियमितताएं बरतने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ-साथ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) और अन्य स्रोतों के जरिए विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई थी। सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जाँच की गई थी। सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इस मंत्रालय में जाँच की गई। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई सलाह के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) कच्चा माल प्रभाग/सेल, कलकत्ता के पूर्व निदेशक, जिन्होंने बाद में इस्को के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था, को निलंबित कर दिया गया है और बड़ी शास्ति लगाने हेतु उनके विरुद्ध नियमित अनुशासनात्मक कार्रवाई (आर डी ए) शुरू की गई है।

(ii) इस कार्य के लिए उत्तरदायी पाए गए सभी अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी बड़ी शास्ति लगाने हेतु नियमित अनुशासनात्मक कार्रवाई (आर डी ए) शुरू की गई है।

हज तीर्थयात्रियों का चयन

989. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के दौरान सऊदी अरब हज हेतु भेजने के लिए विभिन्न राज्यों से हाजियों की एक सूची तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार कितने व्यक्तियों ने हज पर जाने के लिए आवेदन किया तथा इनमें से कितने आवेदकों का चयन किया गया तथा कितनों को अस्वीकृत किया गया तथा अस्वीकृत किए गए आवेदनों के क्या कारण थे;

(घ) हाजियों का चयन करने के लिए किन मानदंडों का पालन किया जाता है; और

(ङ) 1998 तथा 1999 के दौरान अलग-अलग राज्य-वार चयन किए गए तथा भेजे गए हाजियों की क्या संख्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) हज 2000-सरकार ने केन्द्रीय हज समिति का कोटा 66000 से बढ़ाकर 72000 कर दिया है। केन्द्रीय हज समिति द्वारा विभन्न राज्य हज समितियों को बांटे गए कोटे का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय हज समिति के अनुसार हज-2000 के लिए 74490 आवेदन प्राप्त हुए। यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या आबंटित सीटों से ज्यादा होती है तब राज्य हज समितियां 'कुरराह' (लाटरी) द्वारा हज यात्रियों का चयन करती हैं।

(ङ) विवरण II और III में 1998 और 1999 में हज करने के लिए चुने गए हज यात्रियों की संख्या बताई गई है।

विवरण-I

हज-2000

राज्य	मूल कोटा	प्राप्त आवेदन
1	2	3
दमन व दीव	37	27
दादर और नगर हवेली	37	30
गोवा	55	25
गुजरात	2174	8428
मध्य प्रदेश	1979	3819
महाराष्ट्र	4599	10117
चण्डीगढ़	55	21
दिल्ली	536	3391
हरियाणा	461	865
हिमाचल प्रदेश	46	13
जम्मू कश्मीर	2485	
पंजाब	145	131
उत्तर प्रदेश	14534	14550
राजस्थान	2125	4062
आंध्र प्रदेश	3571	3721
कर्नाटक	3155	4544
अन्डमान निकोबार	55	37
लक्षद्वीप	111	208
पांडिचेरी	55	61
केरल	4092	7275
तमिलनाडु	1840	3736
असम	3904	650
बिहार	7709	1662
मणिपुर	81	137
उड़ीसा	349	248
त्रिपुरा	119	11
प० बंगाल	9691	2295
सरकारी कोटा	2000	-
योग	66000	74490

28.1.2000 को सरकार ने 6000 सीटे बढ़ाई तथा उस तारीख तक सीटें रद्द करवाने के कारण उपलब्ध 1000 सीटें निम्नलिखित तीन राज्यों को अपने बकाया आवेदनों को निबटाने के लिए दी गई।

महाराष्ट्र	2263
गुजरात	3600
दिल्ली	1137
योग	7000

विवरण-II

हज-1998

राज्य	मूल कोटा	कुल प्राप्त आवेदन	यात्रा पर गए कुल तीर्थ यात्री
दमन व दीव	37	17	12
दादरा और नगर हवेली	37	34	34
गोवा	55	13	13
गुजरात	2174	6155	5630
मध्य प्रदेश	1979	4225	3933
महाराष्ट्र	4599	11202	10340
चण्डीगढ़	55	2	2
दिल्ली	536	2320	2173
हरियाणा	461	1082	1040
हिमाचल प्रदेश	46	11	11
जम्मू कश्मीर	2485	3807	3656
पंजाब	145	154	151
उत्तर प्रदेश	14534	14495	13789
राजस्थान	2125	3590	3422
आंध्र प्रदेश	3571	2099	1935
कर्नाटक	3155	4105	3820
अन्डमान निकोबार	55	11	11
लक्षद्वीप	111	148	143
पांडिचेरी	55	59	52
केरल	4092	5687	5361
तमिलनाडु	1840	3571	3309
असम	3904	642	596
बिहार	7709	972	906
मणिपुर	81	134	116
उड़ीसा	349	191	185
त्रिपुरा	119	6	5
प० बंगाल	9691	1799	1711
सरकारी कोटा	2000	1252	1216
योग	66000	67783	63572

विवरण-III

हज-1999

राज्य	मूल कोटा	कुल प्राप्त आवेदन	यात्रा पर गए कुल तीर्थ यात्री
दमन व दीव	37	12	12
दादरा और नगर हवेली	37	35	35
गोवा	55	27	27
गुजरात	2174	5658	5310
मध्य प्रदेश	1979	3798	3604
महाराष्ट्र	4599	11258	10517
चण्डीगढ़	55	4	4
दिल्ली	536	2563	2422
हरियाणा	461	888	855
हिमाचल प्रदेश	46	26	24
जम्मू कश्मीर	2485	3339	3252
पंजाब	145	127	126
उत्तर प्रदेश	14534	15677	15064
राजस्थान	2125	3211	3119
आंध्र प्रदेश	3571	2568	2406
कर्नाटक	3155	3760	3606
अन्डमान निकोबार	55	15	15
लक्षद्वीप	111	241	234
पांडिचेरी	55	35	34
केरल	4092	4369	4192
तमिलनाडु	1840	2777	2661
असम	3904	487	472
बिहार	7709	1277	1212
मणिपुर	81	176	170
उड़ीसा	349	159	152
त्रिपुरा	119	22	21
प० बंगाल	9691	2011	1916
सरकारी कोटा	2000	659	640
योग	66000	65179	62100

[अनुवाद]

नेपाल में जाली नोटों का गिरोह

990. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती रानी नरह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का विचार आई. एस. आई. समर्थित जाली नोटों के गिरोह के मुद्दों को नेपाल के साथ उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों ने भारत के विरुद्ध नेपाल का इस्तेमाल करने के पाकिस्तानी इरादे के बारे में गभीर चिंता जतायी है;

(ग) क्या दोनों देशों ने संयुक्त रूप से छानबीन शुरू करने और नेपाल में पाकिस्तानी आई. एस. आई. की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु सहमत हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या नेपाल सरकार भारत द्वारा लिए गए सभी सुझावों से सहमत है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी दोनों सरकारों के बीच हुए समझौता का ब्यौरा क्या है; और

(च) नेपाल से आई.एस.आई की गतिविधियों को किसी सीमा तक रोका गया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार नेपाल में जाली भारतीय नोटों के चलन में आई एस आई की भागीदारी के बारे में जागरूक है और चिन्तित है। यह मामला नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ उठाया गया है। इस मसले पर साझी चिन्ता भारत के विरुद्ध निर्देशित गतिविधियों के लिए नेपाली क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए तात्कालिक आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से दोनों पक्षों द्वारा व्यक्त की गई दृढ़ता से स्पष्ट होती है।

(ग) से (च) आई. एस. आई. की इन गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिए नेपाल के साथ विशेष रूप से प्रभावी सीमा प्रबंधन के क्रियान्वयन में सहयोग बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। दोनों सरकारों की संबंधित एजेन्सियां इस समस्या के निदान में समन्वित प्रयास करने के लिए निरन्तर सम्पर्क बनाए रखती हैं। इसके साथ साथ सीमा प्रबन्ध से सम्बद्ध संयुक्त कार्य दल और गृह सचिव स्तरीय बातचीत जैसे द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र भी काम कर रहे हैं विशेष रूप से जो सुरक्षा मामलों से सम्बद्ध सहयोग विकसित करने और इन हित चिंताओं का समाधान करने के लिए बनी हैं, इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में दोनों पक्ष भारत-नेपाल की खुली सीमा के दुरुपयोग अथवा भारत के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से की जा रही गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त रूप से समन्वित उपाय करने के लिए सहमत हुए हैं। अपनी ओर से, नेपाल की सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह इस क्षेत्र को भारत के हितों की विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं होने देगा और भारत सरकार को अपना सहयोग देता रहेगा।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स के विमान के अपहरण के मद्देनजर विदेश नीति में परिवर्तन

991. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में यात्री विमान के अपहरण और विश्व जनमत की बदलती राय के मद्देनजर भारत की विदेश नीति में कोई परिवर्तन किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध सुधारने में वांछित सफलता न मिलने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या समझौता एक्सप्रेस ट्रेन और दिल्ली-लाहौर बस सेवा भविष्य में जारी रखने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार विदेश नीति में मजबूती लाने के लिए विशेष प्रयास करेगी; और

(ङ) क्या अमेरिका भारत के साथ दोस्ती कायम रखने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेगा?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) भारत की विदेश नीति सुविदित और स्पष्ट सिद्धान्तों पर आधारित है जिनमें सभी देशों और लोगों के साथ शान्तिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना शामिल है। हम इस नीति के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। इंडियन एयरलाइन्स के विमान के अपहरण की घटना से आतंकवाद का सामना करने का हमारा संकल्प और भी सुदृढ़ हो गया है जो विभिन्न देशों के साथ हमारे विचार विमर्श का महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप भूटान, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंधों का निर्माण हुआ है। अपहरण के संकट के दौरान हमें मिले समर्थन से हमारी विदेश नीति जो वर्षों से अटल रही है की सराहना और उसके समर्थन की और अधिक पुष्टि हुई है। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है उस देश की हमारे प्रति वैरपूर्ण नीति सार्थक द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण में बाधक बनी है। हालांकि हम पाकिस्तान के साथ शान्ति और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तथापि इसे पाकिस्तान द्वारा अपने सीमा पार के आतंकवाद और हमारे विरुद्ध दुष्प्रचार का परित्याग करके सुसाध्य बनाए जाने की आवश्यकता है।

(ग) समझौता एक्सप्रेस अथवा दिल्ली-लाहौर बस सेवा को बंद करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) विदेश नीति अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रहती है। लगातार परिवर्तित हो रही विश्वव्यापी वरिदृश्य की घटनाओं की प्रतिक्रिया में हमारी विदेश नीति को राष्ट्र के हितों और हमारी विदेश नीति के बुनियादी सिद्धान्तों को सदैव दृष्टिगत रखते हुए और सुदृढ़ करने के लिए निरन्तर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) सरकार पाकिस्तान समर्थित सीमापार के आतंकवाद और भारत की और उसके वैरपूर्ण रवैये को अमरीका सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों में हर समय उजागर करती रहती है। विशेषकर कारगिल में सशस्त्र घुसपैठ के बाद सीमापार के आंतकवाद को मिल रहे पाकिस्तान के समर्थन की भूमिका की अमरीकी सहित, अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता में वृद्धि हुई है। आतंकवाद का मुकाबला करने के तौर-तरीकों पर कई देशों के साथ बातचीत भी कर रही है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, भारत और संयुक्त राज्य ने इस क्षेत्र में अपने सहयोग में तेजी लाने के लिए आतंकवाद संयुक्त कार्य दल का गठन किया है।

[अनुवाद]

आर्थिक मंत्रालयों में नियुक्त आई.ए.एस. अधिकारी

992. **श्री मोहन रावले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग और रक्षा मंत्रालय समेत विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों में कितने आई.ए.एस. अधिकारी काम कर रहे हैं;

(ख) इन मंत्रालयों में कितने विशेषज्ञ/व्यावसायिक काम कर रहे हैं; और

(ग) सरकार ने इन मंत्रालयों में व्यावसायिकों/विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) आर्थिक और गैर-आर्थिक मंत्रालयों में भेद किये जाने की कोई सुनिश्चित, सुस्पष्ट और अपनाई गई परिभाषा नहीं है। फिर भी, कुछ मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले कार्य की विनियामक प्रकृति की आम धारणा के आधार पर, तथा उन मंत्रालयों के पदों को छोड़कर, अन्य मंत्रालयों के साथ-साथ, योजना आयोग तथा रक्षा मंत्रालय में मौजूद पदों के बारे में जानकारी संकलित कर ली गई है। 23.02.2000 को रक्षा मंत्रालय तथा योजना आयोग सहित, ऐसे मंत्रालयों/विभागों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 401 अधिकारी कार्यरत थे।

(ख) और (ग) विशेषज्ञों/पेशेवरों के पद संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी अपेक्षा के अनुसार स्वीकृत करवाए जाते हैं। इस बारे में उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन मंत्रालयों/विभागों में 2129 पेशेवर/विशेषज्ञ कार्यरत थे।

[अनुवाद]

कृषि उत्पाद विपणन समिति

993. **श्री राजो सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पाद विपणन समितियों के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना को पुनर्जीवित करने हेतु बिहार सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. वी. पी. वी. के. सत्यनारायण राव) : (क) कृषि मंडियों के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को पुन: चालू करने के लिए बिहार राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

994. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि. में सरकारी इक्विटी की सुव्यवस्थित बिक्री के लिए प्रथम प्रयास के रूप में हिन्दुस्तान लीवर लि. के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते पर हस्ताक्षर करते समय श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि. में सरकार तथा हिन्दुस्तान लीवर लि. की हिस्सेदारी का अनुपात कितना-कितना है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) सरकार ने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं) लिमिटेड में उसकी इक्विटी में से 74% का विनिवेश हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को कर दिया गया है।

(ख) समझौते की मुख्य विशेषताएं विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं) लिमिटेड में कर्मचारियों के हितों की रक्षा की समझौते में व्यवस्था का उल्लेख विवरण के भाग च में (1) से (4) तक किया गया है। इसके अलावा, स्ट्रेटजिक पार्टनर ने कंपनी, उसके कर्मचारियों और शेयरहोल्डरों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त योजनाएं बनाई हैं।

(ङ) मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं) लिमिटेड में सरकार और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की इक्विटी का अनुपात 26:74 है।

विवरण

सरकार, मै. हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड (एच एल एल) तथा माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लिमिटेड के बीच हुए समझौते की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(क) सरकार ने एम एफ आई एल में अपनी इक्विटी का 74% विनिवेश एच एल एल को कर दिया है। मै. हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड (एच. एल. एल.) ने सरकार को 105.45 करोड़ रु. की रकम का भुगतान किया है और मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लिमिटेड में 74% सरकारी इक्विटी प्राप्त करने के लिए 20 करोड़ रु. की राशि इस तरह डाली है कि एम.एफ.आई.एल. में उसकी शेयरधारिता 74 प्रतिशत तक सीमित रहे।

(ख) शेयर खरीद समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ प्री-क्लोजिंग अवधि यानि 1.4.99 से 31.1.2000 से पहले के मामलों में प्राप्त/भुगतान योग्य, खरीददार को हुई हानि, कर-दायित्व और मुकदमों आदि के कारण होने वाले पोस्ट क्लोजिंग समायोजन की व्यवस्था है।

(ग) एमएफआईएल का प्रबन्ध इसके निदेशक मंडल (बोर्ड) द्वारा किया जाएगा और मंडल (बोर्ड) के सभी फैसले बहुमत द्वारा किए जाएंगे। लेकिन कुछ मामलों में जैसे शेयर का हस्तान्तरण, कम्पनी की सभी या मूलत; सभी परिसम्पत्तियों की बिक्री, समापन, विलयन/समामेलन तथा अतिरिक्त शेयरों को जारी करने के लिए भारत सरकार के निदेशक की मंजूरी जरूरी है।

(घ) निदेशक मंडल की बैठक की गणपूर्ति के लिए एक सरकारी निदेशक की उपस्थिति जरूरी है ।

(ङ) समझौते की शर्तों के अनुसार सरकार को एमएफआईएल के बोर्ड में दो निदेशक नामित करने का तब तक हक होगा जब तक इसके पास 25% या उससे अधिक शेयर हैं। इनमें से एक निदेशक, मंडल का अध्यक्ष होगा और उसकी तथा कम्पनी के शेयरधारकों की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। एच एल एल को अधिकतम 5 निदेशक नामित करने का हक होगा और इनमें से एक निदेशक मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लिमिटेड का प्रबंध निदेशक होगा।

(च) समझौते में अन्य बातों के साथ साथ कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:

(1) शेयरधारक समझौते के विवरण में यह कहा गया है कि "सभी पक्ष यह मानते हैं कि कम्पनी के इस तारीख को सभी कर्मचारी कम्पनी के नियोजन में बने रहेगें।"

(2) समझौते की तारीख की पहली वार्षिकी के अन्त तक कम्पनी के कर्मचारियों को उनकी नौकरी से बर्खास्तगी या समापन, लागू स्टाफ विनियमों या कम्पनी के प्रचलित आदेशों या कानून के अनुसार की जा सकती है; बशर्ते कि इस समझौते की तारीख की पहली वार्षिकी तक किसी कर्मचारी की छंटनी तब तक नहीं की जाएगी जब तक प्रभावित कर्मचारी को उतने लाभ न दिए जाएँ जो अधिकतम लाभ के बराबर या उससे ज्यादा हों। इसका तात्पर्य यह है कि कर्मचारी को मिलने वाला लाभ (क) इस तारीख को कम्पनी के कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के तहत दिए जाने वाले या (ख) लागू कानून के तहत किसी कर्मचारी को उपलब्ध लाभ से ज्यादा हो।

कर्मचारियों से संबंधित अनुबंध को तोड़ना व्यतिक्रम (चूक) समझा जाएगा जिस पर दण्डात्मक कार्रवाई हो सकेगी। इस दण्डात्मक कार्रवाई में एम एफ आई एल में स्ट्रेटजिक पाटर्नर के शेयर को 25% बट्टे पर खरीदना या सरकारी स्वामित्व वाले सभी एम.एफ.आई.एल. शेयरों को 25% अधिमूल्य पर स्ट्रेटजिक पाटर्नर को बेचना शामिल है। यह अधिकार सरकार के स्ट्रेटजिक पाटर्नर के विरुद्ध कानूनी या इक्विटी में उपचार तलाशने के अधिकार संबंधी पूर्वाग्रह के बगैर है।

उपर्युक्त के होते हुए भी, समझौते देश के कानूनों के अनुसार प्रशासित होंगे और इस तरह कर्मचारियों के हित भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत प्रशासित होंगे।

समझौते में उन संभाव्य स्थितियों की भी चर्चा है जिन्हें व्यतिक्रम (चूक) समझा जाएगा और प्रत्येक पक्ष के प्रत्यावेदन और समाश्वासन के अलावा चूककर्ता पक्ष को दण्डात्मक कार्रवाई के योग्य बनाएगा।

आतंकवाद से मुकाबला

995. **श्री मोइनुल हसन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार का विचार आतंकवाद से मुकाबला करने हेतु नए तरीके तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार आतंकवादी गतिविधियों से निबटने हेतु अन्य देशों के सम्पर्क में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत सरकार ने अमेरिका के साथ आतंकवाद के खतरों से लड़ने हेतु सहयोग के क्षेत्रों का पता करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारत सरकार द्वारा महाशक्तियों से ऐसे सहयोग की मांग दिसम्बर 1999 में भारतीय विमान के अहपरण के समय की गई थी; और

(छ) यदि हां, तो इससे भारत को किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार आतंकवाद के दमन को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, भारत आतंकवाद की चुनौती का प्रतिकार करने के लिए और तरीकों का पता लगाने के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय सर्वानुमति तैयार करने में अग्रणी रहा है। सरकार इस मामले पर अनेक देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है और उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सहयोग देने का प्रस्ताव किया है।

(घ) और (ङ) अमरीका के साथ इस प्रकार का कोई करार संपन्न नहीं हुआ है। तथापि, आतंकवाद प्रतिकार संबंधी भारत-अमरीका संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक में, जो इसी माह वाशिंगटन में संपन्न हुई, दोनों देश अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद दमन के लिए सहयोग बढाने संबंधी व्यापक उपायों पर सहमत हुए, और इस प्रकिया के एक भाग में रूप में दोनों पक्ष अनुभव, सूचना आदान-प्रदान और दृष्टिकोण और कार्रवाई में समन्वय करेंगे।

(च) और (छ) दिसम्बर, 1999 में इन्डियन एयरलाइन्स विमान अपहरण के तत्काल पश्चात, विदेश मंत्री ने पड़ोसी देशों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और उन सरकारों के विदेश स्थित राष्ट्रिकों के साथ जिन्होंने विमान का अपहरण किया, सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने अनेक समकक्षों के साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। विदेश सचिव ने भी अपने अनेक समकक्षों और नई दिल्ली स्थित राजनयिक मिशनों के प्रमुखों के साथ बातचीत की। सभी ने, समर्थन और सहयोग के वचन दिए। इस बात का अनेक विदेशी सरकारों द्वारा जारी किए गए निन्दा वक्तव्यों में और अधिक खुलासा किया गया, जिनमें अपहरण को अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के एक अमान्य कृत्य के रूप दर्शाया गया।

[हिन्दी]

"ड्रिप" सिंचाई हेतु राजसहायता

996. श्री रामशकल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "ड्रिप" सिंचाई व्यवस्था लागू करने और ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को राजसहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में "ड्रिप" सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत इस समय राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है;

(घ) अब तक किसानों को राजसहायता की कितनी धनराशि का वितरण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि में प्लास्टिक के उपयोग और ऑयल पाम विकास परियोजना पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन छोटे, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कुल लागत के 90% की दर से तथा अन्य श्रेणी के किसानों को कुल लागत के 70% की दर से टपका सिंचाई के लिए सहायता दी जा रही है, किन्तु दोनों श्रेणी के किसानों के लिए इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रु. प्रति हैक्टे. होगी। इसी प्रकार छोटे किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन 30,000/- रु. प्रति ट्रैक्टर की कुल लागत सीमा के तहत 30% की दर से सहायता दी जा रही है। यह सहायता एकल और समूह, पंजीकृत सहकारी समितियों, बहुउद्देशीय कृषि फार्मिंग समितियों और कृषि ऋण समितियों सहित सभी श्रेणी के किसानों को 30 पावर टेक ऑफ हार्स पावर क्षमता तक के ट्रैक्टर तथा इसके औजार खरीदने के लिए उपलब्ध है।

(ग) देश में टपका सिंचाई से सिंचित कुल क्षेत्र को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को प्लास्टिकल्चर के उपयोग पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन निर्मुक्त निधियों तथा वर्तमान वर्ष के लिए आंवटन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण-I

टपका सिंचाई के अधीन राज्यवार कवर किया गया क्षेत्र

राज्य	टपका सिंचाई के अधीन सिंचित क्षेत्र(है.)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	32476
अरुणाचल प्रदेश	160
असम	38
बिहार	0
गोवा	407
गुजरात	7700
हरियाणा	1899
हिमाचल प्रदेश	1995
जम्मू व कश्मीर	143
कर्नाटक	49574
केरल	5472
मध्य प्रदेश	2383
महाराष्ट्र	142347
मणिपुर	199
मेघालय	16
मिजोरम	64
नागालैन्ड	250

1	2
उड़ीसा	1948
पंजाब	1384
राजस्थान	4554
सिक्किम	148
तमिलनाडु	38216
त्रिपुरा	0
उत्तर प्रदेश	1543
पश्चिम बंगाल	9
दादर नगर व हवेली	3
दमन व दीव	24
दिल्ली	4
लक्षद्वीप	0
चंडीगढ़	0
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0
पांडिचेरी	60
योग	293016

विवरण-II

प्लास्टिकल्चर स्कीम के अधीन प्रदत्त राज्यवार सहायता

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (परिव्यय)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1460.00	1070.00	1410.75	1277.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.61	0.00	46.00	42.20
3.	असम	0.00	0.00	0.00	14.90
4.	बिहार	50.00	0.00	0.00	34.70
5.	गोवा	22.52	3.00	19.00	22.30
6.	गुजरात	0.00	100.00	141.49	230.20
7.	हरियाणा	100.36	44.00	155.42	96.70
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	33.40
9.	जम्मू व कश्मीर	543.42	570.00	262.00	483.30
10.	कर्नाटक	1854.95	2234.00	2995.00	2372.80
11.	केरल	242.95	304.00	415.65	365.40
12.	मध्य प्रदेश	0.00	80.00	183.10	221.10
13.	महाराष्ट्र	2011.28	2447.00	3194.13	2703.90
14.	मणिपुर	24.81	24.00	63.00	30.10
15.	मेघालय	19.81	0.00	45.00	34.20
16.	मिजोरम	32.33	38.00	88.00	38.10
17.	नागालैन्ड	36.35	70.00	96.60	41.80
18.	उड़ीसा	168.71	125.00	0.00	14.80
19.	पंजाब	116.41	0.00	93.00	98.50
20.	राजस्थान	50.25	287.00	270.00	309.70
21.	सिक्किम	15.00	38.00	45.32	43.20
22.	तमिलनाडु	826.94	515.00	1095.00	1052.25
23.	त्रिपुरा	19.16	0.00	0.00	26.50
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	115.59	234.57
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	8.40
26.	दादर व नगर हवेली	0.00	8.50	0.00	5.50
27.	दमन व दीव	10.33	8.50	5.00	5.80
28.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	1.10
29.	लक्षद्वीप	0.00	4.50	5.00	5.80
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	9.80	0.00	0.00	1.80
	योग	7634.99	7970.5	10744.05	9850.52

[अनुवाद]

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

997. **श्री विकास चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवा शेवा में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में ठेका श्रमिकों की कतिपय श्रेणियों को निषिद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने उक्त आदेश लागू किया है;

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब से लागू किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) जी हाँ। केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का. आ. 1000 (ई) दिनांक 01.10.1999 द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुम्बई के टग्स, पायलट लाचेज तथा मूरिंग लाचेज में ठेका श्रम रोजगार को प्रतिषिद्ध किया था।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

998. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम का हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय है;

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्य और कार्य क्या हैं;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उचित सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कामगारों के स्वास्थ्य संबंधी मामले में किस हद तक सुधार किया है;

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने आंध्र प्रदेश राज्य में अति विशिष्टताओं से युक्त अस्पताल की आवश्यकता का अध्ययन किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी हाँ।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख क्रियाकलाप अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कारखानों/प्रतिष्ठानों को दायरे में लेने, अंशदान को एकत्र करके, चूककर्ता नियोजकों के अभियोजन, नकद लाभों के वितरण, चिकित्सा देखरेख के संचालन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ समन्वय आदि से सम्बन्धित हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) से (छ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देखरेख के संचालन का उत्तरदायित्व, दिल्ली और नौएडा, जहां इसका संचालन सीधे क॰ रा॰ बी॰ निगम द्वारा किया जा रहा है, के अलावा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों में निहित है। क॰ रा॰ बी॰ निगम ने क॰ रा॰ बी॰ अस्पतालों/औषधालयों में स्टाफ और उपस्करों के लिए मानक/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, क॰ रा॰ बी॰ अस्पतालों/औषधालयों में चिकित्सा देखरेख सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से हाल ही में क. रा. बी. निगम ने एक कार्रवाई योजना बनाई है और क्रियान्वयन के लिए इसे आन्ध्र प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकारों को अग्रेषित किया है। कार्रवाई योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ अस्पतालों में आधुनिक उपस्कर प्रणाली की व्यवस्था, औषधालयों में मूलभूत उपस्करों की उपलब्धता, क्षेत्रीय ट्राउमा केन्द्रों की स्थापना, उच्च विशेषज्ञता सेवाओं की स्थापना, ब्लड बैंकों, कैंसर इलाज केन्द्रों, देशी औषधि प्रणाली का विकास, प्रतिष्ठित मैडिकल संस्थानों के साथ परस्पर संबंध स्थापित करना आदि शामिल है।

विदेश मंत्री की मास्को यात्रा

999. श्री माधवराव सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वह रक्षा, व्यापार और आर्थिक मामलों में दीर्घकालिक सहयोग हेतु वार्ता करने के लिए मास्को गए थे; और

(ख) यदि हां, तो वार्ताओं का क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) और (ख) 23-25 मई, 1999 तक मैंने रूसी परिसंघ की सरकारी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री बोरिस येल्तसिन के साथ टेलीफोन पर मेरी वार्ता हुई। मैंने उप प्रधान मंत्री वेनेन्टिना मैटवियेन्को, रूसी परिसंघ की सुरक्षा परिषद के सचिव बलादीमीर पुटिन, बाल्कन के लिए रूसी राष्ट्रपति के तत्कालीन विशेष दूत विक्टर चेरनोमिर्दिन तथा मास्को नगर के मेयर यूरी लुझकोव से भी मुलाकात की। अपने समकक्ष विदेश मंत्री आइगोर इवानोव के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर मैंने व्यापक विचार विमर्श किया। रूसी परिसंघ के साथ हमारा कार्यकलाप व्यापक और बहुफलकीय है। सभी क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय सहयोग को संवर्द्धित और विकसित किये जाने पर भी चर्चा हुई। यह सहमति हुई कि अगले भारत-रूस शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत और रूसी परिसंघ के बीच एक सामरिक भागीदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई तटरक्षकों द्वारा हमला

1000. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान श्रीलंकाई तटरक्षकों द्वारा भारतीय मछुआरों पर किए गए हमलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान श्रीलंकाई तटरक्षकों द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय मछुआरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें रिहा कराने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) श्रीलंकाई तटरक्षकों द्वारा होने वाने अन्धाधुन्ध हमलों से भारी नुकसान उठा रहे भारतीय मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) ब्यौरे संकलित किए जा रहे हैं। तत्पश्चात सूचना सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) भारतीय मछुआरों के सामने आई समस्याओं को उच्चस्तर पर श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया गया है। जब कभी मछुआरों और उनकी नौकाओं से संबंधित वारदातों की सरकार को जानकारी मिलती है, उस मामले को भी श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया जाता है। दोनों पक्ष इन समस्यों के मानवीय आधार पर और सहानुभूतिपूर्वक समाधान की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। श्रीलंका की सरकार ने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया है कि उसने अपनी

सेनाओं को श्रीलंका के जल क्षेत्र में पाए जाने वाले भारतीय मछुआरों के साथ अधिकतम संयम बरतने के अनुदेश दिए गए हैं। तथापि, श्रीलंका की सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि श्रीलंका के जल क्षेत्र में उसकी उत्तरी भाग के आसपास एक गंभीर सुरक्षा खतरा बना हुआ है और श्रीलंका किनारों के निकट संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय नौकाओं के बडे पैमाने पर आवागमन पर चिन्ता व्यक्त की है। उसने अपने जल क्षेत्र में लिट्टे की हिंसक गतिविधियों का भी उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के रोजगार सृजन कार्यक्रम

1001. श्री पी. आर. खूंटे : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कौन से जिलों, विशेषत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/आदिवासी/पिछडे क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के रोजगार सृजन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों को शामिल करने के क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम में और अधिक जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) खादी ग्रामोद्योग आयोग के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिले कवर किए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

1002. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत खराब हुई फसलों से प्रभावित किसानों को भुगतान करने के लिए केन्द्रीय अंशदान बढ़ाने के संदर्भ में राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र और अन्य राज्य सरकारों को दिए गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अतर्गत धनराशि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच भागीदारी निधि सहित वित्तीय व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है, जो इस प्रकार है:

1. भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच धनराशि 2:1 आधार पर वहन की जाए, न कि 1:1 आधार पर जैसा कि राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम में निर्धारित है।

2. "निधि कोष" का सृजन करना न्यायोचित नहीं है, अत: इसे छोड़ दिया जाए।

3. स्कीम कार्यान्वयन संबंधी प्रशासनिक व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाए।

4. फसल कटाई परीक्षणों पर होने वाला व्यय एवं अन्य तत्संबंधी व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार 2:1 आधार पर वहन करें।

5. छोटे तथा सीमान्त किसानों को राजसहायता प्राप्त प्रीमियम के लाभ भी समाप्त करने संबंधी व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

(ग) स्कीम की समीक्षा करते समय राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान अपहरण की पूर्व सूचना

1003. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान को इण्डियन एयरलाइन्स विमान के अपहरण की पूर्व सूचना थी;

(ख) यदि हां, तो काठमाण्डू से दिल्ली आ रहे इण्डियन एयरलाइन्स विमान के अपहरण की नेपाल द्वारा कराई गई जांच के दस्तावेज सरकार को प्राप्त हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में उल्लिखित मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने मामले की जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम रहा?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान राजकीय नीति के एक मामले के रूप में आतंकवाद का अनुसरण कर रहा है और हाल ही में हुई आई सी 814 के अपहरण की घटना भारत के विरुद्ध निदेशित आतंकवाद का एक उदाहरण था।

(ख) और (ग) 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान आई सी 814 के काठमांडू से अपहरण के बाद त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा संबंधी मसलों की जांच करने के लिए नेपाल के महामहिम की सरकार ने 25 दिसंबर 1999 को पूर्व पुलिस महानिरीक्षक हेम बहादुर सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने 24 जनवरी 2000 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। भारत सरकार को समिति की इस रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है क्योंकि यह रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने अपहरण की घटना की जांच का कार्य सी बी आई को सौंपा है और इस समय जांच कार्य चल रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स के अपहरणकर्त्ताओं को पासपोर्ट जारी किया जाना

1004. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जनवरी, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'फाल्स पासपोर्ट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आई. सी. 814 विमान का अपहरण कर कंधार ले जाने वाले गिरोह के सरगना इब्राहिम अतहर द्वारा अपनाई गई कार्यविधि का ब्यौरा क्या है जिसने बम्बई पासपोर्ट कार्यालय से दो दिनों के अन्दर ही बड़ी आसानी से पासपोर्टों की व्यवस्था कर ली;

(घ) क्या बम्बई पासपोर्ट कार्यालय के उन कर्मचारियों का पता लगा दिया गया है जो पासपोर्ट जारी करने में संलिप्त थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) देश में बेइमान और अवांछित लोगों पर कानून की गिरफ्त सख्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संबंधित जांच अभिकरणों के अनुसार कथित पाकिस्तानी राष्ट्रिक इब्राहिम अतहर ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुम्बई में दो भिन्न नामों तथा भिन्न पतों से दो अलग अलग पासपोर्टों के लिए आवेदन किया था। इन दोनों आवेदनों पर पुलिस जांच सहित सभी आवेदनों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई की गई। इन दोनों आवेदनों पर न तो तेजी से कोई कार्रवाई की गई और न ही बिना चारी के उन्हें निबटाया गया।

(घ) से (च) जांचकर्त्ता अभिकरणों ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई के तीन कर्मचारियों को हिरासत में लिया है।

(छ) सरकार देश में अनैतिक एवं अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध सतर्कता के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

कोसी ऊंचा-बांध परियोजना

1005. **श्रीमती रेनु कुमारी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) भारत सरकार द्वारा कोसी ऊँचा-बांध परियोजना जो कई वर्षों से भारत सरकार और नेपाल सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है, के त्वरित कार्यचलन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) उक्त परियोजना के पूरा हो जाने के बाद अनुमानत: कितनी सिचाई और जल-विद्युत की उत्पादन क्षमता प्राप्त होने की संभावना है ; और

(ग) इस परियोजना संबंधी कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) सप्त कोसी उच्च बाँध बहुउद्देशीय परियोजना नामक जल संसाधन विकास परियोजना कई वर्षों से नेपाल और दोनों सरकारों के विचाराधीन है। सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देशीय परियोजना (एसकेएचबीएमपी) के अन्वेषण के तौर-तरीकों और संयुक्त अध्ययनों/अन्वेषणों के लाभों का मूल्यांकन करने की पद्धति को अन्तिम रूप देने के लिए वर्ष 1992 में भारत और नेपाल के विशेषज्ञों का एक संयुक्त दल गठित किया गया था। संयुक्त विशेषज्ञ दल की अब तक फरवरी, 1992 और जनवरी, 1997 में दो बैठकें हुई हैं। बैठक के निष्कर्षों के अनुसार महामहिम नेपाल सरकार द्वारा एक प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी तथा संयुक्त विशेषज्ञ दल द्वारा उसे स्वीकार किया जाऐगा। अन्वेषण करने और संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशा निर्देश शामिल होंगे जिसके लिए पहले संयुक्त क्षेत्र कार्य/सर्वेक्षण/अन्वेषण किए जाने हैं। हाल में महामहिम नेपाल सरकार से एक संशोधित प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें परियोजना के उद्देश्य, क्षेत्र अन्वेषणों का कार्यक्षेत्र, परियोजना निर्माण, विद्युत, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, अन्तर्देशीय नौवहन आदि के सम्बन्ध में विभिन्न परियोजना लाभों के मूल्यांकन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। इस संशोधित प्रारम्भिक रिपोर्ट पर दोनों देशों द्वारा सैद्धान्तिक रूप से सहमति दी जानी है। यह संयुक्त विशेषज्ञ दल द्वारा स्वीकृत की जानी है। इस प्रकार जहाँ तक परियोजना के कार्यान्वयन का सम्बन्ध है यह परियोजना अभी विचार-विमर्श की प्रारम्भिक अवस्था में है।

(ख) संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का परियोजना प्रस्ताव तैयार करने/उसे अन्तिम रूप देने के बाद की परियोजना के पूरा हो जाने पर उससे होने वाली अनुमानत: सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन क्षमता के ब्यौरों की जानकारी मिल सकेगी।

(ग) इस परियोजना का कार्य शुरू करने का सम्भावित समय अभी बताना जल्दबाजी होगी।

आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों की सूची

1006. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने विशेषत: दिल्ली में तैनात आई.ए.एस., आई.पी.एस. तथा अन्य भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस-सेवा के भ्रष्ट अधिकारियों और अन्य भ्रष्ट अधिकारियों, विशेषत: दिल्ली में तैनात भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार नहीं की है। फिर भी, आयोग ने संगठित सेवाओं के उन अधिकारियों के नाम अपने वेबसाइट में रखे हैं जिनके विरुद्ध उसने पिछले दस वर्ष के दौरान, "आपराधिक अभियोजन" अथवा "भारी शास्ति की कार्रवाई" की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के ग्रेड-I तथा उससे ऊपर के अधिकारियों के संबंध में यह मंत्रालय, संगत अनुशासन और अपील नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त केन्द्र-सरकार के अधिकारों का प्रयोग करता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध वेबसाइट में प्रदर्शित 83 मामलों में से 2 मामले, दोषी अधिकारियों का निधन हो जाने पर समाप्त कर दिए गए हैं। 10 मामलों के सिवाय, अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह लेने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है।

अन्य सेवाओं के संबंध में ऐसी ही जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

बाल श्रम संबंधी कानून

1007. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र की समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार से बाल श्रम संबंधी कानूनों में संशोधन करने हेतु कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट तथा इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) बालक के अधिकारों संबंधी अभिसमय पर सं. रा. समिति की जनवरी, 2000 में जेनेवा में बैठक हुई।

समिति ने अपने अन्तिम प्रेक्षण में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची के संशोधनों पर गौर किया है। समिति ने काम कर रहे बालकों की एक बड़ी तादात तथा नियोजन के लिए न्यूनतम आयु मानकों के अप्रवर्तन पर चिंता जाहिर की। समिति ने नियोजन में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु से संबंधित अं॰ श्र॰ सं॰ अभिसमय सं॰ 138 तथा बाल श्रम के निकृष्टतम स्वरूप के प्रतिषेध तथा उसे समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने संबंधी अं॰ श्र॰ सं॰ अभिसमय सं॰ 182 का अनुसमर्थन करने की सिफारिश की । अं॰ श्र॰ सं॰ अभिसमय सं॰ 138 तथा 182 के अनुसमर्थन के संबंध में कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

इंस्ट्रूमेंटलिटीज द्वारा बनाए गए विनियम

1008. श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की इंस्ट्रूमेंटलिटीज नियम और विनियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उपयुक्त प्रावधान का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार का कोई भी अभिकरण, कानून के प्रावधानों अथवा अपने संविधान के चार्टर के अनुसार नियम बना सकता है। कोई भी अभिकरण, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपने ही नियम बना सकता है अथवा केन्द्र सरकार के नियम अपना सकता है अथवा केन्द्र सरकार के नियमों में, कानूनी ढांचे के अंतर्गत यथा अनुमत उपयुक्त संशोधन करके उन्हें ही अपना सकता है।

सरकार के किसी भी अभिकरण के संबंध में कानून और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का ही होता है।

लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता

1009. श्री सुबोध मोहिते : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता की समस्या से निपटने हेतु कोई नया विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यस्तरीय अंतर संस्थागत समितियों को सांविधिक दर्जा प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए उच्च स्तरीय समिति (कपूर समिति) गठित की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सम्भाव्य कार्यक्षेत्र लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के संबंध में निर्णयों को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय अंतर्संस्थान समितियों को स्थायी शक्तियां देने की सिफारिश की है। उपरोक्त सिफारिश परीक्षणाधीन है।

[हिन्दी]

इंग्लैंड वीसा बांड प्रस्ताव

1010. डा॰ अशोक पटेल:
श्री के. मुरलीधरन:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री पवन कुमार बंसल:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31.1.2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'ब्रिटेन मूट्स 10,000 श्योरिटी टू प्रिवेंट विजीटर्स फ्रॉम ओवरस्टेइंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार और दिनांक 1.2.2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'इंडिया में रिटलिएट टू यू. के. वीसा बांड प्रोपोजल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपना विरोध जताया है और इस मामले को अधिक स्पष्टीकरण हेतु ब्रिटिश अधिकारियों के साथ उठाया है;

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटेन के विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य मंत्री के साथ उनकी हाल की यात्रा के दौरान इस मामले पर चर्चा की थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्रिटेन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का यू.के.वीसा बांड प्रस्ताव के विरुद्ध पारस्परिक कार्रवाई करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो ऐसे उत्पीड़न से भारतीय लोगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने इस मामले को ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रकुल कार्य राज्य मंत्री श्री कीथ वाज के साथ भी उठाया है जिन्होंने 31 जनवरी, से 5 फरवरी 2000 तक भारत की यात्रा की थी।

(घ) ब्रिटिश सरकार ने यह बताया कि यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। इसने प्रमुख वित्तीय बांड परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्थान के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। भारत के लोग ब्रिटिश वीजा सेवा के, विद्यमान नियमों के अनुसार, सामान्य दस्तावेजों के साथ ब्रिटिश वीजा के लिए आवेदन करना जारी रख सकते हैं।

(ङ) से (छ) ब्रिटिश सरकार भारतीयों को वीजा देने के लिए यदि नियमों और दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करती है तो, सरकार इसी तरह की अन्योन्य कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

[अनुवाद]

कर्मापा मुद्दे पर चर्चा

1011. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री कृष्णमराजू:
श्री आर.एल. भाटिया:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीन ने कर्मापा लामा की भारत यात्रा के बारे में जानकारी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने भी कर्मापा लामा के तिब्बत छोड़ने और चीन से उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें 17वें कर्मापा उग्येन त्रिनले दोर्जे ने धर्मशाला के लिये कठिन और कठिन और लंबे मार्ग की यात्रा की, पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या दोनों देश इस मुद्दे पर सौहार्दपूर्ण चर्चा करने के लिए सहमत हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारत और चीन दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं और इस मुद्दे पर भारत और चीन के बीच स्पष्ट सहमति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) उनके अनुयायियों द्वारा 17वें ग्यालवा करमापा के रूप में मान्यता प्राप्त लामा उग्येन थिनले दोरजी

के 5 जनवरी 2000 को धर्मशाला आगमन पर चीन की सरकार ने भारत सरकार से उनके पता-ठिकाने के बारे में सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

(ख) चीनी पक्ष से तिब्बत से भारत की ओर उनके प्रस्थान की परिस्थितियों से संबंधित ब्यौरों से हमें अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

(ग) से (ङ) भारत और चीन राजनयिक माध्यमों से संपर्क करते रहे हैं। दोनों पक्षों ने पंचशील के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों के सुधार और विकास पर संतोष व्यक्त किया है।

नोय्याल नदी में बहिस्त्राव छोड़ना

1012. **श्री पी॰ कुमारसामी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में नोय्याल नदी में अत्यधिक बहिस्त्राव होने के कारण, आसपास के कुओं विशेषरूप से ओलथू पलायम जलाशय में जल संदूषित हो गया है और इस क्षेत्र की भूमि भी दिन-प्रतिदिन बंजर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने नोय्याल नदी में गंदा जल छोड़ने (एल्लुअन्ट) से संबंधित ऐसे किसी मामले की सूचना जल संसाधन मंत्रालय को नहीं दी है।

जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद

1013. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री रामचन्द्र पासवान:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में उग्रवादियों की हिंसक गतिविधियों और सीमापार से आतंकवाद में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए देश में आतंकवाद के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार को विश्व समुदाय से क्या प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) से (ग) आतंकवाद से निपटना सरकार का प्राथमिक मसला है तथा भारत आतंकवाद से लड़ने संबंधी आवश्यकता पर अन्तर्राष्ट्रीय मतैक्य बनाने के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत की पहल पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। बहुपक्षीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 54वें सत्र में अतंर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने संबंधी उपायों पर संकल्प स्वीकार किया गया जिसमें राज्यों से आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण, उनको बढ़ावा देने, उनको प्रशिक्षण देने अथवा अन्यथा समर्थन देने से दूर रहने कर आह्वान किया गया है। महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय के भारत के प्रारूप पर सितम्बर 2000 तक बातचीत शुरू करने का भी निर्णय लिया। सुरक्षा परिषद ने अक्टूबर 1999 में एक संकल्प भी स्वीकार किया जिसमें आतंकवाद की निन्दा की गई तथा सभी राज्यों से इससे लड़ने में सहयोग करने का आह्वान किया। द्विपक्षीय स्तरों पर भी हमें प्रमुख देशों से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही हैं।

[हिन्दी]

खेतिहर मजदूर

1014. **डा॰ सुशील कुमार इन्दौरा:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खेतिहर मजदूरों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय कोष के गठन का विचार है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) खेतिहर मजदूरों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान अधिनियमित करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन मजदूरों के लिए कतिपय कल्याण/सामाजिक सुरक्षा उपायों अर्थात मृत्यु अथवा चोट के मामले में वित्तीय सहायता समूह बीमा प्रीमियम, स्वास्थ्य, प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था पेंशन, आवास और बाल शिक्षा आदि के लिए भुगतान मुहैया कराने हेतु कल्याण निधि का सृजन शामिल है। मसौदा विधान के कुछ मुद्दों के बारे में कुछ राज्य सरकारों द्वारा कतिपय आपत्तियां व्यक्त की गई थीं। चूंकि सरकार का प्रयास आम राय बनाने का रहा है अत: 18.1.2000 को नई दिल्ली में राज्य श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस समय राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हुए थे। राज्य सरकारों के विचारों/अभिमतों के आधार पर प्रस्ताव की पुनर्जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

1015. श्री एम.बी.वी.एस.मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री पवन कुमार बंसल:
श्री शिवाजी माने:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 2000 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में, "सोशल सिक्योरिटी फार एजड मस्ट टॉप प्राइरॉटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आर्थिक और सामाजिक शोध के लिए परिषद द्वारा सुझाए गए सुझावों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या समयावधि निर्धारित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) एक गैर सरकारी संगठन, हेल्प एज इंडिया द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 3 और 4 फरवरी, 2000 को दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्याशाला में आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान परिषद ने वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना के मसौदे के रूप में वृद्ध व्यक्तियों के लिए सुरक्षा नेट के प्रति दृष्टिकोण शीर्षक पर एक पेपर प्रस्तुत किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उच्चायोग के स्टाफ सदस्य के साथ दुर्व्यवहार

1016. श्री नरेश पुगलिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उच्चायोग के एक स्टाफ का इस्लामाबाद में जनवरी, 2000 में पाकिस्तान की पुलिस द्वारा अपहरण कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय उच्चायोग के स्टाफ सदस्य को मानसिक तथा शारीरिक यातना दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस संबंध में पाकिस्तान सरकार के साथ कोई विरोध दर्ज किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पाकिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ङ) श्री पी. मोसेज, इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के एक कर्मचारी का 16 जनवरी, 2000 को पाकिस्तानी पुलिस के अधिकारियों द्वारा अपहरण किया गया था। हिरासत में उन्हें मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से यातना दी गई। उन्हें पाक टी वी सहित मीडिया के समक्ष वह स्वीकारोक्ति पढ़ने के लिए उत्पीड़ित किया गया कि वह आतंकवादी गतिविधियों को शह देने और उकसाने में संलिप्त था। इस तथाकथित स्वीकारोक्ति का बाद में पीटीवी पर प्रसारण किया गया। उन्हें 17 जनवरी, 2000 को प्रात: काल रिहा किया गया।

सरकार ने इस घटना की कड़ी निन्दा की। श्री मोसेज के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों के घिनौने व्यवहार के बारे मे पाकिस्तान के साथ सख्त विरोध दर्ज कराया है। सरकार ने श्री पी मोसेज के विरुद्ध पाकिस्तान की सरकार द्वारा लगाए गए झूठे और बेबुनियाद आरोपों को भी खारिज कर दिया और उन्हें याद दिलाया कि इस प्रकार की कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय बाध्यताओं का घोर उल्लंघन है।

कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए बंगलादेश/मंगोलिया के साथ समझौता

1017. श्री रामपाल सिंह:
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत द्वारा बंगलादेश और मंगोलिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता कब से प्रभावी होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰ सत्यनारायण राव) : (क) से (ग) भारत और बंगलादेश के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए दिनांक 22 जनवरी, 2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार दोनों देश कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, कृषि उत्पादन तथा संयुक्त गतिविधियों, कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि प्रसंस्करण, वैज्ञानिक सामग्री, जानकारी तथा कार्मिकों के आदान-प्रदान के माध्यम से सहयोग विकास को बढ़ावा देंगे। संयुक्त गतिविधियों में कृषि अनुसंधान, पशुपालन, मात्स्यिकी, कृषि विस्तार, बीज उत्पादन आदि से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं। समझौता ज्ञापन में इसके उद्देश्यों को कार्यरूप प्रदान करने के लिए दोनों देशो की परस्पर सहमति से द्विवार्षिक कार्य योजना बनाने तथा ज्ञापन के अन्तर्गत गतिविधियों की

प्रगति की समीक्षा करने तथा मार्गदर्शन के लिए एक संयुक्त कृषि कार्यदल गठित करने का प्रावधान है। समझौता ज्ञापन 22 जनवरी, 2000 से प्रभावी है।

कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार तथा मंगोलिया सरकार के बीच एक समझौते पर दिनांक 16 सितम्बर, 1996 को हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते में कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक, तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग का प्रावधान है। समझौते में प्रस्तावित विशिष्ट प्रस्तावों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए परस्पर सहमति से कार्ययोजना बनाए जाने का भी प्रावधान है। कृषि के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक कार्ययोजना पर भारत सरकार तथा मंगोलिया सरकार के बीच दिनांक 28 जनवरी, 2000 को हस्ताक्षर किए गए। इस कार्ययोजना में बीज नमूनों के आदान-प्रदान, कृषि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में मंगोलियाई विशेषज्ञों को भारत में प्रशिक्षण तथा भारतीय विशेषज्ञों के मंगोलिया में अध्ययन दौरे, दोनों देशों के कृषि अनुसंधान संस्थानों के मध्य सीधे संबंध स्थापित करने आदि से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। कार्य योजना 28 जनवरी, 2000 से लागू हो गई है।

विकलांगों के लिए निजी/सरकारी क्षेत्र में आरक्षण

1018. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विकलांगों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में विकलांगों को आरक्षण प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि सरकारी क्षेत्र में विकलांगों के लिए आरक्षित पदों को आज तक नहीं भरा गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(छ) इन रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को संशोधित करने का प्रस्ताव हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में प्रत्येक उपयुक्त सरकार की स्थापनाओं में प्रत्येक विकलांगता के लिए अभिज्ञात पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए कम से कम 3% रिक्त पदों का प्रावधान है जिसमें से (1) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि (2) श्रवण विकलांगता और (3) चलन संबंधी विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक विकलांगता हेतु एक प्रतिशत रिक्त पद आरक्षित करने का प्रावधान है।

(ङ) से (छ) दिनांक 30.6.1998 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार समूह "ग" और "घ" से संबंधित स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नि:शक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की पहचान करने के लिए जोरदार अभियान चलाने तथा इन पदों पर विकलांग व्यक्तियों को भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि न्यूनतम 3% के आरक्षण को यथासंभव शीघ्र प्राप्त किया जा सके, जैसा कि इस अधिनियम में परिकल्पित है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनसे सूचना प्राप्त हुई	विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध बैकलॉग रिक्तियों सहित रिक्तियों की सं॰		भरी गई रिक्तियों की संख्या	
	ग	घ	ग	घ
*	576	616	57	29

* समूह "ग" के मामले में : 53
समूह "घ" के मामले में : 42

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण

1019. श्री रामदास आठवले: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों/जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के लिए आरक्षण की समीक्षा करने के लिए बहुत सारे आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 2000 को आधार वर्ष मानते हुए इस वर्ग के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की समीक्षा करने के लिए अनेक अनुरोध प्राप्त किए हैं। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय में यह टिप्पणी की है कि अनुच्छेद 16 का खण्ड 4 जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजतियों/अन्य जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य को अधिकार देता है (पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में उल्लेख करता है न कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में। शीर्ष न्यायालय ने आगे टिप्पणी की है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना संभव नहीं है यद्यपि कुल जनसंख्या से अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात निश्चय ही संगत होगा। इसलिए अनुच्छेद 16 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सही तरीके से और समुचित सीमाओं के भीतर किया

जाना चाहिए जिससे कि अनुच्छेद 16 की धारा 2 के अंतर्गत आरक्षण 50% से अधिक न हो। इस समय अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पहले ही आरक्षण क्रमशः 49.5% तथा खुली प्रतियोगिता के द्वारा सीधी भर्ती तथा खुली प्रतियोगिता से अन्यथा सीधी भर्ती के मामले में 50% का प्रावधान है। तथा उपर्युक्त उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रतिशतता में कोई आगे वृद्धि संभाव्य नहीं है।

[अनुवाद]

बकाया मुद्दों पर भारत-चीन के बीच बातचीत

1020. श्री सुरेश कुरूप : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के बीच आपसी बकाया मुद्दों पर बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा और उससे क्या निष्कर्ष निकला है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) हम चीन के साथ अनसुलझे मसलों का हल करने के लिए वार्ता प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध हैं। विभिन्न स्तरों पर चीन के साथ वार्ता चल रही है। चीन के साथ विदेश कार्यालय परामर्श 25-26, फरवरी, 1999 तक बीजिंग में संपन्न हुआ। सीमा मसले संबंधी संयुक्त कार्यदल की ग्यारहवीं बैठक 26-27 अप्रैल, 1999 तक बीजिंग में संपन्न हुई राजनयिक और सैन्य अधिकारियों के विशेषज्ञ दल की सातवीं बैठक 24 नवम्बर, 1999 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। मैं 14-15 जून, 1999 तक चीन की यात्रा पर गया और इसके पश्चात, 25 जुलाई, 1999 को सिंगापुर में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विश्वासोत्पादक उपाय बढाने, सुरक्षा संवाद आयोजित करने, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार करने तथा राजनयिक संबंधों को बढ़ाने तथा राजनयिक संबंधों की स्थापना (1 अप्रैल, 2000) की अगामी 50वीं वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मनाने के लिए सहमति हुई। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री आर्थिक संबंध तथा व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-चीन संयुक्त दल की 21-22 फरवरी, 2000 तक बीजिंग में संपन्न छठी बैठक में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा पर गए। इस बैठक के दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने संबंधी उपायों पर सहमत हुए।

सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा/अनुप्रयोग

1021. श्री नामदेव ह्रबाजी दिवाथे:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री अनन्त नायक:

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वव्यापीकरण के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचुरोद्भव/विकास हेतु नीति तैयार करने के लिए कोई उच्च अधिकार प्राप्त 'ग्रुप' गठित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसका पैनल कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा;

(ग) केन्द्र/राज्य स्तर पर सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु लिए गए और कार्यान्वित किये गये प्रमुख नीति संबंधी निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के कार्य को बिना अपने हस्तक्षेप के चलाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) समिति केवल एक परामर्शदाता निकाय है। इस समय कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विचार नहीं है। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका मुख्यतः एक सक्रिय सहायक, प्रोत्साहनकर्ता तथा प्रेरक की है। यह सामान्य जनता में सूचना प्रौद्योगिकी का तीव्र प्रसार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप होने वाला तीव्र विकास सुनिश्चित करेगा। मानव संसाधन विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य

1.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री	अध्यक्ष
2.	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
3.	श्री एफ.सी.कोहली, उपाध्यक्ष, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज	सदस्य
4.	श्री एन.आर.नारायण मूर्ति, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनफोसिस टेक्नोलॉजी लि.	सदस्य
5.	श्री अजीम प्रेमजी, अध्यक्ष, विप्रो कार्पोरेशन	सदस्य
6.	श्री सुभाष चन्द्र, अध्यक्ष, एसेल कम्पनी समूह	सदस्य
7.	श्री बी. रामलिंग राजू, अध्यक्ष, सत्यम कम्प्यूटर सर्विसिज लिमिटेड	सदस्य
8.	श्री आर. एस. पवार, अध्यक्ष, एनआईआईटी लिमिटेड	सदस्य
9.	श्री राजीव चन्द्रशेखर, अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक, बीपीएल टेलीकॉम बिजनेस ग्रुप	सदस्य
10.	प्रो. वी. राजू, निर्देशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
11.	श्री देवांग मेहता, अध्यक्ष, नैस्कॉम	सदस्य
12.	श्री सतीश कौड़ा, अध्यक्ष सैमटेल इंडिया लिमिटेड	सदस्य
13.	श्री जी. पी. गोयंका, अध्यक्ष, फिक्की	सदस्य
14.	श्री राहुल बजाज, अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ	सदस्य
15.	श्री एस. लक्ष्मीनारायणन, संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	संयोजक

2. यह समिति :

(क) महत्वपूर्ण/उदीयमान क्षेत्रों का पता लगाएगी और विशेषज्ञता का निर्माण करने, मानव संसाधन का विकास करने तथा अनुसंधान एवं विकास के कार्यकलापों का अनुपोषण करने के लिए उपायों/नीतियों/कार्रवाइयों का सुझाव देगी जिसका उद्देश्य सम्पति का सृजन करना, आर्थिक विकास में तेजी लाना तथा रोजगार के अवसरों का सृजन करना होगा ताकि भारत को विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाया जा सके।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक शासन, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, सुदूर अधिगम, अंकीय लाइब्रेरी आदि जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का तेजी से विकास और प्रसार करने के लिए उपाय सुझाएगी।

3. समिति की दो महीने में एक बैठक होगी और यह किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रिती के रूप में सहयोजित कर सकती है।

सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक

1022. **श्री भीम दाहाल:**
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच सीमा प्रबन्धन पर संयुक्त कार्यकारी दल की एक त्रिदिवसीय बैठक हाल ही में थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उनका ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) सीमा प्रबधंन से संबद्ध भारत-नेपाल संयुक्त कार्यदल की तीसरी बैठक 1-3 फरवरी, 2000 तक काठमांडू में हुई। बैठक में सुरक्षा मसलों पर ठोस उपायों और सहयोग पर चर्चा, इनकी समीक्षा और इन पर अनुवर्ती कार्रवाई की गयी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध की गयी गतिविधियों के लिए अपने अपने क्षेत्रों का उपयोग किये जाने की अनुमति नहीं दिये जाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने संयुक्त कार्य दल की पिछली बैठक के बाद की घटनाओं की समीक्षा की तथा भारत-नेपाल सीमा के और भी प्रभावी प्रबंधन तथा नियत्रण के लिए अपनायी जाने वाले क्रियाविधियों के संबंध में उनके विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ। वे सीमा पर अवांछनीय गतिविधियों पर नियंत्रण पाने और आतंकवादियों, अपराधियों और अन्य अवांछनीय तत्वों के आवागमन को रोकने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए सहमत हुए। इस पर बल दिया गया कि खुली सीमा में अवाध रूप से आने जाने से संबंधित दोनों देशों के राष्ट्रिकों को प्राप्त विशेषाधिकार का दुरुपयोग न तो हमारे द्वारा और न ही किसी तीसरे देश के राष्ट्रिकों द्वारा किया जाना चाहिए। केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों की तैनाती सहित संवेदनशील सीमा केन्द्रों पर सघन और समन्वित गश्त की आवश्यकता पर चर्चा हुई ताकि वैध तरीकों से इस्तेमाल करने वालों के लिए इस सुविधा को जारी रखने का सुनिश्चय करते हुए भारत नेपाल खुली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ायी जाए और इसका दुरुपयोग रोका जाए।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग

1023. **डा॰ संजय पासवान:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की जनगणना कराने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की जनगणना हेतु विश्व बैंक ने क्या मानदण्ड बनाए हैं;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भिक वर्षों की तुलना में देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या कितनी है; और

(घ) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जनगणना, जिसे सामान्यत: बी.पी.एल. जनगणना के नाम से जाना जाता है, दो चरणों में कराई जाती है। पहला, कुछ अपवर्जन मानदंडों के आधार पर कुछ परिवारों को अलग कर दिया जाता है। अपवर्जन मानदंड निम्नानुसार हैं: यदि किसी परिवार के पास दो हैक्टेयर से अधिक भूमि है, पक्का घर है, यदि परिवार के किसी आवासी सदस्य की वेतन/स्व:रेजगार से वार्षिक आय 20,000 रुपये प्रतिवर्ष (1700 रु. प्रतिमाह) से अधिक है, अथवा यदि परिवार में एक टेलीविजन सेट, फ्रिज, सीलिंग फैन, मोटर साइकिल/स्कूटर, तिपहिया या ट्रैक्टर, पावर टिलर, कम्बाइन्ड थ्रेशर/हारवैस्टर है तो परिवार को बीपीएल समूह से बाहर रखा जाता है।

शेष परिवारों में कुल खपत, बाजार से खरीदा हुआ तथा घर में उगाया हुआ, दोनों ही, को परिवार के सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। यदि यह राशि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों द्वारा किए जा रहे व्यय, जो कि गरीबों के अनुपात एवं संख्या के अनुमान के संबंध में विशेषज्ञ दल (लकड़ावाला समिति) की रिपोर्ट में निहित पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य स्तर पर आकलित की जाती है, की श्रेणी में आती है तो परिवार को बीपीएल समूह में समझा जाता है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की जनगणना करवाने के विश्व बैंक के मानदंड ज्ञात नहीं हैं। हालांकि, बैंक, सदस्य देशों द्वारा उनकी स्वयं की कार्यप्रणालियों का प्रयोग करते हुए संगणित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत को प्रकाशित करता है। यह 1985 की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर मापित तथा क्रय शक्ति समानता रूपांतरण कारक का उपयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा के साथ समायोजित, एक अमरीकी डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से विश्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत की भी गणना करता है।

(ग) योजना आयोग, उपभोक्ता व्यय के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा करवाए गए वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के प्रतिशत का अनुमान लगाता है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या जानने के लिए इन प्रतिशतांकों को अनुमानित जनसंख्या पर लागू किया जाता है। एनएसएसओ द्वारा उपभोक्ता व्यय के वृहत सर्वेक्षण लगभग पांच वर्ष के अंतराल में करवाए जाते हैं। पिछला ऐसा सर्वेक्षण 1993-94 में कराया गया था। उपभोक्ता व्यय के संबंध में अगला वृहत सर्वेक्षण जुलाई, 1999 से जून, 2000 की अवधि के दौरान कराया जा रहा है। इस प्रकार 1997-2002 की अवधि को कवर करने वाली नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। उपभोक्ता व्यय के संबंध में एनएसएसओ के वृहत प्रतिदर्श आंकडों से गरीबी के नवीनतम अनुमान वर्ष 1993-94 के लिए उपलब्ध हैं। इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भिक वर्ष माना जा सकता है क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997 की अवधि को कवर करती है। 1993-94 में 35.97 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे।

(घ) देश में गरीबी उन्मूलन एवं उसमें कमी लाने के लिए त्रिविध कार्यनीति अपनाई जा रही है। ये हैं-(क) आर्थिक विकास में तेजी लाना (ख) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के माध्यम से मानव एवं सामाजिक विकास, आदि तथा (ग) रोजगार एवं आय सृजन कार्यक्रमों तथा गरीबों के लिए सम्पत्ति-निर्माण के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

1024. श्री सी. के. जाफर शरीफ:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारों ने केन्द्र सरकार से नर्मदा बांध (सरदार सरोवर बांध) की ऊंचाई 19 मीटर कम करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) सरदार सरोवर बांध की उँचाई घटाने के वास्ते गुजरात, महाराष्ट्र एंव राजस्थान की सरकार ने भारत सरकार से कोई सम्पर्क नहीं किया है।

तथापि, नर्मदा बचाओ आन्दोलन (एन.बी.ए.) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट यचिका की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर से घटाकर 132.89 मीटर करने के वास्ते इस तर्क पर अनुरोध किया कि इसके कारण जलमग्नता वाले क्षेत्र एवं परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या में कमी आएगी। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा-3 के तहत मध्य प्रदेश सरकार की एक शिकायत एंव अंतर्राज्यीय नदी नर्मदा के जल का उपयोग, वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित एक विवाद के निपटारे के लिए अधिकरण को भेजे जाने के वास्ते एक अनुरोध भी दिनांक 23.3.1998 को प्राप्त हुआ, इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य बातों के साथ पूर्ण जलाशय स्तर (एफ आर एल), को 138.68 मीटर से घटाकर 132.89 मीटर करने सहित बहुत से आधारों पर एक नए अधिकरण द्वारा पुन: निर्णय करवाने की मांग की है।

तथापि, भारत सरकार के विचार में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त आवेदन अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 का उल्लंघन है अत: इस पर विचार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को दिनांक 30.3.1999 को सूचित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

1025. श्री रामानंद सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमन्त्री योजना के अंतर्गत ऋण मंजूर करने के लिए राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त किए गए;

(ख) जिन लाभार्थियों का कामधन्धा चल रहा है तथा जिनका बन्द हो गया है उनकी संख्या क्रमश: कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मामलों की पुनरीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मंजूर किए गए तथा बैंकों को भेजे गए प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा उन पर क्या निर्णय लिया गया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) पिछले तीन वर्षों में अर्थात 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अखिल भारतीय मूल्यांकन के अन्तर्गत किये गये नमूना अध्ययन के आधार पर वृद्धि दर 99.3% थी (अर्थात 15098 ऋण संवितरण मामले में से 15002 इकाइयां स्थापित की गई) ।

राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रत्यक्ष जांच दर्शाती है कि वर्ष 1997-98 के लिए वृद्धि दर 92.59% है तथा 1998-99 के लिए 91.79% है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के लिए ऋण संस्वीकृति हेतु बैंकों को 15,07,052 आवेदन पत्र भेजे गये। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 7,97,220 मामलों में ऋण संस्वीकृत किया गया तथा 5,83,996 मामलों में ऋण संवितरित किया जा चुका है।

विवरण

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए राज्यवार आवेदन

(राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर) प्राप्त आवेदन पत्र (संख्या)

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	110521	88509	84484
2.	असम	58714	58011	67358
3.	बिहार	58714	39591	32962
4.	दिल्ली	5121	7751	4836
5.	गोवा	639	423	494
6.	गुजरात	26272	27341	29850
7.	हरियाणा	21386	14157	17610
8.	हिमाचल प्रदेश	5880	4829	4700
9.	जम्मू व कश्मीर	6713	8114	7862
10.	कर्नाटक	58046	64604	71327
11.	केरल	69946	63214	46918
12.	मध्य प्रदेश	84759	71963	73609
13.	महाराष्ट्र	71482	78971	70231
14.	मणिपुर	Nil	15504	20297
15.	मिजोरम	2213	2615	3470
16.	उड़ीसा	46290	38632	35503
17.	पंजाब	22918	21152	21529
18.	राजस्थान	35430	33964	35763
19.	तमिलनाडु	45310	44976	45756
20.	त्रिपुरा	4413	2780	3534
21.	उत्तर प्रदेश	106984	111276	119266
22.	पश्चिम बंगाल	30793	20467	16212
23.	अंडमान एवं निकोबार	177	212	406
24.	अरुणाचल प्रदेश	771	750	1215
25.	चंडीगढ़	528	512	433
26.	दादर व नगर हवेली	295	109	89
27.	दमन एवं दीव	180	174	108
28.	नागालैण्ड	1556	1395	2565
29.	लक्षद्वीप	75	92	108
30.	मेघालय	1557	1793	1771
31.	पांडिचेरी	1246	1438	1483
32.	सिक्किम	303	161	137
	कुल	879232	825480	821886

[अनुवाद]

ऋण को बट्टे खाते में डालना

1026. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि संघ सरकार इस्पात विकास निधि द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और निजी क्षेत्र की अन्य इस्पात कंपनियों को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते में डालने में सक्षम है;

(ख) यदि हाँ, तो इस्पात संयंत्रों को एस डी एफ द्वारा दिए गए और ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कलकत्ता उच्च न्यायालय की इस व्यवस्था पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिनांक 3.2.2000 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ साथ यह निर्णय दिया है कि इस्पात विकास निधि से दिए गए ऋण संबंधी मामले सहित सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों/उद्योगों को निजी क्षेत्र के संयंत्रों/उद्योगों से भिन्न माना जा सकता है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों (सेल) के मामले में सरकार ब्याज को माफ कर सकती है अथवा ऋण को बट्टे खाते भी डाल सकती है।

(ख) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार इस्पात विकास निधि (एस डी एफ) से प्रमुख उत्पादकों को दिए गए ऋण का विवरण निम्नानुसार है:

1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि॰(सेल) 4761.44 करोड़ रुपए

2. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि॰(टिस्को) 905.10 करोड़ रुपए

3. इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी लि॰ (इस्को) 44.68 करोड़ रुपए

(ग) सरकार न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करती है।

इनसेट-3 बी का प्रक्षेपण

1027. श्री वैको: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संचार उपग्रह इनसेट-3बी के प्रक्षेपण कार्य को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस उपग्रह के प्रक्षेपण की लागत और बाधाएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन से उपग्रह का प्रक्षेपण करने की संभावना खोज रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) इन्सैट-3बी उपग्रह को मार्च 2000 के तृतीय सप्ताह में कौरू, फ्रेंच गियाना से एरियन-5 प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित किया जायेगा।

(ग) इन्सैट-3बी उपग्रह के प्रमोचन की लागत 63.5 मिलियन अमरीकी डालर है। इन्सैट-3बी उपग्रह में 12 विस्तृत सी-बैण्ड प्रेषानुकर, 3 के.यू.- बैण्ड प्रेषानुकर और एक मोबाइल उपग्रह सेवा (एम.एस.एस.) प्रेषानुकर रखा गया है। इन्सैट-3बी के प्रमोचन से, इन्सैट प्रणाली में वीसैट सेवाओं, प्रशिक्षण और विकास संचार तथा मोबाइल उपग्रह सेवा के लिए अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता में और अधिक वृद्धि होगी।

(घ) से (च) भारत ने श्रीहरिकोटा रेंज से हमारे अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) द्वारा एक टन श्रेणी के ध्रुवीय उपग्रहों के प्रमोचन की क्षमता का निर्माण किया है। पी.एस.एल.वी. में श्रीहरिकोटा से निम्न भू-कक्षा में 3 टन भार के नीतभार के प्रमोचन की भी क्षमता है। इन्सैट श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन के लिए भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) का विकास प्रगति में है।

आई.ए. आई.सी. 814 विमान के अपहरण मुद्दे की जांच

1028. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह भी सच है कि विदेश मंत्री आतंकवादियों को कंधार तक छोड़ने के लिए स्वयं गए थे;

(ख) यदि हां, तो आतंकवादियों के साथ ऐसे जाने का क्या अभिप्राय है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इंडियन एयरलाइंस के अपहरण के कारणों की जांच करवायी है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) विदेश मंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए कंधार जाने का फैसला किया कि बिना किसी अन्तिम क्षण की अड़चन के अपहरण की घटना का पटाक्षेप और यात्रियों तथा चालकदल की सुगम रिहाई और सुरक्षित वापसी हो सके और इसलिए भी कि वहां पर तत्काल यदि कोई आवश्यकता पड़े तो फौरी निर्णय लिया जा सके। कंधार में और उस वायुयान में मंत्री की उपस्थिति जिसमें यात्री स्वदेश लौटे, से उन सभी रिहा यात्रियों को धीरज बंधा जो एक सप्ताह से अधिक समय तक बंधक बनाए रखे गए थे। कंधार एयरपोर्ट पर सीमित संरचनागत सुविधाओं के कारण उत्पन्न एकमात्र संभारतंत्रीय बाध्यताओं के फलस्वरूप तथा एक साथ अधिक वायुयानों को संचालित करने की उनकी अक्षमता के कारण उन्हें उसी विमान में जिसमें तीनों आतंकवादी सवार थे, यात्रा करनी पड़ी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपहरण मामले की जांच कर रहा है।

नदियों को गहरा करना

1029. श्री ए. नरेन्द्र: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले कई वर्षों से नदियों की जल धण्डारण क्षमता में उनको गहरा करने का कार्य न किए जाने के कारण कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने नदियों की जल भंडारण क्षमता का निर्धारण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने नदियों की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कोई योजना शुरू की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) ऐसे कोई अध्ययन नहीं किये गये हैं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

पेन्शन योजना

1030. डा॰ वी॰ सरोजा: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र को पेन्शन योजना के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेन्शन योजना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जाने वाले संगठित क्षेत्र के उद्योगों को ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सरकार ने औद्योगिक कामगारों के लिए कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 नामक एक पेन्शन योजना पहले ही शुरू कर दी है। यह योजना 20 अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले 177 उद्योगों/प्रतिष्ठानों में लगे कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता है। बहुत से असंगठित क्षेत्र जैसे बीड़ी, ईंट, कत्था, अगरबत्ती, भवन/निर्माण, कॉपर, कृषीय फार्म्स, पशु पालन, मुर्गी पालन, चटनी उद्योगों आदि पर भी कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 लागू है।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार में "इंस्ट्रूमेंटलिटीज"

1031. श्री राधा मोहन सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के "इंस्ट्रूमेंटलिटीज" पूरी तरह वित्त पोषित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये "इंस्ट्रूमेंटलिटीज" अपने संबंधित कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त/अधिकृत हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे संबंधित विशिष्ट कानून क्या हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) संघ सरकार द्वारा, अभिकरणों को संपूर्णत: या आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जा सकता है।

(ख) अपने नियमों के प्रावधानों के अनुसार, अभिकरण अपने कर्मचारियों को सुविधाएं संस्वीकृत कर सकते हैं।

(ग) इस बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

कुशल और अकुशल श्रमिक

1032. श्री बृजलाल खाबरी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए क्या न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है;

(ख) क्या देश की अनेक औद्योगिक इकाइयां अपने श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं देती हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण हैं; और,

(घ) उपर्युक्त श्रमिकों को पूर्ण न्यूनतम मजदूरी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) कुशल तथा अकुशल कर्मकारों के लिए केन्द्रीय/राज्य/के.शा.प्र. सरकारों द्वारा नियत मजदूरी दरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों के अधीन अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। जब कभी मजदूरी न अदा किये जाने या न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी से अदा किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो प्रवर्तन प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करता है। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आवधिक निरीक्षण भी किये जाते हैं।

विवरण

केन्द्रीय/राज्य/के.शा.प्र. सरकारों द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें (रू./दिन) 1.1.99 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य/के.शा.प्र.	कर्मकारों की श्रेणी	
		अकुशल	कुशल
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	27.00 से 63.19	40.76*
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.60 से 37.60	44.60 से 46.60
3.	असम	32.80 से 55.80	65.70
4.	बिहार	38.61 से 51.00	62.30
5.	गोवा	21.00 से 25.00	70.00**
6.	गुजरात	58.80 से 79.20	59.50 से 62.10**
7.	हरियाणा	70.12 से 73.12	66.28**
8.	हिमाचल प्रदेश	26.00 से 45.75	59.12

1	2	3	4
9.	जम्मू व कश्मीर	30.00	48.00 से 60.00
10.	कर्नाटक	26.00 से 74.00	59.53 से 75.80
11.	केरल	30.00	उ.न.
12.	मध्य प्रदेश	49.46 से 56.46	63.57
13.	महाराष्ट्र	9.23 से 85.92	29.26 to 57.29**
14.	मणिपुर	44.65 से 49.50	51.65 से 54.65
15.	मेघालय	35.00	45.00
16.	मिजोरम	48.00	90.00
17.	नागालैन्ड	25.00	उ.न.
18.	उड़ीसा	42.50	58.50
19.	पंजाब	54.07 से 62.96	63.65
20.	पांडिचेरी	19.25 से 65.00	75.00
21.	राजस्थान	32.00 से 44.00	50.00
22.	तमिलनाडु	22.40 से 82.72	उ.न.
23.	त्रिपुरा	17.70 से 36.00	65.00
24.	उत्तर प्रदेश	42.02 से 64.21	52.12 से 73.85
25.	पश्चिम बंगाल	36.55 से 79.99	36.76 **
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	50.00 से 86.76	72.00**
27.	चंडीगढ़	52.09 से 71.93	77.87
28.	दादर व नगर हवेली	38.00 से 44.00	55.00
29.	दिल्ली	90.30	106.60
30.	दमन व दीव	50.00 से 60.00	70.00
31.	लक्षद्वीप	41.40	51.46
	केन्द्रीय क्षेत्र	46.22 से 84.12	71.33 से 92.12

उ.न. : उपलब्ध नहीं

नोट : न्यूनतम मजदूरी दरों में जहां व्यवस्था है, परिवर्ती मंहगाई भत्ता भी शामिल है।

* आंकड़े वर्ष 1996 से संबंधित हैं।

** आंकड़े वर्ष 1997 से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

अपहरणकर्त्ताओं का दबाव

1033. श्री आर.एल.भाटिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन अपहरणकर्त्ताओं जिन्होंने 24 दिसम्बर, 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण किया था, के दबाव के आगे झुक गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला था; और

(ग) सरकार द्वारा उन अपहरणकर्त्ताओं से निबटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस अपहरण घटना ने पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आतंकवाद के सतत् प्रायोजन के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अब, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आतंकवाद के सतत् प्रायोजन और भारत तथा इस क्षेत्र की सुरक्षा पर इसके प्रभाव को बेहतर स्वरूप में समझता है।

सरकार भारत की सुरक्षा की रक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति वचनबद्ध रही है।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के लिए धन

1034. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सामुदायिक विकास और अन्य विकास कार्य शुरू करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) आवंटित राशि से प्रत्येक सहायक कम्पनी द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विकास कार्यों को शुरू करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) इस्पात मंत्रालय द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड अथवा इसकी सहायक इकाइयों को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सामुदायिक विकास और अन्य विकास कार्यों को निष्पादित करने के लिए कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सिंचाई परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

1035. श्री राम टहल चौधरी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एशियाई विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक-पृथक राज्य-वार उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) भारत में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एशियाई विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। देश में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रारंभ/पूरा होने की तिथि	सहायता राशि (मिलियन अमेरिकी डालर)	31.01.2000 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त वित्तीय सहायता की राशि (मिलि. अमेरिकी डालर)	स्थिति
1.	अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना फेज-II	कर्नाटक	16.06.1989 30.06.1997	325.0	5.9	पूर्ण
2.	पंजाब सिंचाई एंव जल निकास परियोजना	पंजाब	09.02.1990 31.07.1998	150.0	27.89	पूर्ण
3.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	19.04.1995 31.12.2002	258.0	73.00	चल रही है
4.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	उड़ीसा	05.01.1996 30.09.2002	290.9	93.40	चल रही है
5.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	तमिलनाडु	0.5.01.1996 31.03.2002	282.9	64.08	चल रही है
6.	आंध्र प्रदेश III सिंचाई परियोजना	आंध्र प्रदेश	03.06.1997 31.01.2003	325.0	75.436	चल रही है
7.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना	आंध्र प्रदेश	04.02.1999 31.03.2004	142.0	30.00	चल रही है

विश्व हिन्दी सम्मेलन के प्रतिनिधियों का चयन

1036. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर, 1999 के दौरान लन्दन में आयोजित छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन द्वारा पारित संकल्पों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को एक वैकल्पिक भाषा बनाने के विश्व हिन्दी सम्मेलन के आग्रह के संबंध में सरकार ने अब तक कोई प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन में निम्नलिखित संकल्प पारित किये गये :

(1) महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय को संपूर्ण विश्व से हिन्दी से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

(2) विश्व हिन्दी सचिवालय में यथाशीघ्र कार्य आरंभ हो जाना चाहिए।

(3) हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनायी जानी चाहिए।

(4) हिन्दी में सूचना प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाना चाहिए तथा इसे मानक रूप प्रदान किया जाना चाहिए।

(5) हिन्दी से संबंधित आधुनिक उपकरणों का उदारतापूर्वक वितरण किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) हिन्दी की संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किये जाने के प्रश्न ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अभी संयुक्त राष्ट्र की छः आधिकारिक भाषाएं हैं यथाः- अंग्रजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रूसी और चीनी। किसी अतिरिक्त आधिकारिक भाषा को लाये जाने का प्रश्न संगठन के स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है तथा इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके लिए पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि कितने राष्ट्रीय शिष्टमंडल इस भाषा का प्रयोग करते हैं और हिन्दी को मान्यता देने में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। एक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा लाये जाने में संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से पर्याप्त व्यय होगा जो केवल सदस्य राज्यों द्वारा निर्धारित अंशदान से प्राप्त होता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 17 (2) में कहा गया है कि "संगठन का खर्च सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा जिसका निर्धारण महासभा द्वारा किया जाएगा"। यह मामला सरकार के विचाराधीन है जो इस बात पर गौर कर रही है कि किस सीमा तक व्यवहार्य है विशेषकर तब जब संयुक्त राष्ट्र आर्थिक संकट से गुजर रहा है।

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार

1037. श्री जितेन्द्र प्रसादः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार संसद के चालू सत्र में सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस विधेयक में जनता द्वारा वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रावधान हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) सरकार और सार्वजनिक निकायों के काम-काज में अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता तथा खुलापन लाने की दृष्टि से, सरकार ने जनवरी, 1997 में श्री एच॰ डी॰ शौरी की अध्यक्षता में "सूचना का अधिकार तथा खुली और पारदर्शी सरकार का प्रवर्तन" के बारे में एक कार्य-दल गठित किया था। इस कार्य-दल की रिपोर्ट की जांच-पड़ताल कर ली गई है और सूचना के स्वातंत्र्य विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किए जाने की दृष्टि से, इस समय, इसकी जाँच की जा रही है।

विमान अपहरण कांड के पश्चात अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध

1038. श्रीमती श्यामा सिंहः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आई. सी. 814 के कंधार अपहरण के समाधान हेतु अफगनिस्तान सरकार द्वारा किस प्रकार का सहयोग दिया गया;

(ख) क्या अफगानिस्तान सरकार ने भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) कंधार में तालिबान के प्राधिकारी जिन्होंने इन्डियन एयरलांइस के अपहृत विमान आई.सी-814 को कंधार में उतारने की अनुमति दी, उन्होंने ही यात्रियों और विमान को भोजन और सुविधाएं मुहैया करायी। वास्तविक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए भी उनकी सहानुभूति सतत् रूप से अपहरणकर्ताओं और उनके समर्थकों के साथ थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

करमापा लामा को सुरक्षा कवच

1039. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसीः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 2000 में भारत में आये 14 वर्षीय करमापा लामा और उनके छः अन्य सहयोगियों को उचित सुरक्षा कवच प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो करमापा लामा की यात्रा का क्या उद्देश्य है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें जिन परिस्थितियों के कारण सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है उनका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) से (ग) उनके अनुयायियों द्वारा 17वें करमापा के मान्यता प्राप्त लामा उग्येन थिनले दोरजी के 5 जनवरी 2000 को धर्मशाला आगमन पर हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है अपने आगमन पर दिए गए सार्वजनिक वक्तव्य में लामा उग्येन थिनले दोरजी ने कहा था कि वे स्वतंत्र रूप से धर्माचरण करने तथा अपने धार्मिक कर्त्तव्यों को निर्वाह करने के लिए भारत आए हैं। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए समुचित सुरक्षा प्रदान की गई है।

पशुधन तथा कुक्कुट प्रोत्साहन

1040. श्री अनन्त नायक:
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पशुधन तथा कुक्कुट के प्रोत्साहन हेतु कोई योजना प्रायोजित है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पशुधन तथा कुक्कुट के प्रोत्साहन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान आंबटित की गई निधियों तथा इस प्रयोजनार्थ किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य की क्षमता के अनुसार देश में पशुधन विकास तथा डेयरी विकास योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) पशुधन एवं कुक्कुट को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की परिपूर्ति करने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन, सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकारों के व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जाती है। तीन वर्षों के दौरान योजनावार आबंटन तथा जारी की गई राशि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(घ) और (ङ) अपने अपने राज्यों में पशुधन तथा डेयरी क्षेत्रों में विकास के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं।

विवरण

विभाग की केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तीन वर्षों के दौरान आंबटन तथा व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	1996-97		1997-98		1998-99	
		आबंटन	जारी राशि	आबंटन	जारी राशि	आबंटन	जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	पशुपालन क्षेत्र						
1.	हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार	5.50	6.06	26.50	26.70	30.90	6.10
2.	राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	5.00	3.96	5.00	5.00	10.00	0.08
3.	राष्ट्रीय मेढ़ा/मृग उत्पादन कार्यक्रम	2.75	2.50	3.00	2.55	3.00	1.17
4.	समेकित सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	4.00
5.	कुक्कुट/बत्तख फार्मों के लिए राज्यों को सहायता	शुरू नहीं किए गए		0.10	0.00	5.94	0.00
6.	चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	4.15	3.71	5.00	3.70	5.40	3.50
7.	पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	8.10	5.98	11.50	7.62	13.50	5.19
8.	व्यावसायिक दक्षता विकास	1.30	1.29	2.00	1.45	5.00	1.00
9.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	35.79	25.08	41.00	9.38	36.00	2.52
10.	बूचड़खानों/पशु शव उपयोग केन्द्र का सुधार	7.00	5.80	20.00	10.00	20.00	6.85
11.	पशुधन उत्पादों के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	2.10	2.43	2.50	2.47	3.50	2.64
12.	भारवाही पशुओं का संरक्षण तथा विकास के लिए राज्यों को सहायता	0.50	0.50	1.00	0.68	1.00	0.05
13.	पशुपालन विस्तार कार्यक्रम	शुरू नहीं किए गए		8.00	2.87	2.00	1.19
	डेयरी विकास						
14.	गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजनाएं	20.12	20.12	25.00	23.40	25.60	21.27

बागवानी और पुष्प कृषि विकास

1041. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागवानी और पुष्प कृषि विकास के क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश एक अग्रणी राज्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और गत तीन वर्षों के दौरान इस अवधि में आन्ध्र प्रदेश ने कुल कितना उत्पादन किया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश को शीत भंडारण सुविधाएं बढ़ाने हेतु कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने नवम्बर, 1998 में आयोजित राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन द्वारा अपनाई गई कार्य सूची को अभी तक पूर्णरूपेण कार्यान्वित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰ सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश फलों और पुष्पों के उत्पादन के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है। यद्यपि, बागवानी में फल, सब्जियों, फूल, मसाले, खुम्बी और पादपरोपण वाली फसलें भी जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान, फलों और पुष्पों के उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत है:

(मीटरी टन में)

वर्ष	फल	पुष्प
1996-97	5657729	22848
1997-98	5899112	32900
1998-99	4300747	32000

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से अपनी "बागवानी फसलों की फसलोंपरांत बुनियादी सरंचनाओं के प्रबंध संबंधी समेकित परियोजना" नामक स्कीम के अतंर्गत आंध्र प्रदेश में अवस्थित विभिन्न संगठनों को 115.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहायता उदार ऋण के रूप में दी गयी है और इसी अवधि में कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने 160.00 लाख रुपये की लागत से हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कार्गो तथा कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की है।

(घ) से (च) नवम्बर, 1998 में आयोजित राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन की कार्यसूची में समेकित प्याज एवं आलू विकास कार्यक्रम, देश में शीघ्र खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए अतिरिक्त शीत भण्डारण क्षमता का सृजन करने, अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री से संबंधित टिशू कल्चर और बायोटेक्नोलोजी का संवर्द्धन, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए नये कदम उठाने पर प्रकाश डाला गया है। केन्द्र सरकार ने सम्मेलन में की गई सिफारिशों का निम्न ढंग से क्रियान्वयन किया है :

(1) 12 लाख टन तक के नये शीतभंडारों, शीतभंडारों का 8 लाख टन तक विस्तार करने/4.5 लाख टन की भन्डारण क्षमता के लिए एक पूंजी निवेश राजसहायता योजना को मंजूरी मिल गई है और इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(2) गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए नौवीं योजना में केन्द्र क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से टिशू कल्चर और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(3) 10 करोड़ रुपये के परिव्यय से "पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में समेकित बागवानी विकास" नामक स्कीम को मंजूरी दी गयी है और यह आंध्र प्रदेश समेत 6 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है।

(4) एक समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गयी है जिसके अन्तर्गत चार छोटे मिशनों में बागवानी से संबंधित सभी मुद्दों की चर्चा की गयी है जिसमें सहक्रिय और समेकन पर ज्यादा जोर दिया गया है।

पंचेश्वर बांध

1042. श्रीमती निवेदिता माने: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार और भारत सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर महाकालची तथा सरयू नदियों के संगम-स्थल पर प्रस्तावित पंचेश्वर बांध का निर्माण किए जाने के संबंध में किसी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कतिपय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बांध का निर्माण किए जाने पर विरोध प्रकट किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) भारत सरकार और नेपाल सरकार ने सारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास संबंधी संधि पर दिनांक 12.2.1996 को हस्ताक्षर किये। संधि की केन्द्र बिन्दु पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके लिए दोनों देशों को संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करनी है। पंचेश्वर बांध का प्रस्तावित स्थान महाकाली (भारत में सारदा)-सरजू नदी के संगम के नीचे है। संयुक्त परियोजना कार्यालय पंचेश्वर अन्वेषण (जे. पी. ओ.-पी. आई.) ने काठमाण्डु में दिनांक 10.12.1999 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। संयुक्त परियोजना कार्यालय - पंचेश्वर अन्वेषण (जे. पी. ओ.-पी. आई.) को संयुक्त विशेषज्ञ दल के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी है।

(ख) जल संसाधन मंत्रालय को पंचेश्वर बांध परियोजना के निर्माण के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए किसी विरोध की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंगापुर के साथ संबंध

1043. श्री एस डी एन आर वाडियार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सिंगापुर के प्रधान मंत्री की विगत में उनकी नयी दिल्ली यात्रा के दौरान इस संबंध में भारत-सिंगापुर वार्ता हुई थी;

(ग) यदि हाँ, तो सिंगापुर के प्रधान मंत्री द्वारा की गई पेशकश का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भारत-सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने 17-22 जनवरी, 2000 तक की अपनी भारत यात्रा के दौरान विविध क्षेत्रों में, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और व्यापार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढाने में रुचि व्यक्त की है।

(घ) भारत सरकार ने भी सिंगापुर के साथ विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ङ) भारत और सिंगापुर ने सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दो संयुक्त कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया है।

"सेल" का आधुनिकीकरण

1044. श्री सुनील खां : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 2000 के "द इकॉनामिक टाइम्स" में छपे समाचार शीर्षक" वोएस्ट-अल्पाइन में लेट सेल पे फॉर अपग्रेड विद स्टील" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके अंतर्गत छपे समाचारों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हाँ।

(ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि इस समय मैसर्स वोएस्ट-अल्पाइन इंडस्ट्रियनलेगेनबाउ जी एम बी एच (वी ए आई) का इस्पात की पुन: खरीद के बदले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की शीत बेल्लन मिल का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपयुक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर का निर्यात

1045. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकर ने सन् 2008 तक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का निर्यात बढ़ाने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य-योजना कब तक लागू कर दी जाएगी और इस कार्य-योजना के कारण सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के निर्यात में अनुमानत: कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) तैयार की गई कार्य योजना का उद्देश्य वर्ष 1998-99 में किएं गए 2.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात की तुलना में वर्ष 2008 तक 60 बिलियन अमरीकी डॉलर (50 बिलियन अमरीकी डॉलर सॉफ्टवेयर के लिए + 10 बिलियन अमरीकी डॉलर हार्डवेयर के लिए) के निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है। समय-समय पर विभिन्न प्रोत्साहन दिए गए हैं तथा इससे संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। एक ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है जिसमें इस क्षेत्र के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किए गए कुछ मुख्य उपाय दिए गए हैं।

विवरण - I

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को दिये गये प्रोत्साहन

1. इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के निर्यात के लिए एक विशेष अग्रिम लाइसेंसिंग योजना डीजीएफटी के दिनांक 16.9.98 के सार्वजनिक नोटिस सं. 41 (आई-98)/1997-2002 के जरिए अधिसूचित कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत आयात से पहले निर्यात होगा तथा लाइसेंस सकारात्मक मूल्य संवर्धन सहित जारी किए जाएंगे । सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटी) के पदनामित अधिकारियों को निर्यात संबंधी उत्पाद में उपादानों की संगतता/उपयोगिता तथा अपेक्षित मात्रा के सत्यापन का कार्य सौंपा गया है।

2. उत्पादन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने के एक मुख्य कदम के रूप में, 1 करोड़ रुपये की घटी हुई आरम्भिक सीमा से निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) के अंतर्गत पूँजीगत वस्तुओं का आयात शून्य शुल्क पर करने की सुविधा 14 अप्रैल, 1998 से इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग पर भी लागू कर दी गई है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र के लिए यह सीमा घटाकर 10 लाख रुपये कर

दी गई है। पूरी की जाने वाली निर्यात संबंधी बाध्यता छह वर्षों की अवधि में जहाज पर्यन्त नि:शुल्क आधार पर पूँजीगत वस्तु के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 6 गुना अथवा एनएफई आधार पर पूँजीगत वस्तु के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 5 गुना है।

3. इलेक्ट्रॉनिकी तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्रों से संबंधित ईपीसीजी आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिए एक अलग कार्यविधि डीजीएफटी के दिनांक 8.6.98 के सार्वजनिक नोटिस सं. 15 (आरई-98)/1997-2002 के जरिए अधिसूचित की गई है, जिसके अनुसार इन आवेदन-पत्रों को ईपीसीजी समिति के समक्ष पेश किए जाने के बजाए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पदनामित अधिकारियों की संस्तुति पर लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा इन पर विचार किया जाता है। डीजीएफटी ने दिनांक 1.9.99 को एक सार्वजनिक नोटिस सं. 29 (आरई-98)/1997-2002 भी जारी किया है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में इकाइयों के पास आयात की जाने वाली पूँजीगत वस्तुओं के निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के साथ संबंध के बारे में की गई स्व-घोषणा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ईपीसीजी लाइसेंस के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा।

4. केवल निर्यात के लिए स्थापित की गई इकाइयों में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध हैं जिसमें पूँजीगत वस्तुओं, कच्ची सामग्रियों, संघटक पुर्जों तथा अन्य उपादानों का शुल्क मुक्त आयात, निर्यात के लिए शुल्क मुक्त अवधि तथा घरेलू बाजार की उपलब्धता शामिल है। ऐसी इकाइयाँ किसी भी योजना के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं अर्थात् इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी), निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीजेड) तथा 100% निर्यातोन्मुखी इकाई (ईओयू)। ईएचटीपी योजना विश्वव्यापी स्तर के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना डेटा संचार सम्पर्कों का इस्तेमाल करते हुए अथवा वास्तविक माध्यम के रूप में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात के लिए एक निर्यातोन्मुखी योजना है जिसमें व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात भी शामिल है।

5. ईएचटीपी तथा एसटीपी योजनाएँ अंतर मंत्रालय स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

6. वाणिज्य मंत्रालय की कार्यविधि पुस्तिका (खण्ड 1), 1997-2002 (जिसमें 31.3.99 तक किए गए संशोधन शामिल हैं) के पैरा 9.37 के जरिए एसटीपी/ईएचटीपी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पदनामित अधिकारियों के अनुमोदन की शक्तियों को और अधिक बढ़ा दिया गया है। वे अब ऐसी एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों की स्थापना को अनुमोदन दे सकते हैं जहाँ पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा (कर के बाद शुद्ध) 10 मिलियन अमरीकी डॉलर तक है।

7. भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियों के लिए एक विशेष स्टॉक विकल्प योजना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ए.डी. (एम.ए.) के दिनांक 7.8.98 के परिपत्र सं. 25 के जरिए अधिसूचित की गई है, जो एक साधन के रूप में इन कम्पनियों की एडीआर/जीडीआर प्रदत राशि से संबंधित है ताकि ये कम्पनियाँ प्रोत्साहन देकर अपने उच्च कुशलतायुक्त व्यवसायविदों को कायम रख सके।

8. भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर उद्योग को कार्यशील पूँजी के संबंध की मंजूरी देने के लिए दिनांक 8.8.98 के दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

9. सरकार ने 100 करोड़ रुपए के एक सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी) का गठन किया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अंशदान 30 करोड़ रुपये होगा।

10. कम्पनियों द्वारा स्वीट इक्विटी जारी करने का प्रावधान कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 में लागू किया गया है।

11. आयात निर्यात नीति, 1997-2002 (जिसमें 31.3.99 तक किए गए संशोधन शामिल हैं), में निर्यात के जहाज पर्यन्त शुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू टैरिफ क्षेत्र की उपलब्धता की अनुमति ईओयू/ईपीजेड/ईएचटीपी योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजनाओं के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को दी गई है। अनुमति पत्र में शामिल मदों के लिए ईएचटीपी इकाइयों द्वारा विनिर्मित हार्डवेयर की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री पर ब्रॉडबैंडिंग की अनुमति दी गई है।

12. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजनाओं के अंतर्गत आने वाली इकाइयों के प्रचालन की कार्यविधियों को काफी सरल बना दिया गया है तथा वाणिज्य मंत्रालय की कार्यविधि पुस्तिका (खण्ड-1) 1997-2002 (जिसमें 31.3.99 तक किए गए संशोधन शामिल हैं) के अध्याय 9 के अनुसार स्व-प्रमाणन के आधार पर कई प्रचालनों की अनुमति दी गई है।

13. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रिया को उप-अनुबंध पर देने की कार्यविधि को राजस्व विभाग की दिनांक 2.7.98 की अधिसूचना सं. 44/98-सीमा शुल्क के अनुसरण में ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी इकाइयों के लिए सरल बनाया गया है।

14. इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के जिन विनिर्माताओं-आयातकर्ताओं ने 3 करोड़ रुपये से ज्यादा पूँजीनिवेश किया है तथा जिनकी ईपीजेड/ईएचटीपी तथा एसटीपी में इकाइयाँ हैं, वे वित्त मंत्रालय (सीबीईसी) के दिनांक 3.8.98 के परिपत्र सं. 56/98 के अनुसार अपने द्वारा आयात की गई वस्तुओं की शीघ्र मंजूरी के पात्र हैं।

15. आयात निर्यात नीति, 1997-2002 (जिसमें 31.3.99 तक के संशोधन शामिल हैं), के पैरा 7.10 के अनुसार अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत रूस को रुपये में निर्यात किए जाने के लिए मूल्य संवर्धन संबंधी मानदण्ड 100% से घटाकर 33% कर दिए गए।

16. कम्प्यूटरों पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी गई है।

17. वर्ष 1999-2000 के बजट में कम्प्यूटरों तथा पेरिफलों पर सीमा शुल्क को 22% से घटाकर 20% कर दिया गया है। सभी धण्डारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों पर माइक्रोप्रोसेसरों पर 5% सीमा-शुल्क का एक-समान स्तर बना दिया गया है तथा कम्प्यूटरों के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है । आँकड़ा प्रदर्श ट्यूबों तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपित संघटक-पुर्जों पर सीमा शुल्क की दर 5% है।

18. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

19. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी इकाइयों को 10 वर्ष तक निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

20. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त लाभ आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई के अधीन आयकर कटौतियों के पात्र हैं।

21. आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण को शामिल कर लिया गया है।

22. धारा 80 एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्त्ताओं को भी उपलब्ध होंगे।

23. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

24. आयात-निर्यात नीति 1997-2000 के अनुसार कम्प्यूटर प्रणालियों का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है जो दिनांक 1.4.99 से प्रभावी है।

25. वित्त मंत्रालय की दिनांक 16.7.98 की अधिसूचना संख्या 47/98-सीमा शुल्क के जरिए ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों आदि को दान करने की अनुमति दी गई है।

26. विदेशी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्कर को वित्त मंत्रालय की दिनांक 11.2.99 की अधिसूचना संख्या 18/99-सीमा शुल्क के जरिए सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

27. उद्यम पूँजी निधि अथवा उद्यम पूँजी कम्पनी, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में उद्यम पूँजी उपक्रम किए गए निवेश से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूँजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

28. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत, आईटी सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनियों के निवासी कर्मचारी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जीडीआर से हुई आय पर 10% के रियायत दर पर आयकर देय होगी।

29. विद्यमान कम्प्यूटर प्रणालियों को वाई 2के अनुरूपी बनाने में हुए व्यय को राजस्व व्यय माना जाएगा और इसलिए कारोबार से आय की गणना में यह कटौती योग्य होगा।

30. कम्प्यूटरों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकी शोध से प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती का प्रावधान किया गया है।

विवरण - II

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किए गए उपाय

1. भारत सरकार ने इंटरनेट, ई-वाणिज्य, आईटी शिक्षा और आईटी आधारित शिक्षा सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी प्रवासों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 15.10.1999 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया है।

2. सरकार ने राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल की पहली रिपोर्ट स्वीकार कर ली है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी कार्य योजना के बारे में 108 सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों में दूरसंचार, वित्त, बैंकिंग, राजस्व, वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिकी, मानव संसाधन विकास, प्रतिरक्षा और ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों के व्यापक क्षेत्र के बारे में उपाय और नीतियाँ सुझाई गई हैं ताकि भारत अगले दस वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर सके। वर्ष 2008 तक सॉफ्टवेयर के निर्यात का लक्ष्य 50 बिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किया गया है। इस कार्यदल ने वर्ष 2008 तक भारत में "सभी को सूचना प्रौद्योगिकी" का लक्ष्य रखने की सिफारिश की है। कार्यदल की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट में हार्डवेयर उद्योग के विकास, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, जनशक्ति प्रशिक्षण तथा शिक्षा से संबंधित मुद्दों और नीतियों के बारे में बताया गया है।

3. सभी सरकारी विभागों द्वारा अपने बजट का 2 से 3% भाग सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन पर व्यय करने की अपेक्षा की गई है। कम्प्यूटरों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक

अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिकी शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती का प्रावधान किया गया है।

4. भारत के कई राज्यों ने व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी योजनाएँ तैयार कर ली हैं और ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी नीतियां बनाई हैं जिनसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों का तेजी से विकास करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायता मिलेगी।

5. भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, विशेष रूप से लघु एवं मझोले उद्यमों, के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक (आईडीबीआई) के सहयोग से 100 करोड़ रुपए की एक उद्यम पूँजी निधि का भी गठन किया है।

6. देश में वैयक्तिक कम्प्यूटरों की संख्या इस समय प्रति 1000 व्यक्तियों पर 3 से कुछ अधिक है। वर्ष 2008 तक वैयक्तिक कम्प्यूटरों की संख्या को बढ़ाकर प्रति 1000 व्यक्तियों पर 20 करने का लक्ष्य है। देश में कम्प्यूटरों की माँग को बढ़ाने के लिए कम्प्यूटरों पर मूल्यह्रास को बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

7. सरकार ने 'इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता' (आईएसपी) नीति का कार्यान्वयन किया है। इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने और विदेशी उपग्रहों पर बैण्डविड्थ किराए पर लेने की अनुमति दी गई है। देश में इन्टरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को लाइसेंस प्रदान किया गया है। पहले पाँच वर्षों के लिए कोई लाइसेंस शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है और पाँच वर्षों के बाद एक रुपए के नाममात्र शुल्क का भुगतान किया जाना है। सरकार द्वारा अनुमोदित इंटरनेट नीति में इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता द्वारा नेटवर्कों के बीच अन्तर्संम्पर्क करने और अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जो विदेश संचार निगम लिमिटेड से स्वतंत्र होगा। इंटरनेट की आधारभूत सुविधाओं का दर्जा नीचे दिए गए अनुसार बढ़ाने का प्रस्ताव है:

(क) दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) देश में राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन स्थापित कर रहा है।

(ख) इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं को तंतु प्रकाशिकी अथवा रेडियो संचार के माध्यम से अन्तिम मील सम्पर्क मुक्त रूप से स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

(ग) प्राधिकृत केबल टीवी के माध्यम से भी इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

8. इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने के शुल्क में हाल ही में कमी की गई है। दूरसंचार सेवा विभाग ने इंटरनेट अनुप्रयोगों के लिए पट्टे पर ली गई एवं प्रयोग में लाई जा रही लाइनों के किराए में 20 प्रतिशत के छूट की पेशकश हाल ली में की है। दूरसंचार सेवा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को इंटरनेट खातों पर एक कालीन छूट दी जा रही है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लेह (जम्मू एवं कश्मीर) को छोड़कर पूरे देश में निकटतम इंटरनेट नोड से स्थानीय कॉलों के आधार पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विद्यमान विभागीय सार्वजनिक कॉल आपरेटरों (पीसीओ) तथा ग्राहक ट्रंक डायलिंग (एसटीडी) बूथों का दर्जा बढ़ाकर टेली-इन्फो/साइबर केन्द्र करने का प्रस्ताव है। ये केन्द्र बहु-उपयोगिता सेवाएँ जैसे कि इंटरनेट, ई-मेल सुविधा तथा इंटरनेट लाइब्रेरियां उपलब्ध कराएंगे।

9. इंटरनेट और ई-वाणिज्य पर लेन देन को वैधानिक रूप देने के लिए, संसद के पिछले सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 पेश किया गया। इस प्रकार का कानूनी ढ़ाँचा देश में ई-वाणिज्य कार्यकलापों को आसान बनाएगा और इस कार्यकलाप में तेजी आएगी।

हॉट रोल्ड क्वायल्स

1046. श्री अशोक ना॰ मोहोल: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड फ्लैट प्रोडक्टस विशेष रूप से हॉट रोल्ड क्वायल्स के उत्पादन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपरोक्त उत्पाद की मांग में वृद्धि हो गयी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप लाभ में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) जी, हाँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड (सेल) के चार एकीकृत इस्पात संयंत्रों के तप्त बेल्लित क्वायलों सहित चपटे उत्पादों के उत्पादन को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अगले वर्ष बढ़ाए जाने की योजना बनाई गई है:

(इकाई हजार टन)

उत्पाद	वास्तविक उत्पादन (अप्रैल-जनवरी) 2000	उत्पादन योजना (अस्थाई) 2000-01
बिक्री के लिए तप्त बेल्लित क्वायलें/स्कैल्प	1380	1994
कुल चपटे उत्पाद	3840	5490

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बाल श्रमिक शोषण

1047. श्रीमती मिनाती सेन: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्षों के दौरान खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चों से संबंधित मुकदमें राज्यवार पंजीकृत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क)से (ग) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन चलाए जा सकते हैं। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सूचना भेजती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिनियम के अधीन पाए गए उल्लंघनों तथा चलाए गए अभियोजनों की राज्य-वार स्थिति विवरण में दी गई है।

श्रम कानूनों के प्रवर्तन की कमियों का पता लगाने तथा उपचारात्मक कदम उठाने की दृष्टि से समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

राज्य/के.शा.प्र. का नाम	1996-97		1997-98		1998-99	
	पाए गए उल्लंघन	चलाए गए अभियोजन	पाए गए उल्लंघन	चलाए गए अभियोजन	पाए गए उल्लंघन	चलाए गए अभियोजन
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	41	22	551	270	493	553
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
असम	77	0	178	3	0	0
बिहार	1172	31	987	81	279	97
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
दमन व दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	109	109	12	12	10	16
दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	2	3	0	13	0	0
हरियाणा	0	0	0	0	0	0
केरल	5	1	-	-	0	2
कर्नाटक	-	-	-	-	153	2
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	97	2	605	389	1913	17
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	186	2	353	9	127	128
पंजाब	15	12	22	24	8	5
पांडिचेरी	0	0	0	0	-	-
राजस्थान	0	16	0	891	0	601
तमिलनाडु	18	34	5	69	242	241
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	264	249	-	-	-	-

इस्पात उद्योग में मंदी

1048. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात उद्योग अभी भी मंदी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण हैं;

(ग) क्या फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ने इस्पात क्षेत्र का उन्नयन करने का सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) लगभग दो वर्षों से मांग में कमी और मंदी के बाद, इस्पात क्षेत्र में सुधार के संकेत दिखाई देने लगे हैं। अप्रैल, 1999 से जनवरी, 2000 की अवधि के दौरान परिसज्जित इस्पात के उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.3% की और प्रत्यक्ष खपत में 6.4% की वृद्धि हुई है।

(ग) इस्पात मंत्रालय को अभी तक फैडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री से इस्पात क्षेत्र का उन्नयन करने का कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) उपयुक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जल प्रबंधन

1049. श्री सुकदेव पासवान: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जनवरी, 2000 के "द बिजनेस स्टैन्डर्ड" में "रेन वाटर हारवेस्टिंग कैन स्लेक इंडियाज थर्स्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने "रेन वाटर हारवेस्टिंग कैन स्लेक इंडियाज थर्स्ट" नामक शीर्षक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेख को देखा है। इस समाचार में विशेषकर सूखा प्रवण क्षेत्रों में पेय और सिंचाई प्रयोजनों के लिए वर्षा जल एकत्र करने की उपयोगिता का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्षा जल एकत्र करने संबंधी पद्धति को बढ़ावा देने में लोगों के सहयोग का भी उल्लेख किया गया है।

(ग) वर्षा जल एकत्र संबंधी पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में शामिल हैं:

(i) भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करना। इस स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में वर्षा जल एकत्र करने के लिए प्रायोगिक अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल" और "कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी गाइड" परिचालित करना ताकि वे वर्षा जल एकत्र करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(iii) जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

[अनुवाद]

करमापा के मूल का विवाद

1050. श्री सुरेश चंदेल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सिक्किम के मुख्य सचिव ने एक ठोस वक्तव्य जारी करते हुए यह कहा है कि जनवरी, 2000 में तिब्बत से भागे हुए 17वें करमापा रिंपोची भारतीय मूल के हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य सचिव ने यह वक्तव्य सिक्किम सरकार अथवा केन्द्र सरकार की मंजूरी से जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, इस संवेदनशील मामले जिससे भारत और चीन के संबंध प्रभावित होते हैं, में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) सरकार को सिक्किम के मुख्य सचिव द्वारा दिये गये ऐसे वक्तव्य की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा

1051. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय पिछड़ा मुसलमान मोर्चा से दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने और उन्हें अन्य धर्मों के दलितों की तरह उपलब्ध समान अवसरों के लाभ का अधिकार देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जातियों का दर्जा प्रदान करने से संबंधित मामले की जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय वक्फ परिषद निधि के अंतर्गत विकास ऋण

1052. श्री ई. अहमद: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय वक्फ परिषद निधि के अंतर्गत विकास ऋण प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने आवेदनों को निपटाया गया और इससे कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत केरल में संस्थाओं को कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) केन्द्रीय वक्फ परिषद निधि के अंतर्गत विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए ऋण की मांग करने के लिए 195 पूर्ण आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) 185 ऋण संबंधी आवेदनों को स्वीकृत कर दिया गया है। इनमें से 15.2.2000 तक 21.72 करोड़ रु॰ की राशि के 173 मामलों के बारे में संवितरण कर दिया गया है।

(ग) 10 आवेदन विचाराधीन हैं।

(घ) केरल में 11 वक्फ संस्थाओं को 168.95 लाख रु॰ निर्मुक्त कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता

1053. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) देश में प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता संबंधी स्थिति संतोषजनक है। यह विभाग मंडलीय सम्मेलनों के माध्यम से राज्य सरकारों/संबंधित संगठनों के साथ नियमित रूप से इसका मूल्यांकन कर रहा है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की आवश्यकता एवं उपलब्धता संबंधी स्थिति निम्नवत है :

(लाख क्विंटल में मात्रा)

वर्ष	बीज आवश्यकता	बीज उपलब्धता
1997-98	78.55	99.75
1998-99	85.18	104.39
1999-2000	89.79	104.95

[अनुवाद]

नकदी फसल उत्पादन

1054. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में नकदी फसलों का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष में अब तक इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा राज्य-वार उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में, विशेषत: नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰ सत्यनारायण राव): (क) विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास, गन्ना, पटसन/मेस्ता तथा तंबाकू उत्पादन का विवरण क्रमश: संलग्न विवरण I, II, III तथा IV में दिया गया है।

(ख) और (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपयुक्त नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए, विभिन्न राज्यों में सघन कपास विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-कपास) गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास (सुबाक्स) तथा विशेष पटसन विकास कार्यक्रम (एसजेडीपी) नामक तीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इन स्कीमों के तहत क्षेत्र प्रदर्शन तथा किसानों के प्रशिक्षण एवं बीजों, उपकरणों, आकस्मिकताओं जैसे महत्वपूर्ण आदानों के उपयोग के जरिए उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए सहायता दी जा रही है। कपास और गन्ना स्कीमों में टपका, गन्ना में नमी-उष्मा-बीजोपचार एकक तथा पटसन स्कीम में रैटिंग टैंकों का निर्माण जैसी जल बचत विधियों के लिए भी सहायता दी जा रही है।

विभिन्न राज्यों को कपास, गन्ना तथा पटसन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा क्रमश: विवरण V, VI और VII में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान मुख्य राज्यों में कपास उत्पादन

राज्य	उत्पादन ("000 गांठे प्रत्येक 170 कि॰ग्रा॰)		
	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	1878.4	1320.4	1486.6
गुजरात	2657.7	3180.0	3935.0
हरियाणा	1507.0	1129.0	873.0
कर्नाटक	932.0	721.0	855.0
मध्य प्रदेश	424.2	508.9	426.3
महाराष्ट्र	3143.3	1753.1	2618.9
उड़ीसा	30.2	36.0	50.0
पंजाब	1925.0	937.0	595.0
राजस्थान	1363.3	867.5	872.0
तमिलनाडु	329.9	358.0	429.5
उत्तर प्रदेश	7.3	8.3	5.8

विवरण-II

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान मुख्य राज्यों में गन्ना उत्पादन

राज्य	उत्पादन ("000 मी. टन)		
	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	15030.0	13955.0	16684.6
असम	1490.3	1287.5	1223.6
बिहार	5842.5	4959.9	5218.8
गुजरात	11404.3	11836.2	13566.3
हरियाणा	9020.0	7550.0	6880.0
कर्नाटक	23374.4	28332.7	28454.0
मध्य प्रदेश	1761.4	1631.7	1973.0
महाराष्ट्र	41804.8	38174.3	47151.1
उड़ीसा	1332.1	1144.0	1469.5
पंजाब	11040.0	7150.0	6130.0
राजस्थान	1290.2	1158.7	1078.3
तमिलनाडु	25918.8	30183.6	46672.8
उत्तर प्रदेश	125348.4	129266.7	116302.8
पश्चिम बंगाल	1810.3	1825.7	2001.9

विवरण-III

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान मुख्य राज्यों में पटसन व मेस्ता उत्पादन

राज्य	उत्पादन ("000 गांठे प्रत्येक 180 कि॰ग्रा॰)		
	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	699.0	562.0	545.0
असम	829.8	933.1	712.8
बिहार	1640.0	1463.1	671.0
महाराष्ट्र	46.0	45.8	43.2
मेघालय	53.7	56.3	50.2
उड़ीसा	232.1	261.8	166.6
त्रिपुरा	36.0	37.0	25.3
पश्चिम बंगाल	7572.7	7638.7	7462.6

विवरण-IV

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान मुख्य राज्यों में तम्बाकू उत्पादन

राज्य	उत्पादन ("000 टन)		
	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	184.2	201.5	250.8
गुजरात	211.5	183.9	184.7
कर्नाटक	59.0	62.2	59.0
महाराष्ट्र	10.8	12.0	7.7
उड़ीसा	5.5	4.4	4.4
तमिलनाडु	17.6	11.9	9.7
उत्तर प्रदेश	105.5	136.2	163.0
पश्चिम बंगाल	9.1	6.1	6.7

विवरण-V

वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान सघन कपास विकास कार्यक्रम के तहत राज्यवार निर्मुक्त धनराशि

(लाख रुपये)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
आन्ध्र प्रदेश	152.00	100.00	103.00	207.97
गुजरात	53.00	92.00	56.00	52.98
हरियाणा	35.00	43.00	-	67.56
कर्नाटक	25.00	37.50	55.00	121.17
मध्य प्रदेश	25.00	56.00	40.00	59.56
महाराष्ट्र	292.00	284.00	213.00	357.69
उड़ीसा	23.00	45.00	18.00	48.05
पंजाब	102.00	186.00	173.00	375.48
राजस्थान	237.00	196.00	129.00	30.00
तमिलनाडु	166.00	251.00	112.00	196.71
उत्तर प्रदेश	29.00	28.00	23.00	60.27

विवरण-VI

वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत् विकास के तहत राज्यवार निर्मुक्त धनराशि

(लाख रुपये)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	77.00	-	148.00	58.18
असम	-	-	-	5.00
बिहार	-	70.67	-	53.78
गोवा	-	-	-	3.00
गुजरात	17.00	18.00	105.00	49.00
हरियाणा	25.00	75.00	71.00	33.00
कर्नाटक	50.00	100.00	127.00	60.31
केरल	22.31	20.00	38.00	18.68
मध्य प्रदेश	18.00	27.00	73.00	33.00
महाराष्ट्र	299.70	348.50	580.00	271.63
मणिपुर	8.43	5.00	20.00	14.13
मिजोरम	-	10.00	21.30	13.72
नागालैण्ड	7.99	11.00	17.10	15.64
उड़ीसा	18.00	40.00	27.00	33.00
पंजाब	13.50	-	43.00	15.00
राजस्थान	10.00	12.00	69.00	24.00
तमिलनाडु	64.00	65.00	94.00	87.63
त्रिपुरा	-	3.00	-	5.00
उत्तर प्रदेश	578.82	256.00	91.00	236.30
पश्चिम बंगाल	-	6.00	24.00	9.00
पाण्डिचेरी	17.99	15.00	-	3.00

विवरण-VII

वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान विशेष पटसन कार्यक्रम के तहत राज्यवार निर्मुक्त धनराशि

(लाख रुपये)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
आन्ध्र प्रदेश	26.00	44.00	12.50	21.24
असम	82.00	9.50	88.00	20.00
बिहार	-	2.00	-	6.47
मेघालय	8.00	1.00	51.00	5.00
उड़ीसा	52.00	66.00	68.00	33.49
त्रिपुरा	9.00	43.50	-	5.00
पश्चिम बंगाल	114.00	35.00	180.50	55.00
उत्तर प्रदेश	13.27	169.00	-	5.00

नौवीं योजना के दौरान लघु उद्योग के लिए विशेष योजना

1055. श्री अनन्त गुडे: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योग के विकास के लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख नीति-निर्णयों और इसके प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1977 में सरकार ने लघु उद्योग इकाइयों के लिए निवेश परिसीमा को 1 करोड़ रु० से बढ़ाकर 3 करोड़ रु० कर दिया था ताकि वे संयंत्रों/प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागत-प्रभावी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए अतिरिक्त निवेश करने में सक्षम बन सकें;

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या लघु उद्योग इकाइयों के लिए निवेश परिसीमा को पुन: 3 करोड़ रु० से घटाकर 1 करोड़ रु० कर दिया गया है;

(च) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(छ) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) नौवीं योजना में लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र की संवर्धन और निकास के लिए 4304 करोड़ रु० का आंबटन किया गया है। लघु और कुटीर उद्योगों के संबंध में मुख्य कार्यक्रम और योजनाएं जो कार्यान्वित की जा रहीं हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एकीकृत आधारिक संरचना विकास केन्द्र स्थापित करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम के मार्फत ग्रामीण कलस्टरों का विकास भी शामिल है। इन कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन ने देश के लघु एवं कुटीर उद्योगों को सुदृढ़ करने में सहायता की है जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यात आय के योगदान के क्षेत्र में दीर्घकालिक निष्पादन हुआ है।

(ग) से (ज) दिसम्बर, 1997 में 60 लाख रु० तक की प्रारम्भिक सीमा 300 लाख तक बढ़ा दी गई थी जिसे बाद में दिसम्बर, 1999 में घटाकर 100 लाख रु० कर दिया गया। प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा को घटाने के निर्णय का उद्देशय लघु और अति लघु उद्यमों के एकरूप समूह पर ध्यान केन्द्रित करना है। तथापि कुछ उद्योग विशिष्ट संघों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर सरकार निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी आत्मसात करने की सुविधा देने के उपायों पर विचार कर रही है।

अमरीकी द्वारा सी टी बी टी/नाभिकीय परीक्षण से जुड़े प्रतिबन्ध

1056. श्री त्रिवरंजन दासमुंशी: क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (सी टी बी टी) के संबंध में भारत और अमरीकी के बीच क्या नवीनतम प्रगति है;

(ख) क्या अमरीकी सरकार ने भारत सरकार से सी टी बी टी संबंधी घोषणा शीघ्र करने के लिए कहा है अन्यथा अमरीका से भारत को मिलने वाली कुछ विशेष सहायता बंद कर दी जाएगी;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह प्रकरण हमारे नाभिकीय परीक्षणों के बाद अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों से संबद्ध है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) सी टी बी टी के संबंध में भारत की स्थिति को प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 1998 में संयुक्त राष्ट्र महा सभा में और दिसम्बर, 1998 में संसद में स्पष्ट किया था। इसी बात को सितम्बर, 1999 में विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा में दोहराया था। संयुक्त राज्य अमरीका सहित सभी प्रमुख वार्ताकारों के साथ अपनी बातचीत में सी टी बी टी के संबंध में सरकार की वही स्थिति बनी हुई है। अमरीकी सीनेट द्वारा सी टी बी टी को नामंजूर करने के बाद अमरीकी प्रशासन ने नाभिकीय परीक्षण पर अपनी एकतरफा छूट के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है और संधि के अनुसमर्थन के लिए सीनेट को राजी करने के लिए निरन्तर कार्य करते रहने का संकल्प लिया है।

(ख) से (घ) हमारे नाभिकीय परीक्षणों के बाद अमरीका ने अपने स्थानीय कानून के आधार पर भारत पर कतिपय आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। अपनी द्विपक्षीय बातचीत में हमने यह उन्हें बताया है कि ऐसे उपाय न्यायोचित नहीं हैं और ऐसे सभी उपायों को वापस ले लेना चाहिए क्योंकि ये रचनात्मक वातावरण तैयार करने की दृष्टि से लाभदायक नहीं हैं।

भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय संबंध

1057. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत-अमरीका द्विपक्षीय संबंध सुधारने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस हेतु पहचान किये गये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) सरकार ने अमरीका सहित सभी मित्र देशों के साथ संबंध सुधारने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 20 मार्च से 5 दिन के लिए भारत यात्रा पर आएंगे। दोनों पक्षों को यह आशा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक सुधरेंगे तथा घनिष्ठ बनेंगे।

(ख) और (ग) भारत और अमरीका सुरक्षा, शस्त्र अप्रसार, निरस्त्रीकरण, क्षेत्रीय विकास और इनसे संबंद्ध मुद्दों पर चल रही वार्ता में संलग्न है। दोनों सरकारें व्यापक आधार वाले संबंधों को विकसित करने और व्यापार तथा निवेश ऊर्जा तथा पर्यावरण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा संस्कृति आतंकवाद का मुकाबला करने और स्वापकों के नियंत्रण आदि जैसे क्षेत्रों में परस्पर लाभप्रद सहयोग को तेज करने की दिशा में उद्देश्यात्मक रूप से काम करने पर भी सहमत हुए हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग

1058. श्री चिंतामन वनगा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने की विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की विशेष रिपोर्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई ज्ञापन के साथ जुलाई, 1998 में संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी।

(ग) विशेष रिपोर्ट में निहित सिफारिशें को संबधित मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

हड़तालें और तालाबंदी

1059. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1999 से आज की तिथि तक सरकारी विभागों जैसे रेलवे, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और औद्योगिकी क्षेत्र के विभागों में गुजरात, दिल्ली और देश के अन्य भागों से हड़ताल और तालाबंदी संबंधी कितनी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई;

(ख) प्रत्येक तालाबंदी का ब्यौरा क्या है और हड़ताल के क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है और उनका मांग पत्र क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) 1999 के दौरान गुजरात एवं दिल्ली सहित पूरे देश में सार्वजनिक एवं निजी

क्षेत्र के उपक्रमों में हड़तालों और तालाबंदियों के संबंध में श्रम ब्यूरो, शिमला के पास उपलब्ध सूचना निम्नलिखित है:

	हड़तालों की संख्या	तालाबंदियों की संख्या
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र	85	73
निजी क्षेत्र	352	282
गुजरात		
सार्वजनिक क्षेत्र	21	शून्य
निजी क्षेत्र	71	10
दिल्ली		
सार्वजनिक क्षेत्र	शून्य	शून्य
निजी क्षेत्र	1	9
सार्वजनिक क्षेत्र		
कोयला और लिग्नाइट खनन पीट निकालना	27	69
कच्चा पैट्रोलियम निकालना प्राकृतिक गैस का उत्पादन	4	शून्य
सूती कपड़े पर निर्माण मूल रसायन और रासायनिक उत्पादों का निर्माण	3	2
(पैट्रोलियम और कोयला के अलावा)	1	शून्य
परिवहन उपकरणों एंव पुर्जों का विनिर्माण	1	शून्य
भूमि परिवहन	1	शून्य
वित्तीय सेवाओं सहित बैंकिंग कार्यकलाप	22	शून्य
सार्वजनिक क्षेत्र और रक्षा सेवायें	17	शून्य
अन्य	9	2

प्रत्येक मामले में हड़ताल के कारण भिन्न-भिन्न हैं। तथापि, मजदूरी संशोधन, बोनस की अदायगी न होना तथा नौकरी की सुरक्षा आदि कामगारों के हड़ताल पर जाने के मुख्य कारण रहे।

प्रत्येक मामलें में तालाबंदियों के कारण भी भिन्न-भिन्न हैं। तथापि औद्योगिक असंतोष, मजदूरी में वृद्धि आदि के कारण प्रबंधनों द्वारा तालाबंदी घोषित किए जाने की सूचना मिली।

जैसे की हड़ताल नोटिस केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय या राज्य श्रम विभागों को प्राप्त होते हैं, संबंधित सरकारी तंत्र, प्रबंधन एवं कर्मकारों के प्रतिनिधियों के बीच एक सौहार्दपूर्ण सुलह कराने के लिए हस्तक्षेप करता है।

अकुशल और दिहाड़ी मजदूरों की दशा

1060. प्रो॰ रासा सिंह रावत: क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में अकुशल और दिहाड़ी मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आज तक क्या-क्या प्रयास किए हैं;

(ख) सरकार ने श्रम कानूनों का अनुपालन कराने के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर सभी श्रम कानूनों की समीक्षा कर उन्हें परिवर्तन के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार श्रम संगठनों/श्रमिक संगठनों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में स्पष्ट नीति तैयार करने का है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की कार्यदशाओं, कल्याण, मजदूरी आदि में सुधार करने के उद्देश्य वाले कई श्रम कानून हैं। इन कानूनों का अनुपालन केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर प्रवर्तन तंत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

(ग) और (घ) श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतीकरण एक सतत्गामी प्रक्रिया है तथा समीक्षा के परिणामों के आधार पर उनमें संशोधन/नए विधानों का अधिनियमन किया जाता है। सरकार ने हाल ही में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का भी गठन किया है जो संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित विद्यमान कानूनों के यौक्तिकरण तथा असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को निम्नतम स्तर का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक संरक्षणदायी विधान के संबंध में सुझाव देगा।

(ङ) श्रम मंत्रालय ने संघों को मान्यता प्रदान करने के लिए उनकी सदस्यता का सत्यापन करने के संबंध में त्रिपक्षीय करार द्वारा 1958 नियमावली बनाई थी।

लंबित जलाशय योजना

1061. श्री राजो सिंह: क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक राज्य सरकारों विशेषकर बिहार सरकार से जलाशय परियोजनाओं से संबंधित प्रति वर्ष कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त हुये हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार केन्द्र सरकार ने उनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी; और

(ग) शेष सभी परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विद्यवा चक्रवर्ती): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/बिहार सरकार से जलाशय परियोजनाओं से संबंधित केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त नए प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	
	राज्य	बिहार
1997-98	14	1
1998-99	8	1
1999-2000	7	1

उपरोक्त सभी परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरण की टिप्पणियों की अनुपालना पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण पार्क/संपदा

1062. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर, आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार कितने खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक संपदा/पार्क स्थापित किए गए;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान पार्कों के विकास पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में राज्य-वार क्रियान्वित की जा रही रोजगार उन्मुखी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) अब तक तीन खाद्य पार्कों को सहायता दी गई है। इनमें से दो पश्चिम बंगाल राज्य में और एक केरल में स्थित हैं।

(ख) मंत्रालय द्वारा इन खाद्य पार्कों में विश्लेषणात्मक एवम् गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, प्रशीतन भंडार/परिवर्तित वातावरण वाले प्रशीतन भंडार, भांडागार सुविधाओं, अनुपूरक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं आदि जैसी सामान्य सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता दी जाती है। प्रदान की गई सहायता की मात्रा निम्नलिखित अनुसार है:

वर्ष	लाख रु. में
1996-97	50.00
1997-98	75.00
1998-99	275.00

(ग) मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में जनशक्ति के विकास हेतु निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति का विकास (खाद्य प्रसंस्करण एवम् प्रशिक्षण केन्द्र)।

(ii) अनाज प्रसंस्करण उद्योगों में जनशक्ति का विकास।

(iii) मांस प्रसंस्करण में जनशक्ति को प्रशिक्षण ।

(iv) पारम्परिक मछुआरों को प्रशिक्षण।

(v) पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, पॉयलट संयंत्र आदि बुनियादी सुविधाओं का सृजन।

(vi) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

सभी राज्यों से उद्यमी/संगठन इन स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान जनशक्ति के विकास हेतु विभिन्न उद्यमियों/संगठनों को सहायता के रूप में 460.50 लाख रु. की राशि प्रदान की गई।

(घ) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों के लिए शतप्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश हेतु स्वत: मंजूरी उपलब्ध है।

(ii) बैंक ऋण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया है।

(iii) अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदों को औद्योगिक (विकास एवम् विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग से मुक्त रखा गया है।

(iv) खाद्य प्रसंस्करण मदों के लिए उत्पाद एवम सीमा शुल्कों को युक्तिसंगत किया गया है।

(v) राज्य सरकारों की नोडल एजेन्सियों के साथ परस्पर निकट सम्पर्क रखा जाता है।

(vi) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना स्कीमों के तहत, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के निजी उद्योगों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/गैर सरकारी संगठनों/सहकारिताओं/मानव संसाधन विकास संगठनों और अनुसंधान एवम विकास संस्थानों आदि को आसान शर्तों पर ऋण एवम अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मणिसाना वेतन बोर्ड

1063. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए गठित मणिसाना वेतन बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि नहीं, तो बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने की संभावना है;

(ग) क्या वेतन बोर्ड ने उदारीकरण प्रक्रिया के तहत भारतीय बाजार में विदेशी प्रेस को शामिल करने के बारे में कोई टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो बोर्ड द्वारा इस बारे में की गई मुख्य सिफारिशें और टिप्पणियां क्या हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) न्यायमूर्ति मणिसाना सिंह की अध्यक्षता वाले पत्रकारों एवं गैर-पत्रकारों समाचार पत्र एवं समाचार-एजेंसी कर्मचारियों संबंधी वेतन बोर्डों ने 21-12-99 को अंतरिम प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। इसमें पत्रकारों सहित समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए ढाँचा दिया गया था। अंतरिम प्रस्ताव हितबद्ध पक्षों की टिप्पणियाँ मंगाने के लिए 30.12.99 को राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे। इस प्रकार प्राप्त की गई टिप्पणियों पर वेतन बोर्डों ने 22.2.2000 से मौखिक सुनवाई पहले ही शुरू कर दी है। मौखिक सुनवाई पूरी हो जाने के बाद, अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने के लिए वेतन बोर्ड बैठकें करेंगे। आशा है कि अंतिम रिपोर्ट मार्च, 2000 तक आ जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों/जनजातियों का प्रतिशत

1064. श्री माधवराव सिंधिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है और केन्द्र सरकार के प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कितने प्रतिशत पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग नियुक्त हैं; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 1980 में शुरू की गई योजना की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) वर्ष, 1991 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की प्रतिशतता क्रमश: 16.48 प्रतिशत और 8.08 प्रतिशत थी। अधिकांश मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, 01.01.1998 को केन्द्रीय सरकार की समूह "क", "ख" और "ग" सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार था:

समूह	अनुसूचित जाति (प्रतिशत)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत)
क	10.38	3.21
ख	11.73	2.68
ग	15.99	5.95

(ख) कार्य-योजना अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियाँ भरने के लिए चलाया गया विशेष भर्ती-अभियान 1989 में आरंभ किया गया था, न कि 1980 में। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियाँ भरने हेतु 1989 और 1996 के बीच कुल छ: विशेष भर्ती-अभियान चलाए गए। इन भर्ती-अभियानों के माध्यम से, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल 1,35,453 पद भरे गए।

भ्रष्टाचार

1065. श्री नरेश पुगलिया:
श्री वैको:
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री रिजवान जहीर:
श्री रतन लाल कटारिया:
श्री नवल किशोर राय:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 5 जनवरी, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "करप्शन हार्मिंग कन्ट्री लाइक मिलिटेंसी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में भ्रष्टाचार अपने शीर्ष पर पहुंच चुका है और सरकार द्वारा स्थापित अनेक भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ इस कुकृत्य को रोकने के लिये पूर्णत: विफल हो चुकी हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या तुरंत कदम उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) फरवरी 05, 2000 के 'द हिन्दुस्तान

टाइम्स' में "करप्शन हार्मिंग कन्ट्री लाइक मिलीटेंसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में, नई दिल्ली में केपिटल फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा "भ्रष्टाचार': 21वीं शताब्दी की चुनौती" शीर्षक से आयोजित सेमिनार में हुए विचार-विमर्श का हवाला दिया गया है। उपर्युक्त सेमिनार में, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारणों और उसे रोकने के उपायों पर चर्चा की गई।

(ग) और (घ) सरकार लोक-सेवाओं में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार की व्याधि के उन्मूलन और स्वच्छ प्रशासन मुहैया करवाने की आवश्यकता के प्रति पूर्णत: जागरूक हैं। लोक-सेवाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस बारे में तैयार की गई नितियाँ, अपेक्षाकृत अधिक कारगर और बदलते परिवेश के प्रति संवेदनशीन और अनुक्रियाशील बनाए जाने की दृष्टि से समय-समय पर आशोधित की जाती हैं। भारत-सरकार के मंत्रालयों/विभागों के विभागाध्यक्ष संबंधित संगठन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होते हैं। सरकार के सभी भ्रष्टाचार निरोधी अभिकरण अर्थात् मंत्रालयों/विभागों में स्थापित आंतरिक सतर्कता-तंत्र, केन्द्रीय सरकार का एक प्रमुख अभिकरण, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की रोक-थाम करने के भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संबंध में पहलकदमी के तौर पर निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने हाल में आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने संबंधी मामलों का पता लगाने, अवैध घूस मांगते और लेते लोक सेवकों को पकड़ने की दृष्टि से धर पकड़ की कार्रवाई करने और संवेदनशील स्थानों के औचक (यादृच्छिक) दौरे करने के विशेष अभियान छेड़े हैं।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, दिनांक 20.12.1999 को लोक सभा में पेश कर दिया गया है। उपर्युक्त विधेयक विचार, और संस्तुतियों हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है।

3. उच्च लोक-कृत्यकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के ओरोपों की जांच करने के लिए लोक पाल संस्था स्थापित करने के प्रयोजन से, दिनांक 03.08.1998 को, लोकपाल विधेयक, लोक सभा में पेश कर दिया गया था। फिर भी, उपर्युक्त विधेयक, 26.04.1999 को 12वीं लोक सभा भंग हो जाने के परिणामस्वरूप, व्यपगत हो गया। लोकपाल विधेयक को पुन: पेश किए जाने के कदम उठाए जा रहे हैं।

4. सरकार ने, "सूचना का अधिकार और पारदर्शिता" के बारे में, जनवरी, 1997 में एक कार्य-दल गठित किया, जिसने मई 21, 1997 को अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी। इस कार्य-दल की रिपोर्ट की जांच-पड़ताल कर ली गई है और "सूचना के स्वातंत्र्य" विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस विधेयक को संसद में पेश किए जाने की दृष्टि से, इस समय, इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

5. इसके अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक अप्रैल 04, 1999 के संकल्प सं॰ 37/20/99-ए.वी.डी.-III के पैरा 3(V) द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सतर्कता-प्रशासन की देख रेख का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। उपर्युक्त आयोग ने ईमानदारी की संस्कृति पनपाने, प्रशासन में अपेक्षाकृत ज्यादा पारदर्शिता लाने, इलैक्ट्रॉनिक निकासी-प्रणाली अपनाने, बैंकों का कम्प्यूटरीकरण करने, जनता को संवेदनशील बनाने जैसे उपायों के जरिए भ्रष्टाचार नहीं होने देने की दृष्टि से अनेक अनुदेश जारी किए हैं। केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों में सतर्कता-प्रबन्धन के बारे में विशेष अध्याय भी जारी किए हैं।

अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा

1066. श्री मोइनुल हसन:
श्री पी. सी. थामस:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री यू.वी. कृष्णमराजू:
श्री अजय सिंह चौटाला:
डा॰ एस. जगतरक्षकन:
श्री रिजवान जहीर:
श्री शिवाजी माने:
श्री सी. कुप्पुसामी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की प्रस्तावित यात्रा को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण एशिया में अपने दौरे के दौरान वे किन-किन देशों की यात्रा करेंगे;

(ग) अमरीकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत सरकार द्वारा उनसे किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है;

(घ) उनकी यात्रा के दौरान किन-किन नवाचारों/समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के संबंध में किसी संधि पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे;

(च) क्या आपसी हितों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय पहलुओं के संबंध में मिलकर काम करने के लिए कोई संयुक्त कार्यदल गठित किया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) अमरीका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन 20 मार्च, 2000 से 5 दिनों के लिए भारत की यात्रा पर आ रहे हैं।

(ख) अमरीकी सरकार ने घोषणा की है कि अमरीकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा के साथ ही बंगलादेश की एक दिवसीय यात्रा भी करेंगे। अमरीकी सरकार ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान कहीं और जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) दोनों पक्षों ने यह विचार व्यक्त किया है कि राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच गुणात्मक रूप से एक नये, घनिष्ठ तथा और भी व्यापक संबंधों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दोनों पक्ष आपसी हित के मसलों तथा राजनैतिक और सुरक्षा मामलों पर अपनी-अपनी समझबूझ को और बढ़ाने तथा व्यापार, निवेश ऊर्जा एवं पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं संस्कृति, आतंकवाद से मुकाबला और स्वापक औषध नियंत्रण के संबंध में आपसी लाभकारी सहयोग को गहन बनाये जाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।

(ङ) भारत और अमरीका ने अतंकवाद से मुकाबला करने के लिए हाल ही में एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया है ताकि आतंकवाद के खतरे से मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाया जाये।

(च) और (छ) आतंकवाद का मुकाबला किये जाने से संबद्ध संयुक्त कार्य दल के अतिरिक्त दोनों पक्ष ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्यदल गठित किये जाने की प्रक्रिया में हैं।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा रासायनिक हथियारों का उत्पादन

1067. श्री राम शकल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान चीन और दूसरे देशों की सहायता से रासायनिक हथियारों का उत्पादन करने में जुटा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पाकिस्तान के पास आज की तारीख तक कितने रासायनिक हथियार हैं;

(घ) चीन द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किए गए अन्य हार्डवेयरों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) चीन द्वारा पाकिस्तान को प्रौद्योगिकी और हथियारों को हस्तांतरण करने संबंधी मामले को उजागर करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार इस संबंध में किस हद तक सफल हुए है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) पाकिस्तान रासायनिक शस्त्र अभिसमय जो सभी पक्षकार राज्यों को रासायनिक शस्त्रों का विकास करने, निर्माण करने अथवा अन्यथा अधिगृहीत करने, भंडारण करने अथवा रखने से रोकता है का एक पक्षकार राज्य है। अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार पाकिस्तान ने यह कहते हुए घोषणा की है कि उसने विगत समय में रासायनिक शस्त्र न तो विकसित किए हैं और न ही उसके पास इनका कोई भंडार है।

(घ) से (च) सरकार पाकिस्तान द्वारा सामूहिक विनाश के शस्त्रों सहित युद्धसामग्री के अनुसंधान, विकास और अधिग्रहण से संबंधित सभी घटनाओं पर कड़ी नजर रखती है। सरकार को चीन द्वारा पाकिस्तान को मिसाइल एवं मिसाइल प्रौद्योगिकी, नाभिकीय शस्त्रों से संबंधित उपकरण एवं प्रौद्योगिकी परम्परागत युद्ध सामग्री का अन्तरण किए जाने की जानकारी है। सरकार ने प्रमुख देशों के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत में उन्हें ऐसे अन्तरणों और उनसे भारत के सुरक्षा वातावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के प्रति अपनी चिन्ता से अवगत कराया है। सरकार भारत की सुरक्षा और अपने ऊपर खतरे की आंशकाओं को देखते हुए राष्ट्रीय हितों की प्रभावशाली ढंग से रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध रहती है।

[अनुवाद]

इंस्ट्रूमेंटलिटीज द्वारा बनाए गए नियम और विनियमों की निगरानी

1068. श्रीमती गीता मुखर्जी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा कोई सरकारी तंत्र विद्यमान है जो इस बात की निगरानी/पता लगाता है कि कुल मिलाकर इसके अनेक इंस्ट्रूमेंटलिटीज द्वारा बनाए गए नियम और विनियम सरकार के सदृश नियमों और विनियमों से समग्रत: तुल्य हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार का कोई भी अभिकरण, कानून के प्रावधानों अथवा अपने संविधान के चार्टर के अनुसार नियम बना सकता है। कोई भी अभिकरण, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, अपने ही नियम बना सकता है अथवा केन्द्र-सरकार के नियम अपना सकता है अथवा केन्द्र-सरकार के नियमों में, कानूनी ढांचे के अंतर्गत यथा अनुमत उपयुक्त संशोधन करके उन्हें ही अपना सकता है।

सरकार के किसी भी अभिकरण के संबंध में कानून और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का ही होता है।

दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस) का दूध

1069. श्री सुबोध मोहिते:
श्री साहिब सिंह:
श्री रामचन्द्र वीरप्पा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना का घाटा प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस) को कितना घाटा हुआ है;

(ग) पिछले किस वर्ष में दूध की कीमत में वृद्धि की गई थी;

(घ) क्या सरकार का विचार दूध की कीमत में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) दिल्ली में दूध का दैनिक मांग और आपूर्ति कितनी है;

(छ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली दुग्ध योजना दिल्ली के लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार दूध की आपूर्ति करने में असफल रहा है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	करोड़ रुपए में
1997-98	59.22
1998-99	73.00
1999-2000 (जनवरी 2000 तक)	72.48

(ग) 1992 ।

(घ) और (ङ) सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जा रहे दूध का विक्रय मूल्य मदर डेयरी के मूल्यों के बराबर बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(च) दिल्ली में दूध की दैनिक मांग और आपूर्ति लगभग 30-32 लाख लीटर प्रतिदिन है। दिल्ली दुग्ध योजना इस समय दिल्ली के नागरिकों को केवल 4.00 लाख लीटर प्रतिदिन की आपूर्ति कर रही है। शेष मांग की पूर्ति मदर डेयरी सहित अन्य डेयरियों द्वारा की जा रही है।

(छ) और (ज) चूंकि इस समय दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का विक्रय मूल्य मदर डेयरी के दूध के विक्रय मूल्य से काफी कम है। अत: दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की भारी मांग है। जब दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का विक्रय मूल्य मदर डेयरी के दूध के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा तब यह भारी मांग समाप्त हो जाएगी।

[हिन्दी]

अमरीका द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों का हटाया जाना

1070. डा॰ अशोक पटेल:
श्री रामपाल सिंह:
श्री तिरूनावकरसू:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिकी सरकार ने पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने संबंधी कोई आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रतिबंधों को कब तक हटा लिया जायेगा?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) रक्षा विनियोजन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत छूट अधिकार का आंशिक प्रयोग करते हुए अमरीका ने 27 अक्तूबर, 1999 को अमरीकी निर्यात-आयात बैंक, ओ पी आई सी और टी डी ए क्रियाकलापों, अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, अमरीकी बैंकों द्वारा भारत सरकार को ऋण दिए जाने, खाद्यान्न की खरीद को समर्थन देने के लिए कृषि विभाग द्वारा ऋण और वित्तीय सहायता और वन्य जीवन संरक्षण तथा पर्यावरण परियोजनाओं के लिए कतिपय सहायता पर से प्रतिबन्ध हटा लिये थे। 16 दिसम्बर को अमरीका ने 200 से अधिक भारतीय सरकारी संगठनों, अनुसंधान, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और निजी कम्पनियों की सूची नवम्बर 1998 में प्रकाशित तथाकथित इकाई सूची में से 51 संगठनों को भी निकाल दिया गया, जो कड़े निर्यात प्रतिबंधों के अन्तर्गत थे।

अमरीका अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर-मानवीय प्रयोजनों के लिए ऋण दिए जाने और रक्षा से जुड़े तथा दोहरे उपयोग के समान और प्रौद्योगिकी के निर्यात के संबंध में प्रतिबंध लगाए हुए हैं।

(ग) अमरीका ने शेष प्रतिबंधों को हटाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। सरकार का यह दृष्टिकोण है कि भारत पर लगाए गए सभी एकपक्षीय प्रतिबंध हानिकर हैं और उन्हें पूरी तरह से हटा लिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

ऑयल पाम विकास कार्यक्रम

1071. श्री पी॰डी॰ एलानगोवन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऑयल पाम विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी) की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (ओपीडीपी) के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) देश में राज्यवार, विशेषकर तमिलनाडु में ऑयल पाम की खेती के लिए कुल कितनी बंजर भूमि का खेती के लिए उपयोग किया जाएगा; और

(घ) ऑयल पाम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में विशेषकर तमिलनाडु में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्पादित होने वाले ऑयल पाम का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰ सत्यनारायण राव): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नामत: आयल पाम विकास कार्यक्रम (ओपीडीपी) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा एवं केरल राज्यों में ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑयल पाम के किसानों को रोपण सामग्री, कृषि आदान एवं टपका सिंचाई प्रणाली की संस्थापना हेतु राजसहायता दी जाती है। दिनांक 08-02-2000 से आयल पाम विकास कार्यक्रम के तहत एक नए घटक,

अर्थात, डीजल पंपसेट की स्थापना के लिए आयल पाम किसानों को राजसहायता देना, की शुरूआत की गई है। आयल पाम किसानों को राष्ट्रीय आयल पाम अनुसंधान केन्द्र के एलुरू (आन्ध्र प्रदेश) और पालोड (केरल) केन्द्रों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयल पाम विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 137.99 करोड़ रुपए के केन्द्रीय हिस्से सहित 179.65 करोड रुपये के कुल परिव्यय की स्वीकृति दी गई है।

(ग) और (घ) ऑयल पाम कृषि के लिए उपयुक्त बंजर भूमि सहित विभिन्न क्षेत्रों में आयल पाम विकास कार्यक्रम के अधीन आयल पाम खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आयल पाम कृषि के लिए अनुकूल पाई गई भूमि और पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में आयल पाम का अनुमानित उत्पादन विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

आयल पाम की खेती हेतु पाए गए राज्यवार क्षेत्र एवं आयल पाम का अनुमानित उत्पादन

राज्य का नाम	अभिज्ञात क्षेत्र (हजार है॰ में)	आयल पाम का अनुमानित उत्पादन (मी॰ मिलियन टन में)		
		1996-97	1997-98	1998-1999
1. आन्ध्र प्रदेश	400.00	1,818	5,395	8,973
2. कर्नाटक	250.00	432	567	536
3. तमिलनाडु	30.00	0	0	28
4. गुजरात	61.36	0	0	0
5. उड़ीसा	10.00	0	0	0
6. गोवा	10.00	33	61	119
7. त्रिपुरा	5.00	0	0	0
8. असम	10.00	0	0	0
9. केरल	5.00	4,261	4,428	3,812
10. महाराष्ट्र	10.00	0	0	0
11. पश्चिम बंगाल	10.00	0	0	0
12. अन्डमान और निकोबार	1.59	1,426	1,284	1,142
कुल	802.95	7,970	11,735	14,610

[हिन्दी]

नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा

1072. श्री पी. आर. खूंटे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(घ) नेत्रहीनों को शिक्षा प्रदान करने हेतु अंध विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को चलाने के लिए राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) इन विद्यालयों में कितने नेत्रहीन बच्चे अध्ययन कर रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दृष्टिहीनों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों को अंध विद्यालय तथा अन्य संस्थाओं को चलाने हेतु मंत्रालय द्वारा कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तथापि, मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत दृष्टिबाधितार्थों के लिए कार्यरत संस्थाओं सहित गैर सरकारी संगठनों को सहायता दे रहा है।

[अनुवाद]

ब्रिटिश सरकार के साथ उमर सईद शेख के प्रत्यावर्तन का मामला उठाना

1073. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स की उड़ान आई सी 814 का मुक्त किया गया एक अपहरणकर्ता उमर सईद शेख ब्रिटिश नागरिक है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उसके प्रत्यावर्तन के मामले को ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले पर ब्रिटिश सरकार से सरकार को क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) सरकार ने इस संबंध में ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार का औपचारिक अनुरोध नहीं किया है क्योंकि अमर सईद शेख के यू.के. में होने की कोई खबर नहीं है।

(ग) इस मामले पर ब्रिटिश सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है जिन्होंने हमें भारत-ब्रिटिश प्रत्यपर्ण संधि के उपबन्धों की रूपरेखा के भीतर अपने सहयोग का आश्वासन दिया है।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए दूध की अनुपलब्धता

1074. डा॰ सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री राम नाबद्दू दग्गुबाटि:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "इनिशिएटिव" नामक किसी संगठन ने अध्ययन के बाद सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह दर्शाया गया है कि देश में 53 प्रतिशत बच्चों को दूध उपलब्ध नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में सरकार क्या सुधारात्मक उपाय कर रही है; और

(घ) इस समय विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) "इनिशिएटिव" नामक संगठन ने सरकार को एक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की है किन्तु इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि देश में 53 प्रतिशत बच्चों को दूध उपलब्ध नहीं होता है। तथापि, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 5 वर्ष से कम आयु के 53 प्रतिशत भारतीय बच्चे कुपोषित हैं, इस आयु में दूध, खाद्य और पोषण के लिए महत्वपूर्ण आदान उपलब्ध करता है।

(घ) भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है।

[अनुवाद]

दिल्ली में दूषित भू-जल

1075. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री रामचन्द्र बैंदा:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यमुना नदी का पानी तथा भू-जल का लगभग पचास प्रतिशत भौतिक रसायन तत्वों के समग्र प्रभाव के कारण पीने योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो भू-जल में पाए गए रासायनिक तत्वों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अध्ययन दल द्वारा भू-जल का प्रयोग मानव उपभोग हेतु करने के लिए क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विभिन्न गहराइयों के 303 नमूनों का प्रयोग करते हुए किए गये संयुक्त अध्ययनों के अनुसार, भू जल के 45.5 प्रतिशत नमूने भौतिक रसायन गुण (भारी धातु सहित) के आधार पर पीने के लिए अनुपयुक्त पाये गये हैं।

(ख) भू-जल प्रदूषण का ब्लाक-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

ब्लाक का नाम	अनुज्ञेय सीमा से अधिक प्रदूषक
अलीपुर	फलोराइड, नाइट्रेट, क्रोमियम, लोहा
कांझवाला	फलोराइड, नाइट्रेट, लेड, केडिमियम, लोहा
नजफगढ़	फलोराइड, नाइट्रेट, केडियम, लेड, लोहा
महरौली	क्रोमियम, लोहा
शहर	फलोराइड, नाइट्रेट, क्रोमियम, लोहा
शाहदरा	नाइट्रेट, कोमियम, लोहा

(ग) अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं :

भू जल निकालने वाली संरचनाओं का पंजीकरण, जल की जांच तथा उसे क्लोरीनयुक्त करना, प्रदूषित हैंड पम्पों और कुंओं को लाल रंग से पेन्ट करना ताकि लोगों को इसके जल का प्रयोग न करने की चेतावनी दी जा सके, खुले कुँओं को ढ़कना, समुचित भूमिगत मल जल निकासी की व्यवस्था करना, भू-जल गुणवत्ता का प्रबोधन करना, छत पर वर्षा जल को एकत्र करने संबंधी पद्धति को बढ़ावा देना, प्राकृतिक जल निकायों का पुनरुद्धार करना, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण और यमुना नदी में न्यूनतम प्रवाह बनाये रखना और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

(घ) सरकार द्वारा किये गये उपाय इस प्रकार हैं - भू-जल विकास और प्रबंधन के नियंत्रण और विनियमन के लिए केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण की स्थापना करना, भू-जल निकालने वाली संरचनाओं का पंजीकरण करना, भू-जल गुणवत्ता का प्रबोधन करना, भू-जल नमूनों के विश्लेषण के लिए चलती-फिरती रसायन प्रयोगशाला का प्रयोग करना, भू-जल की निकासी के विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के नजफगढ़ और महरौली ब्लाकों को अधिसूचित करना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में वर्षा जल को एकत्र करने संबंधी प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करना और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षित पेय जल प्रदान करने संबंधी प्रावधान की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन किया जाता है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता

है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय में पेय जल आपूर्ति विभाग राज्य सरकारों को ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल आपूर्ति के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों के वास्ते वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हस्तांतरण

1076. श्री नरेश पुगलिया:
श्री अधीर चौधरी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिडेट को निजी क्षेत्र की कंपनी मै. हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को हस्तांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने से पहले मशीनों, उपस्करों और भूमि आदि का मूल्यांकन कर लिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस कंपनी को मै. हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को आशा से कहीं कम दर पर हस्तांतरित किया है;

(घ) क्या कंपनी को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने से पहले कामगारों के हित पर विचार किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) सरकार ने मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड में अपनी 74% इक्विटी कर विनिवेश मै. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को कर दिया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) सरकार, मै. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड तथा मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के बीच हुए समझोते में कर्मचारियों के हितों की रक्षा की व्यवस्था निम्नलिखित की गई है:

(1) शेयरधारक समझौते के विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि "सभी पक्ष यह मानते हैं कि कम्पनी के इस तारीख को सभी कर्मचारी कम्पनी के नियोजन में बने रहेंगे।"

(2) समझौते की तारीख की पहली वार्षिकी के अन्त तक कम्पनी के कर्मचारियों को उनकी नौकरी से बर्खास्तगी या समापन, लागू स्टाफ विनियमों या कम्पनी के प्रचलित आदेशों या कानून के अनुसार की जा सकती है; बशर्ते कि इस समझौते की तारीख की पहली वार्षिकी तक किसी कर्मचारी की छंटनी तब तक नहीं की जाएगी जब तक प्रभावित कर्मचारी को उतने लाभ न दिए जाएँ जो अधिकतम लाभ के बराबर या उससे ज्यादा हों। इसका तात्पर्य यह है कि कर्मचारी को मिलने वाला लाभ (क) इस तारीख को कम्पनी के कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत दिए जाने वाले या (ख) लागू कानून के तहत किसी कर्मचारी को उपलब्ध लाभ से ज्यादा हो।

कर्मचारियों से संबंधित अनुबंध को तोड़ना व्यतिक्रम (चूक) समझा जाएगा जिस पर दण्डात्मक कार्रवाई हो सकेगी। इस दण्डात्मक कार्रवाई में एम.एफ.आई.एल.में स्ट्रैटजिक पार्टनर के शेयर को 25% बट्टे पर खरीदना या सरकारी स्वामित्व वाले सभी एम.एफ.आई.एल. शेयरों को 25% अधि मूल्य पर स्ट्रैटजिक पार्टनर को बेचना शामिल है। यह अधिकार सरकार के स्ट्रैटजिक पार्टनर के विरुद्ध कानूनी या इक्विटी में उपचार तलाशने के अधिकार संबंधी पूर्वाग्रह के बगैर है।

उपर्युक्त के होते हुए भी, समझौते देश के कानूनों के अनुसार प्रशासित होंगे और इस तरह कर्मचारियों के हित भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत प्रशासित होंगे।

[हिन्दी]

आरक्षण संबंधी कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा

1077. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधान मंत्री आरक्षण संबंधी कार्यालय ज्ञापन के बारे में 8 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1566 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरक्षण संबंधी उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) समीक्षा का काम कब पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) पाँच कार्यालय-ज्ञापनों में से एक की समीक्षा पूरी कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, संविधान का (अठासीवाँ संशोधन) विधेयक, 1999 दिनांक 23.12.1999 को राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। शेष चार कार्यालय-ज्ञापनों की समीक्षा पूरी नहीं हुई है। चूँकि उपर्युक्त समीक्षा की प्रक्रिया में, मसले की जाँच, इससे जुड़े कानूनी और संवैधानिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए की जानी अपेक्षित है, अत: उपर्युक्त समीक्षा पूरी कर लिए जाने की कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

जाली नोटों का धंधा करने वाला गिरोह

1078. श्री सुरेश कुरूप:
श्री अमर राय प्रधान:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और नेपाल में जाली नोटों के इस्तेमाल करने में पाकिस्तानी राजनयिकों के लिप्त होने के बहुत से मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) क्या पाक नागरिकों के कब्जे से जाली नोट बरामद होने के भी बहुत से मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है;

(ङ) यदि हाँ, तो पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (च) सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल स्थित पाकिस्तान राजदूतावास के एक कर्मचारी को जनवरी, 2000 में काठमांडू में उस समय रंगे हाथों पकड़ा गया जिस समय वह नेपाल पुलिस के किसी गुप्त अधिकारी को नकली मुद्रा हस्तान्तरित कर रहा था। नेपाल की सरकार ने पाकिस्तान के उस कर्मचारी से अपने पद के परस्पर विरोधी ऐसे कार्य में उसके संलिप्त होने के कारण, 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा था।

सरकार को उस जाँच की भी जानकारी है जो दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के उस कर्मचारी के संबंध में की जा रही है जो तथाकथित रूप से एक नकली भारतीय नोट का उपयोग कर रहा था। पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के नकली भारतीय नोटों के षडयंत्र में संलिप्त हाने की अन्य खबरें भी हैं।

सरकार इन गतिविधियों के बारे में सतर्कता बरत रही है।

अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ वार्ता

1079. श्री भीम दाहाल:
श्री ए. नरेन्द्र:
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:
श्रीमती रीना चौधरी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने अपनी हाल ही की लंदन यात्रा के दौरान अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री स्ट्रोब टालबोट के साथ वार्ता की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस वार्ता के दौरान निरस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार, सी टी बी टी, परमाणु मुद्दा, विश्वव्यापी आंतकवाद से मुकाबला और पाकिस्तान को आंतकवादी राष्ट्र घोषित करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई थी;

(ग) क्या इंग्लैण्ड और अन्य बड़ी शक्तियों को भी आतंकवाद पर संयुक्त कार्य दल में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसमें चर्चित अन्य मुख्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इस वार्ता के क्या परिणाम निकले;

(च) क्या इस वार्ता के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस वार्ता के दौरान लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हाँ। सुरक्षा, शस्त्र-अप्रसार, निरस्त्रीकरण और सम्बद्ध मुद्दों पर चल रही भारत-अमरीकी बातचीत को जारी रखने के लिए अमरीका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री स्ट्रोब तालबोट के साथ 18-19 जनवरी, 2000 को लंदन में बैठक हुई थी।

(ख) सुरक्षा, शस्त्र अप्रसार और निरस्त्रीकरण से जुड़े मसलों के अतिरिक्त दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाओं, जिनमें हाल में हुए इण्डियन एयर लाइन्स के विमान आई सी-814 का अपहरण शामिल है, पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के तौर-तरीकों पर भी चर्चा की और आतंकवादरोधी संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना पर सहमत हुए।

(ग) और (घ) संयुक्त कार्यकारी दल भारत और अमरीका के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपना सहयोग तेज करने के लिए एक मंच है। अन्य देशों को इस द्विपक्षीय मंच में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की कोई मंशा नहीं है। इस मुद्दे पर भारत अन्य प्रमुख देशों के साथ अलग से सम्पर्क बनाए हुए है।

(ङ) से (छ) उपरोक्त (ख) में उल्लिखित मुद्दों के अतिरिक्त दोनों पक्ष फरवरी के आरंभ में वाशिंगटन में आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्यकारी दल की पहली बैठक करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंडियन एयरलाइन्स आई सी-814 के अपराधियों को कानून के अन्तर्गत लाया जाए, मिल कर काम करने के लिए सहमत हुए। दोनों पक्षों ने राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा के लिए योजना तैयार करने के लिए व्यवस्था पर भी चर्चा की। भारत और अमरीका के बीच बहु-उद्देशीय साझेदारी की स्थापना के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में भारत और अमरीकी बातचीत तेज करने और उसे अधिक व्यापक बनाने पर सहमत हुए।

(ज) आंतकवादरोधी भारत-अमरीकी संयुक्त कार्यकारी दल की पहली बैठक 7-8 फरवरी, 2000 को वाशिंगटन डी. सी. में हुई। दोनों पक्ष ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग तेज करने के लिए संयुक्त कार्यकारी दल स्थापित करने की प्रक्रिया में भी लगे हुए हैं। राष्ट्रपति क्लिंटन 20 मार्च से 5 दिन के लिए भारत यात्रा पर आएंगे।

जापान से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अंतिम अवशेष को लाया जाना

1080. डा॰ संजय पासवान:
श्री लक्ष्मण सेठ :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 2000 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गवर्नमेन्ट रेडी टु हेल्प ब्रिंग नेताजीज एशेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने जापान से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अंतिम अवशेष को लाने की दिशा में पहल करने का निर्णय किया है, बशर्ते कि इस विषय पर एक आम सहमति हो;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने नेताजी की मौत की जाँच के लिए आयोग का गठन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो उक्त आयोग की रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की ओर से क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में 14 मई, 1999 को एक जाँच आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि जापान के मंदिर में रखी अस्थियां क्या नेताजी की हैं, सहित 1945 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब होने से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों की जाँच करने का कार्य सौंपा गया है।

(घ) और (ङ) फिलहाल इस आयोग का कार्यदल 14 मई, 2000 तक है। उन व्यक्ति विशेष, व्यक्ति समूहों, संगठनों, संस्थाओं और संघों से उत्तर मांगने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोग के सौंपे गए मामलों से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी अथवा ज्ञान है।

छोटे उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कैम्प

1081. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में छोटे उद्यमियों को प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रशिक्षण कैंप किस सीमा तक उपयोगी रहे हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़ी कम्पनियों के उद्यमियों के साथ प्रभावी संबंध स्थापित करने और इन उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कैंप आयोजित करने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अर्थव्यवस्था में बड़े उद्यमियों के बीच समझौता कराया गया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय स्तर के विविध उद्यमिता विकास संस्थानों जैसे, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद, भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी, और एकीकृत प्रशिक्षण केन्द्र, नीलोखेडी के माध्यम से, लघु उद्यमियों के लिए, विविध उद्यमिता विकास एवं प्रबंध कार्यक्रम आयोजित करती है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, आधुनिक प्रबन्ध पद्धतियों को अपना कर, व्यवस्था में, उद्यमियों की मदद करते हैं ताकि वे अपने उद्यम सफलतापूर्वक चला सकें।

(घ) और (ङ) सरकार, सामान्य एवं विशिष्ट क्षेत्रक विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित कराने और क्रेता-विक्रेता-मेल-मिलाप द्वारा, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित, छोटी एवं बड़ी कम्पनियों के बीच, संयोजन बनाने हेतु पूर्व-सक्रिय भूमिका निभा रही है।

[हिन्दी]

विभागीय पदोन्नतियों के लिए दिशा-निर्देश

1082. श्री राधा मोहन सिंह: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति से संबंधित दिशा-निर्देशों और सीधी भर्ती द्वारा भरी जा रही रिक्तियों की चयनित तालिका की तैयारी से संबंधित प्रावधानो का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी इंस्ट्रूमेंटलिटीज के कर्मचारियों पर भी ऐसे दिशा-निर्देश/प्रावधान लागू हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) तकनीकी तथा वैज्ञानिक कार्मिकों के मामले को छोड़कर जहाँ भारत सरकार द्वारा लचीली सम्पूरक (फ्लेक्सीबल कॉम्प्लीमेंटिंग)

योजना लागू की गई है. केन्द्र सरकार के अन्तर्गत सेवाओं में पदोन्नति उच्चतर ग्रेड में रिक्तियों की उपलब्धता से जुड़ी है। पदोन्नति की यह नीति इस तर्क पर आधारित है कि कर्मचारियों में अपेक्षाकृत अधिक सक्षम कर्मचारी को पदोन्नति अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से मिले। पदोन्नति की पद्धति के रूप में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा योजना के अपनाए जाने, उम्मीदवार के अयोग्य नहीं पाए जाने पर, वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति की प्रधान पद्धति के स्थान पर, पदोन्नति में "चयन" की अवधारणा तथा पदोन्नति के उद्देश्य से गोपनीय पंजियों के संबंध में ग्रेड निर्धारण की दृष्टि से "बैंच मार्क" की अवधारणा के चलन के आरम्भ से यह प्रतिबिंबित होता है।

केन्द्र-सरकार में सीधी भर्ती के मामले में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के मद्देनजर, चुने गए उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है तथा अन्य उपयुक्त पाए गए व्यक्तियों को एक आरक्षित सूची में रखा जाता है जिसका उपयोग, चुने गए उम्मीदवारों की सूची में से कुछ नियुक्ति किए जाने हेतु उम्मीदवार सुलभ नहीं हो पाने की स्थिति में किया जाता है। उपर्युक्त आरक्षित सूची का उपयोग, किसी उम्मीदवार द्वारा अपने पद का कार्यभार की संभालने की तारीख से 6 महीने के अन्दर, अपने पद से त्यागपत्र दे देने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण, कोई रिक्ति होने की स्थिति में इस बारे में निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन किया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार का कोई भी अभिकरण कानून के प्रावधानों अथवा अपने उस संविधान के चार्टर के अनुसार, नियम बना सकता है, जिसके अनुसरण में उसे सृजित/स्थापित किया गया हो। संबंधित अभिकरण केन्द्र सरकार के ही नियम पूरी तरह अपना सकता है अथवा उनमें, अपने को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के अन्तर्गत अनुमत उपयुक्त संशोधन करके उन्हें अपना सकता है। फिर भी, भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम किसी भी स्थिति में अभिकरण पर स्वत: ही लागू नहीं होते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भविष्य निधि कार्यालय

1083. **श्री अशोक ना॰ मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि बकाया के अनेक मामले केन्द्रीय भविष्य निधि कार्यालय में लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्य-वार उक्त कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) उन्हें शीघ्र निपटाये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) भविष्य निधि (पी एफ) के मामलों पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में सुनवाई की जाती है। प्रत्येक राज्य में भविष्य निधि देयों वाले प्रतिष्ठानों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। भविष्य निधि की बकाया देयों की वसूली के लिए चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7अ, 8ब, 14, 14ब के अंतर्गत और जहाँ आवश्यक हो भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत पहले से ही आवश्यक कानूनी/दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र का नाम	31.3.97	31.3.98	31.3.99
1.	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1703	2088	1945
2.	बिहार	655	771	778
3.	दिल्ली	335	417	395
4.	गुजरात	1853	1477	1142
5.	हिमाचल प्रदेश	0	0	118
6.	हरियाणा	832	933	1116
7.	कर्नाटक	967	889	753
8.	केरल	704	733	616
9.	मध्य प्रदेश	1746	1800	1497
10.	महाराष्ट्र	366	951	992
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	203	185	208
12.	उड़ीसा	513	659	588
13.	पंजाब	1366	1155	842
14.	राजस्थान	1725	1691	1755
15.	तमिलनाडु	2698	2485	3172
16.	उत्तर प्रदेश	2636	2313	1339
17.	पश्चिम बंगाल	2620	2808	1902

[हिन्दी]

खाद्यान्न उत्पादन

1084. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यहां धान, कपास, तिलहन, दलहन और खाद्यान्नों की औसत पैदावार विश्व स्तर पर औसत पैदावार से कम है;

(ख) यदि नहीं, तो विश्व स्तर पर इनकी औसत पैदावार कितनी है; और

(ग) विश्व में इनकी अधिकतम और न्यूनतम पैदावार दर क्या है और ये किन-किन देशों में है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनारायण राव) : (क) खाद्य एवं कृषि संगठन की वर्ष पुस्तक

उत्पादन 1997 में उपलब्ध तुलनात्मक आंकडों के अनुसार भारत में 1997 में गेहूं, धान, कपास, दलहन व अनाज जैसी फसलों की औसत पैदावार विश्व में औसत उपज की तुलना में कम थी।

(ख) और (ग) संबंधित देशों के नाम दर्शाते हुए स्तर पर विभिन्न फसलों की अधिकतम व न्यूनतम पैदावार दरें संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं। इन फसलों की भारत तथा विश्व स्तर पर औसत दरें भी संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान अधिकतम व न्यूनतम उपज दरों सहित विश्व में उपज स्तर की तुलना में भारत गेहूं, धान, गन्ना, दलहन तथा तिलहन की पैदावार दरें

(पैदावार दर कि०ग्रा०/हेक्टेयर में)

फसल	1997-98			
	भारत	विश्व	अधिकतम	न्यूनतम
1	2	3	4	5
गेहूं	2485	2686	8373 (नीदरलैण्ड)	370 (सोमालिया)
धान	2850	3827	8244 (आस्ट्रेलिया)	680 (सूडान)
कपास	208	584	1679 (इजराइल)	80 (केनिया)
तिलहन, मूंगफली	1040	1273	5789 (इजराइल)	370 (नाइजीरिया)
सरसों व तोरिया	668	1451	11821 (मैक्सिको)	190 (सूडान)
सोयाबीन	1079	2174	3750 (इटली)	360 (तंजानिया)
दलहन	567	806	4759 (बेल-लक्स)	100 (घाना)
अनाज	1775	2971	8127 (प्यूअर्टो-रिको)	307 (नाइजीरिया)

स्रोत: खाद्य एवं कृषि संगठन की वर्ष पुस्तक, उत्पादन, 1997 से संबंधित।

घरेलू बाल श्रमिक

1085. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 वर्ष की आयु से कम और उससे अधिक आयु के घरेलू बाल श्रमिकों की संख्या और कार्य स्थितियों के बारे में प्रत्येक महानगर में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन शहरों में घरेलू बाल श्रमिकों को नियोजित करने की प्रणाली समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने के बारे में विचार कर रही है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 बच्चों का घरेलू नौकरों के रूप में नियोजित प्रतिषिद्ध नहीं करता है। अत: सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के बारे में सर्वेक्षण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, सरकार सभी रूपों में बाल श्रम के उन्मूलन के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

भारत तथा अमेरिका के संबंध

1086. **श्री ब्रज भूषण शरण सिंह:** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारत तथा अमेरिका के बीच आपसी संबंधों को सामान्य बनाने हेतु कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) वर्तमान परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु परियोजना-वार अमेरिकी नियम व शर्तें क्या हैं;

(ग) भारत और अमेरिका के बीच पिछली बार औपचारिक वार्ता कब हुई थी;

(घ) क्या अमेरिका द्वारा वित्त पोषित वर्तमान परियोजनाएँ रुक गई हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को जारी रखने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) सरकार अमरीका की सरकार के साथ व्यापक बातचीत कर रही है। दोनों देशों की सरकारें व्यापक आधारित संबंध विकसित करने और परस्पर लाभकारी सहयोग को गहन बनाने की दिशा में उद्देश्यपूर्ण कार्य करने पर सहमत हुई हैं। भारत सुरक्षा, प्रसार, निरस्त्रीकरण, क्षेत्रीय विकास और संबद्ध विषयों पर अमरीका के साथ निरंतर बातचीत कर रहा है। इस बातचीत के परिणामस्वरूप पारस्परिक समझबूझ और सुरक्षा संबंधी मामलों में कुछ प्रगति हुई है। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और अन्य सार्वभौम मसलों पर तथा साथ-साथ ऊर्जा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में भी सार्थक परामर्श तथा बातचीत की शुरूआत की हैं।

अमरीका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन 20 मार्च से पाँच दिन के लिए भारत की यात्रा पर आएंगे। इस यात्रा से दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच गुणात्मक रूप से नए और घनिष्ट संबंधों के लिए मार्ग प्रशस्त होने के प्रति आशान्वित हैं।

(ख) भारत में परियोजनाओं के लिए सामान्य वित्तीय, वाणिज्यिक और विकास के विचार पर आधारित नियमों और शर्तों पर अमरीकी बैंकों और अन्य अभिकरणों से ऋण उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी अभिकरण के माध्यम से द्विपक्षीय परियोजनाओं का वित्त पोषण अनुदान के आधार पर किया जाता है।

(ग) सुरक्षा, अप्रसार, निरस्त्रीकरण और संबद्ध मसलों पर चल रही भारत-अमरीकी बातचीत की अन्तिम बैठक 18-19 जनवरी, 2000 को लंदन में हुई थी।

(घ) अमरीकी निजी बैंक, अमरीकी आयात-निर्यात बैंक, ओवरसीज प्राईवेट इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन एंड ट्रेड डिवलपमेंट अथॉरिटी सहित अमरीकी अभिकरणों द्वारा भारत में परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण पर लगाए गए प्रतिबंधों को अमरीका ने 1 दिसम्बर, 1998 को उठा लिया था और 27 अक्तूबर, 1999 से इसकी अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है।

(ङ) लागू नहीं।

सहकारी संस्थाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

1087. **श्री अंनत गुढे:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष सामुदायिक भागीदारी द्वारा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हेतु प्रभावी साधन के रूप में सहकारी संस्थाओं के कार्यनिष्पादन की गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष के आधार पर राज्य-वार समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषत: महाराष्ट्र में उत्पादन और आर्थिक कार्यकलाप के क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन के वस्तुनिष्ठ आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सहकारी संस्थाओं के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने और प्रोन्नत करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से तीव्रतर आर्थिक वृद्धि के लिए सहकरिता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने हेतु सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰ सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। किन्तु राज्य सरकार के साथ बैठकों और सम्मेलनों में समय-समय पर सहकारी संस्थाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाती है, क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है।

(ग) सहकारी संस्थाओं के समग्र विकास और उनकी आर्थिक व्यवहार्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति के निरूपण का प्रस्ताव है। इस नीति के अधीन, सहकारी समितियों को स्वावलम्बी तथा लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित संस्था बनाने के लिए स्वायत्तता प्रदान की जाएगी ताकि इन्हें अपने सदस्यों के प्रति जिम्मेवार बनाया जा सके। यह विभाग बहु-राज्यीय सहाकारी समिति अधिनियम, 1984 को ब्रह्म प्रकाश समिति की सिफारिशों के आधार पर नए विधान से प्रतिस्थापित करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है, ताकि सहकारी समितियों को अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की जा सके और अधिकारी तंत्र के अनावश्यक हस्तक्षेप को कम किया जा सके तथा संस्थाओं के प्रबंध का व्यवसायीकरण किया जा सके।

(घ) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है।

(ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बीजों का प्रसंस्करण

1088. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अत्यधिक कम बीज प्रसंस्करण इकाइयां हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में उच्च गुणवत्ता वाली बीज प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो देश में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित उच्च गुणवत्ता वाली प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीज प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित किए जाने के संबंध में किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनी का कोई प्रस्ताव है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰ सत्यनारायण राव) : (क) देश में 1548 बीज प्रसंस्करण इकाइयां हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) बीज प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशन को अभ्यावेदन

1089. **श्री विकास चौधरी:** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर ने मंत्रालय के अधीन गठित विभिन्न समितियों के संबंध में सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशन को दिए जाने वाले अभ्यावेदन स्वीकार करने के लिए कोई फार्मूला तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा गठित सभी त्रिपक्षीय समितियों के सदस्य इस फार्मूले के अनुसार हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय की विभिन्न समितियों में केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण, कुल मिलाकर, समिति के गठन के समय चल रही सत्यापित सदस्यता संख्या के अनुपात में किया जाता है। आनुपातिक

प्रतिनिधित्व को पूरी तरह बनाए रखना हमेशा व्यवहार्य नहीं होता और कभी-कभी कुछ समायोजन कर लिया जाता है विशेष रूप से जब समिति का आकार छोटा हो।

मुरारी समिति

1090. श्री वैको:
श्री वी॰ एस॰ शिवकुमार:

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरारी समिति ने सरकार को मत्स्यन संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारणीय विषय क्या हैं साथ ही उसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) कार्यान्वित सिफारिशों और आंशिक रूप से कार्यान्वित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मत्स्यन संबंधी एक और समिति गठित करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके विचारणीय विषय क्या हैं;

(च) क्या पारंपरिक मछुआरों सहित सभी देशभर में आन्दोलन शुरू करने की योजना बना रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) समुद्री मात्स्यिकी पर एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है।

(ङ) विचारणीय विषय संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(च) इस मंत्रालय के पास किसी भी प्रस्तावित विधान के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

समिति के विचारणीय विषय

(1) विशेषज्ञों के परामर्श से तथा उपलब्धि रिपोर्टों के आधार पर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी संसाधनों की संभावना और वितरण की समीक्षा करना;

(2) विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् पारंपरिक क्षेत्र यांत्रिकृत नावों तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले यानों द्वारा समुद्री संसाधनों के दोहन की वर्तमान स्थिति का पता लगाना;

(3) इस मौजूदा स्थिति का पता लगाना कि क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नई नीति के अंतर्गत अथवा चार्टर के अन्तर्गत यानों के संचालन से पारंपरिक मछुआरों तथा समुद्री पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(4) इस बात का सुझाव देना कि भविष्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र का विकास किस आधार पर किया जाए;

(5) पारंपरिक मछुआरों के हितों की रक्षा करने तथा पारंपरिक मछुआरों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले यानों के बीच विवादित क्षेत्रों को कम करने के लिए उपायों का सुझाव देना;

(6) समिति को पारंपरिक मछुआरों, यांत्रिकृत नाव संचालनों तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालरों की एसोसिएशनों से साक्ष्य लेना होगा; और

(7) समिति अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 1995 तक प्रस्तुत करेगी।

समिति के सदस्यों के नाम

1.	श्री पी. मुरारी, (सेवानिवृत्त-आई.ए.एस) फिक्की के अध्यक्ष के सलाहाकार नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री एस. एन. वेकारिया संसद सदस्य	सदस्य
3.	मेजर सुधीर सांवत संसद सदस्य	सदस्य
4.	श्री राम नायक संसद सदस्य	सदस्य
5.	श्री सत्यनारायण द्रोणामराजू संसद सदस्य	सदस्य
6.	श्री ओस्कार फर्नांडीज संसद सदस्य	सदस्य
7.	डा. कार्तिकेश्वर पात्रा संसद सदस्य	सदस्य
8.	श्रीमती (डा.) पदमा नाम्मलवार संसद सदस्य	सदस्य
9.	प्रो. अमल दत्ता संसद सदस्य	सदस्य
10.	श्री हरीश नारायण प्रभु जानतये संसद सदस्य	सदस्य

11.	प्रो. के. वी. थॉमस संसद सदस्य	सदस्य
12.	श्री मनोरंजन भक्त संसद सदस्य	सदस्य
13.	श्री डी. जे. तानडेल संसद सदस्य	सदस्य
14.	श्री जोन एफ. फर्नांडीज संसद सदस्य	सदस्य
15.	श्री राजूभाई परमार संसद सदस्य	सदस्य
16.	श्री मोहम्मद सलीम संसद सदस्य	सदस्य
17.	श्री के. रामा कृष्णा संसद सदस्य	सदस्य
18.	श्री उमादी पायदी राजू, अध्यक्ष जिला मछुआरा सहकारिता समिति विशाखापत्तनम	सदस्य
19.	श्री पी. सी. अप्पराव, अध्यक्ष आन्ध्र प्रदेश यांत्रिकृत मत्स्यन नौका प्रचालन संघ, विशाखापत्तनम	सदस्य
20.	श्री दिलीप एन. पगधारे, अध्यक्ष महिम मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लिमिटेड, मुम्बई	सदस्य
21.	श्री थॉमस कोचरी, अध्यक्ष राष्ट्रीय मात्स्यिकी कार्य समिति संयुक्त वेन्चर्स के सामने, कोची	सदस्य
22.	डा. सी. बाबू राव, अध्यक्ष भारतीय मात्स्यिकी उद्योग संघ विशाखापत्तनम	सदस्य
23.	श्री पी. जयराज कुमार, अध्यक्ष गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग संघ नई दिल्ली	सदस्य
24.	श्री सुनील सूद, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव कृषि मंत्रालय (कृषि राज्य मंत्री)	सदस्य
25.	श्रीमती प्रोमिला इस्सर, आई.ए.एस संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.एफ.पी.आई) नई दिल्ली	सदस्य
26.	श्री ए. कानन, उप महानिदेशक डी. जी. शिपिंग, मुम्बई	सदस्य
27.	श्री के.वी. पिल्ले, आई.ए.एस., अध्यक्ष समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण कोची	सदस्य
28.	सुश्री गजाला मीनाय उप सचिव, तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली	सदस्य
29.	डा. एस.ए.एच. अबीदी निदेशक, समुद्र विकास विभाग नई दिल्ली	सदस्य
30.	डा. पी. वी. देहादराय, उप-महानिदेशक (मात्स्यिकी) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
31.	डा. वी. श्रीरामाचन्द्रा मूर्ति वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोची	सदस्य
32.	श्री ए. डी. देसाई, आई. ए. एस. सचिव (मात्स्यिकी) गुजरात सरकार, गांधी नगर	सदस्य
33.	डा. एस. वी. जोशी, आई. ए. एस. सचिव (मात्स्यिकी) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई	सदस्य
34.	श्री जी. पी. सेवालिया, आई. ए. एस. सचिव (मात्स्यिकी) गोवा सरकार, पंजिम	सदस्य
35.	श्री के. पी. पांडे, आई. ए. एस. सचिव (मात्स्यिकी) कर्नाटक सरकार बंगलौर	सदस्य
36.	श्री चन्द्रन, आई.ए.एस., श्री डी. रवि, आई.ए.एस. सचिव (मात्स्यिकी) केरल सरकार तिरूअनंतपुरम	सदस्य
37.	श्री एम. अहमद, आई.ए.एस सचिव (मात्स्यिकी) तमिलनाडु सरकार मद्रास	सदस्य
38.	श्री एम. सी. महापात्रा, आई.ए.एस. मुख्य सचिव (मात्स्यिकी) आन्ध्र प्रदेश सरकार हैदराबाद	सदस्य
39.	श्री एच. एस. सरकार, आई.ए.एस. सचिव (मात्स्यिकी) उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर	सदस्य

40. श्री आर. के त्रिपाठी, आई.ए.एस. सदस्य
सचिव (मात्स्यिकी) पश्चिम बंगाल,
कलकत्ता

41. डा. वी. एस. सोमवंशी सदस्य सचिव
महानिदेशक
भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण
मुम्बई

विवरण - II

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति संबंधी समीक्षा समिति की सिफारिशें तथा उन पर की गई कार्रवाई

सिफारिश संख्या 1 : संयुक्त उद्यम/चार्टर/पट्टा/परीक्षण मात्स्यिकी द्वारा मछली पकड़ने के लिए जारी सभी परमिट कानूनी प्रक्रियाओं, जैसा कि अपेक्षित हो, के अधीन तत्काल रद्द कर दिए जाने चाहिए।

की गई कार्रवाई : सयुंक्त उद्यम के मामले, जहां अधिनियम, नियमों अथवा शर्तों के उल्लंघन के मामले बताए गए, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को भेजे गए । उनकी सलाह पर पट्टे के अधीन दो यानों के परमिट रद्द किए गए है। चार्टर योजना के अधीन कोई परमिट वैध नहीं है।

सिफारिश संख्या 2 : संयुक्त उद्यम/चार्टर/पट्टा/परीक्षण मात्स्यिकी द्वारा मछली पकड़ने के लिए भविष्य में कोई नवीकरण, विस्तार अथवा नए लाइसेंस/परमिट जारी नहीं किए जाने चाहिए।

की गई कार्रवाई : संयुक्त उद्यम, पट्टा, परीक्षण मात्स्यिकी तथा चार्टर के अधीन कोई नए परमिट/विस्तार अथवा परमिटों का नवीनकरण/अनुमति जारी नहीं किए गए हैं।

सिफारिश संख्या 3 : मछली पकड़ने के लिए सभी लाइसेंस/परमिट सार्वजनिक दस्तावेज बनाए जायें तथा उनकी प्रति पंजीकृत प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाये।

की गई कार्रवाई : भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई को उस प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो संयुक्त उद्यम, पट्टा तथा चार्टर के अधीन सार्वजनिक दस्तावेजों के रूप में सभी वैध परमिटों/अनुमतियों की प्रतियां रखेगा। इसके लिए परमिटों/अनुमतियों की प्रतियां भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को प्रदान की गई।

सिफारिश संख्या 4 : जिन क्षेत्रों का दोहन पहले ही किया जा रहा है, उनकी तथा पारंपरिक क्राफ्टों अथवा 20 मीटर आकार से कम के यांत्रिकृत यानों को संचालित कर रहे मछुआरों द्वारा जिन क्षेत्रों का मध्यकाल में दोहन किया जा सकता है, उनकी 20 मीटर लम्बाई से ऊपर के किसी भी यान द्वारा दोहन के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए सिवाय इस समय संचालित भारतीय यानों के जो सिफारिश 1 और 7 के अधीन केवल तीन वर्ष के लिए चालू क्षेत्रों में संचालित कर सकते हैं।

की गई कार्रवाई: कार्रवाई की जा रही है।

सिफारिश संख्या 5 : चूंकि 20 मीटर से कम आकार वाली भारतीय यांत्रिकृत नौकाओं के पास पश्चिम तट पर लगभग 70-90 मीटर गहराई में मछली पंकड़ने की क्षमता है, अत: 150 मीटर गहराई के तट से दूरी 20 मीटर से अधिक की लम्बाई वाले सभी यानों के लिए प्रतिबंधित होनी चाहिए सिवाय पैरा 4 में उल्लिखित यानों के जहां 150 मीटर गहराई वाला क्षेत्र तट से 100 नाटीकल मील से कम है वहां 100 नाटीकल मील तक की दूरी 20 मीटर लम्बाई से कम वाले भारतीय यानों के लिये आरक्षित होनी चाहिए। कन्याकुमारी से लेकर पूर्वी तट पर, 20 मीटर से कम आकार वाले भारतीय यान 100 मीटर गहराई अथवा तट से 50 नाटीकल मील तक, जो भी दूर हो, जा सकेंगे सिवाय पैरा 4 में दी गई छूट के। गहराई वाले क्षेत्र को समन्वयकों द्वारा भी परिभाषित किया जाएगा जिसमें तट से दूरी निर्दिष्ट की जाएगी, दूरी का निर्धारण राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यालय/तट रक्षक/भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा।

की गई कार्रवाई: समन्यकों द्वारा गहराई वाले क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सिफारिश संख्या 6 : अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों के संबंध में, तट से 50 नाटीकल मील की दूरी पैरा-4 के प्रावधानों के साथ केवल 20 मीटर लंबाई से कम वाले भारतीय यानों के लिए आरक्षित होगी। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो, द्वीपसमूहों के बीच जल को केवल भारतीय यानों के लिए आरक्षित रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, चाहे कुछ भाग 50 नाटीकल मील से भी अधिक क्यों न हो जाए, सीमा को परिभाषित किया जाएगा।

की गई कार्रवाई : जैसा कि उक्त सिफारिश संख्या 5 में है।

सिफारिश संख्या 7 : 20 मीटर लम्बाई से ऊपर के जलयानों के लिए खुले क्षेत्र में टूना तथा टूना जैसी मछलियां, स्किवड तथा कटल फिश, मध्य-जल अथवा वेलापवर्ती क्षेत्र में गहरे समुद्र की फिन मछलियों तथा महासागरीय टूना का टूना लांग लाइनिंग, टूना पर्स सीनिंग, स्क्विड जिगिंग तथा मिड वाटर ट्रालिंग द्वारा दोहन के लिए संसाधन विशिष्ट जलयानों को इस शर्त पर अनुमति दी जाए कि ये वस्तुत: भारतीय पंजीकृत जलयान हैं। भारतीय स्वामी कम से कम 51 प्रतिशत ऋण के साथ-साथ इक्विटी होनी चाहिए।

की गई कार्रवाई : समुद्री मात्स्यिकी के लिए बृहत नीति बनाने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। विशेषज्ञ दल के विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ-साथ देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में तैनात किए जाने वाले संसाधन विशिष्ट जलयानों की संख्या के बारे में सुझाव देना है।

सिफारिश संख्या 8 : विभिन्न मत्स्यन ग्राउंड के लिए बेड़े के आकार को अधिकतम सतत उत्पादन तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए।

की गई कार्रवाई : जैसी की उपयुक्त सिफारिश संख्या 7 में दी गई हैं।

सिफारिश संख्या 9 : हमारे जल क्षेत्र में मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण, मछुआरों की सुरक्षा तथा समुद्र, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में

विवाद को कम करने के उद्देश्य से संसद को मत्स्यन समुदाय से विचार-विमर्श करके विनियम बनाना चाहिए।

की गई कार्रवाई : ई.ई.जैड. में भारतीय जलयानों द्वारा मछली पकड़ने को निर्धारित करने के लिए विधान बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

सिफारिश संख्या 10 : पारंपरिक, छोटे मशीनीकृत, बडे गहरे समुद्र में जाने वाले जलयानों में विवाद को रोकने के लिए तट रक्षक द्वारा कड़ी निगरानी की जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी जलयानों द्वारा अनधिकृत मछली पकड़ने को रोकने तथा स्वदेशी जलयानों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र की निगरानी को रोकने के लिए तट रक्षक को अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली, निगरानी तथा हथियार एवं उचित कार्यप्रणाली के साथ सुदृढ़ीकरण, विस्तार, तकनीकी रूप से उन्नयन किया जाए।

की गई कार्रवाई : भारतीय ई.ई.जैड. में मत्स्यन जलयानों के मानीटरिंग आपरेशन के संबंध में संचार उपकरणों की प्राप्ति के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत तट रक्षक को सहायता दी जा रही है।

सिफारिश संख्या 11: यंत्रीकृत नावों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय बेड़ों के लिए परंपरागत मछुआरों द्वारा प्रयोग किए गए प्रौद्योगिकीय दक्षता और उपकरण के संबर्धन के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने के साथ-साथ धन राशि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि प्रत्येक कानून और प्रणाली द्वारा आरक्षित क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक मछली पकड़ सकें। नौचालन और मछली पकड़ने के उपकरण दोनों के लिए ही इस उद्देश्य से डयूटी रियायतें और रियायती धनराशि उपलब्ध कराई जाए कि परंपरागत क्षेत्र को प्राथमिकता देने के साथ सभी तीन श्रेणियों का स्टेट आफ दी आर्ट के स्तर से प्रतिस्पर्धात्मक उन्नयन हो सके।

की गई कार्रवाई: कृषि मंत्रालय, 20 मीटर से कम लंबाई वाली यंत्रीकृत नावों को हाई स्पीड डीजल आयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति और इंजनों की लागत के लिए राजसहायता प्रदान करके परंपरागत क्राफ्टों के मोटरीकरण के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

सिफारिश संख्या 12 : परंपरागत और छोटे यंत्रीकृत क्षेत्रों को ईंधन की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति तथा हाई स्पीड डीजल और केरोसीन प्रदान करके तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को दिए गए लाभों को ध्यान में रखते हुए राजसहायता प्रदान करके सहायता दी जाए।

की गई कार्रवाई : उपरोक्त सिफारिश संख्या 11 के अधीन ।

सिफारिश संख्या 13 : सभी प्रकार की समुद्री मात्सिकी एक ही मंत्रालय के अधीन होनी चाहिए। सरकार को इस तरह का भारतीय मात्स्यिकी प्राधिकरण को स्थापित करने पर विचार करना चाहिए जो इस तरह काम करे जैसा दूसरे देशों में गठित इस प्रकार के प्राधिकरण करते हैं और नीतियों के तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार हो सके।

की गई कार्रवाई : प्रसंस्करण को छोड़कर मात्स्यिकी से संबंधित सभी विषय, निर्यात और शिक्षा, कृषि मंत्रालय में पशु पालन विभाग को अंतरित कर दिए गए हैं।

सिफारिश संख्या 14 : भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का भी आधुनिक तकनालौजी और उपकरण के प्रयोग से तकनीकी रूप से संवर्धन करना चाहिए ताकि यह सभी प्रकार की मछली की स्थिति, विभिन्न प्रौद्योगिकियों और पारिस्थितिकोजन्य परिवर्तनों के अध्ययन प्रभाव का पता लगा सके और व्यवस्था कर सके। इस उद्देश्य के लिए भारतीय दूर संवेदन एंजेसियों और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के बीच परस्पर समन्वय और सहयोग होना चाहिए।

की गई कार्रवाई: भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना सहायता प्रदान कर रही है और नए सर्वेक्षण जलयानों के अधिग्रहण के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

सिफारिश संख्या 15: बाई-कैच फेंकने के कारण मात्स्यिकी संसाधनों की होने वाली बरबादी को रोकने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के सृजन को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसे मछुआरों तथा उनकी सहकारिताओं के उत्पादों के मूल्य परिवर्धन के लिए मत्स्य योजना एवं आहार निर्माण इकाइयों, मत्स्य प्रसंस्करण सुविधाओं, बर्फ की फैक्टरियों, शीत गृहों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराकर प्राप्त किया जा सकता है।

की गई कार्रवाई : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग शीत श्रृंखला तथा मछली के प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

सिफारिश संख्या 16 : पूर्व एवं पश्चिम तटों के साथ-साथ लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकाबार द्वीप के द्वीप समूहों में मौजूदा तथा आधुनिक उन्नत यानों के लिए मत्स्यन बंदरगाहों जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सृजित किया जाना चाहिए।

की गई कार्रवाई : मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के लिए कृषि मंत्रालय योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। द्वीपों की तटरेखा सहित समूची तटरेखा को इस योजना के तहत कवर किया जाता है।

सिफारिश संख्या 17 : विपणन तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए बड़े यानों के उन्नयन तथा अधिग्रहण के लिए मछुआरों/मछुआरिनों तथा उनकी सहकारिताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

की गई कार्रवाई : उपर्युक्त सिफारिशें संख्या 7 के अनुसार।

सिफारिश संख्या 18 : सरकार को मछली के रख-रखाव तथा प्रसंस्करण पहलुओं के अतिरिक्त नये उपकरणों, बड़े यानों को चलाने तथा नयी मत्स्यन तकनीकी में मछुआरों/मछुआरिनों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

की गई कार्रवाई : कुशलता उन्नयन के लिए मछुआरों तथा मछुआरिनों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कृषि मंत्रालय एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना क्रियान्वित कर रहा है।

सिफारिश संख्या 19 : उद्योगों द्वारा निकलने वाले गंदगी/बहि: स्रावों/गंदे पानी के खतरे से निपटने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

की गई कार्रवाई: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इस पहलू का ध्यान रख रहा है ।

सिफारिश संख्या 20 : सरकार को छः महीने के भीतर समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेना चाहिए।

की गई कार्रवाई : सिफारिशों पर की गई कार्रवाई क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है।

सिफारिश संख्या 21: गहरे समुद्र में मत्स्य नीति की प्रत्येक 3-5 वर्ष पर समयबद्ध रूप से पुनरीक्षा होनी चाहिए।

की गई कार्रवाई : समुद्री मात्स्यिकी की एक व्यापक नीति बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समूह बनाया गया है।

विवरण - III

विशेषज्ञ दल के विचारार्थ विषय

1. पारंपरिक (मशीनीकृत सहित), मशीनीकृत तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों द्वारा समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के दोहन की वर्तमान स्थिति का पता लगाना;

2. गहरे जल में मछली के लघु क्षेत्र की क्षमताओं के उन्नयन के लिए कार्यक्रम तैयार करना;

3. ट्रूना लांग लाइनर, पर्स सीनर्स, स्क्विड जिग्गर, पोल तथा लांग लाइन मत्स्यन आदि जैसे क्षेत्रवार संसाधन विशिष्ट गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाला बेडा निर्धारित करना;

4. वर्तमान मत्स्यन, गहरे समुद्र में मत्स्यन की क्षमता का मूल्यांकन करना तथा यदि अनावश्यक हो तो संशोधनों एवं पुनर्तैनाती का सुझाव देना;

5. समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्रोतों का आकलन तथा पहचान करना;

6. विदेशी मत्स्यन कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम, लीजिंग, आदि के लिए आवश्यकता का मूल्यांकन करना;

7. समुद्री मात्स्यिकी की आवश्यकता मानव संसाधन विकास की पहचान करना तथा इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम तैयार करना, तथा

8. समुद्री मात्स्यिकी के सतत विकास के लिए उत्तरदायी मात्स्यिकी तथा अन्य सार्वभौम पहल के लिये आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए संरक्षण उपाय सुझाना ।

भूजल का पुनःपूरण

1091. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को भू-जल के कृत्रिम पुनःपूरण हेतु सहायता देने के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय यह योजना कितने राज्यों में चल रही है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को केन्द्र सरकार ने कुल कितनी सहायता राशि दी ; और

(घ) भू-जल स्तर को बढ़ाने में यह योजना कितनी सहायक रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर शोध

1092. श्री मोइनुल हसन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रूस की सरकार से उसके अभिलेखागार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर शोध-कार्य कर रहे भारतीयों के लिए खोलने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में रूस की सरकार से कोई उत्तर मिला है;

(ग) क्या ब्रिटिश सरकार के पास मौजूद नेताजी से संबंधित कुछ दस्तावेजों को इन शोधकर्त्ताओं को देने से अब भी मना किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों से इन दस्तावेजों को उन व्यक्तियों को दिखाने के लिए बातचीत की जो उन्हें देखना चाहेंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) सरकारी स्तर पर रूसी सरकार के साथ यह पता लगाने के प्रयास किये गये हैं कि क्या नेताजी से संबंधित कुछ दस्तावेज उनके पास हैं; प्रत्युत्तर में 8 जनवरी, 1992 को रूस के विदेश मंत्रालय ने हमें सूचित किया कि 'सेन्ट्रल और रिपब्लिकन अभिलेखागार के डेटा के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के 1945 और बाद के वर्षों में यहां ठहरने से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है'। तत्पश्चात 27 सितम्बर, 1995 को रूसी परिसंघ के विदेश मंत्रालय ने सूचित किया कि रूसी संघीय सुरक्षा सेवा की केन्द्रीय पुरातत्व संग्रहण तथा आधुनिक इतिहास से संबंधित रिटेंशन एण्ड पर्सुअल ऑफ डॉकुमेन्ट्स द्वारा की गयी जांच के परिणामस्वरूप 1945 में और बाद के वर्षों में भूतपूर्व यू एस एस आर के क्षेत्र में सुभाष चन्द्र बोस के ठहरने से संबंधित कोई जानकारी सामने नहीं आयी है'। रूसी परिसंघ की राज्य पुरातत्व सेवा ने 4 अगस्त, 1997 को सूचित किया कि 'ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह संरक्षण केन्द्र के पास सुभाष चन्द्र से संबंधित कोई जानकारी नहीं है'।

(ग) से (ङ) ब्रिटेन की सरकार ने सूचित किया है कि 'सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित लगभग सभी रेकार्डों, जो 30 से अधिक वर्ष पुराने हैं, को पब्लिक रेकार्ड कार्यालय तथा ब्रिटिश पुस्तकालय को सौंप दिये गये हैं'। ब्रिटेन की सरकार ने पुनः सूचित किया कि कुछ दस्तावेजा जिन्हें रोक

लिया गया है वे हैं (1) आंसूचना और सुरक्षा अभिकरणों की फाइलों में कुछ कागजात जो भारतीय राजनैतिक आसूचना संगठन संग्रह के लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं और (2) भारतीय राजनैतिक आसूचना संगठन का एक दस्तावेज, जिसे व्यक्तिगत संवेदनशीलता के आधार पर रख लिया गया है'।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

1093. **श्री रामशकल:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितने व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसी संस्थाओं को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या और अधिक क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, जिन्हें देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नाम से जाना जाता है की संख्या, उत्तर प्रदेश में 314 संस्थानों सहित 4172 थी। विश्व बैंक सहाय्यित व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनांतर्गत 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता क्रमश: 3384.82 लाख रुपए, 3056.32 लाख रुपए तथा 3748.44 लाख रुपए है।

(ख) नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महिलाओं का यौन उत्पीड़न

1094. **श्रीमती गीता मुखर्जी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए संसद में एक विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक कब तक लाया जाएगा?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशाखा एवं अन्यों बनाम राजस्थान राज्य व अन्यों के मामले में दिनांक 13.08.1997 के अपने निर्णय में कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। इन दिशा निर्देशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशनों को क्रियान्वित करने के लिए अक्षरश: कार्रवाई की गई है। अत:, कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए संसद के समक्ष विधेयक लाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग

1095. **श्री अशोक पटेल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में चीन तथा जापान से सहयोग प्राप्त किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में इन देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके नियम और शर्तें क्या हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत पारस्परिक लाभ के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में चीन और जापान के साथ सहयोग करने में इच्छुक है। इसके संभावित क्षेत्रों में अन्तरिक्ष विज्ञान, सुदूर संवेदन उपयोग, उपग्रह संचार तकनीकें, उपग्रह आधारित नौवहन, उपग्रह आधारित आपदा प्रबंध, प्रशिक्षण इत्यादि शामिल हैं।

(ग) बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के क्षेत्र में भारत सरकार और चीनी जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच दिसम्बर 1991 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(घ) इस समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में संयुक्त परीक्षणों और अनुसंधान, सूचना और दौरों के आदान-प्रदान, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन इत्यादि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगी क्रियाकलापों के लिए व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

1096. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को सुगम बनाने हेतु राष्ट्रीय उद्यम पूँजी निधि बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एक सूत्रीय सूचना प्रसार और प्रबंधन सुविधा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसके संस्थानों 'एन आई सी' और 'निकनेट' की क्या भूमिका है;

(घ) क्या सभी राज्यों की राजधानियाँ और जिला मुख्यालय 'निकनेट' के माध्यम से एक नियंत्रण कक्ष से जुड़े हुए हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) जी, हाँ। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहयोग से सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की एक राष्ट्रीय निधि स्थापित की है। उपर्युक्त अंशदाताओं से आरम्भिक योगदान के रूप में 60 करोड़ रुपए का आरम्भिक अंशदान एकत्रित किया गया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का योगदान भी शामिल है । कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित परिसम्पति प्रबंध कम्पनी द्वारा इस निधि का व्यावसायिक रूप से प्रबंध किया जाएगा।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) नामक अपने सम्बद्ध कार्यालय के माध्यम से केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों, जिला प्रशासनों तथा अन्य सरकारी निकायों को उनके रोजमर्रा के कामकाज तथा आयोजना में कम्प्यूटर आधारित सहायता उपलब्ध करा रहा है। एनआईसी ने निकनेट नामक उपग्रह आधारित कम्प्यूटर संचार नेटवर्क स्थापित किया है, जो विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराता है जिनमें इंटरनेट, ई-मेल तथा प्रयोगकर्ताओं को फाइल अन्तरण भी शामिल हैं। एनआईसी ने अपने "इंडिया इमेज" कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों सहित विभिन्न सरकारी विभागों के लिए सूचनाप्रद वेब साइटों का निर्माण किया है।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। एनआईसी ने निकनेट नामक एक उपग्रह आधारित कम्प्यूटर संचार नेटवर्क स्थापित किया है जिसका मुख्य भू-केन्द्र नई दिल्ली में है तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के विभिन्न सचिवालयों तथा जिला प्रशासनों में वीसैट स्थित है। सभी राज्यों की राजधानियों में वीसैट है।

आई. एस. आई. की नेपाल से भारत विरोधी गतिविधियां

1097. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री रामचन्द्र पासवान:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने नेपाल सरकार से यह सबूत देने का आग्रह किया है कि आई एस आई नेपाल से भारत विरोधी गतिविधियाँ चला रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में नेपाल सरकार से क्या प्रतिक्रिया मिली है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) आई एस आई द्वारा नेपाल के क्षेत्र के दुरुपयोग तथा भारत के हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए भारत-नेपाल खुली सीमा के दुरुपयोग से संबंधित हमारी चिन्ताओं पर भारत सरकार ने नेपाल की सरकार के साथ समय-समय पर बातचीत की है। सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से और भी सबूतों का पता चलता है कि भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियाँ चलाने के लिए आई. एस. आई. नेपाल का एक गढ़ के रूप में इस्तेमाल कर रही है। नेपाली सरकार को इस मसले पर संवेदनशील बना दिया गया है।

नेपाल की सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वे भारत के हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए अपने प्रदेश का उपयोग नहीं होने देंगे तथा वे इस संबंध में भारत सरकार से सहयोग कर रहे हैं। द्विपक्षीय सहयोग, विशेष तौर पर सीमा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी, के संवर्धन के उपाय किए गए हैं। इस समस्या से निबटने के लिए अपने प्रयासों को समन्वित करने के लिये दोनों सरकारों के संबंधित अधिकरण नियमित तौर पर एक दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं। सुरक्षा संबंधी मामलों पर विशेष तौर पर सहयोग संवर्धित करने तथा इन चिन्ताओं के समाधान के लिए सीमा प्रबंधन संबंधी संयुक्त कार्यदल तथा गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं जैसी द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र भी कार्यरत हैं। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में दोनों पक्ष भारत तथा नेपाल सीमा में सटे हुए जिलों में सतर्कता बढ़ाने, भारत के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए भारत-नेपाल खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकने सहित संयुक्त रूप से समन्वयनकारी उपायों पर सहमत हुए हैं।

[हिन्दी]

शोध संस्थान

1098. डा॰ सुशील कुमार इन्दौरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि के विकास के लिए शोध और अन्वेषक संस्थान चला रही है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से शोध संस्थान वित्तीय सहायता के लिए पूर्णयता सरकार पर निर्भर हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों ने अपने शोध और अन्वेषण द्वारा कोई नई खोज की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन खोजों का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां ।

(ख) विवरण-I के अनुसार ।

(ग) जी, हां ।

(घ) विवरण-II के अनुसार ।

(ङ) देश में 261 कृषि विज्ञान केन्द्र (कृ.वि.के.) हैं जो प्रौद्योगिकी प्रसार का काम कर रहे हैं । जहां पर कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं हैं उन स्थानों पर कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त कार्य करने के लिए वहां मौजूद क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को मजबूत बनाने हेतु परिषद ने 53 जिलों की पहचान की है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए संस्था-गांव-सम्पर्क कार्यक्रम भी शुरू किया है । किसानों के लाभ के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा विकसित कृषि प्रौद्योगिकियों की स्थानांतरित करने की एक अन्य प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों का प्रथम पंक्ति प्रदर्शन करना है । सूचना के प्रभावी प्रसार के लिए परिषद ने 40 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों (कृ.प्रौ.सू.के.) को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है । ये केन्द्र एक "सिंगल विंडो" प्रणाली के रूप में काम करेंगे और उनका उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना एवं सूचना का प्रसार करना होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के फसल विज्ञान एवं प्रसार प्रभाग के बीच किए गए अन्त:प्रभागीय प्रयासों के परिणाम स्वरूप "प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं प्रभाव मूल्यांकन" पर एक परियोजना तैयार और विकसित की गई है, ताकि ज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रसार तेजी से हो सके ।

विवरण - I

1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
2. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर
3. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
4. केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई
5. केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर
6. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
7. केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल
8. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर
9. केन्द्रीय कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी संस्थान, लुधियाना
10. केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मुम्बई
11. केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, लखनऊ
12. केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर
13. केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़
14. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला
15. केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
16. केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर
17. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक
18. केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल
19. केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून
20. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुन्द्री
21. केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिरूवनन्तपुरम
22. भा.कृ.अ.प. का गोवा अनुसंधान परिसर, गोवा
23. उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, बड़ापानी
24. भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
25. भारतीय चारा एवं चरागाह अनुसंधान संस्थान, झांसी
26. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर
27. भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल
28. भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट
29. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
30. भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची
31. भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर
32. राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता
33. गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर
34. विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा
35. केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर
36. केन्द्रीय अंत:स्थलीय मात्स्यिकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर
37. केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान, चेन्नई
38. केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोच्चि
39. केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर
40. केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार
41. केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम
42. केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि
43. केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
44. राष्ट्रीय पशुपोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, बंगलौर

45. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, हैदराबाद
46. भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी
47. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली
48. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर
49. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल
50. राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ
51. फसल प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, मेरठ
52. तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद
53. चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद
54. गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल
55. जैवक नियंत्रण प्रायोजना निदेशालय, बंगलौर
56. मक्का परियोजना निदेशालय, नई दिल्ली
57. जल प्रबंध अनुसंधान निदेशालय, पटना
58. मवेशी प्रायोजना निदेशालय, मेरठ
59. मुर्गीपालन प्रायोजना निदेशालय, हैदराबाद
60. सोयाबीन प्रसंस्करण और उपयोग प्रायोजना निदेशालय, भोपाल
61. राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी
62. राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर
63. राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिरुचिरापल्ली
64. राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुत्तूर
65. राष्ट्रीय नीबूवर्गीय अनुसंधान केन्द्र, नागपुर
66. राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे
67. राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र, जुनागढ़
68. राष्ट्रीय समेकित जीव कीटनाशी प्रबंध केन्द्र, नई दिल्ली
69. राष्ट्रीय औषधीय एवं सगंधीय पौध अनुसंधान केन्द्र, आनन्द
70. राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सोलन
71. राष्ट्रीय तेलताड़ अनुसंधान केन्द्र, इलुरु
72. राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र, पुणे
73. राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र, गंगटोक
74. राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
75. राष्ट्रीय तोरिया एवं सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर
76. राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद
77. राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इंदौर
78. राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर
79. राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर
80. राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला, भोपाल
81. राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर
82. राष्ट्रीय शीत जल मात्स्यकी अनुसंधान केन्द्र, नैनीताल
83. राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार
84. राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पाद अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद
85. राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, कोहिमा
86. राष्ट्रीय यॉक अनुसंधान केन्द्र, दिरांग
87. राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
88. कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं

फसल विज्ञान

1. डा. बी. मलिक
   कार्यकारी प्रायोजना समन्वयक (एक्रोलोजी)
   कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर (कर्नाटक) 560 024

2. डा. पी. श्याम सुन्दर राव
   प्रायोजना समन्वयक (कृषि पक्षी विज्ञान नेटवर्क)
   ए.एन.जी.आर. कृषि विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा
   महाविद्यालय कैम्पस, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद
   (आंध्र प्रदेश) 500 030

3. डा. आरसी शर्मा
   प्रायोजना समन्वयक (मरू दलहन)
   राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीहवाल, बीकानेर (राजस्थान)

4. डा. सी. हनुमन्त राव
   प्रायोजना समन्वयक (अरण्डी) तिलहन अनुसंधान निदेशालय
   हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) 500 030

5. डा. मसूद अली
   प्रायोजना समन्वयक (चना) भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान
   कल्याणपुर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) 208 024

6. डा. के. वेणुगोपाल
   प्रायोजना समन्वयक (कपास)
   क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (सी.आई.सी.आर) डाकघर-लवली रोड
   कोयम्बटूर (तमिलनाडु) 641 003

7. डा. एन.पी. मेल्कानिया
   प्रायोजना समन्वयक (चारा फसलें)
   भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान डाकघर-पाहुज बांध,
   झांसी-ग्वालियर रोड, झांसी, (उत्तर प्रदेश) 284 003

8. डा. एम.एम. बसु
प्रायोजना समन्वयक (मूंगफली)
मार्फत राष्ट्रीय मूंगफली अनु. केन्द्र
ईवानगर रोड, पो.बा. नं. 5, जूनागढ़ (गुजरात) 382 001

9. डा. आर.सी. मिश्रा
प्रायोजना समन्वयक (मधुमक्खी)
प्राणिविज्ञान संभाग (कीट विज्ञान)
चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
हिसार (हरियाणा) 125 004

10. डा. बी.बी. दास
प्रायोजना समन्वयक (जूट एवं संबंधित रेशे)
केन्द्रीय जूट एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान
डाकघर-बैरकपुर, 24-परगना (पश्चिम बंगाल) 743 101

11. डा. सी.एच. अनुमन्त राव
प्रभारी प्रायोजना समन्वयक (अलसी)
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
कानपुर (उत्तर प्रदेश) 208 002

12. डा. ए. सीताराम
प्रायोजना समन्वयक (गौण मोटे अनाज) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
गांधी कृषि विज्ञान केन्द्र कैम्पस, बेंगलूर (कर्नाटक) 560 065

13. डा. जे. जी. वार्ष्णेय
प्रायोजना समन्वयक (मूलार्प) भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान
कल्याणपुर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) 208 024

14. डा. आर.के. चौधरी
प्रायोजना समन्वयक (राष्ट्रीय बीज प्रायोजना) बीज विज्ञान प्रौद्योगिकी
प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 110 012

15. डा. रामबीर सिंह
प्रायोजना समन्वयक (सूत्रकृमि), सूत्रकृमि विज्ञान प्रभाग
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 110 012

16. डा. एस.के. भटनागर
प्रायोजना समन्वयक (बाजरा) कृषि अनुसंधान केन्द्र
मन्डोर-जोधपुर (राजस्थान)

17. डा. एन.पी. अग्निहोत्री
प्रायोजना समन्वयक (कीटनाशी अवशेष) कृषि रसायन प्रभाग
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ल 110 012

18. डा. एस. लाल
प्रायोजना समन्वयक (अरहर)
भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर
कानपुर (उत्तर प्रदेश) 208 024

19. डा. जे.एस. यादव
प्रायोजना समन्वयक (तोरिया और सरसों) सेवार फार्म
जिला - भरतपुर (राजस्थान)

20. डा. बी.डी. राणा
प्रायोजना समन्वयक (कृंतक नियंत्रण) केन्द्रीय मरु अनुसंधान संस्थान,
जोधपुर (राजस्थान) 342 003

21. डा. डी.एम. हेगड़े
प्रायोजना समन्वयक (कुसुम), 91, भवानी पेठ, कृषि विद्यालय
अहाता पो.बा. नं. 199, सोलापुर (महाराष्ट्र) 413 002

22. डा. डी.एम. हेगड़े
प्रभारी प्रायोजना समन्वयक (तिल और रामतिल)
जे.एन.के.वी.वी जबलपुर (मध्य प्रदेश) 482 004

23. डा. बी.एस. राणा
प्रायोजना समन्वयक (ज्वार) राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) 500 030

24. डा. ओ.पी. जोशी
प्रायोजना समन्वयक (सोयाबीन) राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र
खण्डवा रोड, इन्दौर, (मध्य प्रदेश) 452 001

25. डा. एस.आर. मिश्रा
प्रायोजना समन्वयक (गन्ना) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान
लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 208 002

26. डा. डी.एम. हेगड़े
प्रायोजना समन्वयक (सूरजमुखी) कृषि विज्ञान विश्विद्यालय
जी.के.वी.के. परिसर, बंगलौर (कर्नाटक) 560 065

27. डा. जी.डी. शर्मा
प्रायोजना समन्वयक (अप्रयुक्त व कम दोहित पादप)
राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो एफ.सी.आई. बिल्डिंग
पूसा, नई दिल्ली 110 012

28. डा. सी.पी.एस. यादव
प्रायोजना समन्वयक (सफेद मूंडी) कृषि परीक्षण केन्द्र
सुखड़िया (विश्वविद्यालय, दुर्गापुर, जयपुर (राजस्थान) 392 018

बागवानी

29. डा. ओ.पी. पारीक
प्रायोजना समन्वयक (शुष्क फल)
राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केन्द्र दशवां मील का पत्थर,
गंगानगर रोड, बेचावल इन्डस्ट्रियल एरिया बीकानेर
(राजस्थान) 334 003

30. डा. एस. मैती
प्रायोजना समन्वयक (पान)
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हैसरघट्टा लेक पोस्ट
बेंगलूर (कर्नाटक) 560 089

31. डा. ई.वी.वी. भास्कर राव
प्रायोजना समन्वयक (काजू) राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र
पुत्तुर (कर्नाटक) 574 202

32. डा. एस.पी.एस. राघव
प्रायोजना समन्वयक (पुष्प विज्ञान) पुष्प विज्ञान और भू-दृश्य प्रभाग
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 110 012

33. डा. आर.एन. वर्मा
प्रायोजना समन्वयक (खुम्बी)
राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, चम्बाघाट, सोलन
(हिमाचल प्रदेश) 173 213

34. डा. हमीद अली खान
प्रायोजना समन्वयक (ताड़) केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान
कासरगोड़ (केरल) 670 124

35. डा. एस.बी. मैनी
प्रायोजना समन्वयक (कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी)
फल और बागवानी प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान
संस्थान, नई दिल्ली 110 012

36. डा. एस.एम. पाल खुराना
प्रायोजना समन्वयक (आलू), केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
शिमला (हिमाचल प्रदेश) 171 001

37. डा. डी.एस. राठौड़
प्रायोजना समन्वयक (ऊष्ण कटिबंधीय फल)
केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, रायबरेली रोड, डाकघर-दिलकुशा
लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226 002

38. डा ए.के. सदानन्दन
प्रायोजना समन्वयक (मसाले) भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान
पो.बो. नं. 170, मैरीकुन्नू, कालीकट (केरल) 673 012

39. डा. बी.एस.सी. रेड्डी
प्रायोजना समन्वयक (ऊष्ण कटिबंधीय फल)
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हेसरघट्टा लेक पोस्ट
बेंगलूर (कर्नाटक) 560 089

40. डा. पी.जी. राजेन्द्रन
प्रायोजना समन्वयक (कंदीय फसल), केन्द्रीय कंदवर्गीय फसल
अनुसंधान संस्थान, तिरूवनन्तपुरम (केरल) 695 017

41. डा. जी. कल्लू
प्रायोजना समन्वयक (सब्जी, एन.एस.पी.)
सब्जी अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय, 1, गांधी नगर, सुंदरपुर
पो.बो. 5002, बी.एच.यू. वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 221 005
मृदा, सस्य विज्ञान और कृषि वानिकी

मृदा, सस्य विज्ञान और कृषि वानिकी

42. डा. के.आर. सोलंकी
प्रायोजना समन्वयक (कृषि वानिकी) एन.आर.सी. (कृषि वानिकी)
झांसी (उत्तर प्रदेश) 221 005

43. डा. बी. गंगवार
प्रायोजना समन्वयक (सस्य विज्ञान)
फसल प्रणाली अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय मोदीपुरम, मेरठ
(उत्तर प्रदेश) 250 010

44. डा. एस. कुंडु
प्रायोजना समन्वयक (जैवकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण)
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश) 462 038

45. डा. एस.आर. सिंह
प्रायोजना समन्वयक (दियारा भूमि)
जल प्रबंध अनुसंधान निदेशालय, वाल्मी परिसर,
फुलवारी शरीफ पो.ओ. पटना (बिहार) 801 505

46. डा. टी. विष्णुमूर्ति
प्रायोजना समन्वयक (वारानी कृषि)
केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर
संतोषनगर, डाकघर-सैदाबाद, हैदराबाद,
(आंध्र प्रदेश) 500 659

47. डा. आनंद स्वरूप
प्रयोजना समन्वयक (दीर्घकालिक उर्वरक परीक्षण)
आई.आई.एस.एस., भोपाल (मध्य प्रदेश) 462 038

48. डा. के.के.आर. भारद्वाज
प्रायोजना समन्वयक (सूक्ष्म जीव विघटन)
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश) 462 038

49. डा. एम.वी. सिंह
प्रायोजना समन्वयक
(सूक्ष्म और गौण पोषक तत्व तथा प्रदूषक तत्व)
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश) 462 038

50. डा. ए. सुब्बाराव
प्रायोजना समन्वयक
(मृदा परीक्षण एवं फसल अनुक्रिया)
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नबी बाग
भोपाल (मध्य प्रदेश) 462 038

51. डा. डी.के. पनूली
प्रायोजना समन्वयक (मृदा जुताई)
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश) 462 038

52. डा. पी.एस. मिन्हास
प्रायोजना समन्वयक
(लवण प्रभावित मिट्टियां और खारे पानी का उपयोग)
केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल, (हरियाणा) 132001

53. डा. आर.के. बत्रा
प्रायोजना समन्वयक (जल प्रबन्ध)
भा.कृ.अनु.प. समन्वयक एकक एम.पी.के.वी. राहुरी
महाराष्ट्र 413 722

54. डा. एल.पी. कौरव
प्रायोजना समन्वयक (खरपतवार नियंत्रण)
राष्ट्रीय खरपतवार नियंत्रण विज्ञान, अनुसंधान केन्द्र, पो.बॉ. 13
एम.पी. हाउसिंग बोर्ड कालोनी, महाराजपुर, आधारताल,
जबलपुर (मध्य प्रदेश) 482 004

55. डा. पी.बी.एस. शर्मा
प्रायोजना समन्वयक (भूमिगत जल) जल प्रौद्योगिकी केन्द्र
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 110 012

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी

56. डा. ए.के. भट्टाचार्य
प्रायोजना समन्वयक (कृषि जल निकास) जल प्रौद्योगिकी केन्द्र
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 110 012

57. डा. दीपांकर डे
प्रायोजना समन्वयक (कृषि क्षेत्र में ऊर्जा आवश्यकता)
केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, बेरसिया रोड, नबी बाग भोपाल,
(मध्य प्रदेश) 462 038

58. डा. एम.एम. पाण्डेय
प्रायोजना समन्वयक (कृषि औजार और मशीनरी)
केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, बेरसिया रोड, रबीबाग, भोपाल
(मध्य प्रदेश) 462 038

59. डा. एल.पी. गिटे
प्रायोजना समन्वयक (मानव इंजीनियरी व कृषि में सुरक्षा अध्ययन)
केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, बेरसिया रोड, नबीबाग, भोपाल
(मध्य प्रदेश) 462 038

60. डा. अश्विनी कुमार
प्रायोजना समन्वयक (कृषि में प्लास्टिक का अनुप्रयोग)
केन्द्रीय फसल कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी संस्थान
लुधियाना (पंजाब) 141 004

61. डा. बी.एस. बिष्ट
प्रायोजना समन्वयक (फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी)
केन्द्रीय फसल कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी संस्थान
लुधियाना (पंजाब) 141 004

62. डा. आर.के. वर्मा
प्रायोजना समन्वयक (वावन टिलर) केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान
बेरसिया रोड, नबी बाग, भोपाल
(मध्य प्रदेश) 462 038

63. डा. जसवंत सिंह
प्रायोजना समन्वयक (गुड़ और खाण्डसारी का प्रशोधन,
तैयार करना और भंडारण) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान
लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226 002

64. डा. एम. श्याम
प्रायोजना समन्वयक (पुनः उपयोग में आने वाले ऊर्जा स्रोत)
केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान बेरसिया रोड, नबी बाग
भोपाल (मध्य प्रदेश) 462 038

65. डा. जी.सी. यादव
प्रायोजना समन्वयक (पशु ऊर्जा उपयोग) केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी
संस्थान, बेरसिया रोड, नबी बाग, भोपाल
(मध्य प्रदेश) 462 038

पशु विज्ञान और मात्स्यिकी

66. डा. ए.ई. नीवसरकार
प्रयोजना समन्वयक (पशु आनुवंशिकी संसाधन)
राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, पो.बा. नं. 129, करनाल
(हरियाणा) 125 001

67. डा. पी.के. सेठी
प्रायोजना समन्वयक (भैंस प्रजनन) केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान
हिसार (हरियाणा) 125 001

68. डा. बी.सी. पचौरी
प्रायोजना समन्वयक (फसल आधारित पशु उत्पादन प्रणाली)
भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान पाहुज बांध
ग्वालियर-झांसी रोड, झांसी (उत्तर प्रदेश) 284 003

69. डा. अरुण वर्मा
प्रायोजना समन्वयक (भ्रूण स्थानांतरण)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन,
नई दिल्ली 110 001

70. डा. बी.यू. खान
प्रायोजना समन्वयक (बकरी)
केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र
अविकानगर (राजस्थान) 204 501

71. डा. एस.एस. भाटिया
प्रायोजना समन्वयक (शूकर) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान
संस्थान, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) 243 122

72. डा. एस.डी.जे. बोहरा
प्रायोजना समन्वयक (भेड़ प्रजनन)
केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, मरुक्षेत्र कैम्पस
बीकानेर (राजस्थान) 334 002

73. प्रायोजना समन्वयक (खुरपका और मुंहपका रोग)
महामारी विज्ञान प्रभाग, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
मुक्तेशवर कैम्पस (उत्तर प्रदेश) 263 138

74. प्रयोजना समन्वयक (हेमोप्रोटिस्टा रोग)
पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय
चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
हिसार (हरियाणा) 125 004

75. प्रायोजना समन्वयक
(जल-जन्तु पालन में जैविक अपशिष्ट के उपयोग)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन,
नई दिल्ली 110 001

76. डा. एम. राजशेखर
प्रायोजना समन्वयक (पशु रोगों की निगरानी)
पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जीवविज्ञान संस्थान
हैब्बल, बंगलौर (कर्नाटक) 560 004

77. डा. एम.सी. गोयल
प्रायोजना समन्वयक (रक्त प्रोरिटा)
चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
हिसार (हरियाणा) 125 004

अन्य

78. डा. वाई.एस. रामाकृष्णा
प्रायोजना समन्वयक (कृषि मौसम विज्ञान)
क्रीड़ा परिसर, संतोषनगर
हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) 500 659

79. डा. (श्रीमती) तेज वर्मा
प्रायोजना समन्वयक (गृह विज्ञान)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि अनुसंधान भवन, नई दिल्ली 110 012

विवरण - II

पिछले तीन वर्षों के दौरान की खोजें

उपलब्धियां

1. फल वाली फसलें

आम की एक संकर किस्म सी आई एस एच एम-2 ने बहुत अच्छी पैदावार दी है । इसे दशहरी X चौसा के संकरण से तैयार किया गया था। इस किस्म की उत्पादन क्षमता अच्छी है क्योंकि इसके फल की सतह कज्जली फफूंद से मुक्त होती है और इस पर भारी वर्षा का भी असर नहीं होता । इसका फल दशहरी आम जैसा होता है लेकिन दशहरी से 15 दिन बाद तैयार होता है ।

भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में आम के संकरों के मूल्यांकन से पता चला कि हाईब्रिड सच-18 (अलफांजो X केन्सिगटन) के फल की क्वालिटी बेहतर है । आम के जननद्रव्य के मूल्यांकन से पता चला है कि "पखीरवाला" में सर्वाधिक फलभार (404 ग्राम) है, जेवियर में उच्चतम टीएसएस (24.8 ब्रिक्स) और केंसिग्टन में सर्वाधिक गूदा (74%) होता है ।

अमरूद की दो किस्में जैसे सी आई एस एच जी-2 और सी आई एस एच जी-3 आशाजनक पाई गई । सी आई एस एच-3 के फल आकर्षक तथा किरमिजी रंग तथा सफेद धारी वाला होता है । इसके बीज मुलायम और संख्या में बहुत कम होते हैं । सी आई एस एच के फल आकर्षक तथा इसका गूदा गुलाबी रंग का होता है । यह खाने और प्रसंस्करण दोनों के लिए उपयुक्त होता है । पेय पदार्थ में इसका गुलाबी रंग भंडारण अवस्था में भी एक वर्ष से अधिक समय तक बना रहता है।

गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में उगाने के लिए "गोला कीर्ति" नामक बेर की एक किस्म सी एच ई एस गोधरा में विकसित की गई है । यह एक अगेती किस्म है और इस पर फल छेदक और फल मक्खी का प्रकोप नहीं होता ।

पपीते की एक संकर किस्म एच. -39 (सनराइज सोलो X पिंक फ्लेश स्वीट), कुर्ग हनी ड्यू से बेहतर पाई गई । यह गुणवत्ता और पैदावार दोनों ही दृष्टि से बेहतर पाई गई । एक संकर वंशक्रम सी. पी. 81 (कुर्ग हनी ड्यू X सी पी 85) की अधिक पैदावार और गुणवत्ता के लिए पहचान की गई । सी ओ-5 X थाइलैंड के संकरण से तैयार एक आशाजनक किस्म प्राप्त की गई और उसे परिष्कृत किया गया ।

अनार की एक संकर "रूबी" को जारी किया गया । इसके फल लाल बोल्ड एरिल होते हैं, बीज मुलायम, रेड रिंग, भण्डारण की अच्छी क्षमता और गर्मी के दौरान भी इसमें टी एस एस अधिक होता है । अनार के गणेश कल्टीवर (0.40 से 2.20% ना. 0.12 से 0.18%, फास्फोरस और 0.61 से 1.59% पोटाश से 15.60 से 18.80 टन/है॰) फल की पैदावार के लिए पत्तियों के पोषक तत्वों के मानकों का विकास किया गया । कर्नाटक के बीजापुर जिले और महाराष्ट्र के नासिक जिले में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक सर्वाधिक प्रतिबंधिता पोषक तत्व थे ।

2. शाक-सब्जियां

सब्जी वाली फसलों में 17 खुले परागण वाली किस्में जिनमें बैंगन (लम्बे) की 3, छोटे गोल बैंगन की 2, गोल और हरे बैंगन की एक-एक, करेले की 2, मटर (मध्य फसली) की 3, टमाटर (इनडिटरमिनेट), लहसुन, लोबिया, प्याज और फ्रेंच बीन की एक-एक किस्म तथा 11 एफ 1 संकर जैसे बैंगन, मिर्च, पत्तागोभी, टमाटर (डिटरमिनेट) और भिंडी की दो-दो किस्में तथा करेले की एक और टमाटर की एक किस्म बी आर एच-2 जो जीवाणु रोधी है, को देश के विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाने के लिए पहचाना गया ।

अनेक उन्नत कृषि तकनीकों जैसे मिट्टी में खाद डालना, खड़ी फसल में खाद डालना, पत्तियों पर छिड़काव, दो पौधों के बीच की दूरी, खरपतवार नाशक दवाओं के प्रयोग का पता लगाया गया तथा अधिक आर्थिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उगाने हेतु सब्जी की विभिन्न फसलों की सिफारिश की गई है । कीटव्याधियों के नियंत्रण के लिए सुधरी तालिका एवं रसायनों का ब्यौरा तैयार किया गया है, उनकी पहचान की गई तथा कीट-व्याधियों के प्रकोप को कम करने के लिए सिफारिश की गई है । खुम्भी में सफेद बटन खुम्भी (अगेरिकस बिस्पोरस) इकहरे पोर वाली दो किस्में एन सी एस 100 और एन सी एस 101 और एक संकर किस्म एन सी एच 102 को कृषि-क्रियाओं के साथ व्यावसायिक खेती के लिए जारी किया गया ।

3. आलू और कंदीय फसलें

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ने कुफरी पुखराज और कुफरी आनन्द नामक आलू की नई किस्में जारी की । कुफरी पुखराज अगेती बल्किंग, पछेती अंगमारी रोधी और भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों और पठारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जबकि कुफरी आनन्द पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है । कुफरी आनन्द पछेती अंगमारी रोधी है, आकर्षक है, इसके कुछ आयताकार हैं जिनमें उथली आंखें और हल्के पीले रंग का गूदा होता है । आलू की किस्म कुफरी गिरीराज कुफरी ज्योति किस्म की स्थानापन्न है जो पर्वतीय क्षेत्र में पछेती अंगमारी सह्य है, को भी जारी किया गया । कुफरी चिप्सोना-1 और कुफरी चिप्सोना-2 प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है और पछेती अंगमारी रोधी है । इन्हें केन्द्रीय किस्म रिलीज समिति द्वारा अधिसूचित किया गया है । एक संकर कुफरी तेन्नामलाई पुटी (सिस्ट) सूत्रकृमि और पछेती अंगामरी की दोनों किस्मों के प्रति रोधी है और जो तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त है, को तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी किए जाने की संभावना है ।

पंजाब में आलू-प्याज-मूंगफली फसल प्रणाली काफी उत्पादक पाई गई। बिहार राज्य में आलू-घिया-धान पद्धति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू-घिया-उड़द प्रणाली आशाजनक पाई गई । पश्चिमी बंगाल में कल्याणी में आलू-पटसन-धान फसल चक्र और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आलू-टमाटर-पालक-मूली फसल चक्र लाभकर पाया गया ।

सी.टी.सी.आर.आई., तिरुवनन्तपुरम में कसावा की दो किस्में "श्री जया" और "श्री विजया" को केरल में उगाने की सिफारिश की गई जिनसे क्रमशः 34 और 32 टन/है॰ औसत पैदावार मिलती है । ये फसलें निचली भूमि में धान पर आधारित फसल पद्धति में उगाने के लिए रोटेशन फसल के रूप में उपयुक्त हैं । "श्री शिल्पा" जो डियोस्कोरिआ अलाटा का एक संकर है तथा जिसकी औसत पैदावार 28 टन/है॰ है और "श्री पद्मा" जो एलिफेंट फुट याम का एक चयन है को केरल में उगाने के लिए जारी किया गया । शकरकंदी की "श्री भद्रा" को पूरे भारत में उगाने के जारी किया गया और कोलोकेसिआ एन. डी. सी. 1 और एन. डी. सी. 2 को उत्तर प्रदेश और कदम को उगाने की सिफारिश बिहार के पठारी क्षेत्रों के लिए कंदीय फसलों की अ.भा.स.अ.प्रा. द्वारा की गई । सी.टी.सी.आर.आई, भुवनेश्वर के क्षेत्रीय केन्द्र में "गौरी" (19 टन/है॰) और संकर (14 टन/है॰) किस्मों को देश के पूर्वी भागों में उगाने के लिए जारी किया गया । कसावा के दो अल्पावधि वाले क्लोन जैसे सी. [illegible] और सी. आई. 731 जिनकी उत्पादन क्षमता 6 महीने में 25-30 टन/है॰ तथा अमोरफोफुलस का श्रेष्ठ क्लोन ए.एम.-15 जिसकी औसत पैदावार 42 टन/है॰ है, को सी.टी.सी.आर.आई. द्वारा जारी करने के लिए पहचाना गया।

शकरकंद की विविल का जैविक नियंत्रण 65 डी.ए.पी. के पुनः लेय के साथ-साथ ब्रैकोनिड पैरासिटोइड, 10 युडम/वर्ग मी॰ भूखण्ड की दर से रैकोनोटस मेनिपस और डी.ए.पी. पर 3 X 109 वर्ग/मी॰ की दर से पैटाराइजियम एनिसोप्लिया का इस्तेमाल काफी प्रभावी रहा । इससे चैक पर 75% सुरक्षा मिलती है । बी.ए.आर.सी., मुम्बई द्वारा तैयार की गई फैरोमोन ट्रैप्स से धौली, हैदराबाद, कोयम्बटूर, डपोली, भुवनेश्वर और तिरुवनन्तपुरम में शकरकंद के कंद से विविल की क्षति में पर्याप्त कमी हुई । शकरकंद की श्री वीरभद्र किस्म की पहचान, रूट-नॉट गोलकृमियों को नियंत्रित करने के लिए एक श्रेष्ठ ट्रैप फसल के रूप में की गई । श्री भद्र के, 90-95 दिन की अवधि तक प्राकृतिक रूप से संक्रमित खेतों में गोलकृमियों की संख्या नगण्य स्तर तक कम हुई

4. पुष्प विज्ञान और औषधीय पौधे

भा॰कृ॰अ॰ संस्थान, नई दिल्ली में गुलाब के तीन नए संकर विकसित किए गए । गुलाब का उत्परिवर्ती प्रेरण किया गया । पेराडाइज किस्म आई.आई.एच.आर., बंगलौर में बगीचे के लिए उपयुक्त पाई गई और सिल्विया के सफेद रंग के उत्परिवर्ती एन.बी.आर.आई, लखनऊ के लिए आशाजनक पाए गए । भा॰ कृ॰ अ॰ सं॰, नई दिल्ली में गुलाब की डा॰ बी. पी. पाल किस्म और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में सोनिया मेलैंड निर्यात के लिए उपयुक्त पाई गई । बंगलौर और कल्याणी की परिस्थितियों में रोजा मल्टीफ्लोरा को गुलाब के बढ़िया जड़प्रकन्द (रूटस्टाक) के रूप में और तमिलनाडु के लिए रोज इंडिका किस्म ओडोरेस बढ़िया सिद्ध हुई ।

भा॰ कृ॰ अं॰ प॰, नई दिल्ली द्वारा गलैडिओलस में नौ नई किस्में अंजली (सुनहरी पीले), अर्चना (लहरियादार मोड़ पर पीलापन), बिंदिया (2 तरफ से मोड़ पर लाल रंग के पंखे के आकार के साथ् पीलापन लिए भूरे रंग), चांदनी (हरापन लिए सफेद), चिराग (ओरंज-यैलो), सारंग (पर्पल रेड), श्वेता (हल्के पीले रंग के कंठ के साथ सफेद), सुनयना (गुलाबीपन लिए लाल) और वंदना (चमकीला संतरी) जारी की गई । रजनी और चन्द्राणी नामक दो किस्में कल्याणी से जारी की गई।

क्राइसेन्थेमम की तीन सुधरी किस्में जैसे लखनऊ से व्हाइट चार्म, कल्याणी से बसंती एवं के. एस. 16 जारी की गई है । क्राइसेन्थमम किस्में आई.आई.एच.आर. 6, आई.आई.एच.आर. 13, को॰ 1, को॰ 2 बसंतिका और मेगामी से विभिन्न केन्द्रों पर अच्छी पैदावार मिली । क्राइसेन्थेमम कीर्ति का उत्प्रेरित म्यूटेंट क्यारी में लगाने और गमलों में लगाने के लिए आशाजनक पाया गया । लखनऊ में माघी में 3 फूलों के रंग के म्यूटेंट (सफेद, पीली और ब्राउन और श्यामल में दो म्यूटेंट) सफेद और गहरा लाल को अलग किया गया और उनका संवर्धन किया गया । केन्द्र ने मदर टेरेसा नामक नो-पिंच, नो-स्टेक नई किस्म भी जारी की गई जिस पर आर्गेमन टाइप के छोटे फूल लगते हैं । ये दिसम्बर के शुरू में खिलते हैं और गमले में उगाने के लिए उपयुक्त है । एक आकर्षक संकर पंजाब गोल्ड गमलों में उगाने के लिए विकसित की गई ।

कार्नेशन में, लोरेला किस्म लुधियाना में, पुणे में फैम्बिया तथा कोडाइकनाल में आर्थर सिम आशाजनक पाई गईं ।

आर्किड में एपिडेनड्रम रेडिकेन्स तथा स्पेथोग्लोटिस प्लीकेटा ने वर्ष भर फूल दिये, सबसे फूल न्यूपिंक था । वेल्लनिक्कारा में जय स्वीकिंग X जैक कनसर्ट से लम्बे पुष्पसमूह रिकार्ड किये गये । डेनड्रोबियम क्रेपिडेटम फूलों/पुष्पसमूहों की अधिकतम संख्या (27.7) रिकार्ड की गईं । फेयस टेंकराविल्लै से सबसे लम्बे वृन्त (84.5 सें.मी.) मिले जबकि काइम्बिडियम लोवेनियम से येरकाड में सबसे बड़े फूल (11.5 सें.मी.) प्राप्त हुए ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में मेरीगोल्ड संकर एम. एस.-8 X पूसा नारंगी गैंदा विकसित की गई जोकि आशाजनक थी । नई मेरीगोल्ड पूसा नारंगी गैंदा पुणे में स्थानीय मेरीगोल्ड से बहुत ही उत्कृष्ट थी।

वेल्लनिक्कारा में गरबेरा पार्सले पौधे की ऊंचाई (26.2 सें.मी.) पौधे का फैलाव (115.9 वर्ग सें.मी.) तथा फूलों की पैदावार (21.8 फूल/पौधा) अच्छी पाई गई जबकि पुणे में पोलर से अधिकतम फूल (51 फूल/पौधा) मिले ।

चाइना एस्टर, पूर्णिमा तथा शुद्ध वंशक्रम ने विभिन्न केन्द्रों में अच्छे परिणाम दिए ।

5. *बागानी फसलें*

लम्बी और बौनी नारियल की किस्मों की पत्तियों के नमूनों में इंजाइम को निकालने की विधि तथा पी.ए.जी.इ. का मानकीकरण किया गया । नारियल की नई निकाली हुई पत्तियों से डी.एन.ए. के निष्कर्षण के एक नयाचार का मानकीकरण किया गया है । एक अधिक कारगर सिमटनेवाली गिरी सुखाने की मशीन तैयार की गई है । नारियल के 26 कल्टीवर्स की सुपारी की 16 देसी प्रविष्टियों का विवरणात्मक ब्यौरा तैयार किया गया । नारियल पर आधारित सस्य पद्धति से प्रति यूनिट क्षेत्र से अधिक लाभ मिलता रहा । कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए स्वत: सिंचाई पद्धति का मानकीरण किया गया है ।

6. *मसाले*

काली मिर्च की 6 संकर किस्में और एक किस्म की दक्षिण भारत की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए पहचान की गई है । जड़ ग्रंथी गोलकृमि प्रतिरोधी किस्म "पौरनामी" को जारी किया गया है । अदरक में, आई.आई. एस.आर. "वरदा" को केरल के लिए जारी किया गया है लेकिन यह मसाले से संबंधित अ.भा.स.अ. प्रायोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए भी आशाजनक पाई गई हैं । हल्दी की दो मूल्यवान किस्में आई.आई.एस.आर. "प्रभा" और आई.आई.एस.आर. "प्रतिभा" खुले परागित संतति चरन द्वारा विकसित की गई हैं । इलायची, अदरक और हल्दी की पत्तियों के टिशू से परखनली में प्रोटोप्लास्टा पृथक किए गए । इलायची के प्रोटोप्लास्टा से माइक्रोकेल्ली विकसित किए गए । फाइटोफथोरा सहिष्णु काली मिर्च की किस्मों के मिश्रण, जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण द्वारा समेकित रोग प्रबंध की व्यवस्था की गई है । ऐसी व्यवस्था शुद्ध फसल और मिश्रित सस्यपद्धति दोनों के अंतर्गत की गई है । त्रिचोडर्मा के साथ संयोजन में पोटेशियम फास्फेट मूल गलन के विरुद्ध बहुत कारगर पाया गया है ।

हल्दी की एक नई किस्म सोनाली जो रिजोम गलन, पत्ती धब्बा तथा स्केल कीट की प्रतिरोधी है, विकसित की गई । 8.75% ओलेओरेसिन तत्व वाली अदरक की एक नई प्रविष्टि (वी. । एस. 1-8) को पता लगाया गया । 0.45%, 3.0% तथा 2% वाष्पशील तेल वाले क्रमश: धनिया (सी. सी. -748), जीरा (जे.सी.-147) तथा सौंफ (आर.एफ.-125) का पता लगाया गया । उच्च घनत्व वाली बुश काली मिर्च की खेती का मानकीकरण किया गया ।

7. *फसल कटाई के बाद का प्रबंध*

सामान्य किस्म के तथा कपास के डंठल की लुगदी से बने दोनों प्रकार के सी.एफ.बी. के बक्से अलफांजों आम के परिवहन के लिए उपयुक्त होते हैं । अलफांजों आम को 34 दिनों तक अच्छी स्थित में रखा जा सकता है और उस पर स्पोंजी टिशू का कम से कम प्रकोप (5%) होगा यदि बेविस्टीन उपचार के साथ उसे जल में ठंडा किया जाता है तथा फिर उसे 12+1 सी. तापमान पर 85% सापेक्षित आर्द्रता के साथ भंडारित किया जाता है ।

आम, केला, अनार, अमरूद और नींबू वर्गीय फलों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रोलिमेटिक फिल्म और संकुचित आच्छादन के इस्तेमाल करके परिस्कृत अटमोस्फेयर पैकिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आशाजनक नतीजे प्राप्त हुए । इस टेक्नोलाजी के द्वारा उक्त फलों को एक महीने तक बहुत अच्छी स्थिति में रखा गया तथा घरेलू बाजार एवं निर्यात दोनों के लिए बहुत उपयोगी पाए गए ।

फलों से अनेक नए संसाधित उत्पाद जैसे-बेर कैंडी, बेर चूरा, आंवला के सूखे चूर्ण, चेरी नेक्टार, सूखे सेब के रिंग और कम तेल वाला आंवले का अचार का विकास किया गया है तथा उसे मानकीकृत किया गया है । तेल रहित आम का अचार बनाने की तकनीक मानकीकृत की गई है । सेब तथा अनन्नास के फलों से गूदा अलग करने के लिए एक प्रोटोटाइप किस्म का हस्तचालित फ्रूट कोरिंग यंत्र विकसित किया गया ।

कच्चे आम की संसाधन मशीन भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में विकसित की गई । 25 टन/दिन की क्षमता वाले कच्चे आम की संसाधन मशीन के औद्योगिक प्रोटोटाइपों का डिजाइन तैयार किया गया । आम का अचार तैयार करने के लिए आम के 10 ग्रा॰ भार घन वाले टुकड़े काटने और हाथ से टुकड़े काटने में केवल 1/6 मेहनत लगती है ।

8. *खेती के उपस्कर एवं मशीनरी*

विभिन्न कृषि क्रियाओं के लिए अनेक कृषि उपस्करों एवं औजारों को विकसित कर इनका आकलन किया गया है जो निम्न प्रकार हैं :

1. *बुआई के लिए क्यारी तैयार करना :* स्पाइको वाला क्लाड क्रशर, ट्रैक्टर द्वारा चालित पानी द्वारा नियंत्रित गीली मिट्टी में चलाया जाने वाल पडलर, पशु द्वारा खींचे जाने वाला गेहूं पडलर, पशु द्वारा खींचे जाने वाला बहुप्रयोजन उपकरण ।

2. *बुआई और रोपण :* ऊर्जा चालित टिल प्लांटर, सरसों ड्रिल, बहुफसल प्लांटर, पूर्व अंकुरित धान सीडर, हस्त चालित मैट-टाइप 6 कतार वाला धान रोपाई यंत्र स्व चालित 8 पंक्तियों वाला धान रोपाई यंत्र, पावर टिलर चालित ज्योति प्लांटर, स्ट्रिप-टिल-ड्रिल, नो-ट्रिल-ड्रिल ।

3. *अन्त:-बुआई और छिड़काव :* पावर वीडर, स्वचालित डण्डानुमा (बूम) छिड़कावक तथा ऊंचाई छिड़कावक यंत्र ।

4. *कटाई :* मूंगफली खुदाई यंत्र, ज्वार कटाई यंत्र तथा हैवी ड्यूटी ऑगर ड्रिगर ।

5. *थ्रैशिंग* :- उच्च क्षमता का बहु-फसल थ्रैशर, मूंगफली थ्रैशर, सूरजमुखी थ्रैशर ।

6. *परिवहन* : कृषि उपज की ढुलाई हेतु सुधरी 2 पहियों की बैलगाड़ी को विकसित किया गया है ।

7. *अर्गोनोमिक्स और सुरक्षा* : पावर टिलर पर अर्गोनोमिक्स अध्ययन, मध्य प्रदेश में कृषि में कमजोर वर्गों के कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों में दुर्घटनाओं और अर्गोनामिक संबंधी समस्याओं के ऐंथ्रोपोमैट्रिक आंकड़ों का संग्रहण ।

8. *कृषि मशीनरी की डिजाइनिंग के लिए कम्प्यूटर सहायतार्थ डिजाइन सुविधा का विकास* : संबंधित उपकरणों जैसे मक्का छिलने वाला टबलर, मूंगफली का छिलका निकालने वाला और 3 पंक्तियों वाला पशु चालित यंत्र जैसे संबंधित उपस्करों की उत्पादन ड्राइंग तथा मैनुअलों का डिजाइन परिष्करण और निर्माण ।

9. *प्रोटोटाइप का निर्माण* : अनेक प्रोटोटाइप उपकरणों को विकसित किया गया है और व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों को सप्लाई किए गए हैं ।

9. *फसल कटाई के बाद की अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी*

फसल कटाई के बाद की बहुत सी प्रौद्योगिकीयां विकसित की गई हैं जो कि निम्नलिखित हैं :

1. *ग्रेडिंग* - मूंगफली की फली निकालने वाला ग्रेडर और भार के आधार पर फलों का ग्रेडर ।

2. *शैलिंग और छिलका निकालने वाला यंत्र* - मिर्च के बीजों को निकालने वाला यंत्र, इमली के बीजों को निकालने वाला यंत्र और शीटर तथा स्ट्रिपिंग एवं शैलिंग मशीन ।

3. *बागवानी फसलें* - फलों तथा सब्जियों के लिए विकसित किए गए उपकरणों में दो स्तरों पर वाष्पीकरण होने वाला कूलर । फलों तथा सब्जियों के परासरणी निर्जलीकरण (आस्मोटिक डिहाइड्रेशन) तथा टमाटर की संकर किस्मों के लिए बदले हुए वातावरण में पैकेजिंग पर अध्ययन किए गए ।

4. *शहद* - शहद निकालने के लिए कई उपकरणों/गजटों जैसे ट्रैक्टर द्वारा चालित स्मोकर, बिजली से गर्म होने वाला स्टेनलस स्टील बिना आवरण का चाकू तथा स्टेनलस स्टील का 8-फ्रेम का शहद निकालने का यंत्र विकसित किया गया ।

5. *कपास* - फसल के अपशिष्ट पदार्थों से लुगदी बनाने के लिए एक दो चरण वाली प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया है ।

6. *पटसन* - पावर रिबनर का एक संशोधित माडल विकसित किया गया । हरे पटसन की पट्टियों को गलाने के लिए प्रणाली को मानकीकृत किया गया है ।

7. *गुड़* - गन्ने के रस को उबालने वाले भट्टे में सुधार किया गया है । एक डिजीटल थर्मोमीटर विकसित किया गया है जिसकी सिलाई पर कलैम्प लगी है । ठोस गुड़ को आंचने वाला यंत्र संशोधित किया गया है ।

10. *फसल सुधार एवं प्रबंधन*

विभिन्न फसलों की जननद्रव्य प्राप्तियों का मूल्यांकन किया गया है तथा रोगों तथा नाशीजीवों, सूखे के प्रतिरोधी, बेहतर गुणवत्तायुक्त जैसे कुछ प्रमुख लाभदायक लक्षणों वाले आशाजनक वंशक्रमों की पहचान की गई है ।

सुधरी हुई किस्मों तथा संकरों से विभिन्न फसलों की अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए पद्धतियों के एक पैकेज का विकास किया गया है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज निम्न प्रकार से हैं :

1996-97	29487.61 क्विं.
1997-98	26486.53 क्विं.
1998-99	23023.89 क्विं.

देश के विभिन्न भागों से विभिन्न फसलों की 10 हजार से भी अधिक जननद्रव्य प्राप्तियां एकत्रित की गईं तथा राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली के राष्ट्रीय जीन बैंक में दीर्घावधि संरक्षण के लिए मूल संचयन में 30000 प्राप्तियां और जोड़ी गई हैं ।

डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटस के लिए जारी की जा चुकी जौ की 36 किस्मों तथा डयूरम गेहूं की 35 किस्मों का विश्लेषण किया गया । इसके अतिरिक्त सुगन्धित चावल की 48 आदिप्रारूपों, भारतीय गेहूं की 96 किस्मों, कपास की 70 किस्मों तथा टमाटर की 30 किस्मों की सफलतापूर्वक डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग की गई ।

प्राकृतिक शत्रुओं की जैवविविधता का मानचित्रीकरण किया गया है, प्राकृतिक शत्रुओं के संदर्भ संचयन को सूचीबद्ध किया है तथा प्राकृतिक शत्रुओं के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई है।

60 पोषक कीटों के बहुगुणीकरण के लिए स्वदेशी तकनीकों का विकास किया गया है ।

कपास, गन्ना तथा टमाटर की फसलों के लिए "ट्राइकोग्रामा किलोनिस" की बेहतर नस्लों (बायो सी1 तथा सी.2, बायो एस. सी. 1, बायो एच. 1) का निर्धारण किया गया ।

चने के मुरझान तथा जड़ गलन रोग की रोकथाम में फफूंद प्रतिरोधी एक सक्षम आइसोलेट "ट्राइकोडर्मा हारजियानम" में उपयोगी पाए गए ।

ट्राइकोग्रामा किलोनिस की एंडोसल्फान सहिष्णु किस्म, जो कि लेपिडोप्टेरान नाशीजीवों के अण्डों के लिए महत्वपूर्ण पैरासिटोइड है, विकास किया गया ।

बड़े स्तर पर किए गए प्रदर्शनों से चावल, मक्का, गन्ना, तम्बाकू, कपास, टमाटर, अंगूर, अमरूद तथा अन्य फसलों के प्राकृतिक शत्रुओं की प्रभावकारिता सिद्ध हुई । ट्राइकोग्रामा, क्राइसोपर्ला, एस.ए.एन.पी.वी. तथा

एस.आई.एन.पी.वी. के बड़ी मात्रा में उत्पादन तथा उनके प्रभाव के बारे में पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तथा तमिलनाडु में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए गए ।

पूर्वानुमान मॉडलों का विकास का अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है । हेलीकोवर्पा पूर्वानुमान मॉडयूल में देश भर के 5 केन्द्रों से आंकड़े एकत्रित किए गए तथा डाटाबेस तैयार किए गए और रिग्रेशन मॉडलों के माध्यम से नाशीजीवों तथा मौसम के मध्य संबंध प्रमाणित किये गये ।

11. प्राकृतिक संसाधन प्रबंध

- मृदा संसाधन मानचित्र कार्यक्रम के तहत आंकड़ों की जांच भौगोलिक सूचना पद्धति (जी आई एस) द्वारा की गई । इन कार्यकलापों में आंकड़े इकट्ठे करना, उनका विश्लेषण और प्रदर्शन करना तथा स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़े एकत्र करने का कार्य शामिल है । इस प्रक्रिया में अरुणाचल प्रदेश (1 : 250.00 के पैमाने पर) और प॰ बंगाल के बांकुरा जिले (1:80.000 पैमाने पर) मृदा मानचित्रों को रेखांकित किया है और उनका विश्लेषण किया गया है । ब्यूरो नें अब तक 23 राज्यों के आंकड़ों को डिजटिल रूप में तैयार किया गया है।

- एन बी एस एस एंडल एल यू पी और एन आर सी ए के संयुक्त प्रयासों से विभिन्न राज्यों की लवण मृदाओं का मानचित्रण नामक मिशन प्रोजेक्ट के तहत मानचित्र किया गया है । एन बी एस एस एंड एल यू पी का डेटाबेस, एन आर एस ए द्वारा सुदूर संवेदी उपग्रह (सेटेलाइट) आंकड़ों से तैयार किया मृदा लवणीयता के मानचित्रों के समाशोधन के लिए आधार रूप में काम करता है ।

- दीर्घावधि वाले उर्वरक परीक्षणों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के परिणामों से पता चला कि केवल नाइट्रोजन के उपयोग से मृदा उत्पादकर्ता पर हानिकारक प्रभाव होता है । यह हानि पालमपुर, रांची और बंगलौर की एल्फिसोल मिट्टियों पर अधिक देखी गई । एन पी के + एफ वाई एम के इस्तेमाल से उच्च उत्पादकता तथा पोटाश और फास्फोरस के उपलब्ध स्रोत और सूक्ष्म पोषक तत्व व जैविक कार्बनों की उपलब्धता बनी रही ।

- धान-गेहूं प्रणाली में नाइट्रोजन उर्वरक के साथ गोबर की खाद और हरी खाद के समेकित इस्तेमाल से क्रमशः 78 और 45 कि. ग्रा./है॰ नाइट्रोजन उर्वरक की बचत हुई । धान और गेहूं में नाइट्रोजन की बचत क्रमश 49.6 से 33.7 और 46.2 से 29.26 प्रतिशत हुई ।

- गुजरात राज्य के विभिन्न मृदा क्रमों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का मूल्यांकन सतही मिट्टी के 28252 नमूनों को लेकर किया गया । कुल मिलाकर 26 और इन मृदा नमूनों में से 8% में क्रमशः जिंक और लौह तत्व की कमी पाई गई ।

- केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल की चावल की महीन किस्म सी एस आर 13 को जारी करने की सिफारिश की गई जबकि अंतःलवणता तथा सोडिएक मृदाओं के लिए मिनीकिट जांचों हेतु सी एस आर 21 (सी एस आर 8871 आर 1) तथा सी एस आर 28 (सी एस आर 88 आई आर) की सिफारिश की गई ।

- सल्फीकृत प्रैस मड और गोबर की खाद, समेकित पोषण आपूर्ति के आशाजनक घटक हैं तथा धान-गेहूं फसल प्रणाली में धान की 25% रासायनिक खाद की मात्रा को, इन कार्बनिक स्रातों को इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित रूप से कम किया जा सकता है ।

- गेहूं के क्षेत्रों में फैलेरिस मानइर रोग के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए नए शाक नाशियों को इस्तेमाल करके परीक्षण किए गए । एक से तीन पत्तियों की अवस्था (25 डी ए एस) पर 45 ग्रा./है॰ की दर से सुलफोल्फ्यूरॉन का प्रयोग, 90 ग्रा/है॰ की दस से फिनोक्सप्रौप ; 300 ग्रा./है॰ की दर से मेट्रीब्युजिन और 30-35 डी ए एस पर ट्राकोक्सीडीम के इस्तेमाल से खरपतवारों की सघनता में कमी आई ।

- हिसार की सिंचित अवस्थाओं में तथा पारिस्थितिक प्रणाली के तहत बाजरा-आलू-टमाटर की सघन खेती उपयुक्त पाई गई तथा परम्परागत बाजरा-गेहूं प्रणाली की तुलना में अधिक उत्पादक व लाभप्रद रही ।

- उपार्द्र जलवायु अवस्था के तहत नई आशाजनक फसल प्रणालियां हैं: पालमपुर में मक्का-मटर-आलू, आर.एस.पुरा में चावल-आलू-गेहूं, रायपुर में चावल-बरसीम तथा चिपलिमा में चावल-टमाटर-भिंडी और तटीय प्रणाली में करजत में चावल-मूंगफली तथा चावल-चावल तिल फसल प्रणाली ।

- शिवालिक की निचली पहाड़ियों की अपघटित मिट्टियों में आवंले की पैदावार : चंडीगढ़ में शिवालिक की निचली पहाड़ियों की अपघटित भूमि पर आंवला आधारित बागवानी-चरागाह पद्धति स्थापित की गई । अकेले आंवला उगाने और अरहर के साथ उगाने पर भी आवंले की उपज 29 कि.ग्रा. /वृक्ष थी । अकेले आंवला और अरहर के साथ आंवले की क्षेत्र आधारित उपज क्रमशः 12 और 14 टन प्रति हैक्टर थी ।

12. पशु विज्ञान

जीन चिन्हकों का प्रयोग करते हुए व्यापक सर्वेक्षणों, आनुवंशिक लक्षण-वर्णन तथा देशी पशुधन और कुक्कुट नस्लों के माध्यम से पशु आनुवंशिक संसाधन का मूल्यांकन और संरक्षण करना । चयन, सन्तति परीक्षण और एम.ओ.ई.टी. योजनाओं के माध्यम से विभिन्न पशुधन प्रजातियों में दुग्ध, मांस, रेशा और धोवन का आनुवंशिक सुधार करना । मांस और अण्डे के लिए कुक्कुट का सुधार करना । पुआल उपयोग, खनिज पोषण, प्रथम आमाशय किण्वन नमूने के परिचालन, उपमार्ग से प्रोटीन देने, सुरक्षित वसा और पोषण के स्तर को बढ़ाकर उत्पादक और पुनरुत्पादक में सुधार किया गया । अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए भैंस की नस्लों को

सुधारा गया । विभिन्न पशुधन प्रजातियों के वीर्य मूल्यांकन, प्रजनन दक्षता, दुग्धकाल निष्पादन, ताप विनियामकी विशेषताओं तथा अन्त:स्रावी रूपरेखा, वीर्य और भ्रूणों के हिम-परिरक्षण पर अध्ययन किये गये । मिथुन के रुधिर विज्ञान संबंधी और जैव रसायन प्राचलो, ताप अनुकूलता, इम्यूनोग्लोबुलिन नमूना, विभिन्न खनिज और एन्जाइमों पर अध्ययन, पुनरुत्पादक व्यवहारों तथा यॉक में 17 बी इस्ट्राडियोल और प्रोगेटेरोन के उपयोग से दुग्धकाल का प्ररेण शुरु किया गया । पहली बार यॉक को 2000 मीटर एम.एस.एल की ऊंचाई से नीचे रखा गया तथा मिथुन को घर में पालने के लिए घरेलू बनाया गया । उत्पादन के साथ-साथ बेहतर पोषण के लिए यूरिया-शीरा ब्लैक विकसित किया गया । खोआ, पनीर, गुलाब जामुन मिश्रण, गाजर-दूध हल्वा मिश्रण, आम-दूध शेक मिश्रण आदि जैसे देशी दुग्ध उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया गया । झिल्ली प्रौद्योगिकी के प्रयोग से छाछ (वे) प्रोटीन सान्द्रण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई। देशी दुग्ध उत्पादों के लिए उपकरणों को अभिकल्पित करके निर्माण किया गया । किसानों की बेहतर आय के लिए किसानों और उद्योगों को प्रौद्योगिकियां दी गईं । पशुधन और कुक्कुट के रोग नियंत्रण के लिए ब्रूसेला, लेप्टोस्पीरा, संक्रामक गोजातीय नासा श्वासनली शोथ, संक्रामक बर्सल रोग, पक्षी ल्यूकोसिस काम्प्लैक्स, हमोर्राजिक सेप्टीसिमिया, अश्व इन्फ्यूएंजा, खुरपका और मुहंपका रोग, अण्ड कस संक्रामक एनेमिया, परिसर्प विषाणु, साल्मोनेला जैसे विभिन्न रोगों के लिए नैदानिक और टीकों का विकास किया गया । आनुभविक विश्लेषण के माध्यम से यह देखा गया कि फलीदार फसलों को सम्मिलित करके फसल विविधता ने चावल-गेहूं आधारित फसल पद्धति की कुल घटक उत्पादकता को बढ़ाया । पशुधन अनुसंधान में निवेश करने से आमदनी होती है । कृषि विकास के लिए सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि पर व्यय करना जरूरी है । निजी - सार्वजनिक क्षेत्र के अंतरापृष्ट के लिए कार्रवाई योजना निर्धारित की ज्ए । जिला स्तर पर दुग्ध उत्पादन के सुस्पष्ट आकलन के लिए सर्वेक्षण विधि का विकास किया गया । कृषि सांख्यिकी पर डेटाबेस में उपलब्ध तिथि को जोड़ने, ठीक देने और विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया । उपग्रह आंकड़े के प्रयोग से फसल पैदावार का आकलन संभव है । माहूं की संख्या के फैलने का अध्ययन करने के लिए मॉडल विकसित किया गया । कृषि शिक्षा पर राष्ट्रीय सूचना प्रणाली विकसित की गई है।

13. *मात्स्यिकी :*

पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए प्रमुख परिवर्तन

महिमा : श्रिम्प आहार : किफायती आहार उत्पादन पर पौषणिक अनुसंधान तथा कुशल खिलाई नीतियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यकता पर आधारित फार्म पर एक श्रिम्प आहार उत्पादन प्रौद्योगिकी - महिमा का विकास किया गया । सी एम एफ आर आई द्वारा व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण श्रिम्प पिनीअस इण्डिकस और पी. मोनोडोन की पौशणिक आवश्यकताओं पर आधारित दो सूत्रों का विकास किया गया तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए इन्हें प्रसारित किया गया । प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण के फलस्वरूप तीन पूर्णरूपेण महिलाओं द्वारा परिचालित लघु पैमाने की श्रिम्प आहार यूनिटों की स्थापना की गई । महिमा ने प्रयोगशाला और खेत की दोनों ही दशाओं के अन्तर्गत उत्पादन में अपनी उच्चतर दक्षता को आहार परिवर्तन अनुपात के साथ क्रमश: 1.5 (पी. इण्डिकस) और 1.7 (पी. मोनोडोन) देकर सिद्ध कर दिया ।

सीबास प्रजनन औस संवर्धन : सीबा ने देश में पहली बार एशियन सीबास लेटस कैल्केरीफर के प्रग्रहण ब्रूडस्टॉक विकास, उत्प्रेरित प्रजनन और बीज उत्पादन में एक बड़ी सफलता हासिल की है। अंडज उत्पत्तिशाला में उत्पादित सीबास के बीज को प्रगतिशील मछुआरों को बेचा गया ।

सिफाप्रा-मीठे जल वाला झींगा आहार : एक झींगा अंडज उत्पत्तिशाला में आहार प्रमुख निवेश है तथा झींगे की आयु की विभिन्न अवस्थाओं के लिए बढ़ते परिचालनों और पौषणिकता में सन्तुलित, लागत -प्रभावी खुराकें तीव्र बढ़वार, उच्च उत्तरजीविता और टिकाऊ उत्पादन स्तरों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं । झींगे की आयु की विभिन्न अवस्थाओं के लिए सूत्रबद्ध आहारों का विकास किया गया तथा इस सूत्रीकरण को जलजीव पालन करने वाले समुदाय में प्रदर्शनों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जा रहा है ।

सिफाका-कार्प शिशु आहार : मूंगफली की खली, भूना हुआ सोयाबीन आटा, मछली आटा, चावल की भूसी, वनस्पति और मछली के तेलों का मिश्रण, विटामिन - खनिज प्रीमिक्स तथा प्रोबायोटिक को सम्मिलित करके कार्प स्पॉन के लिए एक लागत प्रभावी आहार का विकास किया गया है और इसे ग्रामीण जल क्षेत्र में बेचा जा रहा है ।

सिफामा-मागुर शिशु आहार : मछली आटा, भूना हुआ सोयाबीन आटा, मूंगफली की खली, टैपिओका चूर्ण, बेकर का खमीर, वनस्पति तेल, विटामिन - खनित प्रीमिक्स और एक आकर्षक का उपयोग करके आहार तैयार किया गया है । यह सूत्र व्यावसायीकरण की प्रक्रिया में है ।

गोल्डन माहसीर टोर प्यूटीटोरा का बीज उत्पादन : महासी अंडज उत्पत्तिशाला के माध्यम से बहाव की स्थापना करना तथा गोल्डन माहसीर की भण्डारण सामग्री (आंगुलिकों) को उत्पादन करना । कैपटिविटी में गोलडन माहसीर के बढ़िया भंडारण के लिए हिमालय की भीमताल झील में नाइलोन के पिंजड़ों में इन प्रजातियों के तरुण रूप तैयार करने के प्रयास किया गये । इस प्रकार से विकसित पैकेज इन संकटापन्न प्रजातियों को प्राकृतिक प्रणाली में स्व:स्थाने संरक्षण करने के लिए अत्यधिक कारगर होगा, ताकि इन मछलियों का खाद्य एवं खेल के उत्पादन बढ़ाकर इनकी संख्या को पुन: स्थापित किया जा सके, जिससे पहाड़ी/जनजाति क्षेत्र का विकास करने में सहायता मिलेगी ।

सुधरी रोहु सिफा-आई आई : आनुवंशिक रूप से सुधरी रोहू ने स्थानीय भण्डारों से 25 प्रतिशत सुधरी वृद्धि क्षमता दर्शायी । इस सुधरी रोहु सिफा. आई.आर-1 को विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में इसकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए देश के अन्य क्षेत्रों को जारी किया जा रहा है, क्योंकि आनुवंशिक विशेषताएं पर्यावरण द्वारा काफी प्रभावित होती हैं।

कोलाजीन-चिटोसन झिल्ली - पिरीयडोंटिस्ट के लिए एक वरदान : सी.आई.एफ.टी. द्वारा विकसित कोलाजीन-चिटोसन झिल्ली में रक्त स्थैतिक और रोगहर विशेषताएं होती हैं । यह प्रथम बार है जबकि पिरीयडोन्टल गाइडिड टिस्सू रिजनरेशन (जी.टी.आर.) प्रयोगों के लिए झिल्ली का उपयोग किया जा रहा है । यह नई झिल्ली संश्लेषित टेफ्लोन के लिए एक कारगर स्थानापन्न हो सकती है, जो अब जी.टी.आर. क्रियाविधियों के लिए सुनहरा मानक है । इस झिल्ली का जलने और घावों के कारण होने वाली क्षतियों को सुधारने के लिए प्लास्टिक सर्जरी में भी प्रयोग किया जा सकता है ।

जल प्रबंधन

1099. श्री रामदास आठवले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपर करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी तथा जल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर एक पांच दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सम्मेलन में किन-किन बिन्दुओं पर चर्चा की गई; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा, सम्मेलन में दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन हेतु कौन-कानै से कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी हां, अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग (आई.सी.आई.डी.) की 8वीं अन्तर्राष्ट्रीय जल निकास संबंधी 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 31 जनवरी से 4 फरवरी, 2000 के बीच विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया था । कार्यशाला का मुख्य विषय "21वीं शताब्दी में जल निकास की भूमिका और चुनौतियां" था । कार्यशाला के दौरान निम्नलिखित विषय वस्तुओं पर विचार-विमर्श किया गया :

(1) 21वीं शताबदी में भूमंडलीय जल निकास की आवश्यकताएं एवं चुनौतियां ।

(2) क्षेत्रीय अनुभव ।

(3) जल निकास, बाढ़ नियंत्रण एवं जल प्रबंधन का समेकन ।

(4) जल निकास के सामाजिक-आर्थिक मुद्दे, प्रबंधन एवं सहभागिता पहलू ।

(5) निकास जल (ड्रेनेज वाटर) का निपटान, उसका पुन:चक्रण और पुन:उपयोग ।

(6) जैव-जल निकास संबंधी प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं एक विशेष सत्र का आयोजन करना ।

कार्यशाला की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गयी हैं ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग (आई.सी.आई.डी.) की 8वीं अन्तर्राष्ट्रीय जल निकास कार्यशाला की समापति पर जारी की गई सिफारिशों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों एवं राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है ।

विवरण

31 जनवरी से 4 फरवरी, 2000 के दौरान हुई अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग (आईसीआईडी) की 8वीं अन्तर्राष्ट्रीय जल निकास कार्यशाला की सिफारिशें

1. सभी सिंचाई परियोजनाओं को सिंचाई एवं जल निकास परियोजनाओं के रूप में उल्लिखत किया जा सकता है । समस्त सिंचाई एवं जल-निकास परियोजनओं के लिए अन्त:विषयी एवं एकीकृत दृष्टिकोण शुरू किया जा सकता है ।

2. जल जमाव लवणता संबंधी आंकड़ा पर्याप्त नहीं है और यह पुराना हो गया है । इस सूचना को दूर-संवेदी जैसे नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करते हुए अद्यतन करने तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का प्रयोग करते हुए संबद्ध आंकड़ा आधार प्रबंधन (आर डी बी एम) के रूप में प्रस्तुत करने की जरूरत है । गंभीर क्षेत्र प्रेक्षणों द्वारा की गई अनुरूपण माडलिंग से आंकड़ा एकत्रण कार्यक्रमों को तैयार करने तथा साथ ही साथ आयोजना एवं डिजाइनिंग में भी सहायता प्राप्त होगी ।

3. उप सतही जल निकास परियोजनाएँ, सामान्य रूप से उनके क्षेत्र में आने वाले पोषित क्षेत्र के पर्यावरण में सुधार करती हैं परंतु इसके कारण विशेष रूप से अनुप्रवाह पर कुछ अवांछनीय प्रभाव पड़ सकता है । इस संबंध में पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार करने एवं सघन प्रबोधन की जरूरत है ।

4. काम्पलेक्स पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए डेल्टाई और ज्वारीय क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण, जल निकास एवं जल प्रबंधन का एकीकरण करना आवश्यक है ।

5. जहां कहीं व्यवहार्य हो निकासी जल को पुन: उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ।

6. जल जमाव वाले क्षेत्रों के सुधार के बाद बहि:स्राव लवणीय जल की अत्यधिक मात्रा के निपटान के लिए एक व्यापक एकीकृत और बहु-विषयी आयोजना करने की आवश्यकता है । इस कार्य के लिए क्षेत्रीय सहयोग की भी जरूरत है ।

7. मानसूनी जलवायु में जल निकास बहि:स्राव को कृषि के लिए (आनफार्म) पुन: उपयोग में लाने के वास्ते प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं और जिसे मध्यम समय मान कर युक्तिसंगत ढंग से प्रयुक्त किया जा सकता है । तथापि, अनुरूपण/माडलिंग के माध्यम से मिट्टी पर इसके पुन: उपयोग से पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभावों के आकलन की आवश्यकता है ।

8. क्षेत्रीय स्तर (स्केल) पर पुन: उपयोग एवं निपटान के लिए व्यापक विकल्प ज्ञात हैं परंतु इसके परीक्षण नहीं किए गए हैं । क्षेत्रीय स्केल पर इष्टतम मिश्रित निपटान प्रौद्योगिकियों को निश्चित करने की आवश्यकता है ।

9. जैव जल निकासी से भू जल स्तरों के नियंत्रण की अत्यधिक संभावनाएँ मौजूद हैं । इसके अतिरिक्त जैव निकास और लवण संतुलन में इसके प्रभाव पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है।

10. किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्कीमों को तैयार करने में अंतिम प्रयोक्ता अर्थात किसानों का शामिल होना । आयोजना एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी किसानों को जल स्तर की मानीटरिंग में शामिल किया जाए जिसके लिए उन्हें साधारण उपकरणों का सुझाव भी दिया जा सकता है तथा उन्हें सिंचाई अथवा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को तैयार करने की अवस्था से जल निकास स्कीमों की आयोजना में भी शामिल किया जाए ।

11. सहभागिता सिंचाई एवं जल निकास प्रबंधन के लिए संस्थागत मैकेनिज्म को भी शामिल किया जा सकता है । तथापि, इस संबंध में संस्थागत माडल उपलब्ध नहीं है और अनुभवों संबंधी दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता है ।

12. अनुसंधान को दो चरणों अर्थात (क) जल निकास की तुलना में मिट्टी की स्थिति और (ख) मिट्टी की स्थिति बनाम फसल उपज के बीच संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है ।

13. उपलब्ध आंकड़ों के साथ दूर संवेदी तकनीकों के उपयोग तथा गणितीय माडलिंग सुविधाओं की आवश्यकता है ताकि जल निकास प्रणालियों के डिजाइन को प्रभावी बनाया जा सके ।

14. मानव संसाधन विकास कार्य नीतियों में (क) प्रेरणा और (ख) आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखा जाए ।

15. जल निकास प्रौद्योगिकियों को स्नातक स्तर के नीचे के पाठ्यक्रमों में तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाए।

16. यह प्रतीत होता है कि इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक जैसी तकनीक अपनाने से लवणता के शीघ्र मापन के लिए यंत्रों एवं उपकरणों के अच्छे परिणाम निकल सकते हैं । इस संदर्भ में ईएम-38 उपस्कर पर विचार-विमर्श किया गया था । अनुसंधानकर्ताओं के मध्य इस प्रकार के उपकरणों के अनुप्रयोगों का विकास करने के लिए नेटवर्किंग की सिफारिश की जाती है ।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर हमला

1100. डा॰ संजय पासवान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जनवरी, 2000 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आर्मी अटैक आफ एल ओ सी टू क्लिंटन्स प्रोपोज्स विजिट" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान का विचार जम्मू और कश्मीर को दक्षिण एशिया के नक्शे पर अत्यधिक गड़बड़ी वाले क्षेत्र के रूप में दर्शाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हाँ ।

(ख) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पार से और जम्मू एवं कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की सुरक्षा कवर प्रदान करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षि करने, के लिए अकारण गोलीबारी कर रहा है । भारत पाकिस्तान संबंधों में तीसरे पक्ष को शामिल किया जा सके ।

सरकार ने पाकिस्तान द्वारा अकारण गोलीबारी किए जाने के कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को समुचित एवं प्रभावकारी ढंग से अवगत कराया है । जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य स्थानों पर पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद से संबंधित तथ्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर तथा विश्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत में उच्च स्तर पर उठाया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय जम्मू एवं कश्मीर तथा भारत के अन्य स्थानों पर आतंकवाद को पाकिस्तान के राज्य प्रायोजन को अब खुलेआम स्वीकार कर रहा है । पाकिस्तान पर अन्तर्राष्ट्रीय समाचार तंत्र की खबरों में और कई विदेशी सरकारों के आधिकारिक वक्तव्यों में इसकी व्यापक जानकारी परिलक्षित हो रही है ।

सरकार देश की सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के अपने संकल्प के प्रति कटिबद्ध रहती है ।

लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव

1101. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ नीति बनाने हेतु कोई बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में लघु उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही कौन-कौन सी समस्याओं की पहचान की गई है;

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र में भूमण्डलीकरण और उदारीकरण की चुनौती का सामना करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री

तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) सरकार का राष्ट्रीय तथा राज्य-स्तरीय उद्योग संघों के साथ परस्पर विचार विमर्श एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिसके आधार पर लघु उद्योग क्षेत्र को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की प्राथमिकताएं तय की जाती हैं । इस दिशा में उठाए गए कदमों में - आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योकिगी उन्नयन के लिए विशेष कार्यक्रम, उद्यम पूंजी सहायता, विपणन सहायता, राजकोषीय प्रोत्साहन, आई टी आधारिक संरचना सहित आधारिक संरचना का सृजन आदि शामिल हैं । सरकार ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन सुग्राहीकरण कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत विश्वीकरण की आसन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए लघु उद्योग इकाइयों के मध्य तैयारी का स्तर बढ़ाने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर 26 सुग्राहीकरण कार्यशालाएं संचालित की जा रही हैं।

द्विपक्षीय सहयोग

1102. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि करने से संबंधित की गयी प्रगति की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) पारस्परिक हित की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें किस प्रकार के सहयोग की पहचान की गयी है; और

(घ) अर्थव्यवस्था, संस्कृति और शिक्षा आदि के क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग की क्या संकल्पना है और क्या अनुमान है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) नवम्बर 1999 में मेरी जापान यात्रा के दौरान जापान के विदेश मंत्री और मैं इस बात पर सहमत हुए थे कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक से सहायता प्राप्त चल रही वचनबद्ध/प्रतिबद्ध परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण I, II, III, IV और V में दी गई हैं।

(घ) हम विविध क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार करने के लिए मिलजुलकर कार्य कर रहे हैं ।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान जापान अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से सहायता प्राप्त चल रही वचनबद्ध/प्रतिबद्ध परियोजनाओं की सूची

	परियोजना का नाम	ऋण की राशि 31.12.99 के अनुसार	सम्पन्न/समापन की तारीख	उपयोग
1	2	3	4	5
1996-97 पैकेज				
1.	उत्तरी भारत ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना (आई डी पी-116)	8497	3.6.97/3.6.2006	179.6
2.	पश्चिम बंगाल टांसमिशन सिस्टम परियोजना (आई डी पी 117)	11087	29.5.1997/29.5.2004	440.7
3.	उमियाम जल विद्युत केन्द्र परियोजना (आई डी पी 118)	1700	10.6.1997/10.6.2004	15.7
4.	टुरियल जल विद्युत परियोजना (आई डी पी 119)	11695	18.06.1997/18.6.2009	159.2
5.	समीहद्री तापीय विद्युत परियोजना (आई डी पी 120)	19817	24.6.1997/24.6.2007	11315.7
6.	दिल्ली मास रैपीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना (आई डी पी 121)	14760	21.10.1997/21.102007	1126.7
7.	कलकत्ता ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना (आई डी पी 122)	10679	29.5.1997/29.05.2004	891.6
8.	केरल जल आपूर्ति परियोजना (आई डी पी 123)	11997	3.6.1997/3.6.2006)	0
9.	पूर्वी कर्नाटक वनरोपण परियोजना (आई डी पी 124)	15968	29.5.1997/29.05.2005	4409.4
10.	तमिलनाडु वनरोपण परियोजना (आई डी पी 125)	13324	29.5.1997/29.05.2005	4069.2
11.	राजघाट नहर सिंचाई परियोजना (आई डी पी 126)	13222	29.5.1997/29.5.2006	1135.7

1	2	3	4	5
1997-98 पैकेज				
1.	सीमद्री और बीजाग ट्रांसमीशन सिस्टम परियोजना (आई डी पी 127)	10629	12.2.1997/19.2.2003	0.2
2.	श्रीसेलम बामतट विद्युत केन्द्र परियोजना-III (आई डी पी 128)	14499	12.2.1997/16.2.2003	4517.9
3.	धौली गंगा जल विद्युत परियोजना - II (आई डी पी 129)	16316	12.2.1997/9.2.2003	0
4.	बकरेश्वर तापीय विद्युत पिरयोजना - II (आई डी पी 130)	34151	12.2.1997/19.8.2003	19694.6
5.	तुतीकोरीन बंदरगाह तलमार्जच परियोजना (आई डी पी 131)	7003	12.2.1997/19.8.2003	49058
6.	पंजाब वनरोपण परियोजना (आई डी पी 132)	6193	12.2.1997/16.2.2003	1068.5
7.	मध्य प्रदेश रेशम उत्पादन परियोजना (आई डी पी 133)	2212	12.2.1997/5.2.2005	185
8.	मणीपुर रेशम उत्पादन परियोजना (आई डी पी 134)	3962	12.2,1997/28.7.2005	295.7
9.	रिंगाली सिंचाई परियोजना (आई डी पी 135)	7760	12.2.1997/5.2.2003	1660
10.	लघु उद्योग विकास कार्यक्रम-VI (आई डी पी 136)	30000	12.2.1997/24.12.1999	30000
1998-99 पैकेज				
	बकरेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र यूनिट-III एक्सटेंशन परियोजना - II (आई डी पी 137)	11537	24.3.1999/28.4.2004	3059.2

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान जे बी आई सी परियोजनाओं के अन्तर्गत की गई वचनबद्धताएं/प्रतिभूति और वितरण

(बिलियन येन में)

वर्ष	वचनबद्धताएं	वितरण
1996-97	132.746	64.58
1997-98	132.725	88.44
1998-99	11.537	91.021

विवरण-III

चल रही जेबीआईसी इससे पूर्व ओईसीएफ सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सूची

क्रम सं	आई डी सं॰ और परियोजनाओं का नाम	केन्द्र/राज्य	सम्पन्न/समापन करने की तारीख	ऋण
1	2	3	4	5
1.	आई डी पी-40 तीस्ता नहर जल विद्युत परियोजना	पश्चिम बंगाल	18.12.86/31.3.2000	8025
2.	आई डी पी-53 घाटघर पम्पयुक्त भंडारण परियोजना	महाराष्ट्र	15.12.88/20.1.2003	11414
3.	आई डी पी-66 पावर सिस्टम में सुधार और लघु जल परियोजना	केन्द्र	23.1.91/5.2.2002	24379
4.	आई डी पी-72 तीस्ता नहर जल विद्युत परियोजना-II	पश्चिम बंगाल	23.1.91/31.3.2000	6222
5.	आई डी पी-73 इंदिरा गाँधी वनरोपण	राजस्थान	23.1.91/5.2.2000	7869
6.	आई डी पी-79 नगर जल आपूर्ति परियोजना	केन्द्र	9.1.92/31.3.2000	6788
7.	आई डी पी-80 अरावली पर्वतों में वनरोपण परियोजना	राजस्थान	9.1.92/31.3.2000	8095

1	2	3	4	5
8.	आई डी पी-81 राष्ट्रीय राजमार्ग-2 सुधार परियोजना	केन्द्र	91.1.92/30.9.2000	4855
9.	आई डी पी-82 अजन्ता एलोरा संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना	केन्द्र/महाराष्ट्र	9.1.92/30.3.2002	3745
10.	आई डी पी-84 यमुना कार्य योजना परियोजना	केन्द्र	21.12.92/19.4.2000	17773
11.	आई डी पी-85 श्रीसेलम पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्	आंध्र प्रदेश	21.12.92/19.4.2000	3806
12.	आई डी पी-88 अनपारा बी तापीय विद्युत परियोजना स्तर-5	उत्तर प्रदेश	24.1.94/11.3.2001	17638
13.	आई डी पी-90 फरीदाबाद तापीय विद्युत केन्द्र परियोजना	केन्द्र	24.1.94/11.3.2001	23536
14.	आई डी पी-91 नैनी के नजदीक यमुना नदी पर पुल	केन्द्र	24.1.94/11.3.2001	10037
15.	आई डी पी-92 राष्ट्रीय राजमार्ग-5 की चार लेन	केन्द्र	24.1.94/11.3.2001	11360
16.	आई डी पी-94 श्रीसेलम वामतर विद्युत परियोजना-II	आन्ध्र प्रदेश	28.2.95/12.4.2001	22567
17.	आई डी पी-95 श्री सेलम विद्युत ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना-II	आन्ध्र प्रदेश	28.2.95/12.4.2001	9546
18.	आई डी पी-96 असम गैस टरबाइन विद्युत केन्द्र ट्रांमिशन प्रोजेक्ट-II	केन्द्र	28.2.95/12.4.2000	15821
19.	आई डी पी-97 बक्रेश्वर तापीय विद्युत यूनिट-3 एक्सटेंशन परियोजना	पश्चिम बंगाल	28.2.95/12.4.2001	8659
20.	आई डी पी-98 पुरुलिया पम्पयुक्त भंडारण परियोजना	पश्चिम बंगाल	28.2.98/12.4.2003	20520
21.	आई डी पी-99 काठगोदाम "ए" तापीय विद्युत केन्द्र पुनर्स्थापना परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	28.2.95/12.4.2000	5092
22.	आई डी पी-100 राष्ट्रीय राजमार्ग-5 सुधार परियोजना-II	केन्द्र	28.2.95/12.4.2002	5836
23.	आई डी पी. 101 राष्ट्रीय राजमार्ग-24 सुधार परियोजना	केन्द्र	28.2.95/12.4.2002	2827
24.	आई डी पी-102 मद्रास मल व्यवस्था नवीकरण और कार्यात्मक क्रियान्वयन परियोजना	तमिलनाडु	28.2.95/12.4.2001	17098
25.	आई डी पी-103 लेक भोपाल संरक्षण और प्रबन्धन परियोजना	मध्य प्रदेश	28.2.95/12.4.2002	7055
26.	आई डी पी-104 राजस्थान वनविद्या विकास परियोजना	राजस्थान	28.2.95/12.4.2002	4219
27.	आई डी पी-105 औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	पश्चिम बंगाल	28.2.95/12.4.2001	1525
28.	आई डी पी-106 आईसीआईसीआई औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम	केन्द्र	28.2.95/12.4.2000	3000
29.	आई डी पी- 107 एन पी सी धौलीगंगा जल-विद्युत परियोजना	केन्द्र	25.1.96/23.5.2000	5665
30.	आई डी पी -108 अनपारा विद्युत ट्रांसमिशन परियोजना	उत्तर प्रदेश	25.1.96/26.3.2000	12020
31.	आई डी प्री -109 बंगलौर जल आपूर्ति	कर्नाटक	25.1.96/26.3.2004	26452
32.	आई डी पी-110 शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता सुधार कार्यक्रम	केन्द्र	25.1.96/28.6.2000	8670
33.	आई डी पी-111 अट्टापेड्डी वेस्टलैंड विकास	केरल	25.1.96/26.3.2005	5112
34.	आई डी पी-112 गुजरात वन विद्या परियोजना	गुजरात	25.1.96/26.3.2004	15760
35.	आई डी पी-113 कुरनूल कुडप्पा नहर आधुनिकीकरण परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	25.1.96/26.3.2003	16049
36.	आई डी पी-115 पिपावव पोत-विध्वंस विकास परियोजना	गुजरात	25.1.96/26.3.2003	7046
37.	आई डी पी-116 उत्तरी भारत ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना	केन्द्र	25.2.97/3.6.2006	8497
38.	आई डी पी - 117 पश्चिम बंगाल ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना	पश्चिम बंगाल	25.2.97/29.5.2004	11087
39.	आई डी पी-118 उमियाम जल-विद्युत केन्द्र नवीकरण परियोजना	मेघालय	25.2.97/10.6.2004	1700

1	2	3	4	5
40.	आई डी पी -119 तूरिपल जल विद्युत बिजलीघर परियोजना	केन्द्र	25.2.97/18.6.2009	11695
41.	आई डी पी-120 सिमधारी तापीय बिजली केन्द्र परियोजना	केन्द्र	25.2.97/24.6.2007	19817
42.	आई डी पी-121 दिल्ली मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम् परियोजना	केन्द्र	25.2.97/29.10.2007	14760
43.	आई डी पी-122 कलकत्ता ट्रांसपोर्ट आधारभूत संरचना विकास परियोजना	पश्चिम बंगाल	25.2.97/29.5.2004	10679
44.	आई डी पी-123 केरल जल आपूर्ति परियोजना	केरल	25.2.97/3.6.2006	11997
45.	आई डी पी-124 पूर्वी कर्नाटक वनरोपण परियोजना	कर्नाटक	25.2.97/29.5.2005	15968
46.	आई डी पी-125 तमिलनाडु वनरोपण परियोजना	तमिलनाडु	25.2.97/29.5.2005	13324
47.	आई डी पी-126 राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	25.2.97/29.5.2006	13222
48.	आई डी पी-127 सिमधारी और विजाग ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	12.12.97/9.2.2003	10629
49.	आई डी पी-128 श्रीसेलम वाम तट विद्युत केन्द्र-II परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	12.12.97/9.2.2003	14499
50.	आई डी पी-129 धौलीगंगा जल विद्युत-II परियोजना	विद्युत मंत्रालय	12.12.97/9.2.2003	16316
51.	आई डी पी-130 बरकेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र परियोजना-II	पश्चिम बंगाल	12.12.97/9.2.2003	34151
52.	आई डी पी-131 तूतीकोरिन बन्दरगाह तलमार्जन परियोजना	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	12.12.97/16.2.2003	7003
53.	आई डी पी-132 पंजाब वनरोपण परियोजना	पंजाब	12.12.97/16.2.2003	5193
54.	आई डी पी-133 मध्य प्रदेश रेशम उत्पादन परियोजना	मध्य प्रदेश	12.12.97/5.2.2005	2212
55.	आई डी पी-134 मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना	मणिपुर	12.12.97/28.7.2006	3982
56.	आई डी पी-135 रेंगाली सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	12.12.97/5.2.2003	7760
57.	आई डी पी- 136 बरकेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र एक्सटेंशन परियोजना-II	पश्चिम बंगाल	24.3.99/26.4.2004	11537

विवरण - IV

वर्ष 1997-98 में क्रियान्वित अनुदान सहायता परियोजनाएँ

परियोजना का नाम	मि॰ जापानी येन में उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपये में समकक्ष राशि)
1. पोलियो उन्मूलन	554.1 (16.92)
2. त्रिची, तमिलनाडु में तारामंडल की स्थापना	50 (1.52)
3. खाद्य उत्पादन में वृद्धि	498.8 (14.82)
4. चेन्नई स्थित बाल स्वास्थ्य संस्थान और बच्चों के अस्पताल के लिए उपकरण के सुधार के लिए परियोजना	662.1 (20.20)

वर्ष 1998-99 में क्रियान्वित अनुदान सहायता परियोजना

परियोजना का नाम	मि॰ जापानी येन में उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपये में समकक्ष राशि)
1. मत्स्य पालन बंदरगाह विशाखापट्टनम के निर्माण के लिए परियोजना	1247.2 (41.57)
2. कलावती सरन बच्चों का अस्पताल, नई दिल्ली के सुधार के लिए परियोजना	493.2 (17.54)
3. संवर्धित खाद्य उत्पादन के लिए अनुदान सहायता, आन्ध्र प्रदेश की सरकार	195.6 (6.96)
4. कलकत्ता का भारत संग्रहालय वीडियो कैमरा की पूर्ति	274.5 (9.79)
5. पोलियो उन्मूलन के लिए परियोजना	274.5 (9.78)

वर्ष 1999-2000 में यूनिसेफ द्वारा भारत में पोलियो उन्मूलन नामक अनुदान सहायता परियोजना क्रियान्वित की गई जिसके लिए जापान की सरकार और यूनिसेफ के बीच 27.7.99 को 909 मिलियन जापानी येन का विनिमय-पत्र सम्पन्न हुआ । इस परियोजना के लिए भारत सरकार हस्ताक्षरकर्ता नहीं था और यह राशि भारत सरकार के बिना शामिल हुए यूनिसेफ के माध्यम से सीधे आई थी ।

विवरण - V

वर्ष 1997-98 में ऋण सहायता अनुदान के लिए सम्पन्न विनिमय-पत्र

	तारीख	राशि
1.	13.6.1997	जापानी येन 1,34,546,000
2.	19.12.1997	जापानी येन 116,525,000

वर्ष 1998-99 में ऋण सहायता अनुदान के लिए सम्पन्न विनिमय पत्र

	तारीख	राशि
1.	11.2.1999	जापानी येन 185,670,000
2.	23.3.1999	जापानी येन 22,131,000

वर्ष 1999-2000 में ऋण सहायता अनुदान के लिए सम्पन्न विनिमय पत्र

	तारीख	राशि
1.	17.6.1999	जापानी येन 51,137,000

(क) से (च) सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल स्थित पाकिस्तानी राजदूतावास के एक कर्मचारी को जनवरी, 2000 में काठमांडू में उस समय रंगे हाथों पकड़ा गया जिस समय वह नेपाल पुलिस के किसी गुप्त अधिकारी को नकली मुद्रा हस्तान्तरित कर रहा था । नेपाल की सरकार ने पाकिस्तान के उस कर्मचारी से अपने पद के परस्पर विरोधी ऐसे कार्य में संलिप्त होने के कारण 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा था ।

सरकार को उस जाँच की भी जानकारी है जो दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के उस कर्मचारी के संबंध में की जा रही है जो तथाकथित रूप से नकली भारतीय नोट का उपयोग कर रहा था । पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के नकली भारतीय नोटों के षडयंत्र में संलिप्त होने की अन्य खबरें भी हैं ।

सरकार इन गतिविधियों के बारे में सतर्कता बरत रही है ।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को ऋण

1103. श्री राव्वो सिंह : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को ऋण की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने की निगरानी करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) कितने जिलों को विशेषकर बिहार में लघु उद्योगों को अग्रिम ऋण प्रदान करने की निगरानी करने के लिए चुना गया है और उनके क्या नाम हैं; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान बीमार लघु उद्योगों में सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुरोध पर बैंक/वित्तीय संस्थान लघु इकाइयों के सभी व्यवहार्य प्रस्तावों पर विचार करती है तथा लघु उद्योग क्षेत्र को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराती हैं ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों से आवधिक आंकड़े मंगाकर तथा चयनित शाखाओं में विशेष अध्ययन कराकर बैंकों के कार्यनिष्पादन की देखरेख करती है ।

(घ) बिहार सहित प्रत्येक जिले की मुख्य बैंक, विभिन्न क्षेत्र, जिसमें लघु क्षेत्र भी शामिल हैं, की बैंकों के निष्पादन की निगरानी ऋण विस्तार पर करती है । भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक बैंक के पूर्ण निष्पादन की निगरानी करती है ।

(ङ) कार्यक्षम व्यवहार्य रुग्ण लघु इकाइयों के उत्थान में शामिल उपाय है । पनर्वास हेतु ब्याज की घटी दरें, विनिर्दिष्ट रुग्ण इकाइयों के संबंध में तुरंत कार्यक्षम अध्ययन/वित्तपोषण कार्यक्रमों, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रों तथा बैंकों के मुख्यालय में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की देखरेख तथा विशेषज्ञ स्टाफ के लिए प्रकोष्ठ की स्थापना करना। रुग्ण इकाइयों के पुनर्रुत्थान के लिए विचार करने हेतु प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों के सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थात्मक समिति विद्यमान है।

[अनुवाद]

सोयाबीन का उत्पादन

1104. श्री सुशील कुमार शिंदे : कृपा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में भारी वर्षा होने से सोयाबीन की फसल की मात्रा और गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से नुकसान पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस मुश्किल का सामना कर रहे किसानों की मदद के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार किया है ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने संघ सरकार से इस फसल की खरीद में एफ.ए.ओ. मानदण्डों में ढील देने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में, सोयाबीन की फसल कटाई के मौसम अक्तूबर, 1999 में अत्यधिक वर्षा हुई थी, जिससे फसलों की हुई भारी क्षति के कारण, विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य में मात्र एवं गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से उत्पादन कम हुआ है। बहरहाल, चालू वर्ष में सोयाबीन के उत्पादन तथा विगत वर्ष में राज्यवार उत्पादन अनुमान निम्नवत है :

अनुमानित उत्पादन (000 टन में)

	राज्य	1998-99	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.8	20.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.4	-
3.	गुजरात	5.1	5.0
4.	हिमाचल प्रदेश	0.2	-
5.	कर्नाटक	36.0	43.0
6.	मध्य प्रदेश	4473.1	4454.0
7.	महाराष्ट्र	1471.9	1448.0
8.	मेघालय	0.8	-
9.	मिजोरम	1.7	-
10.	नागालैण्ड	13.0	-
11.	उड़ीसा	1.0	1.0
12.	राजस्थान	894.5	891.0
13.	सिक्किम	2.7	-
14.	उत्तर प्रदेश	21.7	35.0
15.	पश्चिम बंगाल	0.5	3.0
16.	अन्य	-	19.0
	अखिल भारत	6942.4	6519.0

(ग) से (ङ) इससे प्रभावित सोयाबीन बेहतर औसत गुणवत्ता से घटिया स्तर का था जिसमें नमी की मात्रा ज्यादा थी और इसके बीज बदरंग हो गये थे जिसके कारण सोयाबीन का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो गया था। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के किसानों ने मांग की थी कि औसत गुणवत्ता के मानदंड में ढिलाई बरती जाय ताकि वे अपने उत्पादित सोयाबीन के बीज का बेहतर औसत गुणवत्ता वाले बीजों के मूल्य के बराबर मूल्य प्राप्त कर सकें। चूंकि बेहतर औसत गुणवत्ता के स्तर से घटिया किस्म की खरीद करना व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था अत: भारत सरकार ने 1999 में एक तकनीकी उप समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य बेहतर औसत गुणवत्ता के पैरामीटरों का तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत सोयाबीन समेत तिलहनों की खरीद करने के लिए निर्धारित मानदण्डों की समीक्षा करना था। बार-बार विचार-विमर्श करने के बाद सोयाबीन के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अर्थात् स्वीकृत किये जाने वाले प्रतिमानों में संशोधन किया है जो निम्नवत हैं :

एफ०ए०क्यू० - फेयर एवरेज क्वालिटी (बेहतर औसत गुणवत्ता)

क्र.सं.	खास विशेषताएं	सहिष्णुता की अधिकतम सीमा (%भार प्रति क्विंटल)		
		वर्तमान एफ.ए.क्यू.	तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तावित	सिफारिश किया गया एफ.ए.क्यू. स्तर
1.	बाहरी पदार्थ एवं अशुद्धियां	1	2	2
2.	सिकुड़ी तथा अपरिपक्व फलियां	3	5	5
3.	क्षतिग्रस्त तथा धुनी हुई फलियां	2	3	3
4.	मशीनों से क्षतिग्रस्त हुई फलियों (बिखरी, टूटी तथा दरकी हुई)	10	15	15
5.	नमी की मात्रा	12	12	12

परिभाषायें

1. बाहरी पदार्थ और अशुद्धियों में शामिल - धूल, गन्दगी, कंकड़, मिट्टी, भूसी, उष्ठक/भूसा तथा अन्य अशुद्धियां।
2. सिकुड़ी तथा परिपक्व फलियों से तात्पर्य उन फलियों से है जिनका आकार बिगड़ गया है, या जिनका पूर्णतया विकास नहीं हो पाया है या जो बदरंग हो गयी हैं।
3. क्षतिग्रस्त और धुनी हुई फलियों से मतलब है - वे फलियां या टुकड़े जो अंकुरित हो गये हैं या - गर्मी और नमी से खराब हो गये हैं या कीटों माइकोबायल कारणों से खराब हो गये हैं।
4. मशीनों से हुई क्षतिग्रस्त फलियों वे फलियां हैं जो बिखर गई है या टूट गयी है या दरक गई है।

[हिन्दी]

सी. टी. बी. टी. के प्रति भारत का रवैया

1105. **प्रो० रासासिंह रावत :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत राष्ट्रीय हित में अपनी परमाणु नीति पर दृढ़ता से कायम है ; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर सी टी बी टी के प्रति भारत का क्या रवैया है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हाँ ।

(ख) सी टी बी टी पर भारत की स्थिति का खुलासा प्रधानमंत्री द्वारा सितम्बर, 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में और दिसम्बर, 1998 में संसद में कर दिया गया था । सितम्बर, 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री द्वारा इसे पुनः दोहराया गया । देश की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने की अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के बाद सरकार यह मानती है कि अब हमें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को पुनः आश्वासन देने की आवश्यकता है और इस संबंध में राष्ट्रीय मतैक्य विकसित करना चाहती है। सरकार की स्थिति यथावत बनी हुई है ।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान का अपहरण

1106. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आतंकवादियों ने दिसम्बर, 1999 में इंडियन एयरलाइन्स के एक विमान का अपहरण करके उसे पाकिस्तान, दुबई व तालिबान-शासित अफगानिस्तान ले जाने के लिए बाध्य किया तथा क्या विदेश मंत्री अपने साथ आतंकवादियों को तालिबान शासित अफगानिस्तान ले गए जिन्हें बाद में भारतीय बंधकों को छुड़ाने के लिए मुक्त कर दिया गया;

(ख) यदि हाँ, तो इस घटना का विवरण क्या है ;

(ग) विमान-अपहरणकर्ता आतंकवादियों की क्या मांगें थीं;

(घ) इन मांगों को किस प्रकार पूरा किया गया; और

(ङ) इस पर भारत सरकार, पाकिस्तान, तालिबान-शासित अफगानिस्तान और विश्व के अन्य देशों की सरकारों, प्रिन्ट मीडिया तथा मुक्त कराए गए बंधकों का क्या मत और प्रतिक्रिया रही ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) इंडियन एयरलाइन्स के विमान आई सी 814 का 24 दिसम्बर, 1999 को उस समय अपहरण कर लिया गया था जब यह काठमांडू से नई दिल्ली की ओर उड़ान पर था । अपहृत विमान अमृतसर, लाहौर और दुबई में उतरने के बाद 25 दिसम्बर, 1999 को कंधार पहुँचा। अपहृत विमान के कंधार हवाई अड्डे पर उतरने के बाद प्रकट हुई स्थिति से निपटने के लिए संबंधित मंत्रालयों से चुने गए, बातचीत करने वाले अधिकारियों का एक दल कंधार भेजा गया था । कंधार में हमारे अधिकारियों से अपहरणकर्ताओं द्वारा की गई पहली औपचारिक मांग 10 भारतीयों और 5 विदेशी बंधकों की रिहाई के बदले में आतंकवादी मसूद अजहर को छोड़ने की थी । टुकड़ों में की गई इन माँगों को सरकार ने अस्वीकार कर दिया । तालिबान और अपहरणकर्ता दोनों को यह सूचित कर दिया गया था कि जब तक मांगों का पूर्ण और सुस्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया जाता है तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती । तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को उनकी पूरी-पूरी मांगें रखने की सलाह दी जिस पर अपहरणकर्ताओं ने हमारी हिरासत में रह रहे 36 आतंकवादियों, एक मृत आतंकवादी सज्जाद अफगानी का ताबूत लौटाने और 200 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि की माँग की ।

विदेश मंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए कंधार गए थे कि अपहरण का अन्त, यात्रियों और कर्मीदल की सकुशल रिहाई एवं सुरक्षित वापसी अन्तिम क्षण में बिना किसी बाधा के हो सके और इसलिए भी कि जरूरत पड़ने पर मौके पर ही तुरंत निर्णय लिया जा सके ।

अपहरण की घटना, भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की एक और घटना थी। सरकार ने अपहरण में पाकिस्तान द्वारा निभाई गई भूमिका की ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। भारत में सीमा-पार से आतंकवाद का प्रायोजन करने में पाकिस्तान की-सह अपराधिता और इससे हमारे देश तथा इस क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव की अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अब बेहतर जानकारी है । यह जानकारी कई विदेशी सरकारों के प्रवक्ताओं के सरकारी वक्तव्यों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय समाचारतंत्र द्वारा पाकिस्तान पर दिए जा रहे समाचारों में भी परिलक्षित हो रही है । कई विदेशी सरकारों ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के अस्वीकार्य कृत्य के रूप में इस अपहरण कांड की निंदा भी की है ।

पाकिस्तान की सरकार, जिसके साथ यह मामला उठाया गया था, ने अपनी सामान्य स्थिति को दोहराया है कि वे अपने प्रदेश अथवा पाकिस्तान कश्मीर के प्रदेश में पाए गए ऐसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, जिस पर अपहरण से संबंधित किसी अपराध को अंजाम देने का का संदेह होगा, को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाने का वचन देते हैं । तथापि, उन्होंने चूँकि हमारी कार्यवाही को उसी समय अस्वीकार कर दिया है अतः पाकिस्तान की सामान्य वचनबद्धताओं का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। तालिबान के प्राधिकारियों ने हालांकि अपनी ओर से यथोचित मददगार होने का रवैया अपनाया था, तथापि, उनकी सहानुभूति निरन्तर अपहरणकर्ताओं, रिहा किए गए आतंकवादियों और उनके समर्थकों के प्रति बनी हुई थी ।

[हिन्दी]

दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले

1107. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों की मंत्रालय वार संख्या क्या है ;

(ख) इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है; और

(ग) इन दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले व्यक्तियों की सेवाएं कब तक नियमित की जाएंगी ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकारी, स्वयं ही, किसी

आकस्मिक/मौसमी/आन्तरायिक (कभी-कभार के) कार्य के निष्पादन हेतु व्यक्तियों को दिहाड़ी के आधार पर लगाने में सक्षम हैं । इस बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती ।

(ख) श्री राज कमल तथा अन्य बनाम भारत-संघ के मामले में, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ के दिनाँक 16.02.90 के निर्णय के अनुसरण में सरकार द्वारा तैयार की गई योजना की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) चूंकि दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं का नियमितीकरण, उनके द्वारा, आयु, शैक्षिक अर्हताओं आदि जैसी कुछ शर्तें पूरी किए जाने तथा समूह "घ" संवर्ग में उपयुक्त रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर होता है, अत: उनकी सेवाओं के नियमितीकरण की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकी ।

विवरण

कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग, नैमित्तिक मजदूरों को अस्थायी दर्जा प्रदान किए जाने तथा नियमित किए जाने की योजना

1. इस योजना को "भारत सरकार की 1993 की नैमित्तिक मज़दूरों को (अस्थायी दरजा प्रदान किए जाने तथा नियमित किए जाने) की योजना", कहा जाएगा ।

2. यह योजना पहली सितम्बर, 1993 से लागू होगी ।

3. यह योजना भारत-सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत नैमित्तिक मज़दूरों के संबंध में इन आदेशों के जारी होने की तारीख से लागू होगी, लेकिन यह योजना रेलवे, दूरसंचार विभाग तथा डाक-विभाग के नैमित्तिक कामगारों पर लागू नहीं होगी जिनकी पहले से ही अपनी योजनाएं हैं ।

4. *अस्थायी दरजा :*

(i) उन सभी नैमित्तिक मज़दूरों को अस्थायी दरजा प्रदान किया जाएगा जो इस कार्यालय-ज्ञापन के जारी होने की तारीख को रोज़गार में रहे हों तथा जिन्होंने कम-से-कम एक साल की लगातार सेवा कर ली हो, अर्थात् जो कम-से-कम 240 दिन, और जिन कार्यालयों में 5 दिन का सप्ताह लागू हो उनके मामले में 206 दिन की अवधि तक कार्यरत रहे हों ।

(ii) ऐसा अस्थायी दरजा नियमित समूह "घ" पदों का सृजन किए जाने के बिना/उनकी उपलब्धता पर ध्यान दिए जाने के बिना ही प्रदान किया जाएगा ।

(iii) नैमित्तिक मज़दूरों को अस्थायी दरजा प्रदान किए जाने पर उनके कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा । इस तरह कार्य पर रखा जाना, आवश्यकता के अनुसार वेतन की दैनिक दरों पर होगा। उन्हें कार्य की उपलब्धता के आधार पर भर्ती यूनिट/क्षेत्रीय मंडल के भीतर कहीं भी तैनात किया जा सकता है ।

(iv) जिन नैमित्तिक मज़दूरों को अस्थायी दरजा मिलेगा, उन्हें तब तक स्थायी स्थापना में नहीं लाया जाएगा जब तक कि वे समूह "घ" पदों के लिए नियमित चयन-प्रक्रिया द्वारा नहीं चुन लिए जाएं ।

5. अस्थायी दरजा दिए जाने से, नैमित्तिक मज़दूर निम्नलिखित प्रसुविधाओं के हकदार होंगे :

(i) दिहाड़ी मज़दूर का दिहाड़ी दर पर वेतन, महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते सहित, तद्नुरूपी नियमित समूह "घ" कर्मचारी के वेतनमान के न्यूनतम के संदर्भ में होगा।

(ii) सेवा के वर्ष के अनुपातिक वेतन की गणना की दृष्टि से उन दरों पर वेतन-वृद्धि की प्रसुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा जो समूह "घ" कर्मचारियों के संबंध में लागू हों बशर्ते कि अस्थायी दरजा दिए जाने की तारीख से एक वर्ष में कम-से-कम 240 दिन (5 दिन के सप्ताह वाले प्रशासनिक कार्यालयों में 206 दिन) की सेवा पूरी कर ली गई हो ।

(iii) छुट्टी की हकदारी आनुपातिक आधार पर प्रति 10 कार्य दिवसों के संबंध में एक दिन की दर से होगी । प्रसूति अवकाश के सिवाय आकस्मिक छुट्टी अथवा किसी अन्य प्रकार की छुट्टी, अनुज्ञेय नहीं होगी । उन्हें अपने नियमितीकरण पर अपनी छुट्टियों के खाते में जमा छुट्टियां, आगे ले जाने दी जाएंगी । किसी कारण से उनकी सेवा समाप्त कर दिए जाने पर अथवा उनके सेवा छोड़ देने पर वे छुट्टी नकदीकरण के हकदार नहीं होंगे ।

(iv) महिला नैमित्तिक मज़दूरों को नियमित समूह "घ" कर्मचारियों को देय प्रसूति अवकाश देय होगा ।

(v) अस्थायी दरजे में की गई सेवावधि की 50 प्रतिशत सेवावधि का उन्हें नियमित किए जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के उद्देश्य से शुमार किया जाएगा ।

(vi) अस्थायी दरजा दिए जाने के पश्चात् तीन वर्ष की सतत् सेवा करने पर, नैमित्तिक मज़दूरों को सामान्य भविष्य-निधि में अभिदान किए जाने के उद्देश्य से अस्थायी समूह "घ" कर्मचारियों के समतुल्य माना जाएगा और वे आगे उन्हीं शर्तों पर त्यौहार-अग्रिम/बाढ़ अग्रिम प्रदान किए जाने के पात्र होंगे, जो अस्थायी समूह "घ" कर्मचारियों के लिए लागू हों, बशर्ते कि वे अपने विभाग के स्थायी सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिए गए दो गारंटी पत्र प्रस्तुत करें ।

(vii) जब तक नैमित्तिक मज़दूर नियमित नहीं कर दिए जाएं तक तक वे केवल नैमित्तिक मज़दूरों के संबंध में लागू दरों पर ही उत्पादकता से जुड़े बोनस/ तदर्थ बोनस के हक़दार होंगे ।

6. ऊपर दर्शायी गई प्रसुविधाओं के अतिरिक्त, अस्थायी दरजे वाले नैमित्तिक मज़दूरों को अन्य कोई भी प्रसुविधा अनुज्ञेय नहीं होगी। तथापि, औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक संस्थापनाओं में कार्यरत नैमित्तिक मज़दूरों को यदि अन्य अतिरिक्त प्रसुविधाएं अनुज्ञेय हों, तो वे ऐसे नैमित्तिक मज़दूरों के लिए अनुज्ञेय बनी रहेंगी ।

7. अस्थायी दरजा दिए जाने के बावजूद नैमित्तिक मज़दूरों की सेवाएं एक माह का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं । अस्थायी दरजे से, कार्यरत नैमित्तिक मजदूर भी एक माह का लिखित नोटिस देकर सेवा छोड़ सकता है । नोटिस अवधि की मजदूरी केवल उन्हीं दिनों के संबंध में देय होगी, जिन दिनों ऐसे नैमित्तिक मज़दूर कार्यरत रहे हों ।

8. *समूह "घ" पद भरने की क्रियाविधि*

जिन संबंधित कार्यालयों में नैमित्तिक मज़दूर कार्य करते आ रहे हैं, उनमें समूह "घ" संवर्गों में प्रत्येक तीन रिक्तियों में से दो रिक्तियाँ विद्यमान भर्ती नियमों तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अस्थायी दरजे वाले नैमित्तिक मज़दूरों में से भरी जाएंगी । तथापि, विद्यमान/भविष्य की रिक्तियों पर संविलयन का हक पहले, किसी कारणवश अधिशेष घोषित किए गए नियमित समूह "घ" कर्मचारियों का होगा । निरक्षर नैमित्तिक मज़दूरों अथवा पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखने वाले नैमित्तिक मज़दूरों को केवल उन्हीं पदों के संबंध में नियमित किए जाने पर विचार किया जाएगा जिनके संबंध में अपेक्षित योग्यता के रूप में साक्षरता निर्धारित नहीं हो अथवा अपेक्षित योग्यता के रूप में कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं हो । उन्हें उस अवधि के बराबर आयु-सीमा में छूट दी जा सकेगी जिस अवधि तक उन्होंने नैमित्तिक मज़दूर के रूप में लगातार कार्य किया है ।

9. अस्थायी दरजे वाले किसी नैमित्तिक मज़दूर का नियमित किए जाने के पश्चात् उसके स्थान पर कोइ एक़ी नियुक्त नहीं किया जाएगा क्योंकि वह किसी पद पर नहीं था । इसका उल्लंघन करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा और इन अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई के लिए ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के नोटिस में लाया जाएगा ।

10. भविष्य में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नैमित्तिक मजदूरों को कार्य पर रखे जाने के मामलों में इस विभाग के दिनांक 07.06.88 के कार्यालय-ज्ञापन में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए ।

11. कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग को इस योजना में समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन करने अथवा इसके किसी प्रावधान के संबंध में छूट देने का अधिकार होगा ।

ग्रामीण निर्धनता

1108. **श्री सुकदेव पासवान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 2000 को "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में प्रकाशित समाचार-शीर्षक "रूरल पावर्टी राइजेज् बाय 3.42 पर्सेन्ट" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके अंतर्गत छपे समाचारों का तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट में उपभोक्ता व्यय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों से, इसके 46वें, 47वें, 48वें, 51वें, 52वें और 53वें चक्र में विरल प्रतिदर्श के आधार पर एकत्र किए गए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात के कुछ अनुमानों का और उपभोक्ता व्यय पर व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों से योजना आयोग द्वारा वर्ष 1993-94 के लिए किए गए गरीबी के अनुमानों का उल्लेख है । इस रिपोर्ट में किए गए अनुमानित गरीबी अनुपात निम्नानुसार हैं :

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) चक्र	वर्ष	ग्रामीण गरीबी अनुपात	शहरी गरीबी अनुपात
46वां चक्र	जुलाई 90 - जून 91	35.04	35.29
47वां चक्र	जुलाई 91 - दिसम्बर 91	40.68	37.03
48वां चक्र	जनवरी 92 - दिसम्बर 92	46.43	38.52
50वां चक्र	जुलाई 93 - जून 94	36.27	32.36
51वां चक्र	जुलाई 94 - जून 95	38.03	34.24
52वां चक्र	जुलाई 95 - जून 96	38.29	30.05
53वां चक्र	जनवरी 97 - दिसम्बर 97	38.46	33.97

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के उपभोक्ता व्यय पर विरल प्रतिदर्श आंकड़ों से गरीबी के अनुमान योजना आयोग द्वारा स्वीकृत विशेषज्ञ दल पद्धति के मानकों का कड़े रूप से पालन नहीं करते और योजना आयोग पंचवार्षिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर गरीबी के अनुमान लगाता है ।

(ग) योजना आयोग ने विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् गरीबी अनुमान की विशेषज्ञ दल द्वारा सिफारिश की गई पद्धति को स्वीकार किया, जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर की गरीबी को राज्य स्तर की गरीबी के औसत के रूप में देखा जाता है और राज्य-स्तर की गरीबी का अनुमान राज्य स्तर की गरीबी रेखा और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के उपभोक्ता व्यय के व्यापक सर्वेक्षण से प्राप्त किए गए राज्य स्तर उपभोक्ता व्यय वितरण से लगाया जाता है । इसके विपरीत, रिपोर्ट में उल्लिखित गरीबी अनुमान राष्ट्रीय स्तर की गरीबी रेखा और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के उपभोक्ता व्यय के विरल प्रतिदर्श आंकड़ों पर आधारित हैं। अत: सरकारी अनुमानों के साथ इन अनुमानों की तुलना से कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं निकाले जाने चाहिए।

[अनुवाद]

घरेलू इस्पात का उत्पादन

1109. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस्पात का उत्पादन बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में संयंत्रवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) इस्पात के उत्पादन के संबंध में प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क), (ख) और (घ) इस्पात उद्योग के उदारीकरण के पश्चात इस्पात का उत्पादन बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रित होता है और इस संबंध में सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं । सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक उत्पादन को अपने मांग प्रक्षेपण के आधार पर नियोजित करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान परिसज्जित इस्पात का कुल घरेलू उत्पादन निम्नानुसार रहा :

(दस लाख टन)

	1996-97	1997-98	1998-99
परिसज्जित इस्पात	22.72	23.37	23.82

(ग) और (ङ) योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित किए गए लोहा और इस्पात संबंधी कार्यदल द्वारा किए गए प्रक्षेपणों के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2001-02 तक, परिसज्जित इस्पात का उत्पादन 380.1 लाख टन तक पहुंच जाएगा । उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस उद्योग की सहायता करने हेतु सरकार ने इस्पात की मांग बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद मिश्र को उन्मुखी बनाना और बाजार-मांग में हुए परिवर्तन के अनुसार उत्पादन को समायोजित करना ।
- ग्राहकों के साथ समझौता ज्ञापन/आपूर्ति व्यवस्था करके दीर्घकालिक ग्राहक संबंध विकसित करना ।
- निर्यात संबंधी अड़चनों को दूर करने में इस्पात निर्यातकों की सहायता करने के लिए "इस्पात निर्यातक मंच" का गठन किया गया है ।
- इस्पात की मांग और खपत में वृद्धि करने के लिए विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात ने इस्पात की मांग, विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्रों जैसे गैर-परंपरागत क्षेत्रों में, बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।
- निर्यात में वृद्धि करने के लिए इस्पात के निर्यात हेतु ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक (डी ई पी बी) दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है ।
- इस्पात विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकी में सुधार करने और भारतीय इस्पात की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की जांच और सहायता करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है ।

श्रम अदालतों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों में मामले

1110. श्री विकास चौधरी :
श्री बृज भूषण शरण सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम अदालतों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों में भारी संख्या में मामले लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मामलों के त्वरित निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) लम्बित मामलों की संख्या तथा उनके विलम्बन की अवधि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग)

(i) सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिये त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

(ii) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवाद मामलों के विलम्बन को कम करने की जरूरत के बारे में समय-समय पर पीठासीन अधिकारियों के साथ मामले उठा कर उनसे इन्हें कम करने के संबंध में अनुरोध किया जाता है ।

(iii) समस्त पीठासीन अधिकारियों की एक बैठक 6.4.99 को आयोजित की गई थी जिसमें लम्बित मामलों की निपटाये जाने की जरूरत पर जोर दिया गया था ।

(iv) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के प्रयोग के लिए विभागीय प्रक्रिया नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया है। आशा की जाती है यह नियमावली मामलों का शीघ्र निपटान करने में पीठासीन अधिकारियों के लिये उपयोगी होगी ।

विवरण

लम्बित मामलों तथा उनके बिलम्बन की अवधि को दर्शाने वाला विवरण

लंबित मामलों की संख्या (31-12-99 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	के.स.औ.अ.-सह-श्रम न्यायालयों की संख्या	6 माह से कम	6 माह से 2 वर्ष	2 से 5 साल	5 से 10 साल	10 साल से अधिक	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आसनसोल	282	20	6	1	-	309	
2.	बंगलौर	43	172	109	94	23	441	
3.	कलकत्ता	11	68	32	51	22	184	
4.	चंडीगढ़	216	403	311	432	10	1372	11/99 तक
5.	धनबाद-I	57	656	375	180	18	1286	
6.	धनबाद-II	113	508	342	122	53	1138	11/99 तक
7.	जबलपुर	*	*	*	*	*	1598	31.8.97 तक
8.	जयपुर	79	98	-	-	-	177	10/99 तक
9.	कानपुर	519	91	68	46	-	724	
10.	लखनऊ	18	-		-	-	18	
11.	नागपुर	52	-	-	-	-	52	
12.	नई दिल्ली	149	391	201	126	21	888	10/99 तक
13.	मंबई-I	9	67	78	32	3	189	
14.	मुंबई-II	83	192	10	5	2	292	
	कुल	1631	2666	1532	1089	152	8668	

* आँकड़े उपलब्ध नहीं।

महिला श्रमिकों में बीमारियां

1111. **श्रीमती गीता मुखर्जी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली प्रसंस्करण उद्योग की महिला श्रमिकों को दस्ताने उपलब्ध नहीं कराये जाते जिससे उनमें बीमारियां फैल रही हैं;

(ख) क्या कार्य करने के उनके तरीके के कारण उनमें नपुंसकता बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो देश में राज्य-वार मछली प्रसंस्करण उद्योग में इससे प्रभावित महिलाओं की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस संबंध में संघ सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ;

(ङ) क्या संघ सरकार का इन उद्योगों में कार्यरत महिला श्रमिकों को कोई प्रतिपूर्ति देने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कृषि और ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन हेतु योजनाएं

1112. **श्री पी.डी. एलानगोवन** : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में, विशेषकर तमिलनाडु में कृषि और ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन हेतु विशेष योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी. आई.सी) द्वारा, ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन हेतु मार्जन मनी योजना जिसमें अन्यों के साथ-साथ तमिलनाडु सहित देश के कृषि एवं ग्रामीण उद्योग शामिल हैं, क्रियान्वित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत 10.00 लाख रु० तक की परियोजनाओं के लिए, परियोजना लागत का 25% मार्जन मनी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। 10.00 लाख रु० से ऊपर तथा 25.00 लाख रु० तक की परियोजनाओं के लिए 10.00 लाख रु० पर मार्जन मनी की दर 25% तथा परियोजना की शेष लागत पर 10% है । कमजोर वर्गों, पहाड़ी, सीमांत तथा जनजाति क्षेत्रों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप के लाभार्थियों के मामले में 10 लाख रु० तक की परियोजना-लागत के लिए 30% की दर से तथा शेष राशि हेतु (25 लाख रु० तक) मार्जन मनी 10% की दर से मार्जिन मनी दी जाती है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियां

1113. श्री रामदास आठवले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जनवरी 2000 के "दैनिक जागरण" में "अपराधों को अंजाम देने में तालिबान-आई.एस.आई. का हाथ" और "कंधार पहुँचने पर अपहरणकर्ताओं के पास और हथियार आ गये थे" और "रिहा होने वाले आतंकवादियों के चयन में आई. एस. आई. की महत्वपूर्ण भूमिका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान इस मुद्दे पर सफल रहा तथा हमारे राजनयिक बुरी तरह असफल रहे; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ध्यान आकृष्ट करने तथा लश्कर-ए-तोईबा तथा अल बदर जैसे विदेशी भाड़े के सैनिकों वाले कई आत्मघाती आतंकवादियों जिन्हें पाकिस्तान द्वारा कारगिल में शर्मनाक पराजय होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारत को अपमानित करने के लिए भेजा गया है कि घुसपैठ को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सरकार को पाकिस्तान की भूमिका और आई सी-814 के अपहरण में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों का हाथ होने की जानकारी है । इन आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की सरकार द्वारा सक्रिय रूप से सहायता और समर्थन दिया जा रहा है। कंधार में तालीबान ने वास्तविक मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हुए, निरन्तर रूप से अपहर्ताओं के साथ अपनी सहानुभूति बनाए रखी थी ।

इस अपहरण ने एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संवर्धन में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया है और भारत तथा विश्व में अन्यत्र आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के सरकारी प्रायोजन को रेखांकित किया है ।

सरकार ने आई सी-814 के अपहरण के मामले सहित आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन और भारत के आन्तरिक मामलों में उसके सतत प्रयासों को उपयुक्त समय पर तथा प्रभावी रूप से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराया है । इन घटनाओं को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया गया है और विश्व के नेताओं के साथ उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान भी उठाया गया है ।

अब, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय जम्मू और कश्मीर तथा भारत में अन्यत्र पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद और इसके उस प्रभाव को, जो हमारे देश और इस क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ा है, खुलेआम मानने लगा है । अनेक सरकारों के सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा जारी वक्तव्यों में और पाकिस्तान से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में अधिक से अधिक जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

सरकार देश की रक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति वचनबद्ध है ।

[अनुवाद]

निधियां आबंटन हेतु मापदण्ड

1114. डा. संजय पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय निधियों के आबंटन के लिए मापदंड के संशोधन के संबंध में राज्य सरकारों से कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों की मांग स्वीकार कर ली है और एक कृतिक बल का गठन करने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) उक्त कृतिक बल का कब तक गठन किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रलाय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (ङ) योजना आयोग को प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों के आबंटन के लिए मापदण्ड के संशोधन के संबंध में कुछ राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जहां कुछ राज्य इस पक्ष में हैं कि निधियों का आबंटन वर्ष 1987-88 के

लिए कार्यदल के अनुमानों के आधार पर होना चाहिए, (तलिनाडु, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश) जबकि दूसरे राज्य वर्ष 1993-94 के लिए विशेषज्ञ दल के गरीबी अनुमानों को अपनाने के पक्ष में हैं (पंजाब, केरल और त्रिपुरा)। यह मुद्दा राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) के समक्ष रखा गया था । दिनांक 19.2.99 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया था कि प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आबंटन हेतु मापदण्ड निर्धारित करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति गठित की जाए जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों, दोनों के सदस्य शामिल हों । प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आबंटन के लिए विभिन्न मापदण्डों पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने वर्तमान मापदण्ड को जारी रखने की सिफारिश की थी । समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि बहुत से महत्वपूर्ण सुझावों, जो गरीबी कम करने में बेहतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहनों और अत्यन्त गरीबी एवं विपत्ति वाले क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त निधियों से संबंधित हैं, पर दसवीं योजना संबंधी कार्य शुरू होते समय विचार किया जा सकता है । राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की सिफारिशें राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएंगी ।

लघु उद्योगों में ऋण की आवश्यकता

1115. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं को संस्था का रूप प्रदान करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पर्याप्त और सही समय पर ऋण न मिलना लघु उद्योगों की एक बड़ी समस्या है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों से लघु उद्योगों को उदारतापूर्वक सहायता देने के लिए अनुरोध करने का है; और

(च) यदि हां, तो लघु उद्योगों को ऋण-बाधा की समस्या दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) लघु उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं को मूल्यांकन करने तथा जिला के वार्षिक क्रेडिट योजना में समाविष्ट करने हेतु जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र पहले से ही मौजूद हैं । जिला क्रेडिट योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए अग्रणी बैंक उत्तरदायी है । लघु उद्योग में क्रेडिट को बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ अति लघु इकाइयों के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत 60 प्रतिशत इयरमार्किंग भी सम्मिलित है ।

(ग) से (च) लघु उद्योग क्षेत्र में क्रेडिट का प्रवाह एक नियमित रूप से बढ़ा है जो मार्च 1991 के रु॰ 16,783 करोड़ से बढ़कर मार्च 1999 में 17.3 प्रतिशत की बैंक दर से रु॰ 42,674 करोड़ रुपये हो गया है । लघु उद्यमियों से ऋण संबंधी प्राप्त आवेदनों को समय से निपटान करने के लिए तथा बैंकों द्वारा ऋण संबंधी आवेदनों को पूर्णत: मानीटर करने के लिए भारतीय रिर्जव बैंक एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करता है । लघु उद्योग तथा अति लघु इकाइयों को सुविधापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी योजना आरंभ करने पर विचार कर रही है ।

विमान अपहरण करने वाले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए भारत को ब्रिटेन की मदद

1116. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार विमान अपहरण करने वाले आतंकवादियों को पकड़ने में भारत को मदद करने के लिए राजी हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो कई देशों ने उक्त अपहरणकर्ताओं को भारत सरकार को सुपुर्द करने या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत उन पर कार्यवाही करने के लिए पाकिस्तान से आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को पाकिस्तान से या अन्य देश से इन अपहरणकर्ताओं के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है जो भारत की सहायता करने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ङ) इन अपहरणकर्ताओं के संबंध में आज तक की स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

लोक सभा अपराह्न 2 बजकर 01 मिनट पर पुन: समवेत हुई

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए]

अपराह्न 2.01 बजे

इस समय श्री रामदास आठवले, कुंवर अखिलेश सिंह, डा. राम चन्द्र डोम, श्री राजो सिंह एवं अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये, यहां बोलने से कोई लाभ नहीं है । जो कुछ भी आपको बोलना है अपनी सीट पर जाकर बोलिये ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर जाइये और वहां से बोलिये ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: प्रियरंजन दासमुंशी जी, आपको क्या कहना है?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : प्रधान मंत्री महोदय को सभा में आ जाने दीजिए और नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव के संबंध में हमारे विचार सुन लेने दीजिए *...(व्यवधान)* सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का साहस क्यों नहीं जुटा पा रही है? *...(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि सभा के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सभा में आकर चर्चा को सुनें और यह देखें कि इस मुद्दे पर पूरी सभा एकमत है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री अखिलेश सिंह जी, अपनी सीट पर जाकर बोलिये

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अपनी सीट पर जाकर एक-एक करके बोलें और उसके बाद आप निर्णय सुनें ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सीट पर जाएंगे तो आपकी तो आपकी बात सुनी जाएगी । यहां आपकी बात नहीं सुनी जाएगी ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर जाकर वहीं से बोलिए । यहां आपकी बात नहीं सुनी जाएगी । सीट पर जाकर जो कुछ बोलना है, बोलें ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी सीट से बोलें ।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सदन के नेता को सदन में आकर आश्वासन देना चाहिए कि यह मामला नियम 184 के अन्तर्गत लिया जाएगा । *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अपनी सीट से बोलेंगे तो प्रोसिडिंग्स में जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी सीट पर जाएं ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य अपनी बात कहें ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, गुजरात सरकार के अपने कर्मचारियों को आर.एस.एस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने वाले निर्णय के विरुद्ध नियम 184 के अधीन चर्चा की मांग करते हुए आज चौथा दिन है...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार के निर्णय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नही की है । देश में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है जोकि देश के हित में नहीं है । यह लोकतंत्र विरोधी है । इससे केवल लोकतंत्र समाप्त होगा *...(व्यवधान)* हम इस देश को विघटन से बचाना चाहते हैं । यदि सरकारी कर्मचारियों को आर.एस.एस. की गतिविधियों में भाग लेने दिया गया तो पूरा देश खण्डित हो जाएगा। हम चाहते हैं कि नियम 184 के अधीन चर्चा होनी चाहिए ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पहले इनकी बात सुनिए । वैल से बोलेंगे तो आपकी बात रिकॉर्ड में नही जाएगी । सीट से बोलेंगे तो आपकी रिकॉर्ड में जाएगी ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सीट पर जाएं और वहां से बोलें ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नियम कहता है कि जो सीट से बोलें, उनकी बात को सुना जाए ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सीट पर जाकर बोलने में आपको क्या हर्ज है ? अगर बात नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा ?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यहां बात कहने का कोई महत्व नहीं है ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सीट पर जाएं ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.08 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सेन्ट्रल बोर्ड फार वर्कस एजूकेशन, नागपुर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सेन्ट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन, नागपुर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये । *देखिये* संख्या एल॰ टी॰ 1328/2000]

(3) बालश्रम का उत्सादन, 1957 से संबंधित भारतीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 105 का अनुसमर्थन के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । *देखिये* संख्या एल॰ टी॰ 1329/2000]

(4) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । *देखिये* संख्या एल॰ टी॰ 1330/2000]

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । *देखिये* संख्या एल॰ टी॰ 1331/2000]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : श्रीमती मेनका गांधी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क)(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1332/2000]

(ख)(एक) आर्टीफिशियल लिम्बस् मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आर्टीफिशियल लिम्बस् मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । *देखिये* संख्या एल॰टी॰ 1333/2000]

(3) (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट फार दी ओर्थोपेडीकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट फार दी आर्थोपेडीकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । *देखिये* संख्या एल०टी० 1334/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी) : श्री संतोष कुमार गंगवार की ओर से मैं दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

दसवीं लोक सभा

(1) विवरण संख्या तैंतालीस पहला सत्र, 1991

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1336/2000]

(2) विवरण संख्या छत्तीस दूसरा सत्र, 1991

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1337/2000]

(3) विवरण संख्या सैंतीस छठा सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1338/2000]

(4) विवरण संख्या इकत्तीस सातवां सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1339/2000]

(5) विवरण संख्या इकत्तीस आठवां सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1340/2000]

(6) विवरण संख्या उनतीस नौवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1341/2000]

(7) विवरण संख्या पच्चीस ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1342/2000]

(8) विवरण संख्या बाईस तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1343/200]

(9) विवरण संख्या उन्नीस चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1344/2000]

(10) विवरण संख्या पन्द्रह पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1345/2000]

(11) विवरण संख्या तेरह सोलहवां सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1346/2000]

ग्यारहवीं लोक सभा

(12) विवरण संख्या चौदह दूसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1347/2000]

(13) विवरण संख्या तेरह तीसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1348/2000]

(14) विवरण संख्या बारह चौथा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1349/2000]

(15) विवरण संख्या दस पांचवां सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1350/2000]

बारहवीं लोक सभा

(16) विवरण संख्या आठ दूसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1351/2000]

(17) विवरण संख्या पांच तीसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1352/2000]

(18) विवरण संख्या चार चौथा सत्र, 1999

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1353/2000]

तेरहवीं लोक सभा

(19) विवरण संख्या एक दूसरा सत्र, 1999

[ग्रन्थालय में रखी गयी । *देखिये* संख्या एल०टी० 1354/2000]

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : मैं श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के

अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क)(एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेख और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 1355/2000]

(ख)(एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 1356/2000]

अपराह्न 2.10 बजे

इस समय श्री राशिद अलवी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

अपराह्न 2.11 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने आज 28, फरवरी, 2000 को हुई अपनी बैठक में पेटेन्ट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 संबंधी सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :

"कि पेटेण्ट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 संबंधी सभाओं का संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय राज्य सभा के 190वें सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया जाए"

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 28 फरवरी, 2000 को हुई अपनी बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1999 को जिसे लोक सभा ने 2 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था, निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित किया है :

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "पचासवें" के स्थान पर "इक्यावनवें" प्रतिस्थापित किया जाए ।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में, "1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित किया जाए ।

खण्ड 3

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 25 में, "1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित किया जाए ।

4. पृष्ठ 3, पंक्ति 9 में, "1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित किया जाए ।

इसीलिए, मैं, राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में उक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि लोक सभा इन संशोधनों पर अपनी सहमति से राज्य सभा को अवगत कराये।"

अपराह्न 2.12 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

अपराह्न 2.12½ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

तैंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : मैं इस्पात विभाग की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तैंतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

अपराह्न 2.13 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

इकहत्तरवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक (मथुरापुर) : मैं, अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन विधेयक, 1999 पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थाई समिति के इकहत्तरवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लोक सभा के पटल पर रखता हूँ ।

अपराह्न 2.13½ बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

[अनुवाद]

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय)नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(दो) केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11(2) के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिये कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11(2) के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, केन्द्रीय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिये कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोग अपने आसन पर जायें । कृपा करके आप अपनी सीट पर जायें ।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : नियम 184 के अंतर्गत अनुमति देने वाला मामला अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। कृपा कर निर्णय की प्रतीक्षा करें ।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन में घोर अव्यवस्था के कारण अब सदन की कार्यवाही कल सुबह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

अपराह्न 2.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, गुरुवार, 2 मार्च, 2000/12 फाल्गुन, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 1 मार्च, 2000/11 फाल्गुन, 1921 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
63	5	श्री सुकदेश पासवान	श्री सुकदेव पासवान
162	5	(क) से (ङ)	(क) से (छ)
206	9	श्री चिन्तामन बनगा	श्री चिन्तामन वनगा

पी॰एल॰एस॰--48/4/6/2000 (एन॰)

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 द्वारा मुद्रित।